पंचदश माला, खंड 11, अंक 14

गुरुवार, 12 अगस्त, 2010
21 श्रावण, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 26
Dated 16 April 2012

(खण्ड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डॉ. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

साईं दास धमीजा
अपर निदेशक

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

कावेरी जेसवाल
सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2010/21 श्रावण 1932 (शक)]

अंक 14, गुरुवार, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
सदस्यों द्वारा निवेदन	2–6
जाति आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय के बारे में	2–6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	6–65
तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 280	6–65
अतारांकित प्रश्न संख्या 2986 से 3215	65–347
सभा पटल पर रखे गए पत्र	347–350
राज्य सभा से संदेश	350
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति	350
विवरण	350
खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	351
छठा और सातवां प्रतिवेदन	351
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	352
दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन	352
एयर इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में दिनांक 29.7.2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	352
श्री प्रफुल पटेल	352
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	356
देश में आहार और खाद्य पदार्थ में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	356–360
श्री जगदम्बिका पाल	375–379
श्री दिनेश त्रिवेदी	356–357
झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010	357–360
झारखंड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2010 के बारे में वक्तव्य	373
डॉ. सी.पी. जोशी	374

विषय	कॉलम
कार्य मंत्रणा समिति	374
19वां प्रतिवेदन	374
नियम 377 के अधीन मामले	380
(एक) विदेशी फीडर जहाजों के माध्यम से पोतांतरण को आकर्षित करने के लिए केरल के वल्लारपदम में प्रस्तावित इंटरनेशनल कन्टेनर शिपमेंट टर्मिनल के लिए केबोटेज लॉ (धारा 407) में ढील दिए जाने की आवश्यकता	
श्री पी.टी. थॉमस	380
(दो) भारतीय देशभक्त श्री अरविंदो के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण एक अमरीकी लेखक द्वारा लिखित 'द लाइव्स ऑफ श्री अरविंदो' नामक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
डॉ. अमरनाथ प्रधान	380–381
(तीन) आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 2731/2732 तिरूपति सिकन्दराबाद एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	381
(चार) आंध्र प्रदेश के जहीराबाद और देश के अन्य भागों में सफाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा 70% के अनुरूप अनुदान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश कुमार शेटकर	381–382
(पांच) आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में पोषण जागरूकता कार्यकलापों हेतु नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद में वैज्ञानिकों के विभिन्न पदों को भरे जाने तथा अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पोन्नम प्रभाकर	382–383
(छह) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-63 और राष्ट्रीय राजमार्ग-13 की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जे. शांता	383–384
(सात) बिहार के रजौली में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. भोला सिंह	384
(आठ) हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाला एक पर्यटक सर्किट विकसित किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. राजन सुशान्त	384–385
(नौ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के राज्य वन सेवा संवर्ग की वेतन संरचना डैनिप्स के समतुल्य संशोधित किए जाने की आवश्यकता	
श्री विष्णु पद राय	385–386

विषय	कॉलम
(दस) झारखंड के बोकारो में कोनार बांध पर जल विद्युत परियोजना के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	386
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के इटावा, औरैया और कानपुर देहात क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रेमदास	386–387
(बारह) बुलंदशहर और दिल्ली के बीच रेल संपर्क प्रदान किए जाने तथा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के समीप चोला रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	387
(तेरह) बिहार के पश्चिमी चम्पारण और नालंदा जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद की प्रक्रिया की जांच हेतु सतर्कता-सह-निगरानी समिति गठित किए जाने की आवश्यकता	
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	387–388
(चौदह) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत विभिन्न सड़कों को चौड़ा किए जाने तथा उनका सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. थामराईसेलवन.	388–389
(पंद्रह) दिल्ली से उड़ीसा के बोलंगीर, तितिलागढ़ और सम्बलपुर क्षेत्रों को जोड़ने वाला रेल संपर्क प्रदान किए जाने तथा इन क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	389
(सोलह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारतीय खेल प्राधिकरण के अवसंरचना विकास हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चंद्रकांत खैर	389–390
विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010	390
विचार करने के लिए प्रस्ताव.	390
श्री आनन्द शर्मा	390–394
श्री अर्जुन राम मेघवाल	394–400
श्री संजय निरूपम	400–405
श्री शैलेन्द्र कुमार	405–407
श्री विजय बहादुर सिंह	407–411
डॉ. रत्ना डे	411–412
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	412–416
श्री प्रबोध पांडा	416–418
श्री पी.आर. नटराजन	418–420
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	420–423

विषय	कॉलम
श्री पन्ना लाल पुनिया	423–426
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	426–427
श्री एस. सेम्मलई	427–428
श्री पी.टी. थॉमस	429–431
खंड 2 से 21 और 1	439
पारित करने के लिए प्रस्ताव	439
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010	440
विचार करने के लिए प्रस्ताव	440
श्री पी. चिदम्बरम	440–442
श्री निशिंकात दुबे	442–447
श्री विजय बहुगुणा	447–450
श्री शैलेन्द्र कुमार	450–452
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	452–453
श्री कल्याण बनर्जी	453–455
श्री आर. थामराईसेलवन	455–456
श्री एम.बी. राजेश	457–458
श्री भर्तृहरि महताब	458–461
डॉ. राजन सुशान्त	461–462
श्री हमदुल्लाह सईद	462–463
श्री प्रबोध पांडा	464–465
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	465–466
डॉ. तरूण मंडल	466–467
खंड 2, 3 और 1	474
पारित करने के लिए प्रस्ताव	474
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	489
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	490–496
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	497-498
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	497-500

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 12 अगस्त, 2010/21 श्रावण, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुई*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने दो पूर्ववर्ती सहयोगियों श्री एस.के. राय और डॉ. ए.यू. आजमी के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री एस.के. राय वर्ष 1975 से 1977 तक पांचवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री राय कई कल्याणकारी परियोजनाओं से जुड़े रहे जिनका संबंध आम नागरिकों के जीवन से था। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक डिग्री कालेज और एक विधि कालेज की स्थापना में सहायक रहे।

श्री राय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए अभियानों में सक्रिय भूमिका अदा की और आम आदमी के लिए मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान के लिए कार्य किया।

एक प्रवीण कलाकार श्री राय की नाटक, संगीत और साहित्य में विशेष रूचि थी।

श्री राय का निधन एक लंबी बीमारी के बाद 16 फरवरी 2010 को गंगटोक में हुआ।

डॉ. ए.यू. आजमी वर्ष 1980 से 1984 तक सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश के जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

पेशे से डॉक्टर, डॉ. आजमी ने गरीबों, पददलितों और समाज के वंचित वर्गों के कल्याण और अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कार्य किया।

डॉ. ए.यू. आजमी का निधन 81 वर्ष की आयु में 24 मई, 2010 को दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी और इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूं।

माननीय सदस्यों, 11 अगस्त, 2010 को एक दु:खद घटना हुई। उफनती हुई कोसी नदी के भंवर में फंस जाने के कारण एक देसी नाव डूब गई जिसमें बच्चों सहित 25 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। कई अन्य लोग अब भी लापता हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 261, श्री पूर्णमासी राम।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

जाति आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय के बारे में

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है जो कास्ट इनोमरेशन का मामला था, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उसे शून्य प्रहर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव: उसे बायोमीट्रिक में डाल दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप उसको शून्य प्रहर में उठाइए। अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): ...*(व्यवधान)* जातीय आधार की जनगणना बायोमीट्रिक में डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, आप उसे शून्य प्रहर में उठाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आपसे निवेदन है कि इसे उलझाया क्यों है? क्या हम सब लोगों को नासमझ समझ रखा है? यह समझ रखा है कि ये नासमझ हैं और इनको यह समझ में नहीं आएगा। ...*(व्यवधान)* यह सरकार की गहरी साजिश है।

अध्यक्ष महोदया: अभी प्रश्न काल चल रहा है। शून्य प्रहर में आप इसको उठाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): ...*(व्यवधान)* वादा किया था कि पार्लियामेंट को बतायेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: यह जो हेड-काउन्ट हो रहा है, हेड-काउन्ट में नहीं रखा है, इसको बायोमीट्रिक में डाल दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी प्रश्न काल चल जाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: इसको बायोमीट्रिक में डाल दिया है। ...*(व्यवधान)* बायोमीट्रिक में 15 वर्ष के ऊपर के लोगों का हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सुदीप जी, आप क्या कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, मुझे एक सूचना देनी है। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने का मौका तो दीजिए ...*(व्यवधान)* हमने शून्यकाल में बोलने के लिए नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: सब ठीक है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): हमने इस पर एडजर्नमेंट मोशन दिया है। ...*(व्यवधान)* इस पर चर्चा की जाए। ...*(व्यवधान)* जो आज उठाया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसे शून्य प्रहर में उठाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब हम प्रश्न काल चला लें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): उसे सब्सक्राइब क्यों किया गया? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उसको शून्य प्रहर में उठा लीजिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): ...*(व्यवधान)* काउंटिंग नहीं करेंगे, इसका क्या मतलब है? ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: ...*(व्यवधान)* हेड काउंट करना चाहिए था, बायोमीट्रिक का तो सौ साल में भी नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, आप पहले हमारी बात सुनिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इतनी जोर से मत बोलिए, धीरे बोलिए। हम कह रहे है कि आप इस विषय को शून्य प्रहर में उठाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हमारा आग्रह है कि आप अभी प्रश्न काल चलने दीजिए और इस विषय को शून्य प्रहर में उठाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: महोदया, मैं भी इसी विषय के बारे में कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप इस विषय को शून्य प्रहर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदया, इस विषय पर सारे हाउस का एक मत है। *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदया, सारे हाउस का एक मत है। *...(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी को, सोनिया जी को *...(व्यवधान)* यह कहा गया कि कर रहे हैं, लेकिन फिर चतुराई दिखा दी। *...(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, 15 साल में इलैक्शन कमीशन का फोटो आइडेंटिटी कार्ड नहीं बन पाया है। ये सौ साल में भी नहीं होगा। बायोमीट्रिक क्या चीज है? *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: मैडम, इन्होंने गलत काम किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्नकाल चलने दीजिए। इस विषय को आप शून्य प्रहर में उठाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद: पहले इस पर फैसला होना चाहिए। उसके बाद हाउस चलेगा। *...(व्यवधान)* पहले इस विषय का निराकरण होना चाहिए, उसके बाद आप हाउस चलाइये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

एलपीजी का आयात

***261. श्री पूर्णमासी राम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का लागत मूल्य घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002 के अंतर्गत ब्यूटेन एवं प्रोपेन के मिश्रण के आधार पर तय किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मार्च 2008 को समाप्त हुए पांच वर्षों के दौरान कुछ तेल कंपनियों ने भारी मात्रा में ऐसी एलपीजी का आयात किया था, जिसमें प्रोपेन की तुलना में ब्यूटेन का प्रतिशत अधिक था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी घाटा हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले की जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) एफओबी मूल्य की गणना के आधार पर, आयात समता आधार पर घरेलू एलपीजी के लागत मूल्य की गणना करने के लिए "पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002" में दिया गया तरीका नीचे दिया गया है:

"एफओबी मूल्य अमरीकी डालर/एमटी–पूर्ववर्ती मास के लिए प्लेट्स एलपी गैसवायर में यथा उद्धृत सउदी संविदा मूल्य। एलपीजी मूल्यों पर ब्यूटेन और प्रोपेन मूल्यों के औसत भार पर क्रमश: 60% और 40% पर भार के साथ विचार किया जाता है। राजसहायता को 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार, मूल्य निर्धारण अवधि 1 से 31 मार्च 2002 के

दौरान, औसत एफओबी के आधार पर, स्थिर कर दिया जाएगा।''

(ग) और (घ) मार्च 2008 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा उद्योग आधार पर, यथा प्रस्तुत एलपीजी आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़े हजार मीटरी टनों में)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	जोड़
ब्यूटेन	1491	2217	2152	1676	2288	9824
प्रोपेन	0	0	301	306	295	902
जोड़	1491	2217	2453	1982	2583	10726

(ङ) और (च) सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट संख्या 2009-10 का पीए 27 में संकेत किया है कि प्रोपेन की तुलना में ब्यूटेन का अपेक्षाकृत अधिक आयात करने के कारण, 2003-04 से 2007-08 की अवधि के दौरान एलपीजी आयातों में घाटा हुआ।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) ने संकेत किया है कि एलपीजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिश्रण के रूप में उपलब्ध नहीं है, यह या तो वाणिज्यिक ब्यूटेन के रूप में उपलब्ध है। वाणिज्यिक ब्यूटेन और वाणिज्यिक प्रोपेन को अलग-अलग आयात किया जाता है और आयातित ब्यूटेन और प्रोपेन का अनुपात उनकी उपलब्धता तथा देश में बन्दरगाह स्थलों पर उनको संभालने की सुविधाओं पर निर्भर करता है। उपर्युक्त अवधि के दौरान, मंगलोर और रत्नागिरि बन्दरगाहों पर प्रोपेन संभालने की सुविधाएं नहीं थीं। विजाग बंदरगाह पर भी दिसंबर 2007 तक, प्रोपेन संभालने की सुविधा नहीं थी। चूंकि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति लाइन को बनाए रखा जाना था, इसलिए यह अनिवार्य हो गया था कि प्रोपेन की तुलना में ब्यूटेन का अधिक आयात किया जाए।

इसके अतिरिक्त, उत्पाद की वर्ष भर आश्वस्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलैंडर वर्ष के शुरू होने से लगभग 3 से 4 मास पहले, कलैंडर वर्ष के एलपीजी आयातों का गठजोड़ सामान्यतया उद्योग द्वारा किया जाता है। आपूर्ति संविदाओं पर हस्ताक्षर करने के समय, संविदा अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्यूटेन या प्रोपेन का उत्पाद मूल्य मालूम नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद मूल्य के उतार-चढ़ाव पर ओएमसीज का कोई नियंत्रण नहीं होता।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने सूचित किया है कि 2008-09 और 2009-10 के दौरान, उनके प्रोपेन के आयातों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वे बन्दरगाहों पर अपनी प्रोपेन संभालने की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं ताकि आगामी समय में प्रोपेन आयात बढ़ाया जा सके।

रेलवे में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना

***262. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे नेटवर्क में स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना सुविधा विकसित करने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में रेल मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों का एक उच्चाधिकार प्राप्त समूह गठित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यविधि तैयार की गई है; और

(घ) इस प्रकार की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है तथा इन पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (घ) रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से रेलवे भूमि पर स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई है जिसमें 381 बहिरंग रोगी विभाग और नैदानिक केंद्र, 101 द्वितीय स्तर के जनरल स्पेश्यलिटी अस्पताल और 40 तृतीय स्तर के मल्टी स्पेश्यलिटी अस्पताल शामिल हैं। इस संबंध में, रेल मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चयनित स्थलों की अर्थक्षमता और व्यावहारिकता का विश्लेषण करने हेतु एक रोड मैप बनाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त ग्रुप का गठन किया गया है जिसमें रेल मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। इस समय, चरण-1 के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने हेतु ओपीडी/नैदानिक केंद्रों के लिए 50 स्टेशनों, द्वितीय स्तर के जनरल स्पेश्यलिटी अस्पतालों के लिए 25 स्टेशनों और तृतीय स्तर के मल्टी स्पेश्यलिटी अस्पतालों के लिए 16 स्टेशनों पर कार्य शुरू

किया गया है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने का कार्य निजी भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा जिसमें रेलवे की ओर से कोई वित्तीय देयता नहीं होगी। शेष स्थलों, जिनके लिए रेलवे ने पहले ही भूमि की पहचान कर ली है, पर कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से चरण-दर-चरणवार आरंभ किए जाएंगे।

विवरण

स्वास्थ्य देखभाल सुविधा	*संख्या*	*स्टेशन*
बहिरंग रोगी विभाग और नैदानिक केंद्र	50	बेतुल, शिरडी, जयपुर-क्योंझर रोड, सम्बलपुर, टिटलागढ़, बख्तियार जं., खागड़िया जं,, मुजफ्फरपुर जं., सीतामढ़ी, बंडेल, बर्धमान, बैरकपुर, हवड़ा, नैहाटी, रामपुरहाटा, बांदा, मिर्जापुर, छपरा जं., अलीपुरद्वार जं., डिफू, किशनगंज, न्यू कूच बिहार, रंगपाड़ा नॉर्थ, तिनसुकिया जं., अमेठी, बाराबंकी, भटिंडा जं., देवबंद, फरीदकोट, कथुआ, कटरा, उधमपुर, ऊना हिमाचल, जैसलमेर, मेड़ता रोड़ जं., हजूर साहिब नांदेड़, निडाडावोलू, तानुकू, बालासौर, घाटशिला, करूर जं., एर्णाकुलम, रामेश्वरम, कोल्लम जं., बेल्लारी, बिरूर जं., हिंदूपुर, भरतपुर जं., गंगापुर सिटी, मैहर
द्वितीय स्तर के जनरल स्पेश्यलिटी अस्पताल	25	खंडवा, भद्रक, कोरापुट, गया जं., बालीगंज, बजबज, कैनिंग, जादवपुर, न्यू फरक्का, सिउरी, पगलाचांदी, आजमगढ़, सीतापुर, कूच बिहार, सुल्तानपुर, उधमपुर, तानुकू, तिरूपति, हटिया, झारग्राम, मिदनापुर, पुरूलिया, उलुबेरिया, बिरूर, इटारसी
तृतीय स्तर के मल्टी स्पेश्यलिटी अस्पताल	16	मिरज, कांताबानजी, आसनसोल, बारासात, दानकुनी, पगलाचांदी,, कांचरापाड़ा, कानपुर, न्यू बोंगाईगांव, रंगपाड़ा नॉर्थ, रेवाड़ी, नलगांडा, कृष्णराजनगर, कोटा जं., गार्डन रीच, राजकोट

[हिन्दी]

विमान की उपयोग अवधि

*263. **श्री गोपीनाथ मुंडे:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल एविशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा निजी विमान कंपनियों के स्वामित्व वाले विमान की कंपनी-वार औसत उपयोग अवधि कितनी है;

(ख) क्या नेशनल एविशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं निजी विमान कंपनियों के स्वामित्व वाले अधिकांश विमानों की उपयोग की अवधि पूरी हो चुकी है तथा उन्हें बदले जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय का पुराने पड़ चुके विमानों की उड़ान क्षमता, सुरक्षा तथा उन्हें उड़ान के लिए उपयोग नहीं किया जाना सुनिश्चित करने पर कोई नियंत्रण है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) विमानों की कोई विनिर्दिष्ट आयु सीमा नहीं होती, न ही यह निर्माताओं द्वारा निर्धारित की जाती है। तथापि, विमानों का अनुरक्षण, नागर विमानन महानिदेशालय और निर्माताओं द्वारा विमानों की उड़नयोग्यता को बनाए रखने के संबंध में अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है। एयरलाइनों के पास प्रचालनाधीन विमानों की औसत आयु निम्नानुसार है:

एयरलाइन	विमान की श्रेणी	औसत आयु
1	2	3
नैसिल	एयरबस ए 319	2 वर्ष
	एयरबस ए 320	3 वर्ष
	एयरबस ए 330	2 वर्ष
	बोईंग 777-300	1.5 वर्ष
	बोईंग 777-237	2.1 वर्ष
	बोईंग 737 एनजी	5 वर्ष
	बोईंग 777-222	14 वर्ष
	बोईंग 747-437	15 वर्ष

1	2	3
	एयरबस ए 310 (यात्री)	24 वर्ष
	एयरबस ए 310 (मालवाहक)	22 वर्ष
जेट एयरवेज	बोईंग 737	5 वर्ष
	बोईंग 777	3 वर्ष
	एयरबस ए 330	3 वर्ष
	एटीआर 72	6 वर्ष
जेटलाइट	बोईंग 737	9 वर्ष
	सीआरजे	11 वर्ष
किंगफिशर	एयरबस ए 330	2 वर्ष
	एयरबस ए 320	4 वर्ष
	एटीआर	4 वर्ष
स्पाइसजेट	बोईंग एनजी	3 वर्ष
इंडिगो	एयरबस ए 320	2 वर्ष

(ख) और (ग) वे सभी विमान जिनका प्रचालन इन एयरलाइनों द्वारा किया जा रहा है, उड़ान योग्य हैं।

(घ) और (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) निर्धारित की हैं जिनके अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने प्रेशराईज्ड विमानों और 20 वर्ष से अधिक पुराने अनप्रेशराईज्ड विमानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है।

सीएआर सेक्शन-2, सीरीज-एफ, पार्ट-XX, पैरा-3 में उपरोलिखित अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं तथा सीएआर सेक्शन-2, सीरीज-एफ, पार्ट-X में पुराने हो रहे विमानों की उड़ान योग्यता की निरंतरता को सुनिश्चित करने तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने सभी विमानों की संरचनात्मक इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने संबंधी क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

डीसीसीए निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

रेलवे के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

***264. श्री तूफानी सरोज:**
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भरतीय रेल देश में डीजल के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा वार्षिक रूप से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के डीजल की खपत की जाती है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा जटरोफा पौधारोपण सहित ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) जी हां।

(ख) 2008-09 में भारतीय रेल में लगभग 2.36 मिलियन किलोलीटर उच्च गति डीजल (एचएसडी) की खपत हुई। 2008-09 में उपयोग किए गए एचएसडी तेल की कुल कीमत लगभग 8053 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) जी हां। डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिटों (डेमू) में द्विईंधन विधि में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और डीजल का उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए, 100 डेमू को द्विईंधन विधि में बदलने के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, रेलवे का डीजल इंजनों पर डीजल के साथ मिश्रित बायो-डीजल का उपयोग करने का प्रस्ताव है जिनका जटरोफा सहित विभिन्न स्रोतों से निष्कर्षण किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए, रेलवे ने बायो-डीजल के उत्पादन के लिए 4 बायो-डीजल संयंत्र लगाने की एक परियोजना स्वीकृत की है।

[अनुवाद]

रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन

***265. श्री नरहरि महतो:**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश में जोन-वार कितनी रेल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या ये सभी परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (घ) इस समय, पूरे देश में रेलवे की 360 परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें 122 नई लाइन, 45 आमान परिवर्तन, 160 दोहरीकरण और 33 विद्युतीकरण परियोजनाएं शामिल हैं जिनका 01.04.2010 की स्थिति के अनुसार 1,01,435 करोड़ रुपये का भारी थ्रोफारवर्ड है। इन चालू परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सामान्यतः इन परियोजनाओं के लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि कुछ परियोजनाएं प्रगति पर हैं फिर भी कुछ अन्य परियोजनाएं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और संसाधनों की तंगी के कारण पिछड़ रही हैं।

परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य में तेजी लाने के लिए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्य सरकारों और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्तपोषण जैसे बजटेतर उपायों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं।

विवरण

योजना शीर्ष नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण के अंतर्गत चालू रेल परियोजनाओं का जोन-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

रेलवे जोन	नई लाइन	आमान परिवर्तन	दोहरीकरण	रेल विद्युतीकरण	जोड़
1	2	3	4	5	6
मध्य	4	0	4	-	8
पूर्व तट	5	1	13	-	19
पूर्व मध्य	26	4	7	3	40
पूर्व	10	1	29	4	44
उत्तर मध्य	4	3	4	1	12
पूर्वोत्तर	5	6	10	1	22
पूर्वोत्तर सीमा	17	4	2	1	24
उत्तर	11	0	16	10	37
उत्तर पश्चिम	3	5	9	-	17
दक्षिण मध्य	14	0	5	2	21
दक्षिण पूर्व मध्य	1	3	9	1	14
दक्षिण पूर्व	4	2	16	1	23
दक्षिण	8	6	16	5	35
दक्षिण पश्चिम	7	3	11	1	22
पश्चिम मध्य	1	0	2	1	4
पश्चिम	2	7	7	2	18
जोड़	122	45	160	33	360

जन औषधि बिक्री केंद्र

***266. श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जन औषधि बिक्री केंद्रों के माध्यम से इस समय आपूर्ति की जा रही दवाइयां पर्याप्त हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर देश में लघु एवं मध्यम क्षेत्र की इकाइयों से जन औषधि बिक्री केंद्रों हेतु और अधिक दवाइयां उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जन औषधि बिक्री केंद्रों को आपूर्ति की जा रही दवाइयों में कुछ और दवाइयां शामिल करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम.के. अलागिरी): (क) से (घ) इस समय जन औषधि बिक्री केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली औषधियों में थेरेप्युटिक श्रेणियों की औषधियों की व्यापक रेंज शामिल है यथा एनलजेसिक एंटी-इनफ्लेमेटोरी, एंटीमाइक्रोबायल, एंटी-इनफेक्टिव (टॉपिकल्स), विटामिन, कारडियोवेस्कूलर औषधियां आदि। वर्तमान सूची में शामिल लगभग 230 जन औषधियों की संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाकर 350 तक किया जा रहा है। आमतौर पर लोगों को होने वाले रोगों के उपचार के लिए औषधियों की यह संख्या लगभग पर्याप्त समझी जाती है। तथापि रोगियों के लिए आवश्यक अन्य आपातकालीन दवाइयों, सर्जिकल मदों आदि की मांग को पूरा करने के लिए इन बिक्री केंद्रों को सिविल सर्जन की अध्यक्षता में कार्यरत समिति के माध्यम से इन मदों की खरीद और आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है। इन बिक्री केंद्रों को आपूर्ति की जाने

वाली मदों की संख्या को बढ़ाने के लिए उनकी खरीद लघु तथा मध्यम क्षेत्र के उपक्रमों (एसएमईज) सहित निजी क्षेत्र के दवा तथा सर्जिकल मद निर्माताओं से किए जाने की संभावना का भी आवश्यकतानुसार पता लगाया जाएगा।

विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़

*267. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश के प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से एक दिन में औसतन कितनी उड़ानें परिचालित की जाती हैं;

(ख) क्या अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के कारण विमानों के उड़ान भरने तथा उतरने में विलंब होता है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर दबाव कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वर्ष 2009-10 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों से प्रतिदिन प्रचालित उड़ानों (लैंडिंग तथा टेक-ऑफ) की औसत संख्या इस प्रकार थी–चेन्नई (308), कोलकाता (238), अहमदाबाद (107), गोवा (68), त्रिवेन्द्रम (73), कालीकट (49), गुवाहाटी (86), जयपुर (63), श्रीनगर (25), अमृतसर (25), पोर्ट ब्लेयर (16), मुम्बई (666), दिल्ली (684), बंगलौर (287), हैदराबाद (222), कोचीन (114) तथा नागपुर (56)।

(ख) और (ग) उड़ानों के स्लॉटस को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आयटा) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डा प्रचालकों समेत सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डरों) के परामर्श से आगे-पीछे किया जाता है। तथापि, निम्नलिखित कारणों से कभी-कभी विमानों के टेक-ऑफ और लैंडिंग में विलंब हो जाता है: (i) प्रचालनिक, वाणिज्यिक अथवा तकनीकी कारणों से एयरलाइनों की अपनी अनुसूची का अनुपालन करने में असमर्थता, जिसका परिणाम उड़ानों की भीड़-भाड़ (बंचिंग) के रूप में होता है। (ii) मौसम संबंधी कारण जैसे कोहरा, आंधी-तूफान, धूल भरी आंधी और भारी वर्षा आदि। (iii) वीवीआईपी मूवमेंट, आपातकालीन लैंडिंग आदि की वजह इत्यादि।

भूमि और आकाश में भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए हैं:

(i) विलंबों को समाप्त करने के उद्देश्य से क्रियाविधि संबंधी डीजीसीए का अक्तूबर, 2009 का परिपत्र कार्यान्वित किया गया है जिसका अनुसरण एयरलाइनों, हवाई यातायात नियंत्रण इकाइयों और हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा किया जाना होता है।

(ii) राडार सेपरेशन को एप्रोच के भीतर घटाकर 3 नॉटिकल मील किया गया है।

(iii) दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद और चेन्नई हवाईअड्डों पर निष्पादन आधारित दिक्चालन (पीवीएन) प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन किया गया है।

(iv) मुम्बई और दिल्ली में एटीएम ऑटोमेशन सिस्टम को और उन्नत किया जा रहा है।

(v) मुम्बई में क्रॉस रनवे प्रचालन और दिल्ली में 2 रनवे का एक साथ उपयोग क्रियान्वित किया गया है।

(vi) दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई में रनवे अधिभोग समय को कम करने के लिए रैपिड एक्जिट टैक्सीवे का निर्माण किया गया है।

(vii) एटीसी यूनिटों में अतिरिक्त कंट्रोल पोजिशन्स के साथ अतिरिक्त सेक्टर सृजित किए गए हैं।

(viii) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 35 गैर महानगरीय हवाईअड्डों पर बढ़े हुए यातायात को हैंडल करने के लिए पहले ही इन हवाईअड्डों पर स्तरोन्नयन परियोजनाएं हाथ में ले चुका है।

(ix) दिल्ली हवाईअड्डे पर भूतल आवागमन राडार के साथ-साथ उन्नत भूतल आवागमन दिशा-निर्देश एवं नियंत्रण प्रणाली (एएसएमजीसीएम) प्रचालनरत है।

(x) मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता हवाईअड्डों पर एएसएमजीसीएम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(xi) शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अनुसूचियों के दौरान स्लॉट आबंटन के दौरान घंटावार आवागमनों की संख्या का अनुरक्षण रनवे क्षमताके हिसाब से किया जाता है।

(xii) कोलकाता में कैट-II आईएलएस प्रणाली संस्थापित की गई है।

(xiii) मुम्बई और दिल्ली हवाईअड्डों पर उन्नत एटीसी क्रियाविधियां तैयार की गई हैं और क्लियरेंस डिलीवरी पोजीशन स्थापित की गई है।

(xiv) दिल्ली हवाईअड्डे पर तीसरा रनवे प्रचालनरत किया जा चुका है।

इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें

*268. **श्री जयवंत गंगाराम आवले:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्वाचन आयोग द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के अनुरक्षण पर कितना वार्षिक व्यय किया जाता है;

(ख) क्या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक होने पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाता है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस प्रकार की संभावनाओं से निपटने के लिए इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का डिजाइन बदलने/इसे फिर से तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें कसौटी पर खरी उतरें तथा उनमें छेड़छाड़ न की जा सके, क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जानकारी भारत निर्वाचन आयोग से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के अधीन बनाए गए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अधीन, प्रत्येक मतदान मशीन में एक नियंत्रक यूनिट और एक मतपत्र यूनिट होगा और वह ऐसे डिजाइन की होगी, जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा द्वारा अनुमोदित किया जाए। आयोग ने भारत इलैक्ट्रॉनिस लिमिटेड, बंगलौर और इलैक्ट्रॉनिस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा उत्पादित मतदान मशीनों के डिजाइनों को अनुमोदित किया है। एक मतपत्र यूनिट में 16 अभ्यर्थियों तक सम्मिलित किया जा सकता है। 64 अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम चार मतपत्र यूनिटों को एक साथ नियंत्रक यूनिट से जोड़कर उनका उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2004 से लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचन, इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों (ईवीएम) के माध्यम से कराए गए हैं और इस प्रकार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

(ङ) वर्तमान प्रणाली के अधीन मतपेटियों से छेड़छाड़ और उनके अतिलंघन के विरुद्ध सभी संभव सुरक्षोपाय किए जा रहे हैं और मतदान मशीनों में मत की गोपनीयता को बनाया रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

एनटीसी मिलों का आधुनिकीकरण

*269. **श्री अर्जुन राय:**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की उन मिलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिनका आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनटीसी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु मिल-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या इन मिलों से उत्पादित कपड़े का कुछ मात्रा में निर्यात भी किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो कपड़े का मिल-वार कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) एनटीसी द्वारा स्वयं आधुनिकीकरण के लिए अभिज्ञात राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) मिलों की राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। आधुनिकीकृत की गई 18 मिलें लाभ अर्जित कर रही हैं।

(ग) एनटीसी की पुनरूद्धार योजना स्व:वित्त पोषित है और निधियां कंपनी की बेशी भूमि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिये जुटाई जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान एनटीसी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एनटीसी मूलत: एक यार्न उत्पादक कंपनी है। वर्तमान में, कपड़े का उत्पादन केवल दो मिलों में हो रहा है। कपड़े के उत्पादन का मिल-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

मिल का नाम	2009-10	2010-2011 (अप्रैल-जून 10)
	लाख मीटर	
टाटा मिल	55.42	10.14
कोयम्बटूर मुरगन मिल	67.67	8.28
कुल	123.09	18.42

एनटीसी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 563.04 लाख रुपए तथा अप्रैल-जून, 2010 के दौरान 149.26 लाख रुपए मूल्य के कपड़ों का निर्यात किया है।

विवरण-I

क्र.सं.	मिल का नाम	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र
क	ख	ग
1.	अलगप्पा वस्त्र मिल्स	केरल
2.	कन्नानूर स्प. एवं विवि. मिल्स	केरल
3.	केरल लक्ष्मी मिल्स	केरल
4.	विजयमोहनी मिल्स	केरल
5.	कन्नानूर स्प. एवं विवि. मिल्स, माहे	पुडुचेरी
6.	पोद्दार मिल्स	महाराष्ट्र
7.	बारसी वस्त्र मिल्स	महाराष्ट्र
8.	टाटा मिल्स	महाराष्ट्र
9.	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5	महाराष्ट्र
10.	कंबोडिया मिल्स	तमिलनाडु
11.	कोयम्बटूर मुरगन मिल्स	तमिलनाडु
12.	पंकजा मिल्स	तमिलनाडु
13.	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	तमिलनाडु
14.	श्री रंगविलास स्प. एवं विवि. मिल्स	तमिलनाडु
15.	कालेश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	तमिलनाडु
16.	आरती कॉटन मिल्स	पश्चिम बंगाल
17.	बुरहानपुर तापती मिल्स	मध्य प्रदेश
18.	न्यू भोपाल वस्त्र मिल्स	मध्य प्रदेश
19.	फिनले मिल्स	महाराष्ट्र
20.	मिनर्वा मिल्स	कर्नाटक
21.	राजनगर वस्त्र मिल्स	गुजरात
22.	उदयपुर कॉटन मिल्स	राजस्थान
23.	कोयम्बटूर स्प. एवं विवि. मिल्स	तमिलनाडु
24.	तिरूपति मिल्स	आंध्र प्रदेश
	कुल	

विवरण-II

क्र.सं.	मिल का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण के लिए उपयोग की गई निधियां (लाख रुपए में)		
		2007-08	2008-09	2009-10
1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
1.	कोयम्बटूर मुरगन मिल्स	327.35	56.31	-
2.	कंबोडिया मिल्स	400.17	7.80	-
3.	कालेश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	400.01	686.38	-
4.	पायनिर स्पिनर्स मिल्स	977.08	94.90	-
5.	पंकजा मिल्स	293.06	973.00	1.44
6.	श्री रंगविलास मिल्स	272.46	1630.34	300.40
7.	कोयम्बटूर स्प. एवं. विवि. मिल्स	0.00	0.00	0.00
	केरल			
8.	अलगप्पा वस्त्र मिल्स	677.48	44.94	-
9.	केरल लक्ष्मी मिल्स	259.26	24.72	-
10.	विजयमोहिनी मिल्स	1207.09	365.86	29.28
11.	कन्नानूर स्प. एवं. विवि. मिल्स	145.80	741.57	1072.79
	पुडुचेरी (माहे)-केंद्र शासित क्षेत्र			
12.	कन्नानूर स्प. एवं. विवि. मिल्स, माहे	1197.89	969.06	85.99

1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
13.	तिरूपति मिल्स	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र			
14.	पोद्दार मिल्स	1830.84	92.38	-
15.	बारसी वस्त्र मिल्स	948.14	2.25	0.00
16.	टाटा मिल्स	3896.25	2427.87	51.49
17.	इन्दु मिल नं. 5	1387.71	610.39	110.28
18.	फिनले मिल्स, अचलपुर	0.00	456.74	11032.44
	मध्य प्रदेश			
19.	बुरहानपुर तापती मिल्स	1265.43	505.99	1.12
20.	न्यू भोपाल वस्त्र मिल्स	786.19	1673.50	130.10
	पश्चिम बंगाल			
21.	आरती मिल्स	1709.54	823.09	26.07
22.	न्यू मिनर्वा मिल्स, हासन	0.00	347.02	5228.99
23.	राजनगर मिल्स, अहमदाबाद	0.00	297.88	5133.04
	राजस्थान			
24.	उदयपुर कॉटन मिल्स, ब्यावर	0.00	0.00	0.00
	कुल	17981.75	12921.99	23202.53

[अनुवाद]

नागर विमानन समझौते

***270. श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में ईरान और सेशल्स के साथ नए नागर विमानन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन समझौतों से होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य देशों के साथ भी इस प्रकार के समझौते किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) भारत ने ईरान के साथ 09 जुलाई, 2010 को एक नया विमान सेवा करार किया है जो इन दोनों देशों के बीच 10 जून, 1980 को हुए विमान सेवा करार को अधिक्रमित करता है। नए एएसए में संवर्धित क्षमता, अतिरिक्त अवतरण स्थल (प्वाइंट ऑफ कॉल) और एयरलाइनों द्वारा कोड शेयर करारों को सुगम बनाया गया है। नए विमान सेवा करार में नामन, सुरक्षा, संरक्षा, टैरिफ, किराए तथा समान अवसर और प्रयोक्ता प्रभारों आदि से संबंधित उपबंध समाविष्ट/संशोधित किए गए हैं। संशोधित विमान सेवा करार में दोनों देशों के बीच अधिक व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की संभावना है। सेशेल्स के साथ कोई नया विमान सेवा करार नहीं किया गया है। भारत और सेशेल्स के बीच विमान सेवा करार अक्तूबर, 1978 में किया गया था।

भारत अभी तक 108 देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करार कर चुका है। विमान सेवा करार दो देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रचालन के लिए मूलभूत कानूनी ढांचा मुहैया कराते हैं।

[हिन्दी]

औषधियों का मूल्य

***271. श्री अनंत कुमार हेगड़े:**
श्री हर्षवर्धन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ भेषज कंपनियां अनैतिक मुनाफाखोरी में संलिप्त हैं क्योंकि औषधियों/दवाओं/फार्मूलेशंस की उत्पादन लागत तथा खुदरा मूल्य में भारी अंतर होता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण तंत्र के अध्यधीन दवाओं/औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) औषधियों/दवाओं के मूल्य पर नियंत्रण रखने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. अलागिरी): (क) और (ख) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अधीन 74 बल्क औषधियों तथा इन अनुसूचित औषधियों में से किसी भी अनुसूचित औषधि वाले फार्मूलेशन के मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित दवाइयों के मूल्यों का निर्धारण राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा थोक विक्रेताओं के लिए 8% और खुदरा विक्रेताओं के लिए 16% के मार्जन को ध्यान में रखकर किया जाता है। कोई भी व्यक्ति मूल्य नियंत्रण श्रेणी वाली किसी भी फार्मूलेशन (दवाई) को एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेच सकता। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर अनुसूचित दवाई बेच रही है तो उस कंपनी के खिलाफ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जो औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनपीपीए गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो वहां संबंधित निर्माता से कहा जाता है कि वह स्वेच्छा से मूल्य घटाए यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ) एनपीपीए ने अपनी स्थापना के समय से अब तक 488 मामलों में अनुसूचित बल्क औषधियों तथा 10530 फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित/संशोधित किए हैं। इनमें से 8 अनुसूचित बल्क औषधियों और व्युत्पन्नों तथा 190 फार्मूलेशनों के मूल्य वर्ष 2010-11 (1 अप्रैल, 2010 से 31 जुलाई, 2010 तक) के दौरान निर्धारित/संशोधित किए हैं।

ऐसी बल्क औषधियों/फार्मूलेशनों के समय-समय पर निर्धारित/संशोधित मूल्यों का ब्यौरा www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है। इस प्रकार फार्मूलेशन के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करके एनपीपीए/सरकार औषधियों/दवाइयों के मूल्यों पर अंकुश बनाए रखती है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों का विकास

***272. डॉ. रत्ना डे:**
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यकों के विकास हेतु प्राथमिकता प्रदान किए गए प्रमुख मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में तैयार की गई कार्य योजना में उन सभी मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन प्रमुख विषयों को प्राथमिकता दी गई है, उन्हें अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन विषयों में शामिल हैं–अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा अवसर में वृद्धि किया जाना, ऋण के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलाप और सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अल्पसंख्यक व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व में समान हिस्सेदारी, अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार और साम्प्रदायिक हिंसा और दुर्भाव की रोकथाम और नियंत्रण। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के साथ-साथ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में कार्यान्वित बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को

अब तक 1290.62 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए 426.50 करोड़ रु. की राशि शामिल है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा संसूचित वर्ष 2008-09, 2009-10 और वर्ष 2010-11 के लिए अनन्तिम आवंटन जारी की गई एवं व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने की दिशा में किए गए उपायों में शामिल हैं–राज्य सचिवों के साथ बैठकों का आयोजन, ओवरसाइट कमेटी की बैठकों में प्रगति की समीक्षा और सृजित परिसंपत्तियों के निरीक्षण के लिए राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरा तथा मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक बहुल सभी जिलों में राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटरों की तैनाती।

विवरण-I

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की वर्ष 2009-10 की कुछ उपलब्धियां

1. 15-सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारण योग्य मानी गई योजनाओं, जिनके तहत अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 2009-10 हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, से संबंधित वास्तविक उपलब्धि इस प्रकार है:

क्र. संख्या		योजना का नाम और संबद्ध मंत्रालय/विभाग	आंकड़े अंकों में		
			राष्ट्रीय लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1		2	3	4	5
1.		सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग			
	(i)	निर्मित प्राइमरी स्कूलों की संख्या	14258	3465	3237
	(ii)	निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	6524	1348	1220
	(iii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या	125082	21168	20588
	(iv)	खोले गए नए प्राइमरी स्कूलों की संख्या	9404	2066	1905
	(v)	खोले गए नए उच्च प्राइमरी स्कूलों की संख्या	12015	1719	1625
	(vi)	स्वीकृत शिक्षकों की संख्या	52239	8429	7765
	(vii)	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुत ब्लॉकों में स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या	106	28	27
2.		स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्रदत्त स्वरोजगारी: ग्रामीण विकास मंत्रालय	1822482	273372	177165
3.		इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्रदत्त गरीबी रेखा से नीचे के परिवार: ग्रामीण विकास मंत्रालय	4052243	607837	543413
4.		स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थी: आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय			
	(i)	शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म-उद्यम	25000	3750	9468
	(ii)	शहरी निर्धनों में रोजगार संवर्धन के लिए कौशल प्रशिक्षण	200000	30000	30416

1	2	3	4	5
5.	समन्वित बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का परिचालन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	–	37672	23712

2. 15-सूत्री कार्यक्रम के तहत निर्धारण योग्य मानी गई योजनाओं, जिनके तहत अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 2009-10 हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, में शामिल योजनाओं की वित्तीय उपलब्धि इस प्रकार है:

		करोड़ रु. में			
क्र. संख्या	योजना का नाम और संबद्ध मंत्रालय/विभाग	राष्ट्रीय लक्ष्य	निर्धारण योग्य धनराशि	उपलब्धि	उपलब्धियों का प्रतिशत
1.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) ग्रामीण विकास मंत्रालय	14315.42	2147.31	1459.69	67.98%
2.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	485.00	33.47	17.64	52.70%
3.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में उन्नयन: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	129.74	25.98	22.19	85.41%
4.	प्राथमिकता क्षेत्र ऋण: वित्तीय सेवाएं विभाग	861397.16	130462.43 (कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 15 प्रतिशत)	111,650	कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 12.96%

3. 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल योजनाओं, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों/जिलों/ब्लॉकों और नगरों तथा शहरों में विकास परियोजनाओं के कतिपय अनुपात प्रवाह की निगरानी की जाती है, के संबंध में वर्ष 2009-10 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र. संख्या	योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु. में)	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
		कुल परियोजना लागत और नगरों/शहरों की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत तथा शामिल किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगर/शहर। कुल स्वीकृति की प्रतिशतता कोष्ठक में
1.	शहरी निर्धनों के लिए आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी): आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	बीएसयूपी: 63 नगरों/शहरों के लिए 2665.11 करोड़ रु.	12 शहरों (19.05%) में 5576.38 करोड़ रु. (20.92%)

1	2	3	4
2.	समेकित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी), आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	आईएचएसडीपी: 807 नगरों/शहरों के लिए 9422.79 करोड़ रु.	98 शहरों (12.14%) में 1770.83 करोड़ रु. (18.79%)
3.	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी), शहरी विकास मंत्रालय	यूआईजी: 65 नगरों/शहरों के लिए 58283.32 करोड़ रु.	17 शहरों/नगरों (26.15%) में 8623.66 करोड़ रु. (14.80%)
4.	लघु एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी)	यूआईडीएसएसएमटी: 636 नगरों शहरों के लिए 12824.63 करोड़ रु.	83 शहरों/नगरों (13.05%) में 2533.16 करोड़ रु. (19.76%)
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी): पेय जल आपूर्ति विभाग	देश भर में 148879 घरों के लिए 28567.53 करोड़ रु. स्वीकृत	अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 20115 घरों (14%) के लिए 3732.66 करोड़ रु. (13.06%) स्वीकृत।

4. वर्ष 2009-10 में 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गई स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति–

(i) **उर्दू शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन**–भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वित्तीय सहायता की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे संशोधित किया गया है। संशोधित योजना के तहत किसी ऐसे क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है जहां कुल आबादी की 25 प्रतिशत आबादी उर्दू भाषी लोगों की हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित है। अंशकालिक उर्दू शिक्षकों के लिए 1000 रु. प्रतिमाह वेतन की दर से मानदेय भी देय है।

(ii) **मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण**–मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना के तहत वर्ष 2009-10 के लिए 50 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश (20.19 करोड़ रु.), झारखंड (4.97 करोड़ रु.) और त्रिपुरा (3.74 करोड़ रु.) तीन राज्यों में 932 मदरसों के लिए 28.90 करोड़ रु. के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। 11वीं योजना के लिए 125 करोड़ रु. के आबंटन के साथ अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसरंचना विकास नामक एक योजना भी शुरू की गई है। वर्ष 2009-10 में 5 करोड़ रु. के प्रावधान की तुलना में 22 संस्थानों को 4.48 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

5. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए कार्यान्वित योजनाओं के तहत वर्ष 2009-10 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

(i) अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्तियां–

(क) पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: 15 लाख छात्रवृत्तियायों के लक्ष्य की तुलना में 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1729076 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से 48.47 प्रतिशत छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए थीं। वर्ष 2009-10 के लिए 200 करोड़ रु. के बजट परिव्यय की तुलना में 202.94 करोड़ रु. उपयोग में लाए गए।

(ख) 11वीं से पीएचडी के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: 3.00 लाख छात्रवृत्तियों के लक्ष्य की तुलना में 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 364387 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से 55.10 प्रतिशत छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए थीं। वर्ष 2009-10 के लिए 150 करोड़ के बजट परिव्यय की तुलना में 148.74 करोड़ रु. उपयोग में लाए गए।

(ग) **तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति:** 42000 छात्रवृत्तियों के लक्ष्य की तुलना में 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35982 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इनमें से 32.47 प्रतिशत छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए थीं। वर्ष 2009-10 के लिए 100 करोड़ रु. के बजट परिव्यय की तुलना में 97.51 करोड़ रु. उपयोग में लाए गए।

(ii) **कोचिंग एवं संबद्ध योजना:** कुल 5532 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लिए लगभग 11.21 करोड़ रु. राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए 49 कोचिंग संस्थान स्वीकृत किए गए थे। लक्ष्य 5000 अभ्यर्थियों का था।

(iii) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):** एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी वर्ष 2006-07 में 650 करोड़ रु. थी, जिसे वर्ष 2009-10 में बढ़ाकर 1000 करोड़ रु. कर दिया गया है। दूनी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे अल्पसंख्यकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने संबंधी ऋण योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 650 करोड़ रु. के केन्द्रीय शेयर में से 645.36 करोड़ रु. केन्द्र सरकार के इक्विटी अंशदान के रूप में दिनांक 31.3.2010 तक भुगतान किए जा चुके हैं। वर्ष 1994 में गठन के समय से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा 538923 लाभार्थियों को 1388.58 करोड़ रु. का ऋण दिया गया है। वर्ष 2009-10 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

	लाभार्थी		ऋण	
योजना	लाभार्थियों का लक्ष्य	शामिल लाभार्थियों की संख्या	संवितरण हेतु लक्ष्य (करोड़ रु. में)	जारी ऋण राशि (करोड़ रु. में)
सावधि ऋण	23,000	30,892	125.00	139.01
लघु ऋण	40,000	73,702	40.00	58.73
कुल	63,000	1,04,594	165.00	197.74

(iv) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान:** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि वर्ष 2006-07 में 100 करोड़ रु. थी, जिसे वर्ष 2009-10 में बढ़ाकर 425 करोड़ रु. किया गया है ताकि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा सके। वर्ष 2009-10 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

	2009-10		
योजना	लक्ष्य	लाभार्थियों की संख्या	जारी धनराशि (करोड़ रु. में)
शैक्षिक संस्थानों में अवसंरचना विकास हेतु गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	150	105	13.36
मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियां	15,000	15,070	18.08

6. केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अल्पसंख्यकों की भर्ती की स्थिति की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी जाती है। वर्ष 2006-07 से वर्ष 2008-09 तक के तीन वर्षों की स्थिति इस प्रकार है:

	2006-07 (70 मंत्रालयों/विभागों + 138 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)	2007-08 (61 मंत्रालय/विभाग + 161 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)	2008-09 (71 मंत्रालय/विभाग + 126 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए)
संगठन का नाम	भर्ती अल्पसंख्यक (भर्ती अल्पसंख्यकों का %)	भर्ती अल्पसंख्यक (भर्ती अल्पसंख्यकों का %)	भर्ती अल्पसंख्यक (भर्ती अल्पसंख्यकों का %)
अन्य मंत्रालय/विभाग तथा अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय	5,485 (8.37%)	1620 (8.71%)	2593 (12.75%)
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थान	702 (6.93%)	1,615 (10.20%)	4263 (8.87%)
अर्धसैनिक बल	2,700 (9.49%)	4,914 (9.90%)	3068 (10.2:)
डाक	386 (7.60%)	517 (9.65%)	176 (6.36%)
रेलवे	1,456 (2.67%)	2,295 (6.31%)	3,012 (8.32%)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,453 (11.88%) (सार्वजनिक क्षेत्र के 138 उपक्रमों के लिए)	1,234 (5.52%) (सार्वजनिक क्षेत्र के 126 उपक्रमों के लिए)	2,107 (7.8%) (सार्वजनिक क्षेत्र के 161 उपक्रमों के लिए)
योग	12,182 (6.93%)	12,195 (8.23%)	14,946 (9.09%)

7. **साम्प्रदायिक सद्भाव, गृह मंत्रालय:** गृह मंत्रालय द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जून, 2008 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में इस मंत्रालय की शामिल न की गई योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

1. **मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम:** मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति स्कीम के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के शोध छात्रों के लिए एम.फिल और पीएच. डी. में अध्ययन के लिए 756 अध्येतावृत्तियां स्वीकृत की गई हैं।

2. **अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास:** इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनों/संस्थानों से रूचि-अभिव्यक्तियां प्राप्त हुई हैं। 2 वर्षों में 1.828 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2010-11 के दौरान हुआ है।

3. **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:** अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम नामक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 2008-09 से हो रहा है। योजना आयोग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना

में केवल 2750 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी कुल धनराशि 1290.62 करोड़ रु. है तथा राज्यों/संघ राज्यों से 363.55 करोड़ रु. व्यय होने की सूचना मिली है। कार्यक्रम के तहत 81 जिलों की जिला योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से अल्पसंख्यक बहुल 20 जिलों की योजनाओं को पूर्णत: एवं 61 जिलों की योजनाओं को आंशिक तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनंतिम आबंटन (लाख रु. में)	जारी धनराशि (लाख रु. में)				राज्यों/संघ राज्यों द्वारा उपयोग में लायी गई धनराशि (लाख रु. में)
			2008-09	2009-10	2010-11 (15.7.2010 तक)	कुल	
1.	उत्तर प्रदेश	101570.00	12442.11	29436.33	771.4	42649.84	15696.39
2.	पश्चिम बंगाल	68610.00	4327.59	23539.13	0.00	27866.72	3824.06
3.	हरियाणा	4920.00	1401.23	460.45	0.00	1861.68	570.45
4.	असम	70350.00	4226.65	15192.08	1870.44	21289.17	6976.21
5.	मणिपुर	13910.00	3011.78	6004.25	0.00	9016.03	3803.96
6.	बिहार	52320.00	1675.21	10503.92	49.24	12228.37	2349.00
7.	मेघालय	3050.00	0.00	1086.82	0.00	1086.82	सूचना प्राप्त नहीं
8.	अंडमान	1500.00	0.00	109.14	15.93	125.07	सूचना प्राप्त नहीं
9.	झारखंड	18140.00	0	4429.83	20.79	4450.62	1768.00
10.	उड़ीसा	3130.00	0.00	1041.24	992.24	2033.48	899.64
11.	केरल	1500.00	0.00	76.50	0.00	76.50	सूचना प्राप्त नहीं
12.	कर्नाटक	3990.00	0.00	580.18	925.71	1505.89	सूचना प्राप्त नहीं
13.	महाराष्ट्र	6000.00	0	2227.11	20.50	2247.61	सूचना प्राप्त नहीं
14.	मिजोरम	4590.00	0	403.04	0.00	403.04	सूचना प्राप्त नहीं
15.	जम्मू और कश्मीर	1500.00	0.00	599.58	0.00	599.58	216.78
16.	उत्तराखंड	5950.00	0.00	811.85	0.00	811.85	251
17.	दिल्ली	2210.00	0.00	155.00	0.00	155.00	सूचना प्राप्त नहीं
18.	सिक्किम	1500.00	0.00	0.00	9.00	9.00	सूचना प्राप्त नहीं
19.	मध्य प्रदेश	1500.00	0.00	645.60	0.00	645.60	सूचना प्राप्त नहीं
20.	अरूणाचल प्रदेश	11800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	378040.00	27084.57	97302.05	4675.25	129061.87	36355.49

विदेशी पायलट

*273. **श्री संजय निरूपम:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमान कंपनियों हेतु पंजीकृत विमानों को उड़ाने के लिए विदेशी पायलटों की सेवाएं लेने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) विमान कंपनी-वार कार्यरत ऐसे पायलटों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर इंडिया एक्सप्रैस विमान की मंगलौर में हुई घातक दुर्घटना सहित कई दुर्घटनाओं में विदेशी पायलट शामिल थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने विदेशी पायलटों की भर्ती के संबंध में कोई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एयरलाइनें इस शर्त पर विदेशी पायलटों को हायर कर सकती हैं कि उनके लाइसेंस नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वैध करार दिए गए हों। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) का एक संविदाकारी देश होने के नाते भारत इकाओ के अन्य संविदाकारी देशों द्वारा जारी लाइसेंसों को मान्यता प्रदान करता है बशर्ते कि वे इकाओ के कार्मिक एवं लाइसेंसिंग से संबंधित अनुबंध-I में निहित मानक तथा अनुशंसित परिपाटियों (एसएआरपी) को पूरा करते हों। लाइसेंसों को वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 45 के अनुसार वैध करार दिया जाता है।

(ख) दिनांक 02.08.2010 की स्थिति के अनुसार विभिन्न अनुसूचित प्रचालकों के पास विदेशी पायलटों की संख्या इस प्रकार है: (i) एयर इंडिया/एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड-89; (ii) किंगफिशर एयरलाइंस-83; (iii) जेट एयरवेज-111; (iv) स्पाइसजेट-30; (v) ब्लूडार्ट-05; (vi) डक्कन कार्गो-07; (vii) इंडिगो-34; (viii) एयरलाइंस एयर-24 तथा (ix) पैरामाउंट एयरवेज-01

(ग) और (घ) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंगलौर में 22.05.2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की केवल एक दुर्घटना हुई थी जिसमें उड़ान की कमान एक विदेशी पायलट के हाथ में थी।

(ङ) और (च) जी, हां। उड़ान कर्मीदल के विदेशी लाइसेंस को वैध किए जाने के संबंध में एक नागर विमानन अपेक्षा सेक्शन-7, सीरीज-जी, भाग-II का प्रारूप टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क

*274. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार इस क्षेत्र में अपने नेटवर्क का विस्तार करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने उत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सड़क उपरि पुलों, समपारों तथा भूमिगत मार्गों के निर्माण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा इन पहलों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) 31.03.2009 की (उपलब्ध अद्यतन) स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क (मार्ग किलोमीटर) की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है:

पूर्वोत्तर राज्य	रेल लाइनों की लंबाई (मार्ग किलोमीटर)		
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	जोड़
अरुणाचल प्रदेश	-	1.26	1.26
असम	1226.59	1057.12	2283.71
मणिपुर	-	1.35	1.35
मेघालय	-	-	-
मिजोरम	-	1.50	1.50
नागालैंड	11.13	1.72	12.85
सिक्किम	-	-	-
त्रिपुरा	-	151.40	151.40
जोड़	1237.72	1214.35	2452.07

(ख) और (ग) जी हां। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 926 किलोमीटर की लंबाई वाली 11 नई लाइन परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। इनके अलावा, 3 आमान परिवर्तन परियोजनाएं, एक दोहरीकरण परियोजना और एक विद्युतीकरण परियोजना भी आरंभ की गई है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र में रेल अवसंरचना सुदृढ़ होगी।

(घ) और (ङ) जी हां। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के सहयोग से 39 सड़क ऊपरी पुलों (आरओबी), 30 सड़क निचले पुलों (आरयूबी) का निर्माण आरंभ किया है। ये आरओबी और आरयूबी नियोजन, निविदा और निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। ब्यौरा विवरण-I और II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

आरओबी का विस्तृत ब्यौरा (स्थल-वार)

क्र.सं.	राज्य	कार्य का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
		कटिहार मंडल	
1.	बिहार	कटिहार-न्यू जलपाईगुड़ी खंड में किमी. 87/7-8 पर समपार सं. एसके-315 के स्थान किशनगंज आरओबी	कार्य पूरा होने वाला है।
2.	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर किमी. 3/12-13 पर समपार सं. ओएस/सी-3 के स्थान पर माल्दा आरओबी	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित कर दिए गए हैं। संविदात्मक समस्याओं और भूमि आवश्यकता की समस्या के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। कार्य, निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के चरण में है।
3.	पश्चिम बंगाल	एनएच-31 पर एनएच-34 के बाईपास पर रायगंज में किमी. 18/5-6 पर आरओबी	यह कार्य एनएचएआई द्वारा नियोजन और निविदा के चरण में है।
4.	बिहार	कटिहार-जोगबनी खंड में किमी. 84 (मील) (अब बला) पर अररियाह आरओबी (2 लेन)	आरओबी पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
5.	पश्चिम बंगाल	एनएच-34 बाईपास पर समपार सं. एसके-344 के स्थान पर दलखोला-सूरजकमल स्टेशनों के बीच किमी 552/13-14 पर दलखोला आरआबी (4 लेन)	50% कार्य पूरा हो गया है। संविदा को समाप्त कर दिया गया है। नई संविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	बिहार	एनएच-31 पर पूर्णिया-खगड़िया के बीच रेल किमी 81/5-6 पर आरओबी	दिसंबर 2009 में सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किए गए थे। एनएचएआई द्वारा विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग पर कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
		अलीपुरद्वार मंडल	
7.	पश्चिम बंगाल	न्यू बानेश्वर-न्यू अलीपुरद्वार-सलसालाबाड़ी खंड में एनएच-31डी पर किमी 149/6-7 और किमी. 175/5-6 (बला) पर आरओबी (4 लेन)	यह कार्य एनएचएआई द्वारा नियोजन और निविदा के चरण में है।
8.	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार-बानेश्वर स्टेशनों के बीच एनएच-31 डी पर किमी. 6/3-4 (बला) पर आरओबी (4 लेन)	यह कार्य एनएचएआई द्वारा नियोजन और निविदा के चरण में है।
9.	पश्चिम बंगाल	फलकाटा-गुमानी हाट स्टेशनों के बीच एनएच 31डी पर किमी 92/7-8 (बला) पर आरओबी (4 लेन)	यह कार्य एनएचएआई द्वारा नियोजन और निविदा के चरण में है।
10.	पश्चिम बंगाल	न्यू बानेश्वर-न्यू अलीपुरद्वार स्टेशनों के बीच एनएच-31डी पर किमी 142/9-10 (बला) पर आरओबी (4 लेन)	यह कार्य एनएचएआई द्वारा नियोजन और निविदा के चरण में है।
11.	असम	बासुगांव-बोंगाईगांव स्टेशनों के बीच किमी 240/8-9 पर समपार सं. एनएन/146 के स्थान पर बासुगांव आरओबी	यह कार्य एनएचएआई द्वारा नियोजन और निविदा के चरण में है।
12.	असम	कोकराझार शहर में सालाकाटी-कोकराझार के बीच किमी 225/3-4 पर कोकराझार आरओबी (2 लेन)	बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद में कार्य प्रगति पर है। 20% कार्य पूरा हो गया है।
		रंगिया मंडल	
13.	असम	बीआरपीएल/बोंगाईगांव की निजी साइडिंग पर किमी. 5/1-2 पर समपार के स्थान पर बीआरपीएल आरओबी (4 लेन)	यह कार्य एनएचएआई द्वारा नियोजन और निविदा के चरण में है।
14.	असम	मिर्जा-कुकुरमारा स्टेशनों के बीच किमी 146/0-1 पर समपार सं. 255एनएन के स्थान पर रामपुर आरओबी (2 लेन)	आरओबी का निर्माण पूरा हो गया है और जुलाई 2010 में खोल दिया गया है।
15.	असम	चपराकाटा-बोंगाईगांव स्टेशनों के बीच एनएच 31सी पर किमी 257/13-14 (बला) पर समपार सं. एसके 48 के स्थान पर चपराकाटा आरओबी (4 लेन)	विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदित हैं। एनएचएआई द्वारा कार्य प्रगति पर है।
16.	असम	पाठशाला-सुरूपेटा के बीच एनएच 31 पर किमी 312/11-12 (बला) पर समपार सं. एसके 33 के स्थान पर पाठशाला आरओबी (4 लेन)	विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदित हैं। एनएचएआई द्वारा कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
17.	असम	रंगिया-केंदू-कोना के बीच एनएच-31 पर किमी 362/1-2 पर समपार सं. एसके/13 के स्थान पर रंगिया आरओबी (4 लेन)	विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदित हैं। एनएचएआई द्वारा कार्य प्रगति पर है।
18.	असम	चांगसारी-अग्याथूरी के बीच एनएच 31 पर किमी 362/1-2 पर समपार सं. एसके/2 के स्थान पर चांगसारी आरओबी (4 लेन)	विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग अनुमोदित हैं। एनएचएआई द्वारा कार्य प्रगति पर है।
19.	असम	ब्रह्मपुत्र कंसोर्टियम लि. (बीसीएल) गुवाहाटी की नई पहुंच सड़क पर अग्थोरी-चांगसारी रेलवे स्टेशनों के बीच किमी 391/2-3 पर गौरीपुर आरओबी (2 लेन)	2004 में सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किए गए थे। राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण कार्य अवरुद्ध है।
		लमडिंग मंडल	
20.	असम	गुवाहाटी-नवगांव के बीच एनएच 37 पर किमी 93/2-3 पर समपार सं. 31-एसटी के स्थान पर ठेकरागुडी आरओबी (4 लेन)	एचएचएआई द्वारा पुलों और पहुंच मार्ग दोनों हिस्सों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।
21.	असम	पठारखोला-लमडिंग के बीच किमी 188/3-5 पर समपार सं. 48-एसटी/ एलके 1 के स्थान पर लमडिंग आरओबी (4 लेन)	समग्र प्रगति (लगभग) 48 प्रतिशत है। समपार फाटक को स्थानांतरित करने के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया दिया जा रहा है।
22.	असम	मुपा-कालाचांद के बीच किमी 60/0-1 पर समपार सं. एलके-3सी के स्थान पर कालाचांद आरओबी (4 लेन)	एचएनएआई द्वारा दुबारा निविदा आमंत्रित करने की कार्रवाई की जा रही है।
23.	असम	किमी 298.89 पर एनएच 54 (मोयनारबंद-रानीगांव के बीच 11/6-7) पर मौजूदा समपार के स्थान पर सिलचर आरओबी (4 लेन)	सामान्य प्रबंधन आरेखण और विस्तृत ड्राइंग एवं डिजाइन अनुमोदित हैं। एनएचएआई द्वारा कार्य प्रगति पर है।
24.	असम	गुवाहाटी-कामाख्या के बीच पनबाजार आरओबी (2 लेन)	नगरपालिका की जल पाइप लाइन मार्ग में आने के कारण कार्य रुका हुआ है।
25.	असम	सुप्रांकांडि-नीलमबाजार के बीच किमी 15/4-5 पर समपार सं. केडी/2 के स्थान पर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।

1	2	3	4
26.	असम	चारगोला-करीमगंज के बीच किमी 200/7-8 पर समपार सं. एलके/17 के स्थान पर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
27.	असम	बरईग्राम-ईरालीगुल के बीच समपार सं 1 बीडी के स्थान पर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
28.	असम	करीमगंज-नीलमबाजार स्टेशनों के बीच किमी. 4/1-2 पर समपार सं. केडी/1 के स्थान पर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
29.	असम	रूपाशीबारी-भांगा स्टेशनों के बीच किमी. 190/7-8 पर समपार सं. एलके/14 के स्थान पर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
30.	असम	एससीएल-बीपीबी खंड के बीच एनएच 154 पर सड़क सीएच: 0.749 पर किमी. 07/2-3 पर सिल्चर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
31.	असम	रंगिया-नलबारी के बीच एनएच 31 पर किमी 354/1-2 (बला) सड़क किमी 1075 पर घोघरापार आरओबी (4 लेन)	एनएचएआई द्वारा आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
32.	असम	अरुणाचल-सलचपरा स्टेशनों के बीच किमी. 20/4-5 पर श्रीकोना आरओबी। एनएच-563 बाई पास (2 लेन)	राज्य सरकार को अभी निक्षेप शर्त पर प्रस्ताव दुबारा पेश करना है क्योंकि इस समय इस समपार पर टीवीयू 1 लाख से कम है।
33.	असम	गुवाहाटी-नगांव के बीच रेलवे किमी 15/3-4 पर एनएच-37 पर नगांव आरओबी (नया) (4 लेन)	मई 2010 में आरओबी पूरा हो गया है।
34.	असम	हरनगजाओ और मयबोंग के बीच सड़क चेनेज 150.526 पर एनएच 54 पर मिग्रेनदीशा आरओबी (2 लेन)	संविदा समय पूर्व समाप्त कर दी गई है। एनएचएआई द्वारा नई एजेंसी निर्धारित की जानी है।
35.	असम	एनएच 53 बाईपास पर काटाखल-सलचपरा स्टेशनों के बीच किमी 13/2-3 पर काटाखल आरओबी (2 लेन)	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
36.	असम	एनएच 53 बाईपास पर काटाखल-सलचपरा स्टेशनों के बीच किमी 10/14-15 पर काटाखल आरओबी (2 लेन	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
37.	असम	सेनचोआ-सिलघाट टाउन खंड के बीच किमी. 14.09 पर नगांव बाईपास पर आरओबी	निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
		तिनसुकिया मंडल	
38.	असम	एमजेएन-बीपीजे स्टेशनों के बीच रेलवे किमी 56/8-9 पर एनएच-37 पर तिनसुकिया-माकुम बाईपास पर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
39.	असम	एसएआरडीपी-एनई (चरण-ए) के अंतर्गत सपेखाटी-भोजो खंड पर ट्रांस अरुणाचल हाईवे की चेनेज 20320 एम पर आरओबी	एनएचएआई द्वारा यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।

विवरण-II

भूमिगत पारपथ/सीमित ऊंचाई के भूमिगत पारपथ (आरयूबी) का विस्तृत ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कार्य का विवरण	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
		अलीपुरद्वार मंडल	
1.	पश्चिम बंगाल	अल्टाग्राम-धूपगुडी स्टेशनों के बीच किमी 61/7-8 पर समपार सं. एनएन-33 के स्थान पर सड़क निचला पुल	ठेका दे दिया गया है। लेकिन स्थानीय निवासियों के विरोध में काम रुका हुआ है।
2.	पश्चिम बंगाल	अल्टाग्राम-धूपगुडी स्टेशनों के बीच किमी 63/1-2 पर समपार सं. एनएन-34 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	पश्चिम बंगाल	धूपगुडी-कोलैग्राम स्टेशनों के बीच किमी 68/9-10 पर समपार सं. एनएन-37 के स्थान पर सड़क निचला पुल	तटबंध की कम ऊंचाई के कारण यह व्यावहारिक नहीं है।
4.	पश्चिम बंगाल	न्यू कूच बिहार-न्यू बानेश्वर स्टेशनों के बीच किमी 131/1-2 पर समपार सं. एनएन-75 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित हैं। संविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मानसून खत्म होने के बाद कार्य आरंभ हो जाएगा।
5.	पश्चिम बंगाल	न्यू बानेश्वर-न्यू अलीपुरद्वार स्टेशनों के बीच किमी 136/7-8 पर समपार सं. एनएन-81 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित हैं। संविदा को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मानसून खत्म होने के बाद कार्य आरंभ हो जाएगा।
6.	असम	श्रीरामपुर असम-गोसईगांव हाट स्टेशनों के बीच किमी 188/2-3 पर समपार सं. एनएन-118 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
7.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी रोड-न्यू दोमोहानी स्टेशनों के बीच किमी 39/10-40/0 पर समपार सं. एनएन-23 के स्थान पर सड़क निचला पुल	संशोधित सामान्य प्रबंधन आरेखण के अनुमोदन की कार्रवाई चल रही है।

1	2	3	4
8.	पश्चिम बंगाल	कोलैग्राम-सलबारी स्टेशनों के बीच किमी 73/7-8 पर समपार सं. एनएन-40 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण के अनुमोदन की कार्रवाई चल रही है।
9.	पश्चिम बंगाल	फलकाटा-गुमानी हाट स्टेशनों के बीच किमी 90/2-3 पर समपार सं. एनएन-50 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण के अनुमोदन की कार्रवाई चल रही है।
10.	पश्चिम बंगाल	दाम दिम-न्यू माल स्टेशनों के बीच किमी 52/4-5 पर समपार सं. एसके-187 के स्थान पर सड़क निचला पुल	संशोधित सामान्य प्रबंधन आरेखण किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
11.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ जं.-गुलमा स्टेशनों के बीच किमी 14/8-9 पर समपार सं. एसके-206 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेख्ण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
12.	पश्चिम बंगाल	सिलगुडी जं.-गुलमा स्टेशनों के बीच किमी 13/6-7 पर समपार सं. एसके-207 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
13.	पश्चिम बंगाल	न्यू बानेश्वर-न्यू अलीपुरद्वार स्टेशनों के बीच किमी 141/3-4 पर समपार सं. एनएन-86 के स्थान पर सड़क निचला पुल	यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
14.	असम	जोरई-श्रीरामपुर असम स्टेशनों के बीच किमी 180/9-181/0 पर समपार सं. एनएन-113 के स्थान पर सड़क निचला पुल	यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
		कटिहार मंडल	
15.	पश्चिम बंगाल	न्यू जलपाईगुडी-रंगापानी स्टेशनों के बीच किमी 3/10-11 पर समपार सं. एनसी-2 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
16.	पश्चिम बंगाल	हतवार-कनकी स्टेशनों के बीच किमी 96/12-13 पर समपार सं. एसके-327 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा काट्रैक्ट दी गयी है।
17.	पश्चिम बंगाल	किशनगंज-हतवार स्टेशनों के बीच किमी 94/11-12 पर समपार सं. एसके-324 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
18.	पश्चिम बंगाल	चतरहाट-दमडांगी स्टेशनों के बीच किमी 28/6-7 पर समपार सं. एनसी-25 के स्थान पर सड़क निचला पुल	यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
19.	पश्चिम बंगाल	तिनमिलीहाटा-मंगुरजन स्टेशनों के बीच किमी 43/1-2 पर समपार सं. एनसी-42 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4
20.	बिहार	मंगुरजन-धूलाबाडी स्टेशनों के बीच किमी 50/18-51/1 पर समपार सं. एनसी-51 के स्थान पर सड़क निचला पुल	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
21.	बिहार	बरसोई-काचना स्टेशनों के बीच किमी 1/5-6 पर समपार फाटक सं. बीआर-1 (यूएम) के स्थान पर भूमिगत पारपथ का निर्माण	यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
22.	बिहार	कलियागंज-राधिकापुर स्टेशनों के बीच किमी 52/4-5 पर समपार फाटक सं. बीआर-28 (यूएम) के स्थान पर भूमिगत पारपथ का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। रेल संरक्षा आयुक्त की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
23.	बिहार	बरसोई-काचना स्टेशनों के बीच किमी 3/6-7 पर समपार फाटक सं. बीआर-2 (यूएम) के स्थान पर भूमिगत पारपथ का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निर्माण कार्य प्रगति पर है। 40% कार्य पूरा हो चुका है।
		लमडिंग मंडल	
24.	त्रिपुरा	तेलियामूरा-जीरानिया स्टेशनों के बीच किमी 157/1-2 पर समपार के स्थान पर सड़क निचला पुल	यह कार्य नियोजन एवं निविदा के चरण में है।
		रंगिया मंडल	
25.	असम	चायगांव-कुकुरमारा स्टेशनों के बीच किमी 142/1-2 पर समपार सं. एनएन/254 के स्थान पर स्पैन (1× 4.05 मीटर) के सड़क निचले पुल का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
26.	असम	बोको-चायगांव स्टेशनों के बीच किमी 131/1-2 पर समपार सं. एनएन/244 के स्थान पर स्पैन (1× 4.05 मीटर) के सड़क निचले पुल का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
27.	असम	रंगजूली-धूपधारा स्टेशनों के बीच किमी 98/0-1 पर समपार सं. एनएन/215 के स्थान पर स्पैन (1× 4.05 मीटर) के सड़क निचले पुल का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
28.	असम	गोगामुख-धेमाजी स्टेशनों के बीच किमी 341/16-17 पर समपार सं. आरएम/288 के स्थान पर स्पैन (1× 4.05 मीटर) के सड़क निचले पुल का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
29.	असम	गोगामुख-धेमाजी स्टेशनों के बीच किमी 349/7-8 पर समपार सं. आरएम/290 के स्थान पर स्पैन (1× 4.05 मीटर) के सड़क निचले पुल का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
30.	असम	धेमाजी-सिलापथार स्टेशनों के बीच किमी 366/13-14 पर समपार सं. आरएम/305 के स्थान पर स्पैन (1× 4.05 मीटर) के सड़क निचले पुल का निर्माण	सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित किये जा चुके हैं। निविदा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

एनएचएआई: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
टीवीयू: गाड़ी वाहन इकाई

न्यायालयों को परस्पर जोड़ना

*275. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सभी न्यायालयों को इंटरनेट के माध्यम से परस्पर जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या न्यायिक प्रक्रिया तक बेहतर पहुंच प्रदान करने तथा आम आदमी को त्वरित एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है अथवा बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) देश में सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना के भाग रूप में, यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि समर्पित वाइड एरिया नेटवर्क के भाग के रूप में इन सभी न्यायालयों को परस्पर जोड़ जाए। इस समय, न्यायालयों को आवश्यक कंप्यूटर हार्डवेयर और साथ ही लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) से सज्जित किया जा रहा है। अभी तक, देश में 3448 न्यायालयों में एलएएन प्रतिष्ठापित किया जा चुका है और कंप्यूटर हार्डवेयर को 3138 न्यायालयों में प्रतिष्ठापित किया गया है। न्यायालयों को वाइड एरिया नेटवर्क सहबद्धता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है।

(ग) और (घ) सरकार ने, सिद्धांत रूप से राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना करने का विनिश्चिय किया है। यह आशा की जाती है कि नई दिल्ली में अक्तूबर, 2009 में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श में प्रस्तुत दृष्टिकोण विवरण में परिकल्पित कार्य योजना को पूर्णतया कार्यान्वित करने की अपनी रणनीतियों को राष्ट्रीय मिशन द्वारा प्रभावी करने के पश्चात, न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या की अवधि वर्ष 2012 तक औसत 15 वर्ष से घटकर औसतन तीन वर्ष हो जाएगी। यह विभाग इस समय राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने के विषय को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

सरकार ने देश में न्याय प्रदान प्रणाली का सुधार करने के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपए के उपबंध से संबंधित तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों में प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना और मध्यकता, सुलह और लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को सुदृढ़ बनाना सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है, जो पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने का उपबंध करती है। तारीख 31.07.2010 तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने, एक साथ मिलाकर, 144 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया है जिनमें से आज तक 47 ग्राम न्यायालयों को प्रचालित कर दिया गया है। ये न्यायालय आम आदमी विशिष्टता, जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, को सस्ता और सुलभ न्याय को प्रदान करेंगे।

लोक अदालतें

*276. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र के रूप में लोक अदालतें लोकप्रिय होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गईं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान लोक अदालतों में राज्य-वार कितने मामले निपटाए गए;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ और लोक अदालतों की स्थापना करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या में और उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हुई है, इससे यह उपदर्शित होता है कि वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र लोकप्रिय हो रहा है। पिछले तीन कलैन्डर वर्षों के दौरान राज्य-वार आयोजित की गई लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

लोक अदालतों का आयोजन एक सतत प्रक्रिया है तथा देश भर में अधिक से अधिक लोक अदालतें राज्य विधिक सेवा प्राधि करण द्वारा आयोजित की जा रही है।

विवरण

पिछले 3 कलैन्डर वर्षों के दौरान राज्य-वार आयोजित की गई लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की संख्या

क्र. संख्या	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	वर्ष 2007 में आयोजित लोक अदालतों की संख्या	वर्ष 2007 में निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2008 में आयोजित लोक अदालतों की संख्या	वर्ष 2008 में निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2009 में आयोजित लोक अदालतों की संख्या	वर्ष 2009 में निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	14205	103855	13874	107606	26933	125615
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	200	82	426	143	992
3.	असम	200	16407	319	27833	231	25767
4.	बिहार	2479	139182	1872	96018	1595	78055
5.	छत्तीसगढ़	1069	14558	1655	11842	1498	7277
6.	गोवा	63	378	47	221	46	236
7.	गुजरात	12474	822124	10660	536628	10747	545495
8.	हरियाणा	513	64682	6441	380044	906	67909
9.	हिमाचल प्रदेश	379	2503	320	2168	342	2531
10.	जम्मू कश्मीर	339	7396	287	12521	287	16254
11.	झारखंड	1846	14241	2944	15202	2584	9405
12.	कर्नाटक	3536	41080	5099	57231	8088	119560
13.	केरल	1524	20692	1498	25172	2597	26015
14.	मध्य प्रदेश	3432	157228	6145	246034	5561	230056
15.	महाराष्ट्र	2760	45926	3242	74703	3315	101510
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	2	26	0	0	10	189
18.	मिजोरम	260	142	244	136	89	113
19.	नागालैंड	8	48	13	90	10	139
20.	उड़ीसा	713	138842	789	150601	799	132030
21.	पंजाब	2228	70160	2932	436169	3291	47172
22.	राजस्थान	5972	47942	8389	76282	8829	75774
23.	सिक्किम	122	326	92	323	131	383

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	3290	28148	4849	46547	5464	50811
25.	त्रिपुरा	68	1334	0	0	40	4304
26.	उत्तर प्रदेश	4179	480478	3973	538168	3496	484416
27.	उत्तरांचल	135	16822	117	11592	175	13110
28.	पश्चिम बंगाल	3110	12373	3553	35159	3464	39955
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	7	13
30.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	447	8961	679	13642	1646	21815
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	1575	126062	2392	114498	1035	22131
34.	लक्षद्वीप	8	0	0	0	0	0
35.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	99	1065	111	1348	104	1426

[हिन्दी]

विमानन प्रशिक्षण संस्थान

*277. **श्री लालजी टन्डन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे विभिन्न सरकारी/निजी पायलट प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संस्थानों को नियमित करने में सरकार की क्या भूमिका है तथा उन्हें लाइसेंस जारी करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन संस्थानों में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया;

(घ) क्या नागर विमानन महानिदेशालय का विचार इन संस्थानों की कोई लेखापरीक्षा कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार/नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन संस्थानों से प्रशिक्षण लेकर जाने वाले छात्र सुरक्षा संबंधी सभी आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित हों, अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) देश में 17 सरकारी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान और 23 निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान हैं।

(ख) उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षा सेक्शन-7, सीरीज-डी, भाग-1 द्वारा विनियमित किया जाता है। डीजीसीए आवधिक रूप से इन संस्थानों का निरीक्षण करता है और पाई गई खामियों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करता है। संस्थानों द्वारा इन अभिमतों को आवश्यक रूप से क्रियान्वित करना और भावी निरीक्षण अनुसूची में उन्हें समाहित करना अपेक्षित होता है। डीजीसीए सर्विलांस और संरक्षा संबंधी निगरानी करते समय दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। डीजीसीए द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन को, दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद, वार्षिक रूप से नवीनीकृत किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) फ्लाइंग क्लबों को प्रदान किए गए अनुमोदन का नवीकरण करने से पहले वार्षिक रूप से इनकी लेखा परीक्षा की जाती है।

(च) विमानन संरक्षा से संबंधित मामलों में छात्रों को प्रशिक्षित करने से संबंधित प्रणालियां और क्रियाविधियां डीजीसीए द्वारा अनुमोदित पाठयक्रम और दिशा-निर्देशों के अनुसार होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा निर्धारित पाठयक्रमों और निर्देशों के अनुरूप होते हैं।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार

***278. श्री संजय धोत्रे:**
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र क्षेत्र में उत्पादन एवं रोजगार के संबंध में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा उनमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ख) यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य वस्त्र उत्पादों की मांग के अनुरूप थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वस्त्र उद्योग में उत्पादन एवं रोजगार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि कपड़े का उत्पादन 12% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगा। 30,000 करोड़ रु. के वार्षिक वृद्धिशील निवेश के साथ 11वीं योजना के अंतिम वर्ष तक वस्त्र उद्योग का टर्नओवर 47 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 115 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंचने की परिकल्पना की गई थी। 6.5 मिलियन की अनुमानित रोजगार वृद्धि में लगभग 2 मिलियन की वृद्धि कुशल एवं प्रबंधकीय श्रेणी में होगी। इस संबंध में वार्षिक-राज्य-वार कोई लक्ष्य नहीं है।

(ग) से (ङ) परिकल्पित लक्ष्यों की तुलना में, वैश्विक आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में, कपड़े के उत्पादन में 3.28% का सीजीआर था और कारोबार 47 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 55 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है तथा 2007-08 से 2009-10 तक 98,957 करोड़ रु. का वृद्धिशील निवेश प्राप्त कर लिया गया है। सरकार ने वस्त्र कामगारों की भलाई के लिए राजकोषीय राहत उपलब्ध कराई है, योजना आबंटन में वृद्धि की है, हथकरघा, विद्युतकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन और ऊन के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किए हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत तीन मिलियन कामगारों के कौशल में, पांच वर्षों की अवधि में सुधार करने के लिए 05 अगस्त, 2010 को एक एकीकृत कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय

***279. श्री अर्जुन मुंडा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में विलय करके अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पहचान किए गए किन-किन क्षेत्रों में विलय निष्प्रभावी सिद्ध हुआ था; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) दोनों कंपनियों का एकीकरण अनेक क्षेत्रों में पूरा किया जा चुका है, जैसे निदेशक मंडल, संगठन संरचना, नेतृत्व दलों-फंक्शनल डायरेक्टर, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कुछ महाप्रबंधकों (स्वतंत्र प्रभार वाले) का चयन, उपभोक्ता सेवाओं, एकीकृत सामग्री प्रबंधन नीति, बीमा क्षेत्र में वित्तीय साहचर्य/त्वरित निपटान, ईंधन की खरीद, बैंक तथा निधि प्रबंधन, सांझी लेखा नीतियों, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन और महाप्रबंधक के स्तर तक जनशक्ति का एकीकरण। कुछ अन्य क्षेत्रों जिनमें सेल्स तथा मार्केटिंग, आईटी, पीएसएस, ईआरपी, ग्राउंड हैंडलिंग, मानव संसाधन, संपत्ति और सुविधा केन्द्र (फेसिलिटीज) आदि में एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। कंपनी के प्रबंधन, बोर्ड तथा सरकार में अनेक स्तरों पर इस प्रक्रिया पर नजदीक से नजर रखी जा रही है।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा

***280. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु यदि कोई नई पहल की गई है, तो वह क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को युवाओं तथा बड़े उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने वाले वस्त्रों का उत्पादन करने के लिए राजी कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में हथकरघा क्षेत्र का कितना विकास होने का अनुमान लगाया गया है?

वस्त्र मंत्री (श्री दयानिधि मारन): (क) भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रबंधकीय प्रशिक्षण, उद्यमशील विपणन संबंधी प्रयास तथा इन बुनकरों व उनके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा मुहैया कराने जैसे बेजोड़ सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय करने जैसी अनेक नई पहलें की हैं। भारत सरकार देश में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं:

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना

इस योजना में 300-500 हथकरघों के "समूह" अथवा 10-100 बुनकरों के "समूह" को आवश्यकता पर आधारित निविष्टियों (इनपुट्स) की व्यवस्था है ताकि उनको मार्जिन धन, कार्यशील पूंजी, नए करघे तथा अतिरिक्त पुर्जे/सामान, कौशल उन्नयन, विपणन अवसरों तथा वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके स्व-संपोषणीय बनाया जा सके।

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक समूचे देश में 468 क्लस्टर तथा 1098 ग्रुप अप्रोच प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं तथा 143.32 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान 52 क्लस्टर तथा 411 ग्रुप अप्रोच प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे और 27.24 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी।

2. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

इसमें दो पृथक योजनाएं अर्थात हथकरघा बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना तथा प्राकृतिक/दुर्घटनात्मक मृत्यु, दुर्घटना के कारण पूर्ण/आंशिक विकलांगता के मामले में जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराने हेतु महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना हैं।

समूचे देश में 2009-10 के दौरान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 1611837 हथकरघा बुनकर तथा महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना के अंतर्गत 510492 हथकरघा बुनकर दर्ज किए गए हैं।

3. विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

यह योजना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में हथकरघा उत्पादों की बिक्री में सहायता करने के लिए डिजाइन विकास पर ध्यान केन्द्रित करने और विपणन संपर्कों के माध्यम से विपणन अवसर और अवसंरचना सहायता मुहैया कराती है।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न स्तरों की 561 प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं।

4. मिल गेट मूल्य योजना

यह योजना पात्र हथकरघा अभिकरणों को मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के सूत (यार्न) उपलब्ध कराती है ताकि हथकरघा बुनकरों की बुनियादी कच्ची सामग्री की नियमित आपूर्ति करने में सहायता की जा सके तथा उनके रोजगार की संभावना को आशावादी बनाया जा सके।

इस योजना के अंतर्गत 2009-10 के दौरान समूचे देश में 987.11 करोड़ रुपये मूल्य के 1080.96 लाख किलोग्राम सूत (यार्न) की आपूर्ति की गई थी।

5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

इस योजना में हथकरघा बुनकरों की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने हेतु समूचे देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्रों तथा 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से डिजाइन और उत्पादन विकास के लिए बुनकरों के प्रौद्योगिकीय तथा कौशल उन्नयन के लिए सहायता की व्यवस्था है।

6. मेगा क्लस्टर योजना

मेगा हथकरघा क्लस्टरों के विकास के लिए व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सशक्त बनाने तथा उनके उत्पादों की घरेलू व वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करना है। यह योजना सर्वसमावेशी प्रकृति की है, ताकि समूची मूल्य श्रृंखला अर्थात अधिप्रापण, उत्पादन, विपणन, सामान्य सुविधाओं इत्यादि पर ध्यान रखा गया है तथा उसके साथ-साथ बड़े पैमाने की उत्पादन व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा सके।

इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने लगभग 25,000 हथकरघों के समग्र विकास के लिए प्रत्येक मेघा क्लस्टर के लिए 70 करोड़ की अधिकतम परियोजना लागत से वाराणसी (उत्तर प्रदेश), शिबसागर (असम), विरुद्ध नगर (तमिलनाडु), मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में 4 मेगा हथकरघा क्लस्टर आरंभ किए हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय, हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा देश के हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। हाल ही में किए गए कुछेक पहलें इस प्रकार हैं:

(i) दिसम्बर, 2009 में हथकरघा मार्क वेबसाइट www.handloommark.gov.in आरंभ की गई है। हथकरघा मार्क योजना के अंतर्गत एक बार के पंजीकरण शुल्क को बुनकर के मामले 100/- रुपये से कम करके 25/- रुपये तथा प्रवीण बुनकर के मामले में 2000/- रुपये से कम करके 500/- रुपये कर दिया गया है। हथकरघा मारका लेबल का मूल्य भी कम करके 20 पैसे कर दिया गया है।

(ii) पारंपरिक हथकरघा वस्त्रों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 10 दिसम्बर, 2009 को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा बनारसी रेशम, कांचीपुरम रेशम, कलमकारी तथा अपा तानी बुनाई पर 4 लाख स्मारक डाक टिकटें जारी की गईं।

(iii) हथकरघा उत्पादों के विपणन में सहायता करने के लिए वाणिज्यिक वेबसाइट पर 20 हथकरघा क्लस्टरों को ई-मार्किटिंग लिंकेज मुहैया कराया गया है।

(iv) हथकरघा उत्पादों, विशेषकर युवाओं और अमीर वर्ग के उपभोक्ताओं तथा हाथ की बुनाई की चिरकालीन भारतीय विरासत के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने एक 'हथकरघा सप्ताह' की घोषणा की है जिसे वर्ष 2009 से आरंभ करके प्रत्येक वर्ष 21 से 27 दिसम्बर तक आयोजित किया जाएगा।

(v) उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2009 से संत कबीर पुरस्कार आयोजित किया गया है। वर्ष 2009 के लिए 10 संत कबीर पुरस्कार पाने वालों को चुना गया है।

(vi) हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने हमारे देश के समूचे हस्तबुनाई वस्त्र परिदृश्य को शामिल करते हुए 4 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में 'भारत का हथकरघा मानचित्र' शीर्षक से एक स्रोत गाइड प्रकाशित की है।

(vii) राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी विनिर्देशन के साथ वस्त्र डिजाइनों को नि:शुल्क डाउनलोड करने की सुविधा मुहैया कराई गई है। वेबसाइट www.designdiary.nic.in पर तकरीबन 1150 डिजाइन उपलब्ध हैं।

(viii) योजनाओं को समझने तथा उन्हीं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभग्राहियों (स्टेकहोल्डर्स) की सहायता के लिए सभी हथकरघा योजनाओं का 14 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

(ix) हथकरघों के बारे में निर्यात के आंकड़े एकत्रित करने के लिए अक्टूबर, 2009 से न्यू एचएस कोड आरंभ किए गए हैं।

(x) एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत इस योजना में हथकरघा मारका लेबलों के नई श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं अर्थात स्व-सहायता समूहों, संयुक्त दायित्व समूहों, संघों, हथकरघा बुनकर समूहों, उत्पादक कंपनियों की पहचान करके शामिल किया गया है।

हथकरघा मार्का योजना के अंतर्गत एक बार के पंजीकरण शुल्क को बुनकर के मामले 100/- रुपये से कम करके 25/- रुपये तथा प्रवीण बुनकर मामले में 2000/- रुपये से कम करके 500/- रुपये कर दिया गया है। हथकरघा मार्का लेबल का मूल्य भी कम करके 20 पैसे कर दिया गया है।

(ख) और (ग) हथकरघा क्षेत्र में युवाओं तथा अमीर वर्ग के उपभोक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

1. विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा पता लगाए गए हथकरघा क्लस्टरों में नए उपभोक्ताओं के रूप में युवाओं पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे अनुमोदित मान्य संस्थानों से डिजाइनर नियुक्त करके समुचित उत्पाद विविधीकरण तथा उत्पाद विकास करना शुरू किया गया है। अधिकांश 20 बड़े क्लस्टरों तथा 468 मध्यम आकार के क्लस्टरों में ऐसे योग्य डिजाइनरों की नियुक्ति की गई है।

2. युवाओं को हथकरघा की प्रयोजनशीलता, विकल्प विविधता तथा फैशन विकल्पों के बारे में सुग्राहित करने व उनको प्रदर्शित करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा दिसम्बर, 2009 में हथकरघा सप्ताह समारोह के आयोजन के आरंभ में इसे एक अग्रगामी प्रदर्शन के रूप में प्रथागत बना दिया गया है। हथकरघा सप्ताह समारोह में हथकरघा क्लस्टरों की यात्रा की एक विशेष दीर्घा थी, जिसमें करघों, इसकी बुनाई की पेचीदगियों तथा साथ ही अनेक प्रकार के ऐसे उत्पादों के सेट का प्रदर्शन किया गया जिनका विविधीकरण किया गया है अथवा प्रायोगिक आधार पर किया जा सकता है।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में कुल मिलाकर 3 से 5 प्रतिशत विकास होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा

2986. श्री राकेश सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस त्रासदी में गंभीर रूप से प्रभावित तथा मारे गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) क्या घायल पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पीड़ितों तथा मृतकों की संख्या के अनुपात में मुआवजा राशि में वृद्धि करने का है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) कल्याण आयुक्त का कार्यालय, भोपाल गैस पीड़ित द्वारा किए गए न्यायनिर्णय के अनुसार मृत्यु के 5295 मामलों में 54.64 करोड़ रुपए की कुल राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, उचित न्यायनिर्णय के पश्चात मृत्यु के मामलों की श्रेणी के रूप में दावा किए गए, लेकिन जख्म के मामले के रूप में स्वीकार किए गए 10,047 मामलों में 34.24 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थाई अशक्तता के 3,199 मामलों में 15.48 करोड़ रुपए, अस्थाई अशक्तता के 33,672 मामलों में 130.90 करोड़ रुपए, गंभीर जख्मों के 42 मामलों में 0.41 करोड़ रुपए और मामूली जख्मों के 5,21,333 मामलों में 1,310.78 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान किया गया है। विभिन्न श्रेणियों में वास्तविक मुआवजा प्राप्त करने वाले इन व्यक्तियों को यथानुपात (1:1) आधार पर अतिरिक्त मुआवजे की समान राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) सरकार ने नीचे दी गई दरों पर भोपाल गैस पीड़ितों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनुग्रह राशि के भुगतान का अनुमोदन किया:

श्रेणी	अनुग्रह राशि
मृत्यु	10 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर
स्थायी अपंगता	5 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर
कैंसर के मामले	2 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर
किडनी के पूरी तरह से फेल होने के मामले	2 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर
अस्थाई अपंगता	1 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर

भारत सरकार द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 669.00 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस अनुग्रह राशि का संवितरण कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल द्वारा किया जाएगा।

बेनामी संव्यवहार

2987. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री गणेश सिंह:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेनामी कारोबार (प्रतिषेध) अधिनियम के कुछ प्रावधानों के कारण कुछ परिवारों के सदस्यों के साथ अन्याय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जेनरिक औषधियां

2988. श्री के.आर.जी. रेड्डी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर ने भारतीय जेनरिक औषधियों के लिए सहमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) प्रत्येक देश में इन औषधियों का क्या उपयोग है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) विदेश मंत्रालय ने यह बताया है कि 11 मई, 2010 को नई दिल्ली में भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) की दूसरी समीक्षा के दौरान दोनों देशों ने "भारत के जेनरिक औषधीय उत्पादों के पंजीकरण से संबद्ध विशेष स्कीम" पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारतीय जेनरिक दवाइयों के लिए सिंगापुर में पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने की बात कही गई है।

इस विशेष औषधीय उत्पाद पंजीकरण स्कीम से उन भारतीय जेनरिक औषधीय उत्पादों की विपणन स्वीकृति सुविधाजनक बनेगी जिन्हें सहायक दस्तावेजों सहित अमेरिकी एफडीए जैसे प्रमुख औषध विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया गया हो। जो उत्पाद पात्र मानदंडों को पूरा करते हैं सिंगापुर में उनके पंजीकरण में लगने वाला समय कम होगा।

(घ) औषध निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य चिकित्सा खर्च में बचत को देखते हुए यूरोपीय संघ, उत्तरी अमेरिका, जापान आदि जैसे सभी विकसित देशों सहित विश्व भर में जेनरिक औषधियों को व्यापक प्रोत्साहन मिल रहा है। जेनरिक दवाइयों के संदर्भ में भारत प्रमुख स्रोत देशों की श्रेणी में रहा है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन

2989. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) भारत विधि आयोग ने, "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का पुनर्विलोकन" पर 185वीं रिपोर्ट और "शीघ्र न्याय की आवश्यकता–कुछ सुझाव" पर 221वीं रिपोर्ट के द्वारा अन्य बातों के साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। चूंकि इस रिपोर्ट का मामला भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की III सूची से संबंधित है, अत:, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनसे किसी अन्य कार्रवाई किए जाने से पूर्व उनके विचारों/टिप्पणियों को तैयार करने का अनुरोध करने के लिए सिफारिशें भेज दी गई हैं।

[हिन्दी]

जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य

2990. श्री प्रदीप माझी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010-11 हेतु मौसम हेतु जूट के टीडी-5 ग्रेड न्यूनतम समर्थन मूल्य में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में किसानों को जूट की खेती हेतु प्रोत्साहित करने में नया मूल्य कितना सहायक होगा; और

(घ) वर्ष 2009-10 के दौरान देश में जूट के उत्पादन का ब्यौरा क्या है तथा मूल्य में संशोधन के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 2010-11 के लिए एक्स-असम कच्चे पटसन के टीडी-5 ग्रेड के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1575/- रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

(ग) और (घ) 2010-11 के लिए निर्धारित एमएसपी 2009-10 के एमएसपी से 14.5% अधिक है। कच्चे पटसन का चालू बाजार मूल्य लगभग 2700/- रु. प्रति क्विंटल है। पटसन खेती के लिए किसानों द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न कारक हैं जिनमें उत्पादन लागत, इनपुट मूल्यों में बदलाव, बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति स्थिति, अंतर-फसल मूल्य समानता और अच्छी मानसून शामिल हैं। अत: नए मूल्य किस स्तर तक किसानों को पटसन की खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे, के विषय में भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। 2009-10 के दौरान देश

में पटसन का उत्पादन 93 लाख गांठ था। पटसन परामर्शी बोर्ड द्वारा पटसन मौसम 2010-11 के लिए कच्चे पटसन के उत्पादन का अनुमान लगभग 107 लाख गांठ का लगाया गया है।

[अनुवाद]

रेल पटरी का कार्य पूरा किया जाना

2991. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनवेल से उरण तक समूची रेल पटरी हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) सीवुड-उरावं परियोजना के लिए भूमि सिडको (महाराष्ट्र सरकार की एक इकाई) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है न कि रेलवे द्वारा।

(ख) सी एच 8800 से 11000 तक 25 हेक्टेयर भूमि सिडको द्वारा प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बिक्री तथा लाभ

2992. श्री पी. विश्वनाथ: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की बिक्री तथा निवल लाभ में बहुत ज्यादा कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लाभ तथा कारोबार में भी सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आगामी तीन वर्षों हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (घ) वर्ष 2009-2010 को छोड़कर एनएमडीसी लिमिटेड की बिक्री एवं निवल लाभ प्रति वर्ष निरंतर रूप से बढ़ा है। 2009-10 की प्रथम छमाही के दौरान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मंदी की परिस्थितियों के चलते 2009-10 के दौरान एनएमडीसी के निष्पादन में कमी हुई जिसके परिणामस्वरूप कंपनी का उत्पादन व बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम रही। वर्ष 2009-10 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों ही बाजारों में लौह अयस्क की कीमतों में भी 33% से 44% की कमी हुई। 2006-07 से 2009-10 तक का कंपनी के निष्पादन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
बिक्री (लौह अयस्क तथा हीरे)	4181.52	5709.07	7559.11	6229.54
कर पश्चात लाभ	2320.21	3250.98	4372.38	3447.26

तथापि 2010-11 की प्रथम तिमाही में स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ जब प्रचालनों से कंपनी की निवल बिक्री/आय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1278.05 करोड़ रु. के स्तर से बढ़कर 2517.99 करोड़ रु. (अनंतिम) हो गई। 2010-11 की प्रथम तिमाही के दौरान कंपनी का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) तथा कर-पश्चात लाभ (पीएटी) भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमश: 1172.14 करोड़ रु. तथा 773.75 करोड़ रु. से बढ़कर 2249.22 करोड़ रु. (अनंतिम) तथा 1504.04 करोड़ रु. (अनंतिम) हो गया।

बेल्लारी विमानपत्तन

2993. श्रीमती जे. शांता: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में बेल्लारी विमानपत्तन उड़ान के परिचालन हेतु उपयुक्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान कोहरा, धूल इत्यादि के कारण कम दृश्यता के कारण रद्द किए गए या विलंबित उड़ानों का ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी वित्तीय हानि हुई; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) कर्नाटक का बेल्लारी हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना (आईएएफ) (रक्षा) का है तथा इस हवाई अड्डे से कोई अनुसूचित प्रचालन नहीं किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर पार्किंग शुल्क

2994. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
डॉ. संजय सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई विमानपत्तों पर प्रति वाहन का पार्किंग शुल्क कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पार्किंग शुल्क के माध्यम से कितनी राशि एकत्र की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शुल्क के रूप में वसूल की गई राशि से पार्किंग सुविधा में सुधार के लिए क्या कार्य किए गए; और

(घ) देश में विमानपत्तनों पर पार्किंग सुविधाओं के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) चेन्नई हवाई अड्डे और कोलकाता हवाई अड्डे पर पार्किंग प्रभार निम्नानुसार हैं:

चेन्नई हवाई अड्डे पर–कार/वैन– रु. 60/-, दुपहिया वाहन–रु. 15/-, सामान्य पार्किंग में मिनी बस/बस–रु. 70/-, टर्मिनल भवन के सामने पार्क किए गए कोच–रु. 225/-, प्रीमियम कार पार्किंग–रु. 100/-। ये प्रभार 4 घंटे और इनकी आंशिक अवधि के लिए हैं।

एयरलाइनों तथा विनियामक एजेंसियों के कर्मचारियों के संबंध में मासिक प्रभार निम्नानुसार हैं:

कार–रु. 150/-, स्कूटर–रु. 90/-।

कोलकाता हवाई अड्डे पर–कार/वैन– रु. 60/-, दुपहिया वाहन–रु. 15/-, सामान्य पार्किंग में मिनी बस/बस कोच–रु. 70/-, ट्रक/टेम्पो–रु. 70/-, टर्मिनल भवन के सामने पार्क किए गए कोच–रु. 225/-।

एयरलाइनों तथा विनियामक एजेंसियों के कर्मचारियों के संबंध में मासिक प्रभार निम्नानुसार हैं:

कार–रु. 150/-, स्कूटर–रु. 90/-।

कार्गो परिसर में टेम्पो तथा ट्रक प्रचालकों/टेम्पो प्रचालक यूनियन से संबंधित प्रभार–टेम्पो के लिए 900/- प्रतिमाह तथा ट्रक के लिए रु. 1200/- प्रतिमाह, कार्गो परिसर में एजेंटों/लाइसेंस धारकों के लिए प्रभार रु. 600/- प्रतिमाह।

चेन्नई तथा कोलकाता हवाई अड्डों के संबंध में पार्किंग प्रभारों के जरिए एकत्रित धनराशि 4126 लाख रुपए थी।

टर्मिनल भवनों के आधुनिकीकरण से संबंधित कार्य के स्कोप में कार पार्किंग सुविधाओं का स्तरोन्नयन/सुधार शामिल है। चेन्नई तथा कोलकाता हवाई अड्डों पर बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली तथा मुम्बई हवाई अड्डों पर पार्किंग प्रभारों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में रेल परियोजना

2995. श्री कमल किशोर 'कमांडो': क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में चालू तथा विलंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन रेल लाइनों के संबंध में सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) क्या उत्तर-पूर्व रेलवे जोन गोरखपुर के अंतर्गत रेल परियोजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्य से पीछे चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में अंशत:/पूर्णत: पड़ने वाली 8 नई लाइन, 6 आमान परिवर्तन, 18 दोहरीकरण और 7 विद्युतीकरण की चालू परियोजनाएं हैं। इसके अलावा, विगत तीन वर्षों के दौरान, 8 नई लाइनों, 2 आमान परिवर्तन और 3 दोहरीकरण की परियोजनाओं को भी पूरा किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार योजनाओं की प्रगति की जा रही है। परियोजनाओं में विलंब के प्रमुख कारण निधियों की कमी, भूमि की उपलब्धता और प्रक्रियाओं को निपटाने में विलंब का होना है। परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन के लिए गैर-बजटीय उपायों जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्त पोषण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से कई पहल की गई हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशक

2996. श्री एल. राजगोपाल: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के 43 सूचीबद्ध उपक्रमों में से 21 में सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जहां बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं;

(ग) उपर्युक्त सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी स्वतंत्र निदेशक कब तक नियुक्त कर दिए जाएंगे?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) जी, हां। 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 47 उद्यमों में से 24 उद्यमों के निदेशक मण्डलों में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनिर्देशों के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के जिन 24 उद्यमों के निदेशक मण्डलों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं उनका ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 24 उद्यमों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में विलम्ब का मुख्य कारण संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियुक्ति प्रस्तावों के सम्बन्ध में समय पर पहल नहीं करना है।

(घ) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने, खोज समिति/लोक उद्यम चयन मण्डल द्वारा इन प्रस्तावों पर विचार करने तथा खोज समिति/लोक उद्यम चयन मण्डल द्वारा इस बारे में की गई अनुशंसाओं का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन करने के बाद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन 24 उद्यमों में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

विवरण

उन केंद्रीय सरकारी उद्यमों की सूची जिनके निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

(31.3.2010 के अनुसार)

क्र.सं.	केंद्रीय सरकारी उद्यम का नाम
1.	बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
2.	बीईएमएल लिमिटेड
3.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
5.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
6.	चेन्नई पेट्रोलियम कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7.	ड्रेजिंग कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड
9.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
10.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
11.	एचएमटी लिमिटेड
12.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
13.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
14.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
15.	मैंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
16.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
17.	नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड
18.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
19.	पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
20.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
21.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22.	स्टील अथॉरिटी ऑफ ऑफ इंडिया लिमिटेड
23.	इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड
24.	केआईओसीएल लिमिटेड

[हिन्दी]

दिल्ली राजहरा से रावघाट रेल मार्ग

2997. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-राजहरा से रावघाट रेल मार्ग का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) दिल्ली-राजहरा से रावघाट तक की लाइन दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई बड़ी लाइन परियोजना का प्रथम चरण है। दल्लीराजहरा-रावघाट खंड में सड़क बिछाने और पुलों के लिए ठेके आबंटित कर दिए गए हैं और दल्लीराजहरा-किउटी खंड (42 किमी.) के बीच कार्य शुरू कर दिया गया है जबकि किउटी-रावघाट हिस्से के बीच भूमि का अधिग्रहण ना किए जाने के कारण निविदा संबंधी कार्य को रोक दिया गया है। भूमि उपलब्धता के संबंध में रेलवे को वन भूमि और राजस्व वन भूमि शीघ्र सौंपे जाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ग) और (घ) दल्ली-राजहरा-रावघाट-जगदलपुर नई बड़ी लाइन परियोजना के लिए 2010-11 के बजट में 115 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि सौंपे जाने के बाद प्रथम चरण को पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

रेल कर्मचारियों हेतु आवास

2998. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) कितने कर्मचारियों को आवास की सुविधा प्रदान की गई है तथा कितने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान नहीं की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 31.3.2009 को भारतीय रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1386011 (मेट्रो परियोजनाओं (रेलवे) को छोड़कर) है।

(ख) से (घ) 31..3.2009 तक, अधिकारियों सहित लगभग 552500 कर्मचारियों को रेलवे आवास मुहैया कराया गया है। उन रेल कर्मचारी को छोड़कर जिन्हें सरकारी आवास/किराए पर मकान मुहैया कराया गया है, अन्य सभी निर्धारित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने के पात्र हैं।

कीटनाशकों की आपूर्ति

2999. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में किसानों को मांग के अनुसार कीटनाशकों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) वर्ष 2008-09 के दौरान कीटनाशकों का उत्पादन 85,338 मी. टन था। वर्ष 2008-09 के दौरान 45,180 मी. टन की अनुमानित मांग की तुलना में वास्तविक खपत 43,860 मी. टन थी। कीटनाशकों का घरेलू उत्पादन घरेलू खपत से अधिक है। सामान्यतया कीटनाशकों की अपेक्षित मात्राएं राज्यों के पास उपलब्ध रहती हैं। किसी राज्य सरकार से कीटनाशकों की कमी की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

रतनगढ़ तथा सादुलपुर रेलवे स्टेशनों पर रेल उपरि पुल

3000. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पश्चिमी रेलवे में रतनगढ़ तथा सादुलपुर रेलवे स्टेशनों के पूर्वी भाग में रेल उपरिपुलों के निर्माण संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जनसामान्य द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं को दूर करने के लिए रेलवे का विचार उत्तर-पश्चिमी रेलवे के सादुलपुर जंक्शन तथा रतनगढ़ जंक्शन के प्रत्येक रेल समपारों पर एक रेल उपरिपुल का भी निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। इस प्रकार के किसी उपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डीएमआईसी

3001. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार से रेलवे की प्रस्तावित समर्पित माल ढुलाई गलियारे के साथ-साथ दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे के समग्र विकास हेतु विभिन्न लिंकेजों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां। गुजरात सरकार के अधीन मैसर्स गुजरात अवसंरचना विकास बोर्ड (जीआईडीबी) द्वारा एक प्रस्ताव अग्रेषित किया गया था जिसमें गुजरात राज्य में डीएमआईसी (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर) परियोजना के लिए रेल संपर्क सहित विभिन्न अवसंरचनाओं को जोड़ने का सुझाव दिया गया था।

(ख) से (घ) रेल मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई, मौजूदा स्थिति और लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं:

- **आमान परिवर्तन**

निवेश क्षेत्र	रेलवे लिंक	स्थिति
अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र	अहमदाबाद-बोटाड-भावनगर	अहमदाबाद-बोटाड का आमान परिवर्तन के लिए अद्यतन सर्वेक्षण शुरू हो गया है। बोटाड-भावनगर खंड पहले ही बड़ी आमान लाइन के रूप में परिवर्तित हो चुका है।
दहेज-भरूच निवेश क्षेत्र	दहेज-समनी-भरूच	कार्य प्रगति पर है।

- **दोहरीकरण**

दहेज-भरूच निवेश क्षेत्र	भरूच-दहेज	इस समय इस एकहरी लाइन के रूप में इस लाइन का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जा रहा है। यातायात के आधार पर आवश्यकतानुसार इसका दोहरीकरण किया जाएगा।
पालनपुर-सिद्धपुर मेहसाना औद्योगिक क्षेत्रं	पीपावाव-राजुला-धासा-बोटाड-सुरेन्द्रनगर-विरमगाम-मेहसाना	विरमगाम-सुरेन्द्रनगर के दोहरीकरण को वर्ष 2010-11 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।
	मुंद्रा-आदिपुर-गांधीधाम-पालनपुर	आदिपुर को गांधीधाम तक दोहरीकरण के कार्य को शुरू किया गया है। गांधीधाम से पालमपुर तक दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
	गांधीधाम-कांडला	दोहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है।

• **नई रेल लाइनें**

अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र	भावनगर-धोलेरा-वातामन-पेटलाद भीमनाथ-धोलेरा खम्भात-खम्भात	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से यातायात का औचित्य प्राप्त नहीं हुआ है।
हजीरा पोर्ट संपर्क	सूरत-हजीरा	गुजरात सरकार से परामर्श करके संरेखण को अंतिम रूप दिया जाना है।

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) से उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

औद्योगिक क्षेत्र	रेलवे लिंक	स्थिति
अहमदाबाद-धोलेरा निवेश क्षेत्र	धोलेरा लूप, लोलिया से प्रारंभ होकर अहमदाबाद-बोटाड लाइन पर भीमनाथ स्टेशन पर पुन: जुड़ जाता है।	रेल मंत्रालय को इस लाइन के लिए दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी)/ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से किसी प्रकार का यातायात औचित्य प्राप्त नहीं हुआ है।
पीथमपुर-धार निवेश क्षेत्र और देवास-शॉजापुर	इंदौर-वडोदरा रेल संपर्क: (क) छोटा उदयपुर-वडोदरा आमान परिवर्तन (ख) छोटा उदयपुर-धार नई ब.ला. रेल संपर्क।	(क) आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है। (ख) परियोजना शुरू कर दिया गया है और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इसे आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

मिजोरम में रेल परियोजनाएं

3002. श्री सी.एल. रुआला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिजोरम में चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं पर कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) निर्धारित लक्ष्य के साथ मिजोरम में चालू परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

परियोजना का नाम	लम्बाई किमी. में	प्रत्याशित लागत	लक्ष्य	टिप्पणी
भैरवी-सारंग (नई लाइन)	51.38	619.34	मार्च, 2014	इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
काटखल-भैरवी (आमान परिवर्तन)	84	227.90	दिसम्बर, 2013	कार्य प्रगति पर है। लमडिंग -सिलचर के आमान परिवर्तन से मेल खाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार परियोजना प्रगति पर है।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की इकाइयां

3003. श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:

क्या **भारी उद्योग लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेड की स्थान-वार कितनी इकाइयां हैं;

(ख) उक्त इकाइयों में से उन एचएमटी लि. इकाइयों का ब्यौरा क्या है जहां उत्पादन जारी है और जहां उत्पादन बंद हो गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित कर रही और घाटे में चल रही उक्त इकाइयों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने एचएमटी लि. के लिए कोई पुनरूद्धार पैकेज तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) एचएमटी लि. की निम्नलिखित स्थानों पर दो यूनिटें हैं:

यूनिट	स्थान
ट्रैक्टर प्रभार, पिंजौर	हरियाणा
एचएमटी फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, औरंगाबाद	महाराष्ट्र

(ख) एचएमटी लि. की सभी यूनिटें कार्यशील हैं तथा उनमें उत्पादन बंद नहीं हुआ है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान यूनिट-वार लाभ/(हानि) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

यूनिट	2007-08	2008-09	2009-10*
ट्रैक्टर प्रभार, पिंजौर	(56.28)	(77.28)	(56.95)
एचएमटी फूड प्रोसेसिंग मशीनरी औरंगाबाद	(0.30)	(0.96)	(0.38)

* सीएडएजी द्वारा समीक्षा के अधीन

(घ) और (ङ) कंपनी से पुनरूद्धार योजना का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो तकनीकी परामर्शदाता द्वारा पुनरीक्षित है। इस विभाग में पुनरूद्धार प्रस्ताव पर विचार किया गया है तथा कंपनी को बिजनेस प्लान की पुन: जांच करने का सुझाव दिया गया है ताकि प्रस्तावित पुनरूद्धार योजना को दीर्घकालीन आधार पर व्यवहार्य बनाया जा सके।

[अनुवाद]

ई-टिकट धोखाधड़ियां

3004. श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री जोस के. मणि:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल के महीनों में देश के विभिन्न हवाई अड्डों विशेष रूप से इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन पर अवांछित तत्वों द्वारा ई-टिकट धोखाधड़ियां करने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ई-टिकट धोखाधड़ियां को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) ऐसी कुछ घटनाएं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की नजर में आई हैं जिनमें, झूठे ई-टिकटों का इस्तेमाल टर्मिनल भवन में प्रवेश पाने के उद्देश्य से किया गया ताकि वे अपने मित्रों/संबंधियों को विदा करने आ सकें। यह विवरण इस प्रकार है:

हवाईअड्डा	दिनांक	व्यक्ति
कालीकट	03.03.10	मोहम्मद हनीफा
आईजीआई एयरपोर्ट	25.05.10	श्री विरेन्द्र मलिक
	23.5.10	श्री जगत राम चोपड़ा
	23.05.10	श्री काओ यूहुई
	22.05.10	श्री जोगिन्दर सिंह
	20.05.10	सुश्री जो अन्ना
	14.05.10	श्री प्रदीप कुमार साह
मुंबई एयरपोर्ट	12.05.10	श्री मनोज मैथ्यू
	02.06.10	श्री अनिल कुमार मोहन भाई पटेल

ऐसे हर मामले को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया ताकि वे इसकी आगे की जांच कर इन पर आगे कानूनी कार्रवाई कर सकें।

(ग) से (ङ) किसी भी एयरलाइन द्वारा जारी ई-टिकट, टिकट धारक को टर्मिनल भवन में संबंधित एयरलाइन के काउंटर तक जाने की अनुमति देती है। उनकी पहचान इन काउंटरों पर लगे संबंधित कम्प्यूटर में दी गई जानकारी के आधार पर जांच की जाती है। ई-टिकट जालसाजी को रोकने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पर्याप्त कर्मचारी ई-टिकट धारकों पर निगरानी रखने के लिए तैनात किए गए हैं।

एससी/एसटी उम्मीदवारों को पायलट प्रशिक्षण

3005. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पायलट प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार पंजीकृत किए गए;

(ख) उड़ान स्कूलों से कितने प्रशिक्षु पास हुए;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ान स्कूलों में इन उम्मीदवारों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उम्मीदवारों को ऐसे उड़ान स्कूलों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है जहां उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए न तो पायलट और न ही अभियंता उपलब्ध होते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। चुने गए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों में भेजा जाता है। उड़ान अनुदेशकों तथा अनुरक्षण इंजीनियरों की आवश्यकता का आकलन डीजीसीए के अनुमोदन के लिए एक पूर्व अपेक्षा है।

हरसरू-फरूखनगर रेल लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य

3006. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में हरसरू-फरूखनगर के बीच आमान परिवर्तन के कार्य की स्थिति क्या है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गढ़ी हरसरू-फरूखनगर लाइन का आमान परिवर्तन पूरा कर लिया गया है। रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण के बाद इस खंड को यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

हैदराबाद के लिए उड़ानें

3007. श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली-हैदराबाद मार्ग पर प्रचालित उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारी मांग को देखते हुए सरकार का विचार दिल्ली-हैदराबाद मार्ग पर और उड़ानें शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान इस मार्ग से कितना राजस्व अर्जित किया गया?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय 16 अनुसूचित घरेलू उड़ानों का प्रचालन दैनिक आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे अनुसार दिल्ली-हैदराबाद मार्ग पर किया जाता है:

नैसिल	03
जेट एयरवेज	02
जेटलाइट	01
किंगफिशर एयरलाइन	02
स्पाइसजेट	04
इंडिगो	04

(ख) और (ग) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, विमान यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन की दृष्टि से मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यात्री मांग तथा वाणिज्यिक के आधार पर, किसी भी स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करे। इस प्रकार, एयरलाइन सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण सिद्धांतों के अनुपालन के आधार पर देश में किसी भी स्थानों पर प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) सरकार एयरलाइनों द्वारा प्रचालित मार्गों पर राजस्व एकत्रण की सूचना नहीं रखती है।

लेखा प्रणाली की समीक्षा

3008. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की विद्यमान लेखा प्रणाली की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लेखा की नकदी आधारित प्रणाली की वर्तमान पद्धति और लेखा की डबल इंट्री एक्रुनल प्रणाली से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (घ) व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसरण में संघ एवं राज्यों के लेखा संबंधी स्वरूप, राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित किए जाते हैं। पारदर्शिता में वृद्धि करने सहित विशिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करना एक सतत प्रक्रिया है। 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने प्राप्ति आधारित लेखांकन प्रणाली अपनाने की सहमति दी थी। भारत सरकार में महालेखा नियंत्रक द्वारा तथा राज्यों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

लंबित पेट्रोलियम योजनाएं/परियोजनाएं

3009. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों से प्राप्त पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित अनेक योजनाएं/परियोजनाएं गत तीन वर्षों से केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं/प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3010. श्री एम. आनंदन:
श्री आधि शंकर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार तमिलनाडु में कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यशील हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान इन्हें सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) आज की तिथि के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए तमिलनाडु सरकार के कितने प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) इनकी स्वीकृति में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और तदनुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या संबंधी आंकड़े मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद, भारत सरकार की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में कुल 3736 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्यरत हैं।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है।

राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (आज की तिथि के अनुसार)
	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि	जारी की गई राशि
तमिलनाडु	951.79	594.355	672.11	205.61

(ग) से (ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75.00 लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए तमिलनाडु सरकार से प्रत्यक्ष रूप में ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्व में इस प्रकार के अनुदान के सभी आवेदन मंत्रालय को राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते थे। उसके पश्चात इन आवेदनों पर केंद्रीय रूप से कोई कार्रवाई की जाती थी और अनुदान सीधे मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता था। वर्ष 2007-08 से, आवेदनों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन, अनुदान पात्रता की गणना तथा निधियों का वितरण पूर्णत: विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत, कोई भी उद्यमी/आवेदनकर्ता पड़ोस के बैंक/वित्तीय संस्थान में आवेदन दर्ज कर सकता है। उसके पश्चात बैंक/वित्तीय संस्थान आवेदन का मूल्यांकन करके मंत्रालय द्वारा उन्हें दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र-अनुदान राशि की गणना करेंगे। बैंकों/वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन रिपोर्ट तथा इनकी संस्तुति ई-पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को भेज दी जाती हैं; ई-पोर्टल इसी उद्देश्य से लगाया गया है। अनुदान जारी करने हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान से संस्तुति प्राप्त हो जाने के पश्चात्, मंत्रालय अनुदान को स्वीकृत करके निधियां ई-पोर्टल के माध्यम से निधियों की उपलब्धता के आधार पर अंतरित कर देता है। कुल 124 प्रस्ताव संवितरण के लिए लम्बित हैं।

धनराशियों की उपलब्धता के आधार पर प्रस्तावों पर वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जाता है।

विमानन सलाहकार निकाय की बैठक

3011. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित उच्चस्तरीय विमानन सलाहकार निकाय ने बैठक कर पहली बार यह विचार-विमर्श किया है कि विमानन सुरक्षा वातावरण को सुदृढ़ करने के लिए किन क्षेत्रों पर और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक क्या निर्णय लिए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में, तथा विमानन सेक्टर में उल्लेखनीय योगदान दे चुके उद्योग के 28 विशेषज्ञ सदस्यों और स्टेकहोल्डरों के साथ, नागर विमानन संरक्षा सलाहकार परिषद (सीएएसएसी) का गठन किया है। परिषद की पहली बैठक 3.6.2010 को हुई। परिषद ने (1) प्रचालन, (2) उड़न योग्यता, (3) हवाई दिक्चालन और (4) एयरोड्रम के लिए 4 विभिन्न कार्य समूह गठित किए। सीएएसएसी की सिफारिशों पर नागर विमानन महानिदेशालय ने (1) संवेदनशील एयरफील्ड का निरीक्षण, (2) एप्रोच और अवतरण दुर्घटना कटौती (एएलएआर) टूल किट के लिए दिशा निर्देश जारी करना, (3) वे रक्षा एयरफील्ड जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) के मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उनके प्रचालनों की सुझावपूर्ण समीक्षा तथा (4) सामान्य विमानन प्रचालन में संरक्षा वृद्धि के लिए कार्रवाई की है।

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

3012. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने महाराष्ट्र के प्रमुख स्टेशनों के विकास तथा उन्नयन के लिए मुम्बई जोन हेतु विशेष बजट स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्टेशनों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक स्टेशन के लिए उन्नयन योजना क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। रेल बजट में राज्यवार प्रावधान नहीं किए जाते। बहरहाल, मध्य, पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर स्थित महाराष्ट्र राज्य के 107 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन योजना, आधुनिक स्टेशन योजना और आदर्श स्टेशन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है।

(ग) स्टेशनों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभिन्न योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों पर किए जाने वाले विकास और अपग्रेडेशन संबंधी कार्यों को 30 जून, 2011 तक पूरा किए जाने की योजना है।

विवरण

आधुनिकीकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित किए गए महाराष्ट्र राज्य के स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	स्टेशनों के नाम
1	2
1.	अहमदनगर
2.	अजनी
3.	अकोला
4.	अकुर्दी
5.	अमगांव
6.	अमरावती
7.	अंधेरी
8.	अंधेरी
9.	औरंगाबाद
10.	बडनेरा
11.	बल्लारशाह
12.	बांद्रा
13.	बांद्रा टर्मिनस
14.	बेलापुर
15.	भांडुप
16.	भयंदर
17.	भुसावल
18.	वोरीवली
19.	भायखाला
20.	चालीसगांव
21.	चंदा फोर्ट
22.	चन्द्रपुर
23.	चर्णीरोड
24.	चेंबूर
25.	चिंचवाड़
26.	चर्चगेट
27.	करीरोड
28.	दादर (मरे)
29.	दादर (परे)
30.	दहाणुरोड
31.	दौंड
32.	देवलाली
33.	धारणगांव
34.	धर्माबाद
35.	डाकयार्ड
36.	दुंबीविली
37.	घाटकोपर
38.	गोंदिया
39.	गोरेगांव
40.	हजूर साहिब नांदेड़
41.	इतवारी

1	2
42.	जलगांव
43.	जालना
44.	कल्यान
45.	कंजुरमार्ग
46.	कराड़
47.	करजत
48.	कसारा
49.	खड़की
50.	खोपोली
51.	किंग्स सर्किल
52.	कोल्हापुर (छत्रपति शाहु महाराज टर्मिनस)
53.	कुर्दुवाड़ी
54.	कुर्ला
55.	कुर्ला (लोकमान्य तिलक टर्मिनस)
56.	लातुर
57.	लोणावाला
58.	मलाड
59.	मल्कापुर
60.	मनमाड
61.	मरीन लाइन्स
62.	माथेरन
63.	माटुंगा
64.	मीरा रोड
65.	मिराज
66.	मुदखेड
67.	मुलुंड
68.	मुम्बई सेन्ट्रल
69.	मुम्बई सेन्ट्रल (लोकल)
70.	मुम्बई सीएसटी
71.	नागरसोल
72.	नागपुर
73.	नाहुर
74.	नयगांव
75.	नंदुरबार
76.	नासिक रोड
77.	नेराल
78.	पनवेल
79.	परभनी
80.	पली वैजनाथ
81.	पार्तुर
82.	पिंपरी
83.	पुणे
84.	पूर्णा
85.	सन्ध्रस्ट रोड
86.	सांगली
87.	सनपाड़ा
88.	शांताक्रुज
89.	शफाले
90.	सतारा
91.	शेलु
92.	सिवरी
93.	सेगांव
94.	शिवाजी नगर
95.	सियोन
96.	शोलापुर
97.	थाणे

1	2
98.	तिलकनगर
99.	टुम्सर रोड
100.	तुर्भी
101.	उल्हास नगर
102.	वनगांव
103.	वाशी
104.	विद्याविहार
105.	विकरोली
106.	विरार
107.	वर्धा

मेगा इस्पात संयंत्रों का विलय

3013. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेगा इस्पात संयंत्रों के विलय को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (ग) देश में इस्पात सेक्टर नियंत्रणमुक्त है। सामान्य तौर पर अनेक व्यापारिक आवश्यकताओं के आधार पर इस्पात कंपनियों का विलय होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन किसी भी इस्पात संयंत्र का विलय नहीं हुआ है।

नए कनेक्शन के साथ गैस स्टोवों की खरीद

3014. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान तथा दिसंबर, 2009 तक मैसूर, कोडागू, चामराजनगर तथा मांड्या क्षेत्रों में रसोई गैस उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के साथ गैस स्टोव खरीदने के लिए बाध्य करने हेतु रसोई गैस एजेंसियों/वितरकों के विरुद्ध उपभोक्ताओं तथा विभिन्न नागरिक फोरम से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार का अवैध कार्य करने वाले उन रसोई गैस वितरकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) को वर्ष 2008-09 के दौरान तथा अप्रैल-दिसम्बर 2009 के बीच कर्नाटक राज्य के मैसूर, कोडागू, चामराजनगर तथा मांड्या जिलों में रसोई गैस उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के साथ गैस स्टोव खरीदने के लिए बाध्य करने हेतु रसोई गैस एजेंसियों/वितरकों के विरुद्ध उपभोक्ताओं तथा विभिन्न नागरिक मंचों से कोई प्रमाणित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जब कभी ओएमसीज को नए पंजीकृत अथवा प्रतीक्षा सूची वाले ग्राहकों को स्टोव/हॉट प्लेट खरीदने के लिए बाध्य करने की शिकायत मिलती है, उनकी जांच की जाती है। यदि शिकायत सिद्ध हो जाती है तो दोषी एलपीजी वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए सर्वेक्षण

3015. श्री पी. कुमार:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश सहित देश में तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज के लिए सर्वेक्षण किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन तेल कंपनियों द्वारा अभी तक पूरा किए गए खोज कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर देश में निकाले गए कच्चे तेल का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल के वाणिज्यिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में तेल भंडार की खोज के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) गत तीन वर्षों (2007-10) के दौरान उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएसपी) व्यवस्था के तहत संविदाकारी द्वारा गहरे समुद्री क्षेत्र सहित पूर्वी अपतटीय एवं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण ब्लाकों में और असम, गुजरात, बिहार, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश एवं मिजोरम राज्यों में भूकम्पीय सर्वेक्षण कराए गए हैं।

मध्य प्रदेश में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के विभिन्न चरणों में अभी तक निम्नलिखित दो अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए गए हैं:

- शहडोल, उमरिया, अनुपपुर एवं डिंडोरी जिलों में एसआर-ओएनएन-2004/1 (प्राइज पेट्रोलियम-जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड)
- दमोह और छतरपुर जिलों में वीएन-ओएनएन-2009/3 (ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड)

(ख) देश में गत तीन वर्षों (2007-10) के दौरान उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएसपी) व्यवस्था के तहत 1,97,790 लाइन किलो मीटर (एलकेएम) 2 डी और 85, 691 वर्ग किलोमीटर 3 डी भूकम्पीय आंकड़े अर्जित किए हैं और 265 अन्वेषण कूपों का वेधन किया गया है। इनमें से 1860 एलकेएम 2 डी और 170 वर्ग किलोमीटर 3 डी आंकड़े मध्य प्रदेश में अर्जित किए गए हैं।

इसी प्रकार वर्ष (2007-10) के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नामांकन क्षेत्रों में कुल 5061 एलकेएम 2डी और 22887 वर्ग किलोमीटर 3 डी भूकम्पीय आंकड़े अर्जित किए गए हैं और 290 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2007-10) के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नामांकन क्षेत्रों में कुल 1208 एलकेएम 2 डी और 2612 वर्ग किलोमीटर 3 डी भूकम्पीय आंकड़े अर्जित किए गए हैं।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों में और चालू वर्ष में जून, 10 तक उत्तर पूर्वी राज्यों सहित और उनको छोड़कर पीएससी व्यवस्था के तहत किए गए कच्चे तेल के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (जून 10 तक)
तेल (एमएमटी*) उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित	5.08	4.67	5.26	1.88
तेल (एमएमटी*) उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर	5.01	4.58	5.15	1.85

एमएमटी*: मिलियन मीट्रिक टन

(ङ) देश में तेल/गैस भण्डारों की खोज करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- अन्वेषण के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विभिन्न भूविज्ञानी सर्वेक्षण कराना।
- एनईएलपी के माध्यम से अधिक से अनन्वेषित क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए प्रस्तावित करना।

विमानपत्तनों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

3016. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) नागर विमानन मंत्रालय को, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

समान अवसर आयोग

3017. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समान अवसर आयोग के गठन के लिए आवश्यक प्रारूप तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रारूप के मुख्य बिंदुओं का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन

3018. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस्पात संयंत्रों की स्थापना तथा खनन के लिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ इस्पात संयंत्र-वार समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां मोटे तौर पर समझौता ज्ञापनों का पालन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उनमें निर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कंपनियों को इसके अंतर्गत लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा पूरे देश में स्थापित की जाने वाली प्रत्येक यूनिट में कंपनी-वार तथा स्थान-वार कितने प्रतिशत लौह अयस्क संसाधित किया जाएगा?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए.साई प्रताप): (क) से (ग) भारत सरकार ने देश में इस्पात यूनिटों की स्थापना हेतु इस्पात निवेशकों के साथ कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित नहीं किया है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में इस्पात यूनिटों की स्थापना के संबंध में विभिन्न भावी इस्पात निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में भूमि, खजिन संसाधन और अन्य सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करने हेतु संबंधित सरकारों के इरादे शामिल हैं। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खनिज सम्पन्न राज्यों झारखण्ड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लौह एवं इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु हस्ताक्षरित किए गए समझौता ज्ञापनों के ब्यौरे कंपनियों के नाम सहित तथा परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति राज्यवार एवं परियोजनावार इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अभिलेख के अनुसार संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार मैं. पोस्को इंडिया को समझौते ज्ञापन की शर्तों के तहत उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है।

समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार पास्को अधिक ऐल्यूमिना वाले कुछ लौह अयस्क (पारादीप संयंत्र की कुल वार्षिक आवश्यकता के 30% से अधिक नहीं) को मिश्रण हेतु इतनी ही मात्रा में कम (ऐल्यूमिना एवं बेहतर राखांश वाले आयातित लौह अयस्क के साथ स्वैप कर सकता है ताकि पारादीप परियोजना में बेहतर गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन किया जा सके और विद्युत का संरक्षण किया जा सके। संयंत्र हेतु स्वैप के जरिए लौह अयस्क के निर्यात की अनुमति उतनी ही मात्रा में लौह अयस्क का आयात करने पर ही होगी। समान मात्रा में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क के आयात के साथ लौह अयस्क की प्रतिस्थापन करने की उपरोक्त सीमा समय-समय पर लागू भारत सरकार की निर्यात-आयात नीति के फ्रेमवर्क के तहत होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च ग्रेड वाले अयस्क की समान मात्रा में आयात के जरिए तथा ऊपर उल्लिखित सीमा के भीतर पूर्ण प्रतिस्थापना करने के सिवाय केप्टिव खान से लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी।

(ङ) चूंकि परियोजनाएं अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं इसलिए इनके ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं (वर्ष 2007 के बाद)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	स्थिति	क्षमता : एमटीपीए	निवेश करोड़ रुपये में	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं प्रगति
1.	मै. ब्राहमनी रीवर पेल्लेट लि.	टोंटो, नाल्दा क्योंझर एंड डूबुरी जाजपुर में	4.0 (पैलेट संयंत्र)	1485.00	15.03.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
2.	मैं. प्रधान स्टील एंड पॉवर (प्रा.) लि.	डुरूसिया आथागाड, कटक	0.50	606.00	29.01.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
3.	मै. टेक्टोन इस्पात प्रा.लि.	टारकाबेडा धेनकनाल	0.25	291.00	29.01.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
4.	मै. आथा माईन्स प्रा.लि.	टारकाबेडा धेनकनाल	0.25	227.13	29.01.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

उन लौह एवं इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए झारखण्ड राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं (वर्ष 2006 के बाद)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	स्थिति	क्षमता : एमटीपीए	निवेश करोड़ रुपये में	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नन्दपुर/मनोहरपुर	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 2.8	6750	12.01.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
2.	मैं. मां चंडी दुर्गा इस्पात लिमिटेड	नाजा ब्लाक जामतारा	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1500	09.02.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
3.	मै. जगदम्बा फिसकल सर्विस लिमिटेड	रानेशवर, सैयकारीपारा दुम्का	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1500	0.9.02.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
4.	मै. ब्रह्मी इम्पैक्स	अफजलपुर, बालाब्लाक जामतारा	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1500	0.9.02.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
5.	मै. आधुनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड	कुमाराबाद, दुमका	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1500	0.9.02.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
6.	मै. ट्राइएंग्ल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	पठानमारा	स्टील प्लांट 0.24	300	14.02.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
7.	मै. प्रीमियर फेरो एलॉइस	बारलंगा	स्टील प्लांट 1.0	1830	23.02.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
8.	मै. पुष्प स्टील एण्ड माइनिंग (प्रा.) लिमिटेड	गौरीदीह और रूगरई न्यू चौक	स्टील प्लांट 0.25	361	24..2.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
9.	मै. सारथक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	राजखारस्वन	स्टील प्लांट 2.2	6300	26.02.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
10.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	पट्राटु	स्टील प्लांट 6.0	18560	08.11.07	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
11.	मै. भूषण स्टील लि.	गलूडीह, ईस्ट सिंहभूमि	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 3.1	7000	-	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
12.	मै. मां छिन्नमंस्का स्पंज आयरन लि.	रामगढ़	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 1.0	1840	-	आंशिक रूप से चालू
13.	मै. मां छिन्नमंस्का सीमेंट एंड इस्पात प्रा. लि.	रामगढ़	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 0.128	353.53	-	आंशिक रूप से चालू
14.	मै. वी.एम.सलगांवकर एंड ब्रदर्स प्रा. लि.	घाटशिला	इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट-0.5	847	-	आंशिक रूप से चालू
15.	मै. रामगढ़ स्पंज आयरन प्रा. लि.	होसिर, हजारीबाग	स्टील प्लांट-0.25	785	-	आंशिक रूप से चालू
16.	मै. एसकेएस इस्पात एंड पावर लि.	कांची बुंडु, रांची	स्टील प्लांट-1.3	655	-	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
17.	मै. जुपीटर आयरन इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	रामगढ़	स्टील प्लांट-0.25	655	-	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं (वर्ष 2006 के बाद)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	स्थिति	क्षमता : एमटीपीए	निवेश करोड़ रुपये में	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. राजेश स्ट्रिप्स लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	इस्पात गलनशाला-0.30	120.00	18.05.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
2.	मै. जिन्दल स्टील एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	धमन भट्टी-0.32	8000.00	18.05.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
3.	मै. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि. (विस्तार परियोजना)	नाहरपल्ली रायगढ़	धमन भट्टी-1.0 निजी उपयोग के लिए स्पंज लोहा-0.40	2087.00	04.05.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
4.	मै. वन्दना इस्पात लि.	बोराई, दुर्ग, अजनोरा, राजनंदगांव	एकीकृत इस्पात संयंत्र -0.83 इस्पात गलनशाला-0.75	1310.00	04.05.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै. टॉपवर्थ स्टील्स प्रा. लि. (विस्तार परियोजना)	बोराई, दुर्ग	धमन भट्टी-0.50	1225.74	04.05.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
6.	मै. एमएसपी स्टील एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	कच्चा लोहा - 0.40 निजी उपयोग के लिए स्पंज लोहा 0.3	1400.00	04.05.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
7.	मै. सालासर स्पंज एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	इस्पात संयंत्र - 0.10	230.00	04.05.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
8.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़ चंपा जंजगीर चंपा	एकीकृत इस्पात संयंत्र 1.2	2145.00	18.06.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
9.	मै. सिंघल एन्टरप्राइसेज प्रा.लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	स्पांज लोहा - 0.2 इस्पात - 0.3	500.00	23.06.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
10.	मै. अंजनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रामगढ़	एकीकृत इस्पात संयंत्र - 0.25	410.00	02.08.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
11.	मै. एच.ई.जी. लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	दुर्ग	स्पांज लोहा - 0.35	280.00	02.08.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
12.	मै. मंगल स्पंज एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पांज लोहा 0.12	445.00	02.08.2007	आशिंक रूप से चालू
13.	मै. एस.के. सारावागी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	बिलासपुर	स्पांज लोहा 0.21 इस्पात 0.15	330.00	02.08.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
14.	मै. आरती स्पांज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.105 इस्पात गलनशाला 0.09	305.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
15.	मै. एपीआई इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.525	1000	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
16.	मै. जय बालाजी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	-	डीआरआई संयंत्र 0.6 इस्पात गलनशाला 1.0	1450.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
17.	मै. बलदेव एलोइस प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा 0.54 एसएमएस संयंत्र 0.2	430.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
18.	मै. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा 0.75 इस्पात गलनशाला 0.5 इएएफ 0.32	1536.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
19.	मै. गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	-	डीआरआई 0.6 इस्पात बिल्लेट 0.6	1570.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
20.	मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	ग्राम सरॉयपल्ली कोसमपल्ली धारागर, रायगढ़	डीआरआई 5.1	18300.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
21.	मै. खेतान स्पांज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा 0.09 प्रेरण भट्टी 0.06	209.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
22.	मै. नालवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	ग्राम तराइमल रायगढ़	डीआरआई (कोयला आधारित) 0.33 इस्पात गलनशाला 0.336 डीआरआई (गैस आधारित) - 2.0	3100.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
23.	मै. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.6 इस्पात बिल्लेट 0.7	2020.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
24.	मै. नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पांज लोहा 0.6	606.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
25.	मै. रायपुर पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.135 प्रेरण भट्टी 0.09	135.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
26.	मै. रशमी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.315 इस्पात गलनशाला 0.21	550.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
27.	मै. रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा 0.30	720.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
28.	मै. आर.एल. स्टील एण्ड एनर्जी लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.4	293.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
29.	मै. सत्या पावर एण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.24	376.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
30.	मै. श्री श्याम स्पांज एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा 0.135	205.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
31.	मै. एसकेएस इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 1.2 धमन भट्टी 0.27	3611.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
32.	मै. सुर्या ग्लोबल स्टील एण्ड जेनपावर लिमिटेड	-	डीआरआई 1.4 धमन भट्टी पीसीएम के साथ - 0.6	3000.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
33.	मै. वीसा स्टील लिमिटेड	-	धमन भट्टी सिंटर के साथ 1.5 स्पांज लोहा 1.0	4759.00	08.08.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
34.	मै. एनएमडीसी लिमिटेड	-	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र 3.00	10000.00	03.09.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
35.	मै. के. एनर्जी लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.21 प्रेरण भट्टी 0.192	469.00	120.09.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
36.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	धमन भट्टी 1.15 स्पांज लोहा 1.6 इस्पात गलनशाला 2.0	2750.00	120.09.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
37.	मै. सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड	-	धमन भट्टी 0.3 स्पांज लोहा 0.2 प्रेरण भट्टी 0.3 इएएफ 0.3	700.00	01.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
38.	मै. एमएसपी स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	-	स्पांज आयरन 0.9 धमन भट्टी 0.7 इस्पात गलनशाला 1.5	4930.00	01.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
39.	मै. महेन्द्रा स्पांज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.27 इस्पात बिल्लेट 0.15	485.00	01.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
40.	मै. हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिसियेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा 0.405 इस्पात गलनशाला 0.216	505	03.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

रसोई गैस एजेंसिया खोला जाना

3019. श्री हरीश चौधरी:
श्री महेश्वर हजारी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के जैसलमेर तथा बाड़मेर क्षेत्रों तथा बिहार के समस्तीपुर में कितनी रसोई गैस एजेंसियां खोली गई हैं और उक्त क्षेत्रों में कितनी एजेंसियां खोले जाने का विचार है;

(ख) तत्संबंधी कंपनी-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना के लिए जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया था उनकी अभी तक स्थापना नहीं हो पाई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने राजस्थान के बाड़मेर में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और बिहार के समस्तीपुर में 3 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर चालू किए हैं। इसके अतिरिक्त, समस्तीपुर, बिहार में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर स्थापित करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी कर दिया गया है।

इसी प्रकार, ओएमसीज ने जैसलमेर क्षेत्र में 2 नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और 2 आरजीजीएलवीज, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में 4 नियमित डिस्ट्रीब्यूटर और 11 आरजीजीएलवीज और बिहार के समस्तीपुर में 2 नियमित डिस्ट्रीब्यूटर और 5 आरजीजीएलवीज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया है।

चालू किए गए और चालू करने के लिए प्रस्तावित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के कंपनी-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वयं ओएमसीज द्वारा किया जाता है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है, इसमें उपयुक्त स्थल चिन्हित करना, गोदाम/शोरूम के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना और सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करना शामिल हैं। इसलिए, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को चालू करने/खोलने के लिए कोई समयावधि बता पाना संभव नहीं है किन्तु इन्हें यथासंभव शीघ्र चालू करने/खोलने के लिए हर प्रयास किया जाता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में चालू किए गए डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या

	जैसलमेर (राजस्थान)	बाड़मेर (राजस्थान)	समस्तीपुर (बिहार)
आईओसी	शून्य	1	शून्य
बीपीसीएल	शून्य	शून्य	1
एचपीसीएल	शून्य	शून्य	2

खोले जाने के लिए प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या

	जैसलमेर (राजस्थान)	बाड़मेर (राजस्थान)	समस्तीपुर (बिहार)
आईओसी	2	2	2 नियमित डिस्ट्रीब्यूटर और 5 आरजीजीएलवीज
बीपीसीएल	शून्य	1	1 (आशय पत्र 10.6.2010 को जारी किया गया)
एचपीसीएल	2 आरजीजीएलवीज	1 नियमित डिस्ट्रीब्यूटर और 11 आरजीजीएलवीज	शून्य

अवैध लोडिंग तथा अनलोडिंग गतिविधियां

3020. श्री धर्मेन्द्र यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अवैध लोडिंग तथा अनलोडिंग गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि

के अनुसार विभिन्न सामानों की अवैध लोडिंग तथा अनलोडिंग के संबंध में रेलवे को जोन-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इन शिकायतों पर रेलवे द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। रेलवे, अवैध लदान/उतराई की गतिविधियों की अनुमति नहीं देती है और सभी प्रकार का लदान एवं उतराई रेल अधिनियम 1989 द्वारा शासित होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूरत रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाना

3021. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को क्रमश: सूरत रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मोरारजी देसाई स्टेशन तथा अहमदाबाद का नाम बदलकर सरदार वल्लभभाई पटेल एवं राजकोट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी रेलवे स्टेशन किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल राज्य में आर.ओ.बी.

3022. श्री जोस के. मणि: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने केरल राज्य में एर्नाकुलम-कायमकुलम बी.जी. खंड में कारीटास, कुमारानल्लूर तथा मूलेदाम में रेलवे उपरिपुलों के निर्माण में विलम्ब से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त रेलवे उपरिपुलों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) जी हां। आरओबी का कार्य सभी तीन स्थानों पर स्वीकृत कर दिया गया है। विवरण निम्नानुसार है:

कारीटास में आरओबी: एर्नाकुलम-कायामकुलम खंड में एट्टमानुर कोट्टायण स्टेशनों के बीच 52/10-11 किमी. पर समपार संख्या (एलसी) 30 (एट्टमानुर) के बदले कारीटास में उपरि सड़क पुल (आरओबी) के निर्माण का कार्य रेल निर्माण कार्यक्रम 2010-11 में स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार ने जनरल एरेजमेंट ड्राइंग को अंतिम रूप देने के लिए संरेखण विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। अत: कार्य में विलंब हो रहा है।

कुमारानल्लूर में आरओबी: एर्णाकुलम-कोल्लम खंड में कोट्टायम और चिंगावनम स्टेशनों के बीच 63/900-61/000 किमी. पर समपार सं. 36 के बदले कुमारानल्लूर में आरओबी का कार्य 2005-06 में स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार आरओबी के पहुंच भाग के लिए भूमि की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं रही है, अत: कार्य में विलंब हो रहा है।

मूलेदाम में आरओबी: एर्णाकुलम-तिरूवंतरपुरम खंड में एट्टमानुर-कोट्टायम स्टेशनों के बीच 51/600-700 किमी. पर समपार सं. 33 के बदले कुमारानल्लूर में आरओबी का कार्य 2005-06 में स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार आरओबी के पहुंच भाग के लिए भूमि की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं रही है। अत: कार्य में विलंब हो रहा है।

कोयम्बटूर-बेंगलुरू के बीच नई रेलगाड़ियां

3023. श्री पी.आर नटराजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कोयम्बटूर तथा बेंगलुरू के बीच नई रेलगाड़ी शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि

3024. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे यूपी सम्पर्क क्रांति 2447-48 के फेरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फेरों में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेल बजट 2010-11 में 2447/2448 हजरत निजामुद्दीन-मानिकपुर उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर इसे सप्ताह में तीन दिन के स्थान पर प्रतिदिन चलाने की घोषणा की गई है।

(ग) रेल बजट में घोषित गाड़ियों के संबंध में उसी वित्त वर्ष में कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

दिल्ली में विमान यातायात नियंत्रण टावर

3025. श्री मिलिंद देवरा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 90-95 मीटर ढांचे के डिजायन को अंतिम रूप देने के साथ ही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर शीघ्र ही देश का सर्वाधिक लंबा विमान यातायात नियंत्रण टावर बन जाएगा;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके निर्माण पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है तथा टावर कब तक चालू हो जाएगा; और

(घ) टावर की मुख्य विशेषताएं तथा लाभ क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) जी, हां। डायल और एएआई ने आईजीआई एयरपोर्ट पर एक केंद्रीयकृत स्थान पर नये एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर के विकास की योजना बनाई है। प्रस्तावित टॉवर 100 मीटर ऊंचा है ताकि एप्रन, टैक्सी-वे, रनवे और हवाईअड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र, विशेषकर एप्रोच तथा डिपार्चर एरिया पर स्पष्ट रूप से नजर रखी जा सके। प्रस्तावित लोकेशन में भावी विकास के लिए गुंजाइश पर भी विचार किया गया है। नए एटीसी टावर की अनेक विशेषताएं होंगी जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(1) 95 मीटर की ऊंचाई पर एक विजुअल कंट्रोल टॉवर जिसमें हवाईअड्डे का चारों ओर का नजारा किया जा सके। (2) एक केब आन टॉप जो एयरोड्रम के लिए खुला ले-आउट और सभी डिस्पले, मॉनीटरिंग और संचार सुविधाओं, उपस्कर संस्थापन के लिए ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोलरों को पर्याप्त स्थान मुहैया कराये और केब के ठीक नीचे स्टाफ के विश्राम की सुविधाएं। इस संरचना में दो ऐलीवेटर होंगे जिनमें से एक ग्लास एनक्लोजर सहित पेनोरमिक लिफ्ट होगी। (3) एक व्यस्त विकाशील हवाईअड्डे पर आधुनिक हवाई यातायात नियंत्रण को सपोर्ट करने और आईजीआई हवाईअड्डे पर हवाई यातायात सेवा में विलंबों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रचालनात्मक संरक्षा और कार्यकुशलताओं के और अधिक उच्चतर स्तर मुहैया कराने के लिए अत्याधुनिक उपस्कर और साफ्टवेयर। इसमें ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोल, एयरोड्रम कंट्रोल, आगमन तथा प्रस्थान नियंत्रण, एन-रूट नियंत्रण, ऑटोमेशन के जरिए विलंबों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से यातायात प्रवाह प्रबंधन, पूर्वानुमान विश्लेषण और संयुक्त निर्णयन संबंधी विशेषताओं आदि सभी पक्ष शामिल हैं। (4) इस परिसर को मौसम विज्ञान सुविधाओं, खोज और बचाव तथा विमान अपहरण-रोधी उपायों की सहायता के लिए सभी सेवाओं के साथ पूरा किया जाएगा। नयी सुविधाओं के डिजाइन में विशेष ध्यान नियंत्रकों और नेव एड्स तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर दिया जाएगा ताकि उनके कौशल में निरंतर सुधार किया जा सके। उनकी फिटनेस और मनोरंजन के लिए भी सुविधाएं नियोजित की गई हैं ताकि नियंत्रक और अन्य स्टाफ सदस्य, जो हवाई यातायात सेवाओं को नियंत्रित करते समय अत्यधिक मानसिक दबाव में काम करते हैं, की मानसिक सजगता और शारीरिक फिटनेस का उच्च स्तर रखा जा सके।

सिविल निर्माण कार्यों और उपस्कर सेवाओं समेत परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 350 करोड़ रुपये है और इसकी पूर्णता की लक्षित तिथि वर्ष 2012 के मध्य में है।

[हिन्दी]

किसानों को राजसहायता प्रदान करने के लिए स्टाम्प योजना

3026. श्री राजू शेट्टी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को उर्वरक पर राजसहायता प्रदान करने के लिए एक स्टाम्प योजना का कार्यान्वयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो राजसहायता किस आधार पर प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह राजसहायता केवल यूरिया की खरीद के लिए या अन्य उर्वरकों की खरीद पर भी दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितना आरम्भिक व्यय किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) भारत सरकार ने अभी तक किसानों को राजसहायता प्रदान करने के लिए 'स्टाम्प योजना' के नाम से किसी भी योजना की घोषणा नहीं की है। सरकार ने नियंत्रण मुक्त फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति शुरू की है। प्रथम चरण में, पीएण्डके उर्वरकों के लिए एनबीएस उर्वरक उत्पादकों/आयातकों के माध्यम से जारी की जा रही है। एनबीएस के दूसरे चरण में किसानों को खुदरा बिक्री केन्द्रों पर एनबीएस जारी किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इसको खुदरा चेन की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की संबंधित उर्वरक कंपनियों और बैंकों के साथ संबद्धता स्थापित होने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के लिए लाया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्तमान में यूरिया एनबीएस के अन्तर्गत नहीं आता है। तथापि, दूसरे चरण में यूरिया को नियंत्रण मुक्त किये जाने का प्रस्ताव है और किसानों को खुदरा बिक्री केन्द्रों पर यूरिया के लिए राजसहायता प्रदान करने के विषय पर दूसरे चरण में विचार किया जाएगा।

(ङ) किसानों को खुदरा बिक्री केन्द्रों पर एनबीएस जारी करने के लिए व्यय हेतु अभी तक आरंभिक व्यय अथवा बजट आवंटन का कोई आकलन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मुस्लिमों की आर्थिक नीति

3027. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मुस्लिम जनसंख्या की आर्थिक स्थिति के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार स्थिति क्या है तथा इसकी माप के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक नीति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री की उच्चस्तरीय समिति (सच्चर समिति) गठित की गई थी। रिपोर्ट की तैयारी के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया गया, उनमें शामिल हैं–राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 61वें दौर के आंकड़ों तथा भारतीय जनगणना और व्यापक सर्वेक्षणों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण। सच्चर समिति रिपोर्ट की परिशिष्ट सारणी 5.5, 5.6, 5.7 और 5.8 में सामाजिक-धार्मिक समुदायों के अंतर्गत कामगारों की आबादी की आर्थिक दशा संबंधी राज्य-वार स्थिति का उल्लेख है। इन सारणियों की प्रतियां विवरण I, II और III के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा विभिन्न संगठनों/अभिकरणों के माध्यम से समय-समय पर सर्वेक्षण कराया जाता है तथा ऐसे आंकड़ों, जिन्हें सच्चर समिति द्वारा प्रयोग में लाया गया है, को नियमित आधार पर एकत्र किया जाता है और विभिन्न अध्ययनों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है।

विवरण-I

व्यावसायिक वर्ग	हिन्दू					मुस्लिम	अन्य अल्पसंख्यक
	सभी	सभी हिन्दू	अ.जा./अ.ज.जा.	अ.पि. वर्ग	अनारक्षित वर्ग		
1	2	3	4	5	6	7	8
भट्टा मजदूर और अन्य निर्माण कार्य मजदूर	1.2	1.3	1.7	1.2	0.6	0.5	1.3
स्टेशनरी इंजिन और उपकरण ऑपरेटर, आयरल, डीजल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
सामग्री, कार्य और उपकरण ऑपरेटर, लोडर, अनलोडर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
ट्रांसपोर्ट उपकरण ऑपरेटर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
अवगीकृत श्रमिक	1.2	1.3	1.9	0.9	0.8	1.2	0.8
रोजगार चाहने वाले नए मजदूर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
पहचान एवं वर्णनरहित व्यवसाय वाले मजदूर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
बिना व्यवसाय वाले मजदूर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
योग	100	100	100	100	100	100	100

टिप्पणी: 1. अवर्गीकृत श्रमिक

2. ऊपर उल्लिखित 0.0 के मान का आशय यह नहीं है कि इस ग्रुप में श्रमिक नहीं हैं। यदि अनुपात 0.05 प्रतिशत से कम है तो इसे 0.00 के रूप में दर्शाया गया है।

परिशिष्ट तालिका 5.5 हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों का प्रतिशत, 2004-05

राज्य	हिन्दू					मुस्लिम			अन्य
	सभी	सभी हिन्दू	अ.जा./अ.जा.	अनारक्षित वर्ग	अनारक्षित वर्ग	सभी मुस्लिम	अ.पि.वर्ग	सामान्य	अल्पसंख्यक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अखिल भारत	64.4	65.8	71.4	67.3	57.4	54.9	53.9	55.6	64.5
आंध्र प्रदेश	72.5	73.7	79.3	75.5	64.9	59.4	55.3	60.3	69.8
असम	59.8	61.4	63.3	66.0	55.9	56.2	54.3	56.3	61.7
बिहार	54.2	55.3	63.7	54.9	41.2	47.1	48.2	45.3	44.8
दिल्ली	47.9	48.1	50.8	54.9	45.5	52.0	50.5	52.4	40.4
गुजरात	70.0	71.2	80.1	74.5	59.8	61.1	62.3	60.6	56.4
हरियाणा	62.4	62.3	64.6	63.8	60.1	68.0	72.0	52.9	61.0
हिमाचल प्रदेश	76.1	76.1	75.6	78.5	75.8	84.0	87.4	82.7	66.7
जम्मू और कश्मीर	57.0	65.7	66.9	57.7	66.6	53.2	58.0	52.2	45.0
कर्नाटक	69.9	71.7	77.8	71.8	66.3	59.4	60.4	58.3	55.1
केरल	55.0	59.1	64.1	58.1	57.0	40.4	40.4	44.0	60.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	69.8	71.0	79.9	71.0	54.0	57.7	58.8	56.8	55.4
महाराष्ट्र	68.1	69.6	72.2	71.5	66.6	56.0	59.0	55.6	66.2
उड़ीसा	64.8	64.7	75.6	60.9	50.9	51.9	48.5	52.3	73.1
पंजाब	61.9	55.4	59.0	61.4	50.7	71.3	70.0	72.8	65.5
राजस्थान	71.1	71.9	76.2	74.5	58.5	56.5	59.1	53.1	78.2
तमिलनाडु	68.6	70.3	73.4	70.4	51.3	45.2	45.1	46.4	59.6
उत्तर प्रदेश	60.6	61.6	67.9	63.1	50.1	56.5	57.8	54.5	47.6
पश्चिम बंगाल	55.9	55.7	59.6	55.2	52.7	55.8	55.6	55.8	64.8

विवरण-II

हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत लोगों का प्रतिशत, 2004-05

राज्य	हिंदू					मुस्लिम			
	सभी	सभी हिंदू	अ. जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग	सभी मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अन्य अल्पसंख्यक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संपूर्ण भारत	11.8	11.0	8.7	11.9	12.4	20.5	21.7	19.7	9.0
आंध्र प्रदेश	10.8	10.1	4.8	13.8	7.9	19.6	15.8	20.5	13.3
असम	3.6	3.8	3.8	2.7	4.6	2.9	0.7	2.9	7.9
बिहार	6.2	5.3	4.4	6.2	3.1	13.2	14.4	11.2	10.6
दिल्ली	25.1	21.9	25.9	28.5	18.3	57.9	68.1	55.5	18.7
गुजरात	16.0	16.3	10.6	14.8	24.9	13.3	9.8	15.0	11.3
हरियाणा	13.2	13.8	10.4	16.2	14.0	5.6	4.4	11.9	6.3
हिमाचल प्रदेश	5.8	5.8	7.0	4.1	5.5	6.7	5.3	7.3	6.7
जम्मू और कश्मीर	12.3	6.4	7.9	13.3	4.4	16.2	12.8	16.9	9.3
कर्नाटक	10.1	8.9	8.2	9.4	9.0	20.3	18.4	22.5	11.3
केरल	14.9	18.0	12.0	22.1	14.3	9.2	9.2	12.5	10.1
मध्य प्रदेश	7.8	6.6	5.7	7.5	6.5	28.3	37.4	20.1	7.6
महाराष्ट्र	12.1	11.1	10.5	10.1	12.4	24.8	25.4	24.7	11.6
उड़ीसा	11.3	11.4	11.6	12.0	9.1	18.0	6.0	19.3	7.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पंजाब	12.9	23.3	23.0	29.6	21.4	19.0	10.7	28.8	7.6
राजस्थान	8.9	7.8	7.6	7.4	9.6	25.3	25.9	24.5	11.9
तमिलनाडु	19.7	19.2	12.0	21.6	19.0	29.8	30.5	20.7	22.1
उत्तर प्रदेश	12.5	9.5	9.0	9.4	10.4	28.1	29.2	26.2	6.0
पश्चिम बंगाल	16.8	15.8	11.5	17.4	19.4	20.6	26.0	20.5	6.0

हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा व्यापाररत लोगों का प्रतिशत, 2004-05 (सभी कर्मी)

राज्य	हिंदू					मुस्लिम			
	सभी	सभी हिंदू	अ.जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य वर्ग	सभी मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अन्य अल्पसंख्यक
संपूर्ण भारत	9.1	8.1	4.7	7.7	13.4	16.8	18.2	15.9	9.7
पश्चिम बंगाल	11.7	12.3	7.4	16.4	15.8	10.5	19.7	10.3	6.8
केरल	12.2	8.4	2.2	9.8	11.4	27.1	27.3	13.0	11.4
उत्तर प्रदेश	9.4	7.7	4.6	7.0	15.1	16.7	16.3	17.3	44.2
बिहार	8.8	8.2	3.4	10.4	10.1	13.0	13.6	11.9	6.2
असम	10.1	9.8	8.4	5.0	15.7	11.7	30.5	11.1	3.8
जम्मू और कश्मीर	7.9	7.3	4.0	9.6	9.0	8.3	2.3	9.6	7.5
झारखंड	6.6	7.2	2.8	8.5	16.4	8.6	9.7	6.7	1.1
कर्नाटक	8.4	6.7	4.3	6.6	9.3	22.2	21.4	23.2	17.1
दिल्ली	24.2	25.1	20.2	20.8	18.6	19.3	0.3	23.7	19.4
महाराष्ट्र	9.5	8.1	6.4	6.8	10.4	23.3	14.6	24.5	10.6
आंध्र प्रदेश	8.5	7.7	4.0	7.5	12.6	20.0	11.6	21.9	6.7
गुजरात	8.9	7.3	2.7	6.4	13.8	22.7	24.2	21.9	27.5
राजस्थान	6.7	6.1	4.1	5.0	13.7	12.6	12.7	12.4	13.3
मध्य प्रदेश	7.2	5.9	3.2	5.9	13.5	20.1	19.2	21.0	36.0
हरियाणा	11.1	11.1	10.3	9.6	12.5	13.5	11.1	26.0	10.9
तमिलनाडु	9.5	8.4	5.2	9.2	14.5	37.2	36.2	50.4	14.2
उड़ीसा	7.5	7.4	3.5	9.0	15.0	33.6	52.2	31.7	2.4
हिमाचल प्रदेश	4.7	4.6	1.9	9.4	4.9	8.9	1.9	11.6	2.4
पंजाब	11.5	21.3	12.8	15.0	31.1	7.4	8.5	6.2	6.7

विवरण-III

हर राज्य में सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के द्वारा स्वरोजगाररत लोगों का प्रतिशत (सभी कर्मी)

		हिंदू				मुस्लिम			अन्य
राज्य	सभी	सभी हिंदू	अ.जाति/ जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	उच्च वर्ग	सभी मुस्लिम	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	अल्पसंख्यक
संपूर्ण भारत	44.6	42.6	33.4	46.1	44.0	57.4	62.8	53.9	41.2
पश्चिम बंगाल	45.5	44.6	43.3	48.1	44.7	52.6	57.1	52.6	38.4
केरल	38.8	34.7	27.5	36.1	35.9	50.6	50.7	38.3	40.7
उत्तर प्रदेश	58.8	52.7	47.4	60.6	45.7	71.1	73.9	67.6	73.1
बिहार	59.2	60.2	40.6	63.4	67.5	54.4	51.2	62.5	40.1
असम	42.1	41.9	39.9	42.7	42.7	43.1	52.7	42.9	39.6
जम्मू और कश्मीर	56.2	52.2	58.4	39.0	51.7	60.1	69.3	59.9	28.0
कर्नाटक	41.3	38.5	32.8	38.1	41.8	53.7	59.5	47.8	36.5
दिल्ली	33.7	33.5	24.7	33.5	38.0	39.8	45.0	38.6	25.4
महाराष्ट्र	37.4	36.5	29.3	37.0	39.3	47.9	47.8	47.9	28.4
आंध्र प्रदेश	44.1	43.1	24.2	46.7	46.7	54.5	72.1	50.8	22.5
गुजरात	41.3	38.8	14.7	39.5	46.4	53.7	52.4	54.1	66.4
राजस्थान	55.3	54.0	54.0	60.8	46.6	63.3	73.7	55.4	55.6
मध्य प्रदेश	49.1	47.0	32.8	53.9	47.4	54.6	53.9	55.4	62.0
हरियाणा	49.2	48.8	33.8	48.9	53.7	35.0	41.3	29.6	63.5
तमिलनाडु	39.2	38.1	24.4	41.2	35.1	55.9	56.2	53.3	39.4
उड़ीसा	43.9	43.8	31.1	47.8	50.1	54.7	55.5	54.6	38.0
हिमाचल प्रदेश	33.2	33.4	17.8	55.8	34.5	52.4	0.0	55.2	14.9
पंजाब	46.8	45.9	34.6	45.4	52.5	69.4	54.1	86.9	47.6

[हिन्दी]

जन जागरुकता अभियान

3028. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वस्त्र क्षेत्र के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में जन जागरुकता के सृजन के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वस्त्र क्षेत्र में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष बढ़ावा/प्रोत्साहन प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जन जातियों के लिए सरकार की विशिष्ट योजनाएं हैं। अन्य योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित सभी लोग शामिल हैं। जनता/लाभार्थियों के बीच रेशम उत्पादन कार्यकलापों की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में जन जागरुकता सृजित करने की दृष्टि से केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 'उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम' (सीडीपी) के तहत रेशम उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रचार संघटक के अंतर्गत सहायता/प्रोत्साहन देता है। इस योजना में निम्नलिखित उप-संघटक शामिल हैं:

(1) जागरुकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन करते हुए ब्रॉशर्स, पैम्फलेट्स, पुस्तिकाओं आदि का मुद्रण एवं आपूर्ति।

(2) श्रव्य-दृश्य प्रचार सामग्रियों का उत्पादन।

(3) प्रेस एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन।

(4) प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भागीदारी/आयोजन।

(5) मल्टीमीडिया अभियानों का आयोजन।

(6) प्रेस एवं मीडिया संपर्क कार्यकलाप।

हथकरघा योजनाओं के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय ने दिसम्बर, 2009 में देश में विभिन्न स्थानों पर हथकरघा एक्सपो, फैशन-शो, स्वास्थ्य कैंपों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं, जागरुकता अभियान आदि का आयोजन करके 'हथकरघा सप्ताह' मनाया था। परंपरागत हथकरघा वस्त्रों के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनारसी सिल्क, कांचीपुरम सिल्क, कलमकारी और अपा तानी बुनाईयों पर 10 दिसम्बर, 2009 को चार स्मृति डाक टिकट जारी किए गए थे।

विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय बुनकरों को, हथकरघा क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और संत कबीर पुरस्कार भी प्रदान करता है। 'हथकरघा मार्क' योजना के माध्यम से हथकरघा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हथकरघा क्षेत्र को डिजाइन इनपुट उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक वेबसाइट भी शुरू की गई है जिसमें तकनीकी विनिर्दिष्टियों के साथ डिजाइन्स स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है।

वस्त्र आयुक्त का क्षेत्रीय कार्यालय तथा वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के विद्युतकरघा सेवा केन्द्र, वस्त्र अनुसंधान संघ और राज्य सरकारों के पीएससी वस्त्रों के विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिनमें देश में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित किए गए जागरुकता कार्यक्रमों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	आयोजित किए गए जागरुकता कार्यक्रम
2007-08	410
2008-09	497
2009-10	554

पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) योजना को बढ़ावा देने के लिए पटसन में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड संभावित लाभार्थियों (जैसे कि कारीगर, स्व-सहायता समूह आदि) के बीच कार्यशालाएं आयोजित करता है। इन कार्यशालाओं में अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां भी शामिल हैं। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ग) और (घ) केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशम उद्योग के विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना नामत: उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। सीडीपी के तहत तैयार योजनाओं/संघटकों का मुख्य उद्देश्य स्टेक हॉल्डर्स की इन श्रेणियों को लाभ पहुंचाना है। उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत परिकल्पित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कवरेज कार्यक्रम/संघटक की प्रकृति पर निर्भर करते हुए 30-90% है। तथापि, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की गई योजनाओं/संघटकों पर निर्भर करेगी। यह अनुमान है कि लगभग 30% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग शहतूती रेशम उत्पादन में तथा 30-90% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग वान्य (गैर-शहतूती) रेशम उत्पादन में लगे हैं। इस उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत 11वीं योजना के दौरान केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ आबंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय	केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा जारी/व्यय की गई निधियां	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के निर्धारित निधियां
2007-08	81.01	80.82	16.57
2008-09	76.73	90.74	15.71
2009-10	146.12	144.06	29.22
2010-11	275.33	149.80*	30.00#

* जुलाई, 2010 तक #अनुमानित

केंद्रीय रेशम बोर्ड उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत जनजातियों के लाभार्थ विशेष रूप से गैर-शहतूती क्षेत्र के लिए एक नया संघटक नामत: 'जनजाति क्षेत्रों पर बल' भी कार्यान्वित कर रहा है। 11वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 1.00 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है। केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार निधियों का आबंटन/व्यय किया गया है:

वर्ष	जारी/व्यय की गई राशि (लाख रु. में)
2008-09	0.88
2009-10	11.77
2010-11	10.93

विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बुनकरों सहित संपूर्ण रूप से हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(1) एकीकृत हथकरघा विकास कार्यक्रम

(2) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना

(3) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना

(4) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

(5) मिल गेट मूल्य योजना

[अनुवाद]

जंगरहित इस्पात बनाना

3029. श्री रुद्रमाधव राय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिगरेट के 'बट' इस्पात को जंगरहित बना सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना इस संबंध में और अध्ययन/अनुसंधान करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) और (ख) अमेरिकन कैमिकल सोसाइटी के सप्ताह में दो बार छपने वाले समाचार-पत्र "इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री रिसर्च" में प्रकाशित समाचार के अनुसार चीन के वैज्ञानिक ने सिगरेट के बटो को पानी में डुबोने के पश्चात नौ रसायनों को अभिज्ञात किया है। उन्होंने इस सार तत्व को ऑयल पाइपों में प्रयुक्त होने वाले स्टील के एक प्रकार "एन 80" के ऊपर लगाया और पाया कि इससे इस स्टील पर जंग लगने से बचाव हुआ है। इस अध्ययन से पता चला है कि निकोटिन समेत ये रसायन ऐसे क्षय निरोधी प्रभाव के लिए विश्वसनीय हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। यह पहली बार हुआ है कि इस विषय पर अनुसंधान के निष्कर्ष प्रकाशित हुए हैं। ऐसी/इससे संबंधित सूचनाएं अभी तक तकनीकी साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं। ये निष्कर्ष प्रयोगशाला में प्रारंभिक अनुसंधान कार्य के नतीजे हैं और इस विषय पर आगे कार्य करने के लिए अभी इनकी उपयोगिता को सिद्ध अथवा प्रदर्शित किया जाना है।

[हिन्दी]

पट्टे पर भूमि का आबंटन

3030. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहीत भूमि में से व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों को हस्तांतरित कुल भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक लाभार्थियों को भूमि का आबंटन पट्टे पर किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और कितनी अवधि के लिए भूमि का पट्टे पर आबंटन किया गया है;

(घ) भूमि आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ङ) क्या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) कंपनी की नीति के अनुसार बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित भूमि में से व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों को कोई भूमि हस्तांतरित नहीं की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) पट्टे पर आबंटित की गई भूमि के वर्ष वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	प्लाट स्वामी	क्षेत्र (स्क्वेयर फिट)	दिनांक		पट्टा अवधि (वर्ष)
			आबंटन	करार	
2007-08			शून्य		
2008-09	पी.सी. अग्रवाल	863.39	15.07.2008	01.01.2008	33
	अमित रियलिटी	87120	07.02.2009	05.09.2009	33
	महावीर इंटरप्राइज	21780	07.02.2009	पूरा नहीं किया	33
	कमला कंस्ट्रक्शन	87120	07.02.2009	पूरा नहीं किया	33
	कैथोलिक चर्च	10890	12.02.2009	02.01.2010	33
2009-10			शून्य		
2010-11 (दिनांक तक)			शून्य		

(घ) भूमि का आबंटन मानदण्डों के अनुसार विभिन्न समय अन्तरालों में किया गया है। तथापि बोकारो इस्पात संयंत्र के आबंटन मैनुअल के खंड 4.1.1 में आवेदकों की अर्हता निम्नवत बताई गई है:

(i) आवेदक की उम्र आवेदन तिथि को 18 वर्ष की हो।

(ii) 500 वर्ग मीटर आकार तक के भूखंडों के मामले में निम्नलिखित व्यक्ति पात्र नहीं हैं:

- जिसे बीएसएल द्वारा कोई भूखण्ड अथवा कोई दुकान आबंटित की गई हों।
- जिसके पास किसी भूखण्ड का लीज होल्डर स्वामित्व हो/बीएसएल द्वारा आबंटित किसी दुकान का लाइसेंस हो।
- जिसने किसी भूखण्ड को पट्टे पर लिया हो और लीज होल्ड स्वामित्व अन्य व्यक्ति को हस्तांरित/सौंप दिया हो।
- जिसे व्यक्तिगत अथवा साझेदारी फर्म में साझेदार अथवा किसी कंपनी के स्वामी की हैसियत से कोई भूखण्ड आबंटित किया गया हो/लीज पर दिया गया हो।

(iii) ऐसा व्यक्ति अथवा उसका आश्रित जो सरकारी सेवा, अर्ध सरकारी सेवा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जो नौकरी करता है वह पात्र नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विधिक सहायता क्लिनिक

3031. श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री के.आर.जी. रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विधिक सुधार प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तर्ज पर देश में विधिक क्लिनिक की स्थापना की गई है/किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए वर्तमान मापदंड क्या हैं;

(घ) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की शुरूआत के अन्तर्गत कुल कितने मामले प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) अभी तक विधिक सहायता योजना से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित राज्य-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा), अपने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक विधिक सेवा समितियों के माध्यम से देश भर में विधिक सहायता केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रक्रिया में है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना सभी मंडल स्तर तथा पंचायत स्तर में विधिक सहायता केन्द्र की स्थापना करने का विचार कर रही है। अब नाल्सा सभी गांवों में विधिक सहायता केन्द्र को स्थापित करने की योजना बना रही है।

(ग) व्यक्तियों के प्रवर्गों को नि:शुल्क विधिक सेवा का हकदार बनाना राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में विहित है।

(घ) और (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे कैटरिंग में भ्रष्टाचार

3032. श्री प्रबोध पांडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लुधियाना रेलवे स्टेशन में 23 कैटरिंग स्टालों जिनके लाइसेंस या तो अभ्यर्पित कर दिए गए थे या रद्द कर दिए गए थे के संबंध में भ्रष्टाचार के बड़े मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या यह भी सच है कि भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम के अधिकारी कुल रेल अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उक्त घटना के आलोक में रेलवे पूरे देश के अन्य स्टेशनों पर भी जांच पड़ताल कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

वयस्क और अवयस्क की आयु को पुन: परिभाषित करना

3033. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पुरुष और महिला दोनों की वयस्क और अवयस्क संबंधी आयु को पुन: परिभाषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक होने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

झारखंड की विधान सभा

3034. श्री इन्दर सिंह नामधारी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को झारखंड राज्य सरकार से इसकी विधान सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि किए जाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा झारखंड राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में परिसीमन प्रक्रिया जब प्रगति पर थी तब कतिपय ज्ञापन, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित संबंध में विधि अधिनियमित करने के लिए थे:

(i) झारखंड विधान सभा में स्थानों की संख्या में 150 तक वृद्धि करना;

(ii) त्रिपुरा के समान ही अनुसूचित जनजाति के स्थानों की वर्तमान प्रतिशतता को बनाए रखना;

(iii) झारखंड सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या में 140-160 तक वृद्धि करना जिसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के स्थानों की संख्या में वृद्धि करके; और

(iv) त्रिपुरा पैटर्न पर अनुसूचित जनजाति का वर्तमान प्रतिशतता को बनाए रखना।

तथापि, संविधान के अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के तीसरे परन्तुक के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए किसी विधि को अधिनियमित नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

सी.बी.आई. द्वारा सेल की अनुषंगी कंपनियों पर छापे

3035. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने हाल ही में अनेक अनुषंगी कंपनियों विशेषकर बोकारो इस्पात संयंत्र में छापे मारे थे और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अनेक कर्मचारियों/अधिकारियों को गिरफ्तार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सी.बी.आई. द्वारा अभियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा संपत्तियों/वस्तुओं को जब्त किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा सेल तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के सतर्कता विभाग को प्रभावी तथा विभागीय क्रियाकलापों को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेल और इसकी अनुषंगी कंपनियों के सतर्कता विभाग के क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (ग) जी हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने जुलाई, 2010 में स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि.(सेल) के बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में छापे मारे थे और बाद में कनिष्ठ अधिकारियों के चयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में बीएसएल के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

(घ) भारत सरकार मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति कर उन्हें तैनात करती है जो कार्यकाल आधार पर सेल के सतर्कता विभाग के मुख्य होते हैं। सेल ने अपने वेबसाइट के जरिए शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सभी संयंत्रों/यूनिटों सहित सेल का सतर्कता विभाग आईएसओ प्रमाणित है तथा बाह्य प्रमाणन निकायों द्वारा उनकी नियमित निगरानी लेखापरीक्षा भी की जा रही है। सेल ने 100 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक मूल्य से अधिक की सभी प्राप्तियों/संविदाओं के लिए दिनांक 16.8.2007 से एक सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। 50 करोड़ रुपए के प्रारम्भिक मूल्य से अधिक की सभी प्राप्तियों/संविदाओं को शामिल करने के लिए प्रारम्भिक मूल्य को बाद में दिनांक 29.1.2009 से संशोधित किया गया था ताकि सत्यनिष्ठा समझौता के तहत अधिक संख्या में प्राप्तियों/संविदाओं को शामिल किया जा सके। अधिकाधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्राप्तियों को अधिकतम बनाने हेतु सेल ने प्रौद्योगिकी को व्यापक स्तर पर प्रोन्नत किया है। इलैक्ट्रोनिक प्रापण प्रणाली और रिवर्स ऑक्सन के जरिए बड़ी संख्या में प्रापण किए जा रहे हैं। इसी प्रकार अनुषंगी उत्पादों की बिक्री हेतु सेल प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर आनलाइन फारवर्ड ऑक्सन प्लेटाफार्म का इस्तेमाल कर रहा है।

(ङ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सेल के विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों के सतर्कता विभाग द्वारा शुरू किए गए मुख्य कार्य संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

1. सतर्कता जागरुकता

- विभिन्न संयंत्रों और यूनिटों में कार्यशालाएं आयोजित की गई थी जिनमें खरीद/ठेका प्रक्रियाओं, सामान्य अनियमितताओं, सीवीसी के दिशा-निर्देश, सूचना का अधिकार अधिनियम, कंडक्ट एंड डिसिप्लेन रूल्स इत्यादि के बारे में बताया गया था।
- वर्ष 2007-2010 के बीच लगभग 487 कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें 11273 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सतर्कता विभाग 'प्रेरणा' नामक एक छमाही इन-हाउस जर्नल का प्रकाशन कर रहा है। इस जर्नल में प्रकाशित वास्तविक मामलों के अध्ययनों से कर्मचारी को शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलती है।

- सेल के कर्मचारियों में सतर्कता जागरुकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरुकता सप्ताह-2008 के दौरान इंटरनेट वैब पेज "सुविधा" आरंभ किया गया है।

2. सतर्कता विभाग द्वारा किए गए आवधिक औचक निरीक्षण।

- 2007-10 के दौरान विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों में लगभग 12279 आवधिक निरीक्षण किए गए थे।

3. प्रणाली सुधार/व्यापक जांच परीक्षा

- जांच कार्य, औचक निरीक्षणों के दौरान नजर में आने वाली कमियों के मद्देनजर प्रणाली सुधार की परियोजनाएं आरंभ की गई। इसके अतिरिक्त अध्ययन और प्रणाली सुधार हेतु प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक संयंत्र और यूनिट के लिए एक बड़ी परियोजना का चयन किया जाता है।

- अधिक मूल्य वाली प्राप्ति/संविदा के संबंध में सेल के प्रत्येक संयंत्र/यूनिट से एक मामले पर विचार करते हुए कुल 12 मामलों को वार्षिक आधार पर व्यापक जांच-पड़ताल के लिए लिया गया। सीवीसी द्वारा प्रदान की गई चेक लिस्ट के अनुसार कराई जाने वाली जांच से प्रणाली में कमी, यदि कोई हो, को अभिज्ञात करने में सहायता मिलती है।

4. नीतियां एवं पद्धतियां

- विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा खरीद एवं संविदा प्रक्रिया को संशोधित किया गया है और दिनांक 22.4.2009 को नई खरीद एवं संविदा प्रक्रिया-2009 जारी की गई थी।

- सेल के अस्पतालों के लिए केन्द्रीकृत रूप से दवाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था और दिसम्बर 2007 में अध्यक्ष, सेल का अनुमोदन मिलने के पश्चात इसे लागू कर दिया गया है।

- सतर्कता संबंधी पहल ने 100 करोड़ से अधिक की सभी खरीद एवं संविदाओं के मामले में सेल में दिनांक 16.8.2007 से सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने और उसे लागू करने में एक प्रेरक का कार्य किया है। बाद में 27.1.2009 से इस प्रारंभिक सीमा को 100 करोड़ रु. से कम करके 50 करोड़ रु. कर दिया गया है।

- सेल में सतर्कता संबंधी पहल के तहत स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट (एसबीडी) को वर्तमान आवश्यकता और दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने और उन्हें संक्षिप्त बनाने के लिए इन स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट (एसबीडी) की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई थी। अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात 21.5.2009 को संशोधित स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट (एसबीडी) को लागू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

उर्वरकों/डी.ए.पी. का आयात

3036. श्री रवनीत सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में उर्वरकों/डी.ए.पी. की कमी को पूरा करने के लिए इसका आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में उर्वरकों की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) उर्वरक विभाग यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी और मिश्रित उर्वरकों की 12 ग्रेडों की बिक्री पर राजसहायता देता है। राजसहायता प्राप्त उर्वरकों और उनके स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। डीएपी वर्ष 1992 से नियंत्रणमुक्त/असरणीबद्ध है। इस प्रकार, डीएपी का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आता है। कंपनियां किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीएपी का आयात कर रही हैं। संघ सरकार राज्य स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी करती है और राज्य सरकारें राज्य के अंदर इसका वितरण करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। मौजूदा खरीफ 10 मौसम (1 अप्रैल से 10 सितम्बर तक) के लिए राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, नियोजित स्वदेशी उत्पादन और आयात के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

(आंकड़े लाख मी. टन में)

उर्वरक का नाम	अप्रैल'10 से सितम्बर'10 तक संचयी आवश्यकता	अवधि के दौरान अनुमानित उपलब्धता		
		स्वदेशी उत्पादन	आयात	कुल
यूरिया	136.64	105.72	32.00	137.72
डीएपी	68.69	21.72	48.28	70.00
एमओपी	22.98	-	32.41	32.41
एनपीके (मिश्रित उर्वरक)	48.69	44.00	5.00	49.00

वर्ष 2010-11 (अप्रैल'10 से जुलाई'10) के दौरान यूरिया, डीएपी/एनपीके और एमओपी उर्वरकों की राज्यवार संचयी आवश्यकयता, उपलब्धता और बिक्री को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। अप्रैल'10 से जुलाई'10 के दौरान डीएपी, एमओपी और एनपीके के आयात मार्गस्थ हैं। जैसा कि देखा जा सकता है उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त रही है।

इसके अलावा, किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) प्रत्येक राज्य को उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं के परामर्श से राज्य स्तर पर समग्र उपलब्धता में जिला-वार मासिक आपूर्ति योजना तैयार करना अपेक्षित होता है ताकि राज्य के सभी भागों में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके;

(ii) देश भर में उर्वरकों के संचलन की निगरानी एवं ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली (www.urvarak.co.in) द्वारा की जा रही है जिसे उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) भी कहा जाता है।

(iii) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे (i) राज्य संस्थागत एजेंसियों को उर्वरकों के उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय करने का निर्देश दें ताकि आपूर्ति को सहज बनाया जा सके; और (ii) अपने राज्य में रेल रैक बिंदुओं की समीक्षा करें और सुधारों के लिए मामलों को, यदि कोई हो, रेलवे के साथ उठाएं, जो राज्य के कोने-कोने में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हैं;

(iv) उर्वरक विभाग और कृषि एवं सहकारिता विभाग संयुक्त रूप से प्रत्येक सप्ताह विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य कृषि विभाग के साथ उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हैं। यदि आवश्यक हो तो तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि किसानों को कोई कठिनाई न हो;

(v) उर्वरक विभाग उर्वरकों की कमी का पता लगाने के लिए उर्वरकों की खपत करने वाले प्रमुख राज्यों के अधिकारियों के साथ प्रतिदिन फोन पर सम्पर्क करता है और तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है;

(vi) सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए 1-4-2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता नीति शुरू की है। एनबीएस के अंतर्गत राज्य सरकारों को राज्यों की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति का अनुबंध करने हेतु उत्पादकों/आयातकों के साथ तालमेल बनाने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होती है; और

(vii) उर्वरक विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संभव उपाय किए जाते हैं।

विवरण

खरीफ '10 (अप्रैल '10 से जुलाई '10) के दौरान उर्वरकों की संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

राज्य	यूरिया			डीएपी+एनपीके			एमओपी		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	655.00	753.12	678.33	865.00	1087.74	1042.57	125.00	111.23	89.24
कर्नाटक	405.00	468.29	460.02	897.10	954.97	923.19	166.00	142.37	127.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	55.75	52.94	50.26	107.70	103.35	96.29	60.20	64.24	59.75
तमिलनाडु	275.00	236.90	236.03	239.00	245.40	237.75	182.00	107.44	102.70
गुजरात	565.00	590.14	585.79	499.50	509.61	479.21	70.00	59.62	56.33
मध्य प्रदेश	417.60	419.58	409.14	490.40	506.52	466.89	37.10	60.14	47.17
छत्तीसगढ़	430.25	273.48	269.68	288.17	250.05	241.56	72.00	45.65	41.67
महाराष्ट्र	880.00	913.08	905.93	1312.40	1309.42	1287.03	205.00	191.73	172.17
राजस्थान	327.00	301.76	271.18	234.30	240.19	234.02	17.50	18.23	11.97
हरियाणा	585.00	565.18	550.44	217.00	313.61	296.46	21.00	26.02	21.69
पंजाब	950.00	1044.97	1036.08	350.00	313.05	298.78	36.00	38.15	24.67
हिमाचल प्रदेश	30.00	29.07	28.88	8.00	6.52	6.47	0.35	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	66.92	71.93	69.19	43.45	31.56	28.31	14.53	0.94	0.93
उत्तर प्रदेश	1810.00	1610.65	1363.52	1005.00	955.13	889.81	90.00	61.25	35.61
उत्तराखंड	92.00	90.18	84.13	35.35	45.97	39.59	4.50	1.77	1.53
बिहार	490.00	424.26	384.47	260.00	195.29	171.76	65.00	48.01	37.71
झारखंड	73.00	56.40	49.94	76.50	41.88	37.20	7.00	3.61	3.61
उड़ीसा	155.00	129.44	110.49	215.00	221.39	198.73	62.00	50.36	42.46
पश्चिम बंगाल	240.10	307.34	267.97	369.59	359.64	337.81	80.97	68.25	61.35
असम	79.20	123.23	118.04	15.16	15.23	11.96	39.60	26.37	25.45
अखिल भारत	8648.03	8480.74	7947.19	7561.45	7729.58	7341.69	1370.05	1126.60	965.26

खरीफ '10 की आवश्यकता के लिए मार्च '10 में यूरिया के रखे गए स्टॉक में 5.88 लाख मी. टन यूरिया की बिक्री शामिल है।
खरीफ '10 की आवश्यकता के लिए मार्च '10 में डीएपी+एनपीके के रखे गए 8.78 लाख मी. टन स्टॉक की बिक्री शामिल है।

[हिन्दी]

सेल में ठेका श्रमिक

3037. श्री मधु कोड़ा: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेल की बोलानी, मोघाहादूबुरू, गुवा, किरीबुरू, चिरिया परियोजनाओं में काम करने के लिए ठेका श्रमिकों को नियोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ अपनाए गए निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेल का विचार उक्त परियोजनाओं में लगे श्रमिकों को नियमित करने तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें कब तक नियमित किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (ग) जी हां, बोलानी, मोघाहादूबुरू, गुवा तथा किरीबुरू स्थित खानों में हाउस कीपिंग, टाउनशिप, अनुरक्षण, सामान्य मरम्मत, बागवानी आदि जैसे विविध कार्यों के ठेके दिए गए हैं। चिरिया में, ठेका कार्य के जरिए उत्खन्न का कार्य किया जा रहा है। सेल ने सूचित किया है कि मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। ठेकागत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन कंपनी द्वारा विधिवत प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिनिधि से भुगतान को सत्यापित कराता है।

(घ) से (च) ठेका श्रमिक को नियमित किए जाने के लिए कोई नीति/प्रावधान नहीं है। ठेकेदारों के श्रमिक संबंधित ठेकेदारों द्वारा लगाए जाते हैं। ठेका श्रमिकों को आवश्यक सुविधाएं ठेकेदारों द्वारा जहां आवश्यकता हो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

गैर-विनिर्दिष्ट दवाइयों का वितरण

3038. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जन औषधि बिक्री केन्द्रों की केंद्रीय योजना में गैर-विनिर्दिष्ट दवाइयों के वितरण के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) औषध निर्माण विभाग, भारत सरकार द्वारा लागू की गई जन औषधि जेनेरिक ड्रग स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों की सहायता से तथा ऐसे जन औषधि बिक्री केन्द्रों की प्रबंध-व्यवस्था हेतु राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि ऐसे जन औषधि बिक्री केन्द्रों से केवल गैर-ब्रांडेड जेनेरिक औषधियों की बिक्री की अपेक्षा की जाती है लेकिन उन्हें कुछ आपातकालीन दवाइयों, सर्जिकल मदों, ओटीसी तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री की भी अनुमति दी गई है ताकि रोगियों की जरूरतों की पूर्ति एक ही स्थान पर हो सके। पंजाब में स्थित तीन जन औषधि बिक्री केन्द्रों के मामले में दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

यूनियन कार्बाइड परिसर में अपशिष्ट निपटान

3039. श्री शिवराज भैया: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भोपाल में यूनियन कार्बाइड के परिसर में रखे गए अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी, नहीं। इस विभाग को भोपाल में यूनियन कार्बाइड परिसर में रखे कचरे को नष्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तथापि, भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम भारत सरकार ने उपचारण लागत वहन करने का निर्णय लिया है। 310.00 करोड़ रुपए की अनुमानित उपचारण लागत को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जमा किए गए उपचारण और कचरा निपटान कार्य संबंधी विशेष परियोजना प्रस्ताव को पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति द्वारा स्वीकृत किए जाते ही जारी कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा

3040. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री समूह की समिति ने भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजे में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मुआवजा बांटने के लिए कोई समय-सीमा भी निर्धारित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पीड़ितों की मुश्किलों को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों की जांच के लिए 26 मई, 2010 को पुनर्गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की 18.06.2010 से 21.06.2010 तक हुई बैठकों में त्रासदी से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और जिनमें विभिन्न सिफारिशें की गईं। मंत्रिमंडल ने अपनी 24. 06.2010 की बैठक में जीओएम की सिफारिशों पर विचार किया और अन्य सिफारिशों के साथ-साथ, भोपाल गैस पीड़ितों की निम्नलिखित श्रेणियों को निम्न दरों पर अनुग्रह राशि के भुगतान का अनुमोदन किया:

श्रेणी	*अनुग्रह राशि*
मृत्यु	10 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
स्थायी अपंगता	5 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
कैंसर के मामले	2 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
किडनी के पूरी तरह से फेल होने के मामले	2 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)
अस्थायी अपंगता	1 लाख रुपए (पहले प्राप्त मुआवजा राशि को घटाकर)

भोपाल गैस पीड़ित कल्याण आयुक्त द्वारा अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए भारत सरकार द्वारा 669.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।

(ग) सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भोपाल गैस पीड़ित, कल्याण आयुक्त कार्यालय, भोपाल के माध्यम से अनुग्रह राशि के संवितरण का कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए भोपाल गैस पीड़ित, कल्याण आयुक्त कार्यालय को उप-कल्याण आयुक्तों के छह पदों और अपर कल्याण आयुक्त के दो पदों सहित 72 और पदों की मंजूरी प्रदान करके सुदृढ़ किया गया है।

(घ) मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों को और अधिक राहत प्रदान करने के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान के अतिरिक्त, निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

(i) जैव प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के माध्यम से चलाए जाने के लिए सरकार द्वारा भोपाल मेमोरियल हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर (बीएमएचआरसी) के अधिग्रहण की अनुमति प्राप्त करने के लिए भारत सरकार उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। इसके पश्चात अस्पताल को सुदृढ़, स्तरोन्नयन किया जाएगा और इसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में चलाया जाएगा।

(ii) आईसीएमआर द्वारा भोपाल में एक पूर्णत: सम्यक केन्द्र स्थापित किया जाएगा जो कि इसका 31वां केन्द्र होगा और इसे सरकार के निर्णय के 90 दिनों के भीतर शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर नई नियुक्तियों, प्रतिनियुक्ति आदि के माध्यम से उपयुक्त वैज्ञानिकों एवं डॉक्टरों की पहचान करेगा और आईसीएमआर द्वार पहचान किए गए निम्नलिखित क्षेत्रों सहित एपिडेमियोलॉजी से संबंधित अध्ययनों और नैदानिक अनुसंधान के लिए नए अनुसंधान केन्द्रों में उन्हें नियुक्त करेगा।

(i) श्वास संबंधी बीमारियां

(ii) आंख संबंधी बीमारियां

(iii) कैंसर

(iv) किडनी का पूरी तरह फेल हो जाना

(v) अनुवांशिक गड़बड़ियां

(vi) जन्मगत गड़बड़ियां

(vii) महिलाओं से संबंधित चिकित्सा मामले

(viii) दूसरी पीढ़ी के बच्चों से संबंधित चिकित्सा मामले

(iii) नई कार्य योजना के आधार पर, भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास तथा उन्हें दूषित भू-जल एवं अन्य स्रोतों से जल के शुद्धिकरण के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार को दिए जाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 75:25 के अनुपात में 272.75 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की गई है। अनुमोदित राशि के 75% केन्द्रीय सरकार

के हिस्से के रूप में 204.56 करोड़ रुपए की राशि की संस्तुति के बारे में राज्य सरकार को 9 जुलाई, 2010 को अवगत करा दिया गया है।

(iv) यूसीआईएल संयंत्र स्थल, भोपाल के पर्यावरण उपचारण संबंधी अध्ययन के आधार पर नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनईईआरआई), नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी (आईआईसीटी) की पेश की गई रिपोर्ट की इस उद्देश्य के लिए नियुक्त वैज्ञानिकों द्वारा समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के उपरांत किए गए संशोधन के अनुसार इन अनुसंधान संस्थानों द्वारा सुझाई गई कार्रवाई की रूपरेखा को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाएगा। उपचारण संबंधी कार्रवाई की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक उपचारी कार्रवाई करने में सहयोग और निगरानी के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक निगरानी समिति गठित की गई है। भंडारित खतरनाक अपशिष्ट के निपटान, दूषित संरचना को ध्वस्त करने एवं दूषित जल व मिट्टी के उपचारण से संबंधित कार्य को 30.12.2012 तक पूरा कर लिया जाएगा।

निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः अधिसूचित करना

3041. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में आरक्षित विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के अनुसार इन्हें पुनः अधिसूचित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) संविधान और परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अध्यधीन, उक्त अधिनियम के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा सभी स्थानों को पुनःसमायोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत 2001 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर विभिन्न राज्यों में संसदीय और विधायी निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों को सम्मिलित किया गया है।

नए उर्वरक संयंत्र

3042. श्री ए. गणेश मूर्ति: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों से देश में नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंगलौर विमानपत्तन के रनवे का विस्तार

3043. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:
श्री नलिन कुमार कटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर विमानपत्तन के रनवे का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मंगलौर विमानपत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार टोटल एप्रोच लाइटिंग सिस्टम सुविधा सहित एप्रोच रडार संस्थापित करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मंगलौर हवाई अड्डे पर रनवे 06/24 के विस्तार के प्रस्ताव की जांच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

(ग) और (घ) प्रचालन के लिए उपलब्ध कराया गया मौजूदा एरिया राडार-मोनापल्स सेकेंडरी सर्विलेंस राडार (एमएसएसआर) अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। तथापि, एप्रोच राडार का प्रावधान, वांछित स्तर तक यातायात संवृद्धि के आधार पर है।

सामान्यतः प्रीसिशन एप्रोच प्रकाशन प्रणाली 900 मी. लंबाई की है। बहरहाल, भूमि की कमी के कारण, रनवे 24 पर 420

मी. लंबाई वाली एब्रिड एप्रोच प्रकाशन प्रणाली उपलब्ध कराई गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के मानकों के अनुसार है। दूसरे छोर पर यथा रनवे 06 पर भूमि की कमी के कारण 360 मी. लंबाई वाली सामान्य एप्रोच प्रकाशन प्रणाली उपलब्ध कराई गई है जो कि न्यूनतम आवश्यकता है। यह इसलिए क्योंकि रनवे के दोनों ओर गहरी खाई है।

इसके अतिरिक्त, मंगलौर वायु क्षेत्र में विमान संचलन की मॉनीटरिंग और नियंत्रण के लिए विमान यातायात नियंत्रकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नए एटीसी स्वचालन प्रणाली को मौजूदा एमएसएसआर मार्गस्थ रडार के साथ एकीकृत करने की भी योजना है।

रेलगाड़ियों का अव्यवहार्य ठहराव

3044. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अव्यवहार्य ठहरावों के कारण भारी घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अव्यवहार्य ठहरावों के क्या कारण हैं;

(घ) क्या घाटा कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। भारतीय रेल के लिए ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान

3045. श्री किरोड़ी लाल मीणा: क्या **कार्पोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.एम.टी. मानेसर, हरियाणा में भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय कार्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) स्थापित करने का अनुमोदन किया है। इस भवन की आधारशिला आईएमटी मानेसर में दिनांक 10.11.2008 को रखी गई।

(ग) आईआईसीए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है तथा यह दिनांक 13.05.2009 से सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पर्यावरण भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली में अस्थायी परिसर से कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

रसोई गैस कनेक्शन

3046. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना जनजातीय लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन देने के साथ-साथ उन्हें लघु डीलरशिप भी देने की है ताकि उन्हें विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनजातीय मंत्रालय से आंकड़े उपलब्ध कराने तथा ऐसे जनजातीय क्षेत्रों की भी पहचान करने का अनुरोध किया है जहां इस योजना को शुरू किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो इस पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) ग्रामीण क्षेत्र में पैठ बढ़ाने और दूरस्थ तथा साथ ही साथ कम संभावना वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रति माह 600 या उससे अधिक रीफिल बिक्री की संभावना वाले स्थलों के लिए छोटे आकार की एलपीजी वितरण एजेंसियों की स्थापना करने हेतु दिनांक 16.10.2009 को एक नई योजना नामत: राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना (आरजीजीएलवाई) शुरू की गई है। योजना के अनुसार केवल स्थल विशेष के निवासी ही उस स्थल पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के

लिए आवेदन कर सकते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विज्ञापित स्थलों के संबंध में उन क्षेत्रों के निवासी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, 25% डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार है:

अरूणाचल प्रदेश –	70%
मेघालय –	80%
नागालैंड –	80%
मिजोरम –	90%

(ख) और (ग) ओएमसीज द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में स्थलों का आकलन किया जाता है और व्यवहार्य पाए जाने पर वहां डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय से परामर्श नहीं किया गया है।

(घ) आरजीजीएलवाई के तहत एलपीजी वितरकों की स्थापना अब उस समय तक एक सतत प्रक्रिया होगी जब तक कि आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के सभी भागों को एलपीजी नेटवर्क से कवर नहीं कर लिया जाता।

[हिन्दी]

भारत-ओमान तेल शोधनशाला की स्थापना

3047. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगासौड (बीना), मध्य प्रदेश में भारत-ओमान रिफाइनरी लि. की स्थापना की मंजूरी किस तारीख को दी गई थी;

(ख) इस तेल शोधनशाला के कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ग) इस तेल शोधनशाला के शेष कार्य के पूरा होने के संभावित समय का ब्यौरा क्या है तथा तेल शोधनशाला के अपनी पूरी क्षमता से कब तक काम शुरू करने की संभावना है; और

(घ) उक्त तेल शोधनशाला में प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलना सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है या वर्तमान में विद्यमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड (बीओआरएल) के बोर्ड ने 1 जनवरी 2006 से परियोजना आरम्भ होने की तारीख के साथ, दिनांक 26.12.2005 को परियोजना कार्यान्वयन का अनुमोदन किया था।

(ख) और (ग) रिफाइनरी परियोजना की समग्र संचयी वास्तविक प्रगति 99.7 प्रतिशत है। निजी विद्युत संयंत्र को चालू करने का काम प्रगति पर है और 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान रिफाइनरी में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने की संभावना है।

(घ) बीओआरएल में भर्ती निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। देश भर में व्यापक परिचालन द्वारा स्थानीय प्रकाशनों सहित विख्यात और लोकप्रिय समाचार-पत्रों में रोजगार विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इन विज्ञापनों के लिए स्थानीय व्यक्तियों सहित सभी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे ही उद्योगों और मानवशक्ति नियोजन एजेन्सियों से भी इस विषय में संदर्भ मांगे जाते हैं। लिखित परीक्षा, व्यक्तिगत साक्षात्कार और चिकित्सा जांच में उनके निष्पादन के आधार पर सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में विख्यात इंजीनियरी कॉलेजों में कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से भी नियुक्तियों का प्रस्ताव किया जाता है। सागर, खुरई, भोपाल, उज्जैन इत्यादि में बहुशिल्प शिक्षणालयों में कैम्पस चयन द्वारा इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को भी नियुक्तियां प्रस्तावित की गई हैं।

संविदा की सामान्य शर्तों के अनुसार, बीओआरएल ठेकेदारों द्वारा निर्माण अवस्था में अकुशल श्रेणी में कार्य के लिए स्थानीय लोगों को रखना अनिवार्य था।

एसएमएस और आईवीआरएस रसोई गैस बुकिंग योजना

3048. डॉ. भोला सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस वितरकों ने गैस की बुकिंग के लिए सॉट मैसेज सर्विस और इंटरेक्टिव वायस रिस्पान्स सॉफ्टवेयर को अनिवार्य बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैस एजेंसियों ने उक्त प्रणाली के शुरू होने के बाद से सीधी बुकिंग और फोन पर बुकिंग की सुविधा समाप्त कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (च) ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने एसएमएस/आईवीआरएस के जरिए रीफिल बुकिंग की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत, रीफिल बुकिंग की पुष्टि और बुकिंग का समय और साथ ही रीफिल की आपूर्ति किए जाने की संभावित तारीख ग्राहक को बताने की सुविधा है, इससे ग्राहकों के मन में संदेह की कोई गुजाइंश नहीं रहती। बुकिंग नहीं करने के बारे में बार-बार शिकायतें मिलने और डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से अपर्याप्त उत्तर मिलने आदि के कारण यह प्रणाली शुरू की गई है।

आईवीआरएस में ग्राहक डायल करता है और टेलीफोन के जरिए रीफिल बुक करता है जिसका उत्तर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा उत्तर दिए जाने के स्थान पर मशीन द्वारा प्रत्युत्तर दिया जाता है, दिशा-निर्देश किया जाता है और उत्तर दिया जाता है। हाथ से टेलीफोन करने के जरिए सीधी बुकिंग, दिल्ली में आईओसी के 28 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों, बीपीसीएल के 45 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में बंद कर दी गई है। तथापि हस्तचालित टेलीफोन से सीधी बुकिंग करना दिल्ली और केरल में एचपीसीएल की सभी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों में और कोच्चि में आईओसी की 12 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को बंद कर दिया गया है।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एसएमएस/आईवीआरएस सेवाओं से संबंधित कोई बड़ा मुद्दा उनके सामने नहीं आया है।

[अनुवाद]

पेट्रोल मूल्यों का विनियंत्रण

3049. श्री मनीष तिवारी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल मूल्यों के विनियंत्रण के बाद मासिक आधार पर तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियां किस तंत्र द्वारा सर्वसाधारण को सजग बनाए रखती हैं;

(ख) तेल विपणन कंपनियों द्वारा खुदरा पेट्रोल मूल्य निर्धारण तंत्र को सार्वजनिक दायरे में रखने के बाद पेट्रोल के मूल्य में किसी विनिर्दिष्ट तारीख को संशोधन नहीं हो सकता;

(ग) मूल्यों में उतार-चढ़ाव से ऐसे ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों जो अपनी मांग तालिका को बनाए नहीं रख सकते की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है क्योंकि अविनिर्दिष्ट तारीख को पेट्रोल के मूल्यों में संशोधन से ग्रामीण पेट्रोल पंपों को भारी नुकसान हो सकता है; और

(घ) पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामक निकाय को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को सही ढंग से लागू किया जा सके और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता तथा उपलब्धता के संबंध में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सूचित किया है कि पेट्रोल के मूल्यों के विनियंत्रण के बाद, तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के मासिक आधार पर मूल्य निर्धारण के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भेल द्वारा नए संयंत्रों की स्थापना

3050. श्री महेश्वर हजारी: क्या **भारी उद्योग और लोक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बिहार सहित देश में नए संयंत्र स्थापित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण यादव): (क) और (ख) बीएचईएल निम्नानुसार नए विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है:

(i) 293 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पावर प्लांट के विनिर्माण के लिए तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में तिरुमयम में पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट।

(ii) 230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बीएचईएल की अन्य मुख्य यूनिटों की जरूरतों के लिए फैब्रिकेटेड कम्पोनेंट तथा एसेम्बली संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में फैब्रिकेशन प्लांट।

(ग) उपर्युक्त नए विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना मार्च, 2012 तक पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

गुजरात में पेट्रोलियम संसाधन

3051. श्रीमती दर्शना जरदोश:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री शक्ति मोहन मलिक:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री महेन्द्र कुमार राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित देश में तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा अन्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा पूरे किए गए सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में तेल और गैस का कुल कितना भंडार होने का अनुमान है;

(घ) क्या देश में अन्वेषण कार्यों में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात सहित संबंधित राज्यों के लिए लाभ का कितना हिस्सा सुनिश्चित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) 2007-08 से 2009-10 के दौरान, देश में और गुजरात राज्य में किए गए अन्वेषण कार्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	द्वि आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण (ग्राउंड लाइन किमी.)	त्रि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण (वर्ग किलोमीटर)	अन्वेषणात्मक कूपों की संख्या
अखिल भारत	179743.85	110534.97	578
गुजरात	1788.88	4963.41	159

(ग) देश में, 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार, की गई खोजों से लगभग 819.81 मिलियन मीटरी टन (एमएमटी) के तत्स्थान तेल भंडार और 1473.22 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) गैस भंडार सिद्ध हुए हैं। जबकि गुजरात में 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार, तत्स्थान तेल और गैस भंडारों का अनुमान क्रमश: 126.64 एमएमटी और 61.94 बीसीएम लगाया गया है।

(घ) और (ङ) 2001 में शुरू की गई नई अन्वेषण लाइसेंसि नीति (एनईएलपी) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों को समान कार्य क्षेत्र और समान अवसर प्रदान करती है। एनईएलपी दौरों के तहत, पेट्रोलियम अन्वेषण ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

(च) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के अनुसार, लाभ पेट्रोलियम भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जिस राज्य से कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, वह रायल्टी का पूरा हिस्सा प्राप्त करता है। विगत तीन वर्षों में देश के सभी राज्यों को सार्वजनिक तथा निजी तेल अन्वेषण कंपनियों द्वारा अदा की गई रायल्टी 10279.61 करोड़ रुपये है और गुजरात राज्य को अदा की गई यह रायल्टी 4594.40 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

आरओबी/आरयूबी का निर्माण

3052. श्री धनजंय सिंह:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:
श्री पी. कुमार:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेल ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज की राज्य-वार कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अकेले रेल प्राधिकरणों द्वारा राज्य-वार कितने चल रहे कार्य पूरे किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य-वार कितने चल रहे कार्य पूरे किए गए हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे द्वारा देश में उपरि पुलों के निर्माण के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से रेलवे को आरओबी/आरयूबी के निर्माण के संबंध में राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) उक्त चल रहे कार्यों के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (च) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डिजीटल मीटर रीडिंग मशीनें

3053. श्री संजय सिंह चौहान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में पेट्रोल पंपों पर डिजीटल मीटर रीडिंग मशीन संस्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डिजीटल मीटर रीडिंग मशीनें नहीं लगाने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) द्वारा खुदरा नेटवर्कों के आधुनिकीकरण/श्रेणी उन्नयन के एक भाग के रूप में अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों पर इलैक्ट्रानिक डिस्पले वाली वितरण इकाइयों (डीयू)/बहु उत्पाद वितरक (एमपीडीज) की स्थापना की जा रही है। इन इकाईयों की स्थापना अंकीय/इलैक्ट्रानिक डिस्पले द्वारा वाहनों को वितरित किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की मात्रा का माप करने के उद्देश्य से की जाती है। कारोबार की आवश्यकता/संभाव्यता के आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और निर्धारित प्राचलों के अनुसार इसे आगे बढ़ाया गया है। मौजूदा वितरण पम्पों का एमपीडीज के साथ प्रतिस्थापन या अतिरिक्त पम्प उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डीलरों की न होकर ओएमसीज की है। ऐसी गतिविधियों की अपेक्षाओं तथा निधि उपलब्धता की शर्त पर कार्य करना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

मुंबई में पैसेंजर गाड़ियां शुरू करना

3054. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मुंबई सीएसटी और सावंतवाडी स्टेशन के बीच दैनिक आधार पर कोई नई मेल/एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार इस क्षेत्र में चल रही सभी ट्रेनों में कोचों विशेषकर वातानुकूलित कोचों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) गणपति त्यौहार के दौरान यात्री यातायात की अतिरिक्त भीड़-भाड़ की निकासी के लिए दादर और सावंतवाडी रोड के बीच विशेष गाड़ी चलाई जाएगी।

(ग) से (ङ) गाड़ियों में वातानुकूलित सवारी डिब्बों सहित सवारी डिब्बे यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के यातायात स्वरूप और परिचालनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए जोड़े जाते हैं।

वस्त्र उत्पादन और निर्यात

3055. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री पी.के. बिजू:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष दौरान शीर्ष-वार और राज्य-वार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के वस्त्र का उत्पादन और निर्यात किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा उपयोग में लाई गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का शीर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही के समय में उक्त योजनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला तथा इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान फाइबर, यार्न और फैब्रिक्स के उत्पादन और निर्यात का मात्रा-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

		2007-08		2008-09		2009-10 (अनं)		2010-11 (अप्रैल-जून) (अनं)	
मद	यूनिट	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात	उत्पादन	निर्यात
फाइबर	मि.कि.ग्रा.	6463	1802	5996	836	6283	1241	लागू नहीं	लागू नहीं
यार्न	मि.कि.ग्रा.	5512	1222	5332	1031	5710	840	1446	लागू नहीं
फैब्रिक्स	मि.व.ग्रा.	56025	1969	54966	2561	59777	1969	15160	लागू नहीं

सिले-सिलाए परिधानों, मेड-अप्स और अन्य वस्त्र उत्पादों के निर्यातों का मूल्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मद	2007-08	2008-09	2009-10
आरएमजी	38999.00	50893.47	50756.39
मेड-अप्स	9574.42	10822.31	9340.51
अन्य वस्त्र	6002.60	6088.37	5040.72

उत्पादित और निर्यातित वस्त्रों के मूल्यों का शीर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) वस्त्र निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए निधियां राज्यवार आबंटित, जारी और उपयोग नहीं की जाती हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर वस्त्रों के निर्यातों के लिए कोई नई योजना शुरू नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान कंपनियों की बकाया राशि

3056. श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री बिभू प्रसाद तराई:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक निजी विमान कंपनियों पर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 30 जून, 2010 के अंत तक गत चार तिमाहियों के लिए विभिन्न तेल कंपनियों की निजी विमान कंपनियों पर बकाया धनराशि की सूची क्या है;

(ग) क्या निजी विमान कंपनियों द्वारा भुगतान रोके जाने के कारण तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन विमान कंपनियों से बकाया धनराशि वसूल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) दिनांक 30.6.2010 को समाप्त पिछली 4 तिमाहियों के लिए निजी एयरलाइन्स की बकाया देयताओं का एयरलाइन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) वाणिज्यिक शर्तों पर एयरलाइन्स को ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं और सभी बकाया देयताएं अतिदेय नहीं हैं।

(ग) और (घ) निजी एयरलाइन्स द्वारा भुगतान रोके जाने से ओएमसीज की हानि में वृद्धि नहीं होती है क्योंकि अतिदेय भुगतानों पर ब्याज वसूल किया जा रहा है।

(ङ) और (च) एयरलाइन्स द्वारा अपनी देयताओं का भुगतान करने में विफल करने की स्थिति में ओएमसीज उनके और एयरलाइन्स के बीच पारस्परिक सहमति से तय वाणिज्यिक शर्तों के अनुरूप देयताओं की वसूली के लिए कार्रवाई करती हैं। चूककर्ता एयरलाइन्स को "नकद दो और ले जाओ" की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है और सभी अतिदेय भुगतानों पर ब्याज की वसूली की जाती है। ओएमसीज उनके और एयरलाइन्स के बीच पारस्परिक सहमति से तय वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार जहां लागू होता है, अपनी बकाय देयताओं की वसूली के लिए बैंक गारंटी और उत्तर-तिथीय चैकों को भी भुनाती हैं। तथापि, ओएमसीज द्वारा उनके और एयरलाइन्स के बीच वाणिज्यिक करार के अनुसार अपनी बकाया देयताओं की वसूली करने में विफल रहने की स्थिति में ओएमसीज देयताओं की वसूली के लिए चूककर्ता एयरलाइन के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करके कानूनी कार्रवाई का सहारा लेती हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसी) ने किंगफिशर एयरलाइन्स को दिनांक 1 जुलाई, 2010 से "नकद दो और ले जाओ" श्रेणी में रख दिया है। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन (बीपीसी) ने भी किंगफिशर एयरलाइन्स के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में एक समापन याचिका दायर की है। बीपीसी द्वारा उसके और किंगफिशर एयरलाइन्स के बीच नवंबर, 2009 में न्यायालय के समक्ष सहमति से तय शर्तों, जिनके अनुसार सभी देयताओं का भुगतान नवंबर, 2010 तक किया जाना है, के अनुसार वसूली की जा रही है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	एयरलाइन का नाम	निम्नलिखित तारीखों की स्थिति के अनुसार बकाया															
		30 जून, 2010				31 मार्च, 2010				31 दिसम्बर, 2009				30 सितम्बर, 2009			
		आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	योग	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	योग	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	योग	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	योग
1.	जेट एयरवेज	830.4	129.74	0.01	960.15	815.8	116.79	0	932.59	825.1	172.76	0.09	997.95	758.5	149	4.34	911.84
2.	किंगफिशर	29.9	248.55	536.04	814.49	30.6	278.55	525.54	834.69	15	290.37	576.23	881.6	19.2	314.32	622.91	956.43
3.	स्पाइसजेट	74.5	0	0	74.5	88.9	0	0	88.9	71.7	0	0	71.7	71.4	0	0	71.4
4.	गो एयर	18.8	0	0	18.8	11.6	0	0	11.6	18.6	0	0	18.6	12.1	0	0	12.1
5.	इंडिगो	0.6	0	0	0.6	9.2	0	0	9.2	1.3	0	0	1.3	3.5	0	0	3.5
6.	पैरामाउंट एयरवेज	0	0	19.28	19.28	0	0	32.58	32.58	0	0	37.45	37.45	0	0	34.55	34.55
	योग	954.20	378.29	555.33	1887.82	956.10	395.34	558.12	1909.56	931.70	463.13	613.77	2008.60	864.70	463.32	661.80	1989.82

यात्री डिब्बों से सृजित आय

3057. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम श्रेणीयान, द्वितीय श्रेणीयान तथा शयनदान से सृजित अलग-अलग औसत आय सहित यात्रियों के आरक्षण से सृजित आय कितनी है;

(ख) क्या शयनयान से सृजित आय प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यानों से सृजित आय से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो उक्त तथ्य को देखते हुए रेलवे सेवा में और अधिक शयनयन को जोड़ने के लिए रेलवे क्या कदम उठा रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) 2008-09 (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान प्रतिदिन प्रति डिब्बा सृजित औसत आय है:

प्रथम श्रेणी	16,057 रुपए
द्वितीय श्रेणी	16,666 रुपए
शयनदान	11,939 रुपए

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) यात्री गाड़ियों में शयनयान सवारी डिब्बे लगाना एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यावहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन है। वर्ष 2009-10 के दौरान, विभिन्न गाड़ियों से नियमित आधार पर लगभग 114 शयनयान सवारी डिब्बे जोड़े गए थे जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन लगभग 8200 अतिरिक्त शयिकाएं उपलब्ध हो गईं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना

3058. श्री दुष्यंत सिंह:
योगी आदित्यनाथ:
श्री एम. आनंदन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत चलाई जा रही उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से देश में विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें संवितरित की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में इन संगठनों का कार्यकरण संतोषजनक रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दोषी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में ग्रामीण क्षेत्रों समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: अर्थात (i) प्रमुख घटकों अर्थात मेगा फूड पार्क, शीत शृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्रों और अवसंरचना विकास स्कीम, (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन /आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम, (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम; और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवता उन्नयन स्कीम। गत तीन वर्षों अर्थात, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) स्कीमों को कार्यान्वित करने वाले संगठनों की कार्यप्रणाली संतोषजनक पाई गई है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजना स्कीमों के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा राज्यवार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपए)

2007-08							
राज्य का नाम	अवसंरचना विकास			खा.प्र. उद्योगों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास*	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
	एमएफी/ एफपी	शीत शृंखला	बूचड़खाने				
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	0	0	0	947.49	9.68	9.50	0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	0	442.17	0	1.45	0
बिहार	0	0	0	83.915	0	0	7.00
चंडीगढ़	0	0	0	138.08	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	5.00
दिल्ली	0	0	0	0	18.87	2.62	0
गोवा	0	0	0	17.00	0	0	0
गुजरात	0	0	0	544.06	28.94	0	5.00
हरियाणा	0	0	0	418.72	4.82	12.25	5.00
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	325.09	0	20.45	0
जम्मू और कश्मीर	0	11.99	0	109.855	0	8.50	0
झारखंड	0	0	0	9.09	7.70	0	0
कर्नाटक	200.00	0	0	529.62	15.50	58.91	5.00
केरल	197.00	0	0	876.8	1.00	58.44	0
मध्य प्रदेश	100.00	0	0	172.32	0	9.83	5.00
महाराष्ट्र	100.00	0	0	1696.805	34.45	23.74	0
मणिपुर	0	0	0	61.74	0	0	0
मेघालय	0	0	0	8.19	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	27.485	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	0	14.56	0	129.41	0	6.79	4.60
पाण्डिचेरी	0	0	0	31.3	0.86	0	0
पंजाब	0	0	0	481.45	23.50	7.12	0
राजस्थान	87.99	0	0	566.075	0	0	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	1.20	10.00
तमिलनाडु	0	0	0	951.79	4.88	61.22	0
त्रिपुरा	0	0	0	39.98	0	0	0
उत्तर प्रदेश	80.77	0	0	1123.425	176.60	5.00	0
उत्तराखंड	0	0	0	339.78	0	8.88	0
पश्चिम बंगाल	362.81	0	0	653.56	11.00	9.99	5.00
कुल	1128.57	26.55	0	10725.2	337.8	305.89	51.6

* प्रोत्साहन कार्यकलापों, आईआईसीपीटी, निफ्टेम, आईजीपीबी, एनएमपीपीबी को सहायता छोड़कर

(लाख रुपए)

2008-09

राज्य का नाम	अवसंरचना विकास			खा.प्र. उद्योगों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास*	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
	एमएफी/ एफपी	शीत शृंखला	बूचड़खाने				
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	500.00	243.88	147.90	908.999	135.97	42.67	2.5
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	17.67	0	2.00	6.67
असम	446.00	0	0	176.79	0	26.11	0
बिहार	0	0	109.72	42.3	0	40.45	2.5
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	2.5
छत्तीसगढ़	0	0	0	163.725	0	4.85	2.5
दिल्ली	0	0	300.00	160.65	62.66	37.52	0

1	2	3	4	5	6	7	8
गोवा	0	0	0	24.57	0	0	0
गुजरात	0	0	0	714.81	0	15.6	7.5
हरियाणा	0	0	0	349.415	0	7.64	7.5
हिमाचल प्रदेश	0	0	114.20	152.745	135.22	6.04	7.5
जम्मू और कश्मीर	0	0	150.00	22.05	0	37.60	2.5
झारखंड	500.00	0	0	0	82.70	16.81	0
कर्नाटक	100.00	0	0	629.895	0	12.12	5.00
केरल	97.00	0	0	545.37	5.46	20.60	2.5
मध्य प्रदेश	0	0	0	201.87	4.83	55.02	7.5
महाराष्ट्र	0	0	0	1802.633	125.31	31.20	7.7
मणिपुर	40.00	0	0	45.51	0	15.00	7.5
मेघालय	0	0	0	159.57	19.92	0	5.00
मिजोरम	0	0	0	0	0	2.00	2.5
नागालैंड	0	0	143.75	178.205	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	38.68	0	11.00	5.00
पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	0.5	0
पंजाब	0	0	0	841.36	4.00	5.75	2.5
राजस्थान	0	183.00	0	551.975	0	60.00	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	1.02	2.5
तमिलनाडु	0	151.436	0	594.355	8.47	16.54	7.00
त्रिपुरा	0	0	0	13.86	0	3.8	2.5
उत्तर प्रदेश	100.00	0	0	875.475	115.10	44.32	0
उत्तराखंड	500.00	245.263		163.15	6.60	3.90	0
पश्चिम बंगाल	0	0	128.73	390.135	37.78	55.91	7.5
कुल	2283.00	823.579	1094.30	9765.767	744.02	575.97	106.37

* प्रोत्साहन कार्यकलापों, आईआईसीपीटी, निफ्टेम, आईजीपीबी, एनएमपीपीबी को सहायता छोड़कर

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	2009-10						
	अवसंरचना विकास			खा.प्र. उद्योगों का तकनीकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास*	मानव संसाधन विकास	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
	एमएफी/ एफपी	शीत शृंखला	बूचड़खाने				
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	1000.00	488.99	677.05	677.05	146.03	87.00	0
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	376.14	0	1.00	2.50
असम	54.00	0	0	418.74	120.42	18.00	0
बिहार	0	250.00	0	35.59	0	11.70	0
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	45.46	0	32.39	0
दिल्ली	0	0	0	50	130.28	34.00	0
गोवा	0	0	0	24.26	0	3.00	0
गुजरात	0	539.00	0	665.18	26.00	0	0
हरियाणा	0	739.00	0	134.96	50.00	30.10	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	269.58	0	7.25	10.00
जम्मू और कश्मीर	0	0	141.00	59.73	0	66.00	10.00
झारखंड	0	0	79.00	44.09	46.25	4.85	0
कर्नाटक	0	250.00	0	269.55	10.00	40.60	5.00
केरल	0	0	0	567.53	137.52	31.15	5.00
मध्य प्रदेश	0	0	0	273.03	0	5.89	0
महाराष्ट्र	0	750.00	85.102	1717.3	273.72	117.41	0
मणिपुर	0	0	0	163.75	0	10.00	0
मेघालय	0	0	150.00	123.02	0	3.00	5.00
मिजोरम	0	0	0	11	0	0	7.50
नागालैंड	0	0	431.25	64.99	0	6.00	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	0	0	0	84.4	0	74.88	2.50
पाण्डिचेरी	0	0	0	0	0	13.00	0
पंजाब	0	0	0	172.37	23.23	19.00	0
राजस्थान	0	366.00	0	325.46	0	5.00	0
सिक्किम	0	0	0	0	0	4.42	0
तमिलनाडु	0	302.00	0	672.11	208.47	69.20	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	6.00	10.00
उत्तर प्रदेश	0	0	0	560.63	66.5	117.81	0
उत्तराखंड	0	492.00	0	307.57	0	19.70	0
पश्चिम बंगाल	500.00	174.00	0	136.48	161.00	97.84	0
कुल	1554.40	4350.99	886.35	8249.97	1399.42	936.19	62.5

* प्रोत्साहन कार्यकलापों, आईआईसीपीटी, निफ्टेम, आईजीपीबी, एनएमपीपीबी को सहायता छोड़कर

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 15 सूत्री कार्यक्रम

3059. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रमों का सख्ती से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में ऐसे स्थानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जून, 2006 में घोषित प्रधानमंत्री में नए 15 सूत्री कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विद्यमान योजनाएं शामिल हैं, जिनके अपने-अपने कार्यान्वयन तंत्र और दिशानिर्देश हैं। कार्यक्रम के तहत यह प्रावधान है कि इसमें शामिल विभिन्न योजनाओं के लिए लक्ष्यों एवं परिव्ययों का 15 प्रतिशत जहां कहीं भी संभव हो, अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए। इसलिए प्रतिवर्ष अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विकास परियोजनाओं का एक निश्चित अनुपात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। यह कार्यक्रम देश भर में समान रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कार्यक्रम में शामिल की गई योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्ष 2009-10 की राज्य-वार उल्लेखनीय प्रगति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

इन क्षेत्रों से कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं हो पाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र, राज्य और जिला स्तर पर गहन निगरानी तंत्र है तथा केन्द्र स्तर पर इसकी अर्धवार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य और जिला स्तरीय समितियों में अब सांसदों और विधायकों को भी शामिल किया गया है।

विवरण

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
सर्व शिक्षा अभियान
अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्मित होने वाले 7 घटकों की संख्या (वर्ष 2009-10)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	निर्मित प्राइमरी स्कूलों की सं.		निर्मित उच्च प्राइमरी स्कूलों की सं.		निर्मित अतिरिक्त कक्षाओं की सं.		खोले जाने वाले नए प्राइमरी स्कूलों की सं.		खोले जाने वाले नए उच्च प्राइमरी स्कूलों की सं.		स्वीकृत शिक्षकों की सं.		स्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की सं.	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0		
2.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	100	74	0	0	0	0	0	0	1	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	56	56	6	0	240	240	56	56	6	6	130	130		
4.	असम	984	984	0	0	2156	2156	984	984	0	0	0	0		
5.	बिहार	1417	1217	0	0	1897	1897	0	0	708	708	2124	2000	12	11
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
11.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	हरियाणा	0	0	0	0	862	862	0	0	0	0	0	0		
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	झारखंड	0	0	362	265	1840	1840	0	0	15	15	45	45	11	11
16.	कर्नाटक	0	0	0	0	288	288	77	77	0	0	303	303		
17.	केरल	0	0	0	0	228	288	0	0	0	0	0	0		
18.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	310	310	0	0	2	2	15	8		
19.	महाराष्ट्र	320	320	0	0	758	659	239	239	0	0	483	483		
20.	मणिपुर	0	0	0	0	173	92	0	0	0	0	0	0		
21.	उड़ीसा	75	75	22	22	18	18	0	0	22	22	346	300		
22.	पुडुचेरी	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23.	राजस्थान	0	0	0	0	85	85	75	40	0	0	0	0		
24.	सिक्किम	4	0	0	0	75	75	4	4	0	0	8	0		
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
26.	त्रिपुरा	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.	उत्तर प्रदेश	291	287	363	386	1939	1939	301	301	364	364	1516	1516		
28.	उत्तराखंड	6	6	34	22	328	150	34	30	34	25	114	114		
29.	पश्चिम बंगाल	234	234	430	388	9363	9363	234	112	430	345	2691	2282	3	3
30.	जम्मू और कश्मीर	8	8	126	126	0	0	0	0	11	11	33	33		
31.	मेघालय	62	42	0	0	381	177	62	62	127	127	505	483		
32.	मिजोरम	8	8	5	5	115	135	0	0	0	0	115	45		
33.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	योग	3465	3237	1348	1220	21168	20588	2066	1905	1719	1625	8429	7765	28	27

ग्रामीण विकास मंत्रालय

इंदिरा आवास योजना और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत वर्ष 2009-10 की वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि

		इंदिरा आवास योजना (वास्तविक)			इंदिरा आवास योजना–वित्तीय (लाख रु. में)			एसजीएसवाई (वास्तविक)		
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य	उपलब्धि iii के संदर्भ में	इंदिरा आवास योजना के लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए लक्ष्य	उपलब्धि vi के संदर्भ में	सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों के लिए लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि ix के संदर्भ म
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2750	413	0	962.66	144.4	0.00	170	25	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	371982	55797	49822	130193.64	19529.05	14199.48	989391	14759	8947
3.	अरुणाचल प्रदेश	10873	1631	0	4195.73	629.36	0.00	4277	642	0
4.	असम	240446	36067	39932	92778.35	13916.75	12910.72	111087	16663	34297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. बिहार	1098001	164700	155573	384300.66	57645.1	45662.93	234063	35109	16839
6. चंडीगढ़									
7. छत्तीसगढ़	57520	8628	2192	20132.11	3019.82	548.43	51982	7797	741
8. दादरा एवं नगर हवेली	458	69	0	160.4	24.06	0.00	170	25	0
9. दमन और दीव	205	31	0	71.75	10.76	0.00	170	25	0
10. दिल्ली									
11. गोवा	2291	344	112	801.88	120.28	17.79	1426	215	17
12. गुजरात	182429	27364	11533	63850.07	9577.51	3095.17	37.36	5555	3262
13. हरियाणा	25611	3842	4137	8964.07	1344.61	935.38	21792	3269	2269
14. हिमाचल प्रदेश	8212	1232	314	3161.63	474.24	101.86	9171	1376	251
15. झारखंड	97926	14689	16211	34274.25	5141.14	3247.51	88258	13239	6740
16. कर्नाटक	143311	21497	29413	50158.92	7523.84	3480.86	74295	11144	8664
17. केरल	79695	11954	9755	27893.27	4183.99	2820.45	33342	5001	6104
18. मध्य प्रदेश	14396	17159	8485	40038.76	6005.81	2130.02	111385	16708	9845
19. महाराष्ट्र	224323	33648	24684	78513.1	11776.97	7360.25	146869	22030	11581
20. मणिपुर	9439	1416	154	3642.11	546.32	53.53	7449	1117	0
21. उड़ीसा	215715	32357	14729	75500.32	11325.05	2308.68	112544	16882	3453
22. पुडुचेरी	1370	206	0	479.48	71.92	0	1695	254	48
23. राजस्थान	91670	13751	11223	32084.51	4812.68	2599.44	56421	8463	3367
24. सिक्किम	2080	312	578	802.79	120.42	267.87	2135	320	450
25. तमिलनाडु	148929	22339	25901	52125.6	7818.76	7766.8	87004	13051	12828
26. त्रिपुरा	21182	3177	2400	8173.04	1225.96	487.63	13448	2017	674
27. उत्तर प्रदेश	493156	73973	55745	172604.37	25890.66	17089.69	336975	50546	32020
28. उत्तराखंड	22476	3371	3457	8653.16	1297.97	948.9	17738	2661	907
29. पश्चिम बंगाल	297564	44635	75759	104147.37	15622.11	17673.13	125070	18761	11622
30. जम्मू और कश्मीर	25508	3826	245	9820.76	1473.11	18.63	11360	1704	161
31. मेघालय	16440	2466	65	6343.27	951.49	25.03	8344	1252	90
32. मिजोरम	3504	526	0	1351.82	202.77	0.00	1932	290	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33. नागालैंड	10878	1632	0	4197.54	629.63	0.00	5721	858	105
34. पंजाब	31674	4751	994	11085.98	1662.9	219	10594	1589	1807
35. लक्षद्वीप	229	34	0	80.02	12.00	0.00	170	25	0
योग	4052243	607837	543413	1431543.39	214731.44	145969.18	1822484	273372	177165

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवा विभाग

वर्ष 2009-10 में अल्पसंख्यकों को राज्य-वार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	राष्ट्रीय लक्ष्य	अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	345.74	55.76	103.61
2.	आन्ध्र प्रदेश	88764.54	11115	9149.47
3.	अरुणाचल प्रदेश	322.46	70.64	140.25
4.	असम	844.23	1329.01	1924.55
5.	बिहार	14436.45	1790.25	1426.53
6.	चंडीगढ़	9881.29	1213.98	1277.25
7.	छत्तीसगढ़	9328.69	1144.61	584.39
8.	दादरा एवं नगर हवेली	134.12	18.87	4.85
9.	दमन और दीव	125.67	19.99	9.75
10.	दिल्ली	513.42.47	5981.87	3165.29
11.	गोवा	3344.78	1033.39	782.12
12.	गुजरात	41786.74	5341.21	1860.81
13.	हरियाणा	31025.57	4160.16	3760.11
14.	हिमाचल प्रदेश	7075.89	753.96	926.75
15.	झारखंड	8957.26	1300.16	1177.13
16.	कर्नाटक	70259.93	9959.62	7031.87
17.	केरल	31828.52	11298.34	15106.13
18.	मध्य प्रदेश	38825.87	4968.33	3160.71

1	2	3	4	5
19.	महाराष्ट्र	131186.92	17139.84	7655.43
20.	मणिपुर	601.79	90.75	216.72
21.	उड़ीसा	18683.4	2083.81	1695.11
22.	पुडुचेरी	1228.08	184.67	184.78
23.	राजस्थान	34863.55	4630.00	2699.72
24.	सिक्किम	755.46	173.73	311.17
25.	तमिलनाडु	94197.82	11892.93	10276.65
26.	त्रिपुरा	816.43	104.83	271.8
27.	उत्तर प्रदेश	67141.25	10262	9850.54
28.	उत्तराखंड	8790.66	1339.52	1181.23
29.	पश्चिम बंगाल	44140.76	6387.26	5687.76
30.	जम्मू और कश्मीर	3202.15	546.05	580.93
31.	मेघालय	761.57	243.01	654.14
32.	मिजोरम	602.67	151.31	664.82
33.	नागालैंड	506.99	133.07	433.63
34.	पंजाब	37692.44	13520.20	16660.57
35.	लक्षद्वीप	35.00	23.35	42.55
	योग	861397.16	130462.43	111658.52

आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय

अल्पसंख्यकों के लिए वर्ष 2009-10 हेतु स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उपयोग में लायी गई कुल केन्द्रीय धनराशि (लाख रु. में)		लघु उद्यम (यूएसईपी)		कौशल प्रशिक्षण (एसटीईपी-यूपी)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आन्ध्र प्रदेश	259.92	316.59	336	1176	2688	3167
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.14	0.00	0	0	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	असम	8.80		11	0	91	0
5.	बिहार	120.22	0.00	155	0	1243	0
6.	चंडीगढ़						
7.	छत्तीसगढ़	26.20	40.97	34	92	271	50
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00		0	0		
9.	दमन और दीव	0.04		0	0	0	0
10.	दिल्ली	45.69	0.00	59	0	472	42
11.	गोवा	3.46		4		36	
12.	गुजरात	98.57	56.85	127	1867	1019	3552
13.	हरियाणा	3.34	28.62	4	96	35	202
14.	हिमाचल प्रदेश	0.47		1	0	5	22
15.	झारखंड	74.95		97		775	
16.	कर्नाटक	242.11	279.26	313	430	2503	2512
17.	केरल	115.11	163.26	149	104	1190	422
18.	मध्य प्रदेश	182.68	244.73	236	1997	1889	5450
19.	महाराष्ट्र	516.45	231.49	669	374	5341	1387
20.	मणिपुर	0.00	0.00	0	4	0	0
21.	उड़ीसा	42.83	19.58	55	187	443	379
22.	पुडुचेरी	3.31	2.54	4	23	33	10
23.	राजस्थान	99.46		129	1113	1028	545
24.	सिक्किम	0.00		0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	179.20	31.92	232	852	1853	150
26.	त्रिपुरा	0.06	0.00	0	71	1	15
27.	उत्तर प्रदेश	729.86		943	210	7547	1353
28.	उत्तराखंड			34		276	
29.	पश्चिम बंगाल	118.37	197.75	153	686	1224	1962
30.	जम्मू और कश्मीर	0.12		0		1	
31.	मेघालय	0.00	0.00	0	4	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	मिजोरम	0.00	0.00	0	0	0	0
33.	नागालैंड	0.00	0.00	0	0	0	0
34.	पंजाब	2.85	0.06	4	0	29	0
35.	लक्षद्वीप						
	योग	2901.38	1692.86	3750	9468	30000	21971

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

वर्ष 2009-10 में समेकित बाल विकास सेवा के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र के संचालन का लक्ष्य	अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में उपलब्धि (संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र/मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों की सं.)
1	2	3	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3	2
2.	आन्ध्र प्रदेश	185	
3.	अरुणाचल प्रदेश	661	661
4.	असम	7232	7602
5.	बिहार	0	
6.	चंडीगढ़		
7.	छत्तीसगढ़	345	
8.	दादरा एवं नगर हवेली		
9.	दमन और दीव		
10.	दिल्ली	0	
11.	गोवा	44	39
12.	गुजरात	102	23
13.	हरियाणा	1081	0
14.	हिमाचल प्रदेश	2	
15.	झारखंड	1151	1151
16.	कर्नाटक	181	181
17.	केरल	880	0
18.	मध्य प्रदेश		
19.	महाराष्ट्र	862	
20.	मणिपुर	2074	
21.	उड़ीसा	1539	830
22.	पुडुचेरी	0	
23.	राजस्थान	612	0
24.	सिक्किम	103	94
25.	तमिलनाडु	62	62
26.	त्रिपुरा	653	
27.	उत्तर प्रदेश	66	
28.	उत्तराखंड	1844	
29.	पश्चिम बंगाल	8319	6690
30.	जम्मू और कश्मीर	1767	
31.	लक्षद्वीप	20	17
32.	मेघालय	466	477
33.	मिजोरम	176	177
34.	नागालैंड	207	207
35.	पंजाब	5335	5499
	योग	35972	23712

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वीटीआईपी के अंतर्गत आईटीआई को उत्कृष्टता केन्द्र में उन्नत किया जाना

वर्ष 2009-10 में अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 60 आईटीआई की दिनांक 31.3.2010 तक के लक्ष्य/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य (i)	वर्ष के लिए लक्ष्य (ii)	उपलब्धि (iii)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.4124	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	0.13	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4.	असम	1.705	2.08
5.	बिहार	1.8721	0
6.	चंडीगढ़	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0
8.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0
9.	दमन और दीव	0	0
10.	दिल्ली	0.19	0
11.	गोवा	1.59	0
12.	गुजरात	0	0
13.	हरियाणा	0.16	0.34
14.	हिमाचल प्रदेश	0.5	0.81
15.	झारखंड	1.3576	0
16.	कर्नाटक	2.197	4.6303
17.	केरल	2.6593	2.736
18.	मध्य प्रदेश	0.14	0.0784
19.	महाराष्ट्र	8.2767	7.734
20.	मणिपुर	0	0
21.	उड़ीसा	0	0
22.	पुडुचेरी	0	0
23.	राजस्थान	0.06	0
24.	सिक्किम	0.01575	0.412
25.	तमिलनाडु	0	0
26.	त्रिपुरा	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	0.426	2.33
28.	उत्तराखंड	0.5495	0
29.	पश्चिम बंगाल	2.1952	0.7049
30.	जम्मू और कश्मीर	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	मेघालय	0.54	0.33
33.	मिजोरम	0	0
34.	नागालैंड	0	0
35.	पंजाब	0	0
	योग	25.97655	22.1856

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं

3060. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे प्लेटफार्मों पर उचित चिह्नांकन, बैठने की सुविधा और संचार तंत्र आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के मद्देनजर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों का सर्वेक्षण कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) बड़े स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था का सर्वेक्षण/निगरानी और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करने और इनमें पाई गई कमियों/खामियों को दूर करने के लिए निवारक कार्रवाई करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सुधार दलों का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

गरीब किसानों को डीजल पर राजसहायता

3061. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई प्रयोजनों के लिए गरीब किसानों को राजसहायता प्राप्त डीजल की निर्धारित मात्रा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्तमान में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों पर उपकरण संस्थापित करना

3062. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में प्रमुख विमानपत्तनों पर यात्रियों और सामान की हैंडलिंग के लिए अत्याधुनिक उपकरण संस्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीनतम प्रौद्योगिकी की संस्थापना के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इन्हें कब तक संस्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

चरण-I भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2008-10 के दौरान 16 हवाईअड्डों पर पैसेंजर बोर्डिंग (पीबीबी), एस्केलेटर, एलीवेटर, और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम (बीएचएस) मुहैया कराने के लिए कार्रवाई की है।

चरण-II भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2010-11 के दौरान 13 हवाईअड्डों पर पैसेंजर बोर्डिंग (पीबीबी), एस्केलेटर, एलीवेटर और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम (बीएचएस) मुहैया कराने के लिए निविदा कार्रवाई की है।

(ख) चरण-I जहां पर पैसेंजर बोर्डिंग (पीबीबी), एस्केलेटर, एलीवेटर, और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम (बीएचएस) मुहैया कराये जा रहे हैं/कार्य प्रगति पर है, उन स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

चरण-II जहां पर पैसेंजर बोर्डिंग (पीबीबी) के लिए निविदा कार्यवाही प्रगति पर है और एस्केलेटर, एलीवेटर, और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम (बीएचएस) लगाये गये/संस्थापन अवस्था में हैं, उन स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) चरण-I अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले उत्कृष्ट उपस्करों पर व्यय की जा रही धनराशि निम्नानुसार है:

1. पीबीबी, एस्केलेटर, एलीवेटर और बीएचएस के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये

चरण-II चरण दो में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की संस्थापना पर व्यय की जा रही धनराशि निम्नानुसार है:

1. पीबीबी, एस्केलेटर, एलीवेटर और बीएचएस के लिए लगभग 380 करोड़ रुपये

(घ) चरण-I अधिकांश हवाईअड्डों पर पीबीबी संस्थापित/चालू किए जा चुके हैं, तथापि, कुछ हवाईअड्डों पर पीबीबी की संस्थापना/चालू किए जाने का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य सितंबर, 2010 तक पूरा होने की संभावना है।

चरण-II कोलकाता और अन्य हवाईअड्डों पर पीबीबी और बैगेज हैंडलिंग सिस्टम (आगमन तथा प्रस्थान) के लिए वैश्विक निविदा कार्रवाई प्रगति पर है, जैसा कि चरण-II की सूची में उल्लिखित है, यह कार्य 2011/2012 तक पूरा होने की संभावना है।

विवरण-I

चरण-II स्टेशनों की सूची जहां यात्री बोर्डिंग ब्रिज, एस्कलेटर, एलीवेटर तथा सामान व्यवस्था प्रणाली उपलब्ध कराई जा रही है/जहां कार्य प्रगति पर है

क्र. सं.	स्टेशन	पीबीबी	एस्कलेटर	एलीवेटर	माल व्यवस्था प्रणाली (कनवेयर)		ट्रवलेटर
					आगमन कैरोलसल	प्रस्थान	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम						
	(i) गुवाहाटी	2	2	2	2	2	शून्य
	(ii) डिब्रूगढ़	2	2	4	2	1	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश						
	(i) विजाग	2	2	4	2	1	शून्य
3.	गुजरात						
	(i) अहमदाबाद	6	15	19	10	5	शून्य
4.	जम्मू और कश्मीर						
	(i) श्रीनगर	4	4	4	4	1	शून्य
5.	कर्नाटक						
	(i) मंगलौर	2	4	6	3	1	शून्य
6.	केरल						
	(i) कालीकट	3	4	6	5	2	शून्य
	(ii) त्रिवेन्द्रम	3	4	5	3	3	शून्य
7.	महाराष्ट्र						
	(i) औरंगाबाद	2	4	6	4	1	शून्य
	(ii) नागपुर	2	2	3	4	2	शून्य
8.	पंजाब						
	(i) अमृतसर	2	3	6	4	2	शून्य
9.	राजस्थान						
	(i) जयपुर	2	5	3	2	1	शून्य
	(ii) उदयपुर	2	2	3	2	1	शून्य
10.	तमिलनाडु						
	(i) त्रिची	2	3	5	2	1	शून्य
11.	उत्तर प्रदेश						
	(i) वाराणसी	2	5	4	2	1	शून्य

विवरण-II

चरण-II स्टेशनों की सूची जहां यात्री बोर्डिंग ब्रिज, ब्रिजों के लिए निविदा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है तथा एस्कलेटर, एलीवेटर तथा समान व्यवस्था प्रणाली स्थापित की गई है/स्थापित की जा रही है

क्र. सं.	स्टेशन	पीबीबी	एस्कलेटर	एलीवेटर	माल व्यवस्था प्रणाली (कनवेयर)		ट्रवलेटर
					आगमन कैरोलसल	प्रस्थान	
1.	बिहार						
	(i) गया	2	2	2	2	1	शून्य
2.	छत्तीसगढ़						
	(i) रायपुर	2	4	5	2	1	शून्य
3.	गुजरात						
	(i) सूरत	2	2	2	2	1	शून्य
4.	झारखंड						
	(i) रांची	2	6	6	3	1	शून्य
5.	मध्य प्रदेश						
	(i) भोपाल	2	4	6	3	1	शून्य
	(ii) इंदौर	2	4	7	3	1	शून्य
	(iii) खजुराहो						
6.	उड़ीसा						
	(i) भुवनेश्वर	2	2	4	3	1	शून्य
7.	तमिलनाडु						
	(i) चेन्नईः तमिलनाडु	13	12	41	8	8	24
	(ii) मदुरैः तमिलनाडु	2	3	4	2	1	शून्य
8.	उत्तर प्रदेश						
	(i) लखनऊ	2	3	3	3	1	शून्य
9.	संघ शासित प्रदेश						
	(i) चंडीगढ़	2	4	4	2	1	शून्य
10.	पश्चिम बंगाल						
	(i) कोलकाता	18	20	24	16	7	16

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि दर

3063. श्री पी.सी. थॉमस: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य उद्योगों की वृद्धि दर क्या रही है;

(ख) क्या सरकार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहकारी सोसाइटियों की भागीदारी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) चालू वर्ष 2009-10 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की वृद्धि दर के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 10वीं योजना अवधि (2006-07 तक) के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर चालू मूल्यों पर 14.06% तथा 1999-2000 के मूल्यों पर 7.20% थी।

(ख) और (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में ग्रामीण क्षेत्रों समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: अर्थात (i) प्रमुख घटकों अर्थात मेगा फूड पार्क, शीत शृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्रों समेत अवसंरचना विकास स्कीम (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास स्कीम (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम; और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम। सभी घटकों को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण में लगी सभी कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी सोसाइटियां और निजी क्षेत्र की इकाइयां तथा अलग-अलग व्यक्ति शामिल हैं। जहां तक मंत्रालय की स्कीमों में सहकारी सोसाइटियों की भागीदारी का संबंध है अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रोजगार के अवसर

3064. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई खान-पान नीति के लागू होने के फलस्वरूप रेलवे में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) नई खानपान नीति के अनुसार, रेलवे फूड प्लाजा, फूड कोर्ट और फास्ट फूड यूनिटों जैसी प्रीमियत आउटलेट को छोड़कर भारतीय रेल की खानपान गतिविधियों के प्रबंधन और पर्यवेक्षण का कार्य अपने हाथ में लेना चाहती है। इन कार्यों को निष्पदित करने के लिए रेलें इस समय तौर तरीकों को अंतिम रूप देने की कार्रवाई कर रही हैं।

ब्रेक प्रणाली के साथ छेड़छाड़

3065. श्री रामकिशुन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नीलाम्बुर-शोरानुर यात्री रेलगाड़ी की ब्रेक प्रणाली के साथ छेड़छाड़ की घटना और एर्नाकुलम तथा तिरुवनंतपुरम के बीच चलने वाली वांछिनाड़ एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे से विस्फोटकों के बरामद होने की घटना के संबंध में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रेलवे ने क्या निवारात्मक कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 08.07.2010 को 654 पैसेंजर गाड़ी (नीलाम्बुर से शोरानुर तक) के ब्रेक और फीड पाईप हौज को काटकर ब्रेक प्रणाली के साथ छेड़ छाड़ करने की एक घटना दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल के नीलाम्बर रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट की गई है। राजकीय रेलवे पुलिस/शोरानुर द्वारा रेल अधिनियम की धारा 151 के अंतर्गत अपराध सं 38/10 के तहत इस मामले को दर्ज किया गया जिसे बाद में राज्य अपराध शाखा/पालघाट, केरल के संगठित अपराध विंग को हस्तांतरित कर दिया गया था जहां रेल अधिनियम 1989 की धारा 151 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रापर्टी अधिनियम 1984 की धारा 3(2)(ई) के अंतर्गत अपराध सं. ओसीडब्ल्यू/पीकेडी/440/सीआर/2010 पर इस मामले को दर्ज कर लिया गया है।

08.07.2010 को दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम मंडल के मवेलिकारा रेलवे स्टेशन पर गाड़ी सं. 6303 एर्णाकुलम-तिरुवनंतपुरम वांचिनाड एक्सप्रेस के जनरल बोगी से विस्फोटक सामग्री से भरा

हुआ एक प्लास्टिक का थैला बरामद होने की घटना रिपोर्ट की गई है। राजकीय रेलवे पुलिस/कोट्टायम द्वारा भारतीय दंड सहिता की धारा 336, विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धारा 5 और रेलवे अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत अपराध सं. 23/10 पर एक मामला दर्ज कर लिया गया है। ''पुलिस की व्यवस्था' राज्य सरकार का विषय होने के नाते मामले दर्ज करना, उनकी जांच करना और चलती गाड़ियों के साथ-साथ रेलवे परिसरों में कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी हैं। रेलों पर कानून व्यवस्था से संबंधित सभी प्रकार के विषयों से निपटने के लिए राज्य पुलिस के पास एक अलग विंग होती है जिसे राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के नाम से जाना जाता है।

महानिदेशक, केरल पुलिस द्वारा त्रिवेन्द्रम में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी जिसमें त्रिवेन्द्रम और पालघाट मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक और मंडल सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल ने भाग लिया था। केरल राज्य में रेलवे में मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी और यात्रियों की सुरक्षा, विशेषकर गाड़ियों में तोड़-फोड़ के संबंध में, को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

सोरो में सड़क उपरिपुल

3066. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के सोरो में 264/33-35 कि. मी. पर समपार पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है और उक्त प्रस्ताव के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी नहीं। उड़ीसा राज्य सरकार ने सोरो में 264/33-35 कि.मी. पर समपार पर मात्र ऊपरि पुल के निर्माण की सहमति दी है। लेकिन उन्होंने समपार फाटक को बंद करने की सहमति आदि जैसी मानक शर्तों के साथ संपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस संबंध में विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के अंतर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन

3067. श्री आर.के. सिंह पटेल:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त संगठनों को आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा क्या उपलब्धियां हासिल हुईं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तहत कितनी योजनाएं बंद की गईं और कितनी नई योजनाएं शुरू की गईं; और

(घ) योजनाओं को बंद करने के क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों समेत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है: अर्थात (i) प्रमुख घटकों अर्थात मेगा फूड पार्क, शीत शृंखला, बूचड़खानों का आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धित केंद्रों समेत अवसंरचना विकास स्कीम, (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/विस्तार स्कीम, (iii) गुणता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान एवं विकास स्कीम, (iv) मानव संसाधन विकास स्कीम, (v) संस्थान सुदृढ़ीकरण स्कीम; और (vi) स्ट्रीट फूड गुणवता उन्नयन स्कीम। सभी घटकों को शामिल करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण में लगी सभी कार्यान्वयन एजेंसियां वित्तीय सहयता के लिए पात्र हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों में केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी समितियां और निजी क्षेत्र की इकाइयां और अलग-अलग व्यक्ति शामिल हैं। निधियां स्कीमवार आबंटित की जाती हैं जो देश में परियोजनाउन्मुखी है। राज्यों और स्वैच्छिक संगठनों को अलग से धनराशियां निर्दिष्ट नहीं की जाती हैं।

(ग) पूर्ण योजना अवधि के दौरान स्कीम कार्यान्वित की जाती है। इसलिए गत दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

के अंतर्गत कोई भी स्कीम न बंद की गई है और न शुरू की गई है। तथापि 11वीं पंचवर्षीययोजना (2007-12) की तैयारी के दौरान, एक नई स्कीम अर्थात स्ट्रीट फूड गुणवत्ता उन्नयन स्कीम 2007-08 में शुरू की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ानों का विलंब से आगमन/प्रस्थान

3068. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर गत एक वर्ष के दौरान कितने विमानों का विलंब से प्रस्थान/आगमन हुआ;

(ख) उड़ानों के विलंब से प्रस्थान/आगमन से कितने यात्री प्रभावित हुए और इसके फलस्वरूप उन्हें कितने घंटों का नुकसान हुआ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेल लाइन का निर्माण

3069. श्रीमती मीना सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन रेलवे मंडलों में तीसरी रेल लाइन पर कार्य आरंभ हो चुका है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक खंड पर मंडल-वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) तीसरी रेल लाइन पर कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) चल रही तीसरी/चौथी लाइन के कार्यों का जोन-वार तथा मंडल-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	रेलवे	मंडल	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च 2010 तक खर्च	परिव्यय-2010-11
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पूर्वतट रेलवे	खुर्दारोड	खुर्दारोड-बारंग तीसरी लाइन	35	211.01	142.44	40
2.	पूर्वतट रेलवे	वाल्टेयर	कोट्टावलासा-सिमहाचलम-उत्तर-चौथी लाइन	16.69	94.73	51.51	30
3.	पूर्वतट रेलवे	वाल्टेयर	विजयनगरम-कोट्टावलासा तीसरी लाइन	34.7	194.89	44.24	20
4.	पूर्व रेलवे	हावड़ा	लिलुआ-डानकुनी फरफुरा शरीफ तक विस्तार सहित तीसरी लाइन	10.13	213	0.01	30
5.	उत्तर मध्य रेलवे	इलाहाबाद	अलीगढ़ गाजियाबाद तीसरी लाइन	106.15	399.47	221.16	50

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	उत्तर मध्य रेलवे	इलाहाबाद	पनकी-भाऊपुर के बीच तीसरी लाइन	11.38	48.19	41.69	6
7.	उत्तर मध्य रेलवे	आगरा	पलवल-भुतेश्वर तीसरी लाइन	81	340	250.56	40
8.	उत्तर रेलवे	दिल्ली	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज-पांचवीं और छठी लाइन	2.65	60	53.25	2.5
9.	उत्तर रेलवे	दिल्ली	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन	33.5	123.9	22.24	40
10.	दक्षिण मध्य रेलवे	सिकंदराबाद	राघवपुरम-मंडमरी-कही-कही तेहरीकरण	24.47	136.23	17.46	4.5
11.	द.पूर्व मध्य रेलवे	बिलासपुर	चम्पा-झारसगुडा तीसरी लाइन	165	872.12	2.92	25
12.	द.पूर्व मध्य रेलवे	नागपुर	दुर्ग-राजनंदगांव तीसरी लाइन	31	147.06	0	30
13.	दक्षिण पूर्व रेलवे	चक्रधरपुर	गोयलकेरा-मनोहरपुर तीसरी लाइन (चक्रधरपुर-बोंडामुंडा खण्ड)	40	261.69	6.01	39.45
14.	दक्षिण पूर्व रेलवे	खड़गपुर	टिकियापाड़ा संतरागाछी चौथी लाइन	5.6	46.79	24.1	15
15.	दक्षिण पूर्व रेलवे	खड़गपुर	पांसकुड़ा-खड़गपुर तीसरी लाइन	44.7	252.54	102.22	90
16.	दक्षिण पूर्व रेलवे	चक्रधरपुर	राजखरसावन-सिनी-तीसरी लाइन	15	91.61	7.97	10

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	दक्षिण पूर्व रेलवे	चक्रधरपुर	डोंगापोसी-राजखरसावन तीसरी लाइन	75	309.44	0	4
18.	दक्षिण पूर्व रेलवे	चक्रधरपुर	सिनी-आदित्यपुर तीसरी लाइन	22.5	95.29	0	4
19.	दक्षिण रेलवे	चेन्नै	अट्टीपट्टू-कोरूकुपेटै चौथी लाइन	18	115	106.59	5
20.	दक्षिण रेलवे	चेन्नै	चेन्नै बीच-अट्टीपट्टू चौथी लाइन	22.1	102.42	11.16	5
21.	दक्षिण रेलवे	चेन्नै	चेन्नै बीच-कोरूकुपेट तीसरी लाइन	4.1	53.6	20.09	5
22.	दक्षिण रेलवे	चेन्नै	तिरूवल्लूर-अरकोणम चौथी लाइन	26.83	80.92	1	2
23.	दक्षिण पश्चिम	बैंगलौर	बैंगलौर-व्हाइटफील्ड बैंगलौर सिटी-कृष्णाराज पुरम कडरपबिंग	23.08	8.5	0.1179	50
24.	पश्चिम मध्य	भोपाल	भोपाल-बीना तीसरी लाइन	143	687.22	95.95	50
25.	पश्चिमी	वडोदरा	वडोदरा-विरार के बीच तीसरी लाइन का सूरत-कोसाम्बा फेस-I	35	49	1.01	4
		कुल		1026.26	5072.02	1223.70	601.4

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त परियोजनाओं को आगामी वर्षों में पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

लोको पायलटों के कार्य घंटे

3070. श्री पी.के. बिजू:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में ड्राइवरों के 13680 पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो रेलवे में चालकों के कुल रिक्त पदों का जोन-वार और मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सुरक्षा श्रेणी में रिक्त पदों का जोन-वार और मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लोको पायलटों के कार्य घंटों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चालकों की बजाय मालगाड़ियों के चालकों द्वारा चलाई जा रही हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) 01.04.2009 को क्षेत्रीय रेलों पर लोकों पायलटों की लगभग 7190 रिक्तियां और संरक्षा कोटि में 89024 रिक्तियां हैं। इनका विवरण केन्द्रीयकृत और जोनवार रखा जाता है, जो निम्नानुसार है:

जोन	लोको पायलटों की रिक्तियां	संरक्षा कोटि में रिक्तियां
मध्य	381	5994
पूर्व	253	4887
पूर्व मध्य	1172	9137
पूर्व तट	308	6805
उत्तर	1137	6965
उत्तर मध्य	624	4119
पूर्वोत्तर	136	2428
पूर्वोत्तर सीमा	138	2265
उत्तर पश्चिम	231	3058
दक्षिण	139	5676
दक्षिण मध्य	630	6854
दक्षिण पूर्व	408	7042
दक्षिण पूर्व मध्य	628	6825
दक्षिण पश्चिम	265	5090
पश्चिम	521	6292
पश्चिम मध्य	219	5587
कुल योग	7190	89024

(घ) भारतीय रेलवे में लोको पायलट "सतत" के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और उन्हें 14 दिनों के दो सप्ताह की अवधि में औसतन एक सप्ताह में 54 घंटे साविधिक रूप से कार्य करना अपेक्षित होता है। इस कोटि के कर्मचारियों के लिए जिसमें प्रिप्रेटरी और कम्पलिमेंटरी समय भी शामिल है। 14 दिनों के दो सप्ताहों की अवधि में 104 रोस्टर घंटे निर्धारित किए गए हैं।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, एक बार में रनिंग ड्यूटी गाड़ी के प्रस्थान से साधारणतया 10 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए और दुर्घटनाओं, बाढ़, आंदोलनों, उपकरणों की विफलता आदि जैसी आपात परिस्थितियों को छोड़कर 'साइनिंग ऑन' से 'साइनिंग आउट' तक 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सवारी गाड़ियों के लिए उपर्युक्त रोजगार नियमन के घंटों के प्रावधान का पालन करते हुए क्रू लिंक तैयार किए जाते हैं।

(ङ) और (च) यात्री गाड़ियां सामान्यत: लोको पायलटों (पैसेंजर) द्वारा चलाई जाती हैं बहरहाल, अपवादिक परिस्थितियों में उपयुक्त लोको पायलट (मालगाड़ी) यात्री गाड़ियों में कार्य करते हुए तैनात किए जाते हैं।

घरेलू खाद्य विनियम

3071. श्री वरूण गांधी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू खाद्य विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कच्चे और तैयार खाद्य उत्पादों के समुचित परीक्षण के लिए गुणतापूर्ण आश्वासन प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उपक्रमों के उन्नयन सहित परीक्षण सुविधाओं की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण गठित किया है। इसके अधिदेश में अन्य बातों के

साथ-साथ देश में अपनाए गए सुरक्षा स्तर में कमी न आने देना सुनिश्चित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और घरेलू खाद्य मानकों के बीच एकरूपता को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(ख) उपर्युक्त की भांति।

(ग) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन करना एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 11वीं योजना के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने देश में 74 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने/उनका उन्नयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न पणधारियों जैसे केंद्र/राज्य सरकारी संगठनों, आईआईटी, विश्वविद्यालयों, निजी क्षेत्र के संगठनों क लिए अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय प्रयोगशाला उपकरणों की संपूर्ण लागत की अनुदान सहायता, उपकरणों, फर्नीचर एवं उपकरणों से संबद्ध जड़े हुए उपकरणों को लगाने के लिए सामान्य क्षेत्रों में तकनीकी सिविल कार्य की लागत के 25% की अनुदान सहायता देता है और दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की अनुदान सहायता केंद्र/राज्य सरकार संगठनों/आईआईटी, विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। अन्य सभी कार्यान्वयन एजेंसियां/निजी क्षेत्र के संगठनों को प्रयोगशाला उपकरणों की 50% की अनुदान सहायता तथा केंद्र/राज्य सरकार के सरकारी संगठनों, आईआईटी, विश्वविद्यालयों की लागत का 25% की अनुदान सहायता तथा दुर्गम क्षेत्रों में प्रयोगशाला उपकरणों की लागत की 70% की अनुदान सहायता और तकनीकी सिविल कार्यों की 33% की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) की भांति।

(ङ) उपर्युक्त (ग) की भांति।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

3072. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में नई रेल लाइन, रेल लाइनों का दोहरीकरण और आमान परिवर्तन जैसी चल रही/लंबित रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये परियोजनाएं निर्धारित समय-सीमा के अनुसार चल रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कर्नाटक राज्य में अंशत:/पूर्णत: पड़ने वाली 11 नई लाइन, 2 आमान परिवर्तन और 13 दोहरीकरण की परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) और (ग) संसाधनों और भूमि की उपलब्धता के अनुसार इन परियोजनाओं से संबंधित कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण में विलंब और जन विरोध को कोट्टूर-हरिहर की नई लाइन परियोजना के शेष 5 कि.मी. खंड और अर्सीकेरे-विरूर दोहरीकरण परियोजना का देवानूर-विरूर खंड (12 कि.मी.) की प्रगति को प्रभावित कर रहा है। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के वन विभागों की आपत्तियों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुसार, हुबली-अंकोला और बेंगलुरू-सत्यमंगलम नई लाइन परियोजनाओं के सभी कार्यों को रोक दिया गया है।

(घ) मार्च, 2010 तक इन परियोजनाओं पर 2442.38 करोड़ रु. का व्यय किया गया है और 2010-11 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए 508.10 करोड़ रु. का परिव्यय मुहैया कराया गया है। इसके अलावा, राज्य के अंश के रूप में कर्नाटक सरकार से 130 करोड़ रु. मिलने की आशा है।

(ङ) इन परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए गैर-बजटीय उपायों जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्य सरकारों और दूसरे लाभार्थियों द्वारा वित्त पोषण के जरिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। शीघ्र भूमि अधिग्रहण और अन्य मामलों को निपटाने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

ओएनजीसी द्वारा पवन विद्युत संयंत्र

3073. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री एम. आनंदन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) का विचार तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न हिस्सों में पवन विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ चुने गए प्रस्तावित स्थलों का ब्यौरा क्या है और ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) ऐसी प्रत्येक इकाई से कितनी मात्रा में पवन विद्युत उत्पादित होने का अनुमान है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) ओएनजीसी का राजस्थान में 650 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 102 मेगावाट (एमडब्ल्यू) क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्थल का पता प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया में सफल बोली के आधार पर लगेगा। औसत वार्षिक उत्पादन 200 से 210 मिलियन यूनिट होगा। 1 यूनिट = 1 किलोवाट घंटे (केएलएच)।

शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की ढुलाई के लिए वैगन

3074. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने सब्जियों, फलों आदि जैसी नष्ट होने वाली मदों की ढुलाई के लिए विशेष प्रशीतित वेगन विकसित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषकर दक्षिण मध्य रेलवे में शुरू किए जा रहे ऐसे वैगनों का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, शीघ्र नष्ट होने वाली मदों के तापमान नियंत्रित स्थिति में परिवहन के लिए भारतीय रेलों के पास इस समय 10 रेफ्रीजरेटिड पार्सल वैन का बेड़ा है। रेफ्रीजरेटिड पार्सल वैनों के बेड़े में और वृद्धि की जा रही है। इसके अलावा, नाशवान कारगो के परिवहन की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बज-बज में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर एक रेफ्रीजरेटिड कंटेनर फैक्ट्री की संस्थापना का भी प्रस्ताव है।

मुम्बई के पश्चिमी अपतट का विकास

3075. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने पश्चिमी अपतट में तेल और गैस के क्लस्टर के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में कितने तेल और गैस भंडार मौजूद होने का अनुमान है;

(घ) ओएनजीसी ने अन्य किन-किन प्रमुख क्षेत्रों में तेल और गैस विकसित करने की सहमति जताई है; और

(ङ) इन क्षेत्रों का विकास देश में तेल और गैस की मांग को पूरा करने में किस हद तक सरकार के लिए सहायक होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) ओएनजीसी ने हाल ही में देश के पश्चिमी अपतट में क्लस्टर-7 (समीपवर्ती क्षेत्रों, बी-192-8 और बी 192 ए-1 सहित बी-192, बी-45 और डब्ल्यूओ-24 संरचनाएं) और डब्ल्यूओ क्लस्टर) (बी-119/121 पुनर्विकास सहित डब्ल्यूओ-5, डब्ल्यूओ-15, डब्ल्यूओ-16) के विकास को अनुमोदित किया है।

(ग) क्लस्टर-7 और डब्ल्यूओ क्लस्टर में तत्स्थान कच्चे तेल के अनुमानित भंडार क्रमश: 35.91 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) और 15.71 एमएमटी और इन दोनों क्षेत्रों में तत्स्थान प्राकृतिक गैस के भंडार क्रमश 4.53 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) और 15.91 बीसीएम हैं।

(घ) और (ङ) ओएनजीसी ने 19 योजनाओं के माध्यम से शामिल किए जाने वाले मुंबई हाई सहित 15 प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत तेल निकासी (आईओआर)/वर्धित तेल निकासी (ईओआर) के लिए एक योजना तैयार की थी। पश्चिमी अपतट के मुंबई हाई उत्तर, मुंबई हाई दक्षिण, हीरा भाग-I, नीलम हीरा भाग-II और गुजरात में गांधार, उत्तर कादी चरण-I और चरण-II, जोतना, सोभासन, संस्थाल इनफिल और कलोल में आईओआर योजनाएं पूरी कर ली गई हैं। गुजरात में सानन्द, बलोल और संथाल में ईओआर योजनाओं के लिए सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अन्य आईओआर योजनाओं नामत: लाकवा, जेलेकी और रूद्रसागर के लिए कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

आईओआर और ईओआर तथा अन्य प्रभावी तकनीकों के अनुप्रयोग से मौजूदा क्षेत्रों से निकासी में सुधार होगा और पुराने क्षेत्रों में आ रही गिरावट बंद होगी। इससे देश में तेल और गैस की आपूर्ति में सुधार होगा।

राजस्थान में रावतसर हेतु रेल लाइन

3076. श्री भरत राम मेघवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के

रावतसर को अन्य शहरों से रेल लाइन द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) खात्सर के रास्ते सरदारशहर-हनुमानगढ़ नई बड़ी लाइन परियोजना (149 कि.मी.) के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण वर्ष 2010-11 के रेल बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिणाम के आधार पर अगला निर्णय लिया जाएगा।

हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र में जनगणना

3077. श्री राकेश सचान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र से जुड़े बुनकरों के लिए नई जनगणना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस जनगणना की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जनगणना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) तृतीय राष्ट्रीय हथकरघा संगणना संचालन का कार्य राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ई.आर.) को सौंपा गया है। इसी प्रकार, मैसर्स टैक्नोपार्क एडवाइजर्स लिमिटेड को विद्युतकरघों का अखिल भारतीय बेस लाईन सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) जहां तक हथकरघा संगणना का संबंध है, इसमें मोटे तौर पर दो भाग शामिल हैं: (i) हथकरघा क्षेत्र के लिए हथकरघा इकाइयों की संख्या, हथकरघा (चालू, बेकार, वाणिज्यिक और घरेलू) की संख्या, हथकरघों व इससे जुड़े कामगारों (पूर्णकालिक व अंशकालिक) की संख्या, प्रयुक्त सूत (यार्न) की किस्मों, प्रति बुनकर प्रति दिन औसत उत्पादन तथा प्रति बुनकर सूत की औसतन खपत के बारे में हथकरघा क्षेत्र के लिए डाटा बेस तैयार करना; तथा (ii) हथकरघा बुनकरों तथा इससे जुड़े कामगारों को फोटो पहचान पत्र जारी करना।

विद्युतकरघा सर्वेक्षण करने का उद्देश्य विद्युतकरघा इकाइयों की संख्या, इकाई का नाम व पता, संस्थापित क्षमता रोजगार, उत्पादन, प्रौद्योगिकी का रुझान, कच्ची सामग्री की खपत, फैब्रिक्स की किस्म, करघों का आधुनिकीकरण, मशीन की किस्म, निर्यात और घरेलू बिक्री, निर्यात और घरेलू मूल्य, प्रति इकाई उत्पादन लागत, उपयोगी वस्तुओं की लागत, यार्न से फैब्रिक में परिवर्तन का अनुपात, फैब्रिक की गुणवत्ता, स्पन डाइस फैब्रिक्स व हैंक यार्न का प्रयोग करते हुए विद्युतकरघा उत्पादन की प्रतिशतता तथा बच्चों की शिक्षा, मजदूरी, पर्यावरणीय स्थिति, रिहायशी स्थान इत्यादि जैसी बुनकरों से संबंधित सूचना जैसे मानदंडों पर सूचना एकत्रित करना है।

(ग) हथकरघा और विद्युतकरघा दोनों संगणनाओं के 2010 के अंत तक पूरी हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

तेल डिपुओं का स्थानांतरण

3078. श्री दत्ता मेघे:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों में कुछ तेल डिपुओं और बाटलिंग संयंत्र घने बसे हुए क्षेत्रों में स्थित है जिससे मानव जीवन और पर्यावरण को भारी खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली और जयपुर स्थित इन तेल डिपुओं को कहीं और स्थानांतरित करने के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन डिपुओं को किस स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) तेल डिपुओं और एलपीजी भरण संयंत्रों की स्थापना उस क्षेत्र विशेष की आपूर्ति-मांग की स्थिति पर निर्भर करती है, जहां आपूर्ति की जानी है तथा स्थल का निर्धारण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे केन्द्रीय/राज्य तथा स्थानीय प्राधिकारियों से अनिवार्य मंजूरियों का प्राप्त होना। सामान्यत:, तेल डिपुओं/भरण संयंत्रों की स्थापना कम आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। तथापि, यह देखा गया है कि डिपुओं/संयंत्रों

के चालू होने के बाद जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। किसी स्थल से तेल और गैस डिपुओं को स्थानांतरित किया जाना संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य फैक्टरी निरीक्षणालय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों पर निर्भर करता है। यह राज्य सरकार से उपयुक्त भूमि की उपलब्धता तथा नए स्थल की वित्तीय व्यवहार्यता पर भी निर्भर करता है।

आज की तारीख में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के देश में 108 तेल डिपो और 57 एलपीजी भरण संयंत्र आवासीय क्षेत्रों/औद्योगिक क्षेत्रों तथा अन्य निवास स्थलों के आसपास स्थित हैं। आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास स्थित तेल डिपुओं और भरण संयंत्रों के राज्य-वार ब्यौरे ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) जी हां, ओएमसीजी ने सीतापुर (जयपुर) के मौजूदा स्थल के बदले में नए डिपो के निर्माण के लिए गांव मोहन पुरा, तहसील फागी में भूमि की पहचान की है। दिल्ली में शकूरबस्ती टर्मिनल को टीकरीकलां में पुन: स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

[अनुवाद]

कम कीमत वाली जेनरिक दवाओं की उपलब्धता

3079. श्री रघुवीर सिंह मीणा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जन औषधि बिक्री केंद्रों में कम कीमत वाली जेनरिक दवाओं की उपलब्धता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जन औषधि बिक्री केंद्रों पर सरकारी दरों पर दवाओं की आपूर्ति हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आवेदन प्राप्त हुए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या इन आवेदनों की जांच की गई थी और जन औषधि बिक्री केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) देश में स्थित जन औषधि बिक्री केंद्रों को सप्लाई की जाने वाली जेनेरिक औषधियों की संख्या निरंतर बढ़ाई जा रही है। इस तथ्य से यह स्पष्ट है कि जब 25 नवंबर, 2008 को सिविल अस्पताल, अमृतसर में पहला जन औषधि बिक्री केंद्र खोला गया था तो सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय औषध निर्माण उपक्रम (सीपीएसयूज) ऐसी लगभग 50 औषधियों की ही सप्लाई करपा रहे थे जो खुली बिक्री के लिए थीं। सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के सक्रिय सहयोग से अब लगभग 230 जेनरिक दवाइयों की सप्लाई हो रही है।

(ग) से (च) हित अभिव्यक्ति दिसंबर, 2008 में आमंत्रित की गई थी। हित अभिव्यक्ति के उत्तर में प्राप्त आवेदनों की जांच की गई और यह पाया गया कि वे अपेक्षिम मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया और आगे जारी नहीं रखी जा सकी।

[हिन्दी]

सूत कताई क्षेत्र

3080. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कताई (सूत) क्षेत्र देश के वस्त्र उद्योग में विशेष भूमिका अदा करता है;

(ख) यदि हां, तो देशों की अनुमानित सूत कताई क्षमता क्या है;

(ग) इस क्षमता के आधार पर देश में सूत का औसत वार्षिक उत्पादन क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष औसतन कितने प्रतिशत सूत का निर्यात किया गया है; और

(ङ) प्रत्येक वर्ष विद्युतकरघा तथा हथकरघा क्षेत्रों में वस्त्र मिलों हेतु अलग-अलग औसतन कितना सूत उपलब्ध था?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वस्त्र मदों के विनिर्माण के लिए यार्न मूल कच्ची सामग्री है।

(ख) 31.05.2010 की स्थिति के अनुसार, देश में सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों की सूचीबद्ध कताई क्षमता 42.38 तकुए तथा 679 हजार रोटर्स है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्पन यार्न का वार्षिक उत्पादन और निर्यात इस प्रकार है:

(मि. कि.ग्रा.)

वर्ष	स्पन यार्न का उत्पादन	स्पन यार्न का निर्यात	
2007-08	4003	864.26	(21.6%)
2008-09	3912	780.49	(19.95%)
2009-10 (अनंतिम)	4188	604.28	(14.42%)

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हथकरघा एवं विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए स्पन यार्न की उपलब्धधता इस प्रकार है:

(मि.कि.ग्रा. में)

वर्ष	हथकरघा क्षेत्र	विद्युतकरघा क्षेत्र
2007-08	499.51	1188.37
2008-09	484.76	1187.68
2009-10 (अनंतिम)	480.47	1252.82

[अनुवाद]

शोरानुर-मंगलोर रेल लाइन का दोहरीकरण

3081. श्री एम.के. राघवन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शोरानुर-मंगलोर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ख) उक्त कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) शोरानूर-कालीकट (86 कि.मी.) पहले ही दोहरी बड़ी लाइन है। कालीकट-मंगलौर मार्ग दोहरीकरण (221 किमी.) कार्य में से 218 किमी. दोहरीकरण खंड को यातायात के लिए पहले ही खोल दिया गया है। नेत्रवती-कांकानाडी (03 किमी.) के शेष कार्य को शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है। मार्च, 2010 तक कालीकट-मंगलौर मार्ग के दोहरीकरण के लिए 570.37 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

शोरानूर-मंगलोर-पानाम्बूर मार्ग के विद्युतीकरण को वर्ष 2010-11 के रेल बजट में शामिल किया गया है। यह कार्य मार्च, 2015 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों पर आधारभूत सुविधाएं

3082. योगी आदित्यनाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल पंपों पर अनिवार्यत: मुहैया कराई जाने वाली आधारभूत सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों सहित तेल कंपनियां पेट्रोल पंपों पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मानदंडों का पालन कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ये आधारभूत सुविधाएं इन सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराई जाएं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) नि:शुल्क हवा, जल, स्वच्छ शौचालय सुविधाएं, टेलीफोन, व्यवहार्य दवा के साथ प्राथमिक चिकित्सा डिब्बा और प्रदूषण नियंत्रण अधीन (पीयूसी) सुविधा (जहां लागू हो), ऐसी अनिवार्य सुविधाएं विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के तहत खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) पर उपलब्ध कराई जानी अनिवार्य हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होने के कारण, पहली बार डीलर पर 10,000/- रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, दूसरी बार 25,000/- रुपये और तीसरी बार और बाद के लिए 1,00,000/- रुपये का जुर्माना और 45 दिन के लिए सभी उत्पादों की बिक्री और आपूर्तियां बंद कर दी जाती हैं। तथापि, आपवादिक मामलों में विशेषतया महानगरों और शहरी क्षेत्रों में, स्थान की कठिनाइयों सहित नगरपालिका और अन्य प्रतिबंधों के कारण, ये सुविधाएं उपलब्ध कराना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

टीयूएफएस के अन्तर्गत संवितरण

3083. श्री के. शिवकुमार *उर्फ* **जे.के. रितीश:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वस्त्र उन्नयन प्रौद्योगिकी निधि योजना (टीयूएफएस) के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस निधि से राज्य-वार कितनी इकाइयां लाभान्वित हुई हैं;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि लक्षित इकाइयों तक नहीं पहुंची है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान टीयूएफएस के तहत जारी की गई सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

टीयूएफएस के तहत वर्ष-वार/राज्य-वार जारी की गई सब्सिडी

(करोड़ रुपए)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11 (जून, 2010 तक)	
	आवेदनों की संख्या	राशि	आवेदनों की संख्या	राशि	आवेदनों की संख्या	राशि	आवेदनों की संख्या	राशि
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10
चंडीगढ़	159	34.82	265	134.81	446	136.52	246	49.03
चंडीगढ़ (के.शा.क्षे.)	12	1.13	21	4.69	33	6.63	9	2.19
छत्तीसगढ़					1	0.43	1	0.05
दादरा और नगर हवेली (के.शा.क्षे.)	21	1.87	23	2.01	28	6.78	9	1.87
दमन और दीव (के.शा.क्षे.)	14	0.85	20	2.09	24	2.31	6	1.33
दिल्ली (के.शा.क्षे.)	177	24.46	253	64.89	355	62.76	133	16.63
गुजरात	5697	164.41	4804	504.63	5833	325.61	2630	129.60
हरियाणा	227	19.28	352	74	464	64.74	105	10.05
हिमाचल प्रदेश	11	1.27	25	13.86	36	7.33	15	1.87
जम्मू और कश्मीर	7	3.52	14	17.12	20	8.50	5	2.12
झारखंड					8	1.67	3	0.17
कर्नाटक	188	23.82	221	103.41	379	88.19	114	19.17
केरल	35	6.91	44	15.43	71	24.54	24	12.29
मध्य प्रदेश	48	12.32	57	13.16	101	26.91	42	13.32
महाराष्ट्र	1313	300.11	1356	487.87	1919	725.38	885	267.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पुडुचेरी		1	0.37			1	0.58	1	0.13
उड़ीसा				1	0.02			1	0.19
पंजाब		788	136.12	1384	417.06	1636	366.89	425	112.93
राजस्थान		564	60.99	600	142.86	833	146.86	397	47.69
तमिलनाडु		3166	312.77	3138	534.36	4818	728.29	2163	189.98
उत्तर प्रदेश		90	19.89	143	71.51	241	99.43	86	24.79
उत्तराखंड		3	2.03	4	1.66	16	8.30	6	0.70
पश्चिम बंगाल		83	11.19	128	17.96	164	29.17	77	8.70
कुल		12604	1138.13	12853	2623.4	17427	2867.81	7383	912.00

उड़ानों में क्षमता से अधिक बुकिंग

3084. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि एयर इंडिया सहित कई विमान कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू उड़ानों में क्षमता से अधिक बुकिंग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में विहित नियम क्या हैं;

(ग) चूककर्ता विमान कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) अधिक बुकिंग के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) उपलब्ध सीटों से अधिक बुकिंग विश्वभर में मानक औद्योगिक प्रचलन है। लगभग सभी एयरलाइनें मांग के रुझान तथा अपने नेटवर्क में नो-शो के व्यक्तिगत अनुभव की तर्ज पर उड़ानों में ओवर-बुकिंग करती हैं। अंतिम क्षणों में सीटों के खाली रहने के कारण राजस्व की हानि से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि एयरलाइन सीटें पेरिशेबिल उत्पाद हैं।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), खण्ड-3, श्रृंखला-एम, भाग-4 जारी किए हैं जिसमें ओवर बुकिंग के कारण विमान में प्रवेश किए जाने से इंकार करने के मामले में यात्रियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है। नागर विमानन अपेक्षाएं नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नागर विमाान अपेक्षाओं में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

नीचे दर्शाई गई वित्तीय क्षतिपूर्ति तभी की जाएगी यदि टिकट की राशि क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक होगी।

(क) रु. 2000/- या टिकट का मूल्य, जो कोई भी कम हो, यदि उड़ानों का ब्लॉक समय एक घंटे तक तथा सहित है।

(ख) 3000/- रु. या टिकट का मूल्य, जो कोई भी कम हो, यदि उड़ानों का ब्लॉक समय एक घंटे से अधिक तथा दो घंटे तक व सहित है।

(ग) 4000/- रु. या टिकट का मूल्य, जो कोई भी कम हो, यदि उड़ानों का ब्लॉक समय दो घंटे से अधिक है।

यदि टिकट का मूल्य ऊपर दर्शाई गई क्षतिपूर्ति की राशि से कम है तो एयरलाइन विमान टिकट की धनवापसी सहित टिकट के मूल्य के बराबर की राशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

इसके अतिरिक्त, यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं:

(क) संबंधित प्रतीक्षा समय में भोजन तथा जलपान।

(ख) यदि आवश्यक हो, होटल आवास व्यवस्था (स्थानांतरण सहित।)

एयरलाइन निम्न सक्रियता वाले यात्रियों तथा उनके साथ यात्रा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

पेट्रोल में मिलावट

3085. श्री आधि शंकर:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के पेट्रोल पंपों द्वारा ग्राहकों को मिलावटी तथा कम तेल देने के मामलों का पता लगाने के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितने छापे मारे गए:

(ख) कितने छापों में मिलावट करने तथा कम तेल देने के मामले प्रकाश में आए; और

(ग) ऐसे पेट्रोल पंपों में से कितनों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) विगत तीन वर्षों तथा अप्रैल से जून 2010-11 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) पर किए गए निरीक्षणों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों तथा अप्रैल से जून 2010-11 के दौरान ओएमएसीज द्वारा निरीक्षणों के द्वारा अपमिश्रण, अल्प-सुपुर्दगी के पाए मामलों तथा ओएमसीज द्वारा बंद किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

वर्ष	अपमिश्रण तथा अल्प-सुपुर्दगी मामले	बंद किए गए आरओज की संख्या
2007-08	850	154
2008-09	1011	124
2009-10	947	54
अप्रैल से जून 2010-11	352	5
योग	3160	337

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	किए गए निरीक्षणों की संख्या			
		2007-08 योग	2008-09 योग	2009-10 योग	2010-11 (अप्रैल से जून) योग
1	2	3	4	5	6
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	32	0	66	26
2.	आन्ध्र प्रदेश	12079	12933	13103	2812
3.	अरुणाचल प्रदेश	157	167	222	36
4.	असम	2362	3052	3114	429

1	2	3	4	5	6
5.	बिहार	5220	6500	6607	1420
6.	चण्डीगढ़	228	178	210	34
7.	छत्तीसगढ़	1772	1824	1764	326
8.	दादरा एवं नगर हवेली	37	32	54	10
9.	दमन एवं दीव	35	40	69	17
10.	दिल्ली	1876	1993	2078	428
11.	गोवा	366	405	390	74
12.	गुजरात	6734	7181	7194	1599
13.	हरियाणा	4804	6334	6542	1690
14.	हिमाचल प्रदेश	1282	1295	1279	286
15.	जम्मू और कश्मीर	1406	1366	1430	368
16.	झारखंड	2608	3048	3064	642
17.	कर्नाटक	7445	9795	9739	1878
18.	केरल	5508	7216	7233	1789
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	6560	6902	6823	1343
21.	महाराष्ट्र	12458	13387	12744	2556
22.	मणिपुर	146	282	275	8
23.	मेघालय	451	607	639	141
24.	मिजोरम	97	110	100	29
25.	नागालैंड	144	207	229	4
26.	उड़ीसा	3875	4364	4022	781
27.	पुडुचेरी	473	355	435	41
28.	पंजाब	10414	11005	11167	2713
29.	राजस्थान	9062	9692	9810	2337
30.	सिक्किम	124	61	574	63
31.	तमिलनाडु	10949	12495	11979	2807
32.	त्रिपुरा	158	195	207	61
33.	उत्तर प्रदेश	14496	18776	17810	4089
34.	उत्तराखंड	1539	1598	1735	372
35.	पश्चिम बंगाल	7627	7702	7333	1734
	कुल आबंटन	132524	151097	150040	32943

किसान सेवा केन्द्र/खुदरा बिक्री केन्द्रों पर एलपीजी की बिक्री

3086. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एलपीजी की सुलभता के मद्देनजर किसान सेवा केन्द्रों/खुदरा बिक्री केन्द्रों पर एलपीजी बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में संशोधन करके देश के सभी पेट्रोल पंपों पर एलपीजी गैस बेचने के लिए कदम उठाने का है जैसा कि विश्व के सभी विकसित देशों में भी एलपीजी गैस वितरण की सुविधा पेट्रोल पंपों पर ही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अपने मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों सहित, देश में 540 आटो एलपीजी वितरण केन्द्र (एएलडीएस) को स्थापित किए हैं।

[अनुवाद]

भेषज उद्योग में अनुसंधान और विकास

3087. श्री बलीराम जाधव:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार औषध खोज तथा अनुसंधान अवसंरचना हेतु वेंचर कैपिटल फण्ड स्थापित करने का है;

(ख) अन्य राष्ट्रों की तुलना में देश में औषध खोज तथा अनुसंधान के संबंध में मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित फण्ड सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल पर बनाया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि शामिल है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) भेषजीय औषधि खोज तथा नवाचार के संवर्द्धन हेतु औषध निर्माण में वेंचर निधि की स्थापना करने से संबंधित प्रस्ताव की जांच की प्रक्रिया चल रही है। इस निधि के आकार आदि सहित अन्य ब्यौरों को राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान की सहायता से तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में रेल संपर्क

3088. श्री मंगनी लाल मंडल:
श्री पी. विश्वनाथ:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के कतिपय द्वीपसमूह में रेल संपर्क मुहैया कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार का रवैया क्या है;

(ग) क्या उत्तरी अंडमान-निकोबार से दक्षिण अंडमान तक सभी द्वीपसमूहों को रेल संपर्क आसानी से मुहैया कराया जा सकता है और इससे संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एकरूप रेल संपर्क तथा परिवहन सुविधा हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) पोर्ट ब्लयेर-दिगलीपुर नई लाइन को वर्ष 2010-11 के बजट में उल्लिखित सामाजिक दृष्टि से वांछनीय रेल संपर्क प्रस्ताव के रूप में बिछाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई लाइन के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने और सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय के उपरांत ही इस प्रस्ताव पर आगे विचार करना संभव होगा।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण पूरा होने के बाद इस संबंध में जानकारी मिल पाएगी।

आईआरसीटीसी कर्मचारी

3089. श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार आईआरसीटीसी के मौजूदा कर्मचारियों को रेलवे में विभिन्न पदों पर नियमित रेलवे कर्मचारी के रूप में आमेलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तथा आज की तारीख के अनुसार आईआरसीटीसी में विभिन्न पदों पर कुल कितने स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पोर्ट हिन्टरलैण्ड रेल संपर्क

3090. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर हरिदासपुर-पाराद्वीप, दायतारी-बंसापानी तथा हाजिरा में पोर्ट हिन्टरलैण्ड रेल संपर्क परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक परियोजना पर आबंटित धनराशि तथा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के पास कृभको के अतिरिक्त ट्रैक का विस्तार हाजिरा तक करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) इस समय देश के सभी बड़े पत्तन और महत्वपूर्ण छोटे पत्तन रेल लाइन से जुड़े हुए हैं। नये पत्तनों को जोड़ने वाली परियोजनाओं और पत्तनों को जोड़ने वाले मौजूदा रेल संपर्कों के संवर्धन करने से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) और (ख) महत्वपूर्ण पत्तनों को जोड़ने वाली परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति	परियोजना मार्ग किमी.	2007-08		2008-09		2009-10	
				परिव्यय	वास्तविक खर्च	परिव्यय	वास्तविक खर्च	परिव्यय	वास्तविक खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	दैतारी-बांसपानी नई लाइन	परियोजना पूरी हो गई है।	155	15	51.04	20	32.25	60	76.01
2.	हरिदासपुर-पारादीप नई लाइन	कार्य चल रहा है। भूमि अधिग्रहण में समस्या होने के कारण इस समय कार्य रूका पड़ा है।	82	20	52.1	80	31.16	0	42.16
3.	अबूलावैरीपल्लि-कृष्णापत्तनम नई लाइन	कार्य चल रहा है।	113	10	59.58	25	61.57	50	85.8
4.	भरूच-सामी-दहेज आमान परिवर्तन	कार्य चल रहा है।	62.36	2.6	0.01	5	47.94	45.65	103.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	राजगोडा-तामलूक (ज. केबिन) दोहरीकरण	कार्य चल रहा है।	13.5	निर्माण कार्यक्रम 2009-10 में स्वीकृत।					
6.	हास्पेट-तिनैघाट-दोहरीकरण	विस्तृत अनुमान की मंजूरी दे दी गई है।	218.72	निर्माण कार्यक्रम 2010-11 में स्वीकृत।					
7.	सूरत-हजीरा नई लाइन	अस्वीकृत परियोजना, गुजरात राज्य सरकार द्वारा अंतिम संरेखण पर अभी निर्णय लिया जाना है।	36.36	परियोजना को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है।					

अजमेर के लिए विशेष रेल

3091. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश के विभिन्न भागों से अजमेर के लिए कई विशेष रेलगाड़ियां प्रारंभ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर दक्षिण-मध्य रेलवे सहित जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) इस समय, अजमेर तक जाने वाली विशेष गाड़ियों का जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	रेलवे	गाड़ी संख्या	फेरे	
1.	उत्तर	2015ए/2016ए	नई दिल्ली-अजमेर	साप्ताहिक
2.	उत्तर पश्चिम	0239/0240	हरिद्वार-अजमेर	सप्ताह में तीन दिन
3.	उत्तर पश्चिम	9656ए/9655ए	जयपुर-अजमेर	प्रतिदिन
4.	उत्तर पश्चिम	2992ए/2991ए	जयपुर-अजमेर	प्रतिदिन
5.	दक्षिण मध्य	0778ए/0779ए	हैदराबाद-अजमेर	साप्ताहिक

तेल कंपनियों से परिवहन प्रभार

3092. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केजी बेसिन गैस की परिवहन लागत तेल कंपनियों से वसूली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य कंपनियों से विपणन मार्जिन भी वसूला जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) केजी बेसिन गैस के लिए परिवहन प्रभार तेल कंपनियों सहित, केजी डी-6 के सभी ग्राहकों से वसूल किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क का निर्धारण) विनियम, 2008 में पाइपलाइन के प्रारंभिक स्थान से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मार्ग के साथ-साथ 300-300 किलोमीटर के प्रशुल्क अंचलों के लिए व्यवस्था है। तदनुसार, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन (ईडब्ल्यूपीएल) को पांच अंचलों में बांटा गया है और उस अंचल के सभी ग्राहकों के लिए आंचलिक प्रशुल्कों को अंतिम रूप दिया गया है।

(ग) और (घ) वेजी डी-6 की आपूर्ति के लिए ठेकेदार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, सभी ग्राहकों से 0.135 अमरीकी डालर का विपणन लाभ/एमएमबीटीयू (मिलियन ब्रिटिश तापीय इकाइयां) वसूल किया जा रहा है।

नेशनल डाटा रीपोजिटरी की स्थापना

3093. श्री यशवंत सिन्हा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) अन्वेषण ब्लाकों संबंधी आंकड़े मुहैया कराने के लिए नेशनल डाटा रीपोजिटरी (एनडीआर) की स्थापना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी एन.डी.आर. के अन्य मुख्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त एनडीआर के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी हां। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ने देश में एक राष्ट्रीय आंकड़ा भंडार (एनडीआर) की स्थापना करने के लिए कार्य आरंभ किया है। त्रुटिरहित एक्सेस और ऑनलाइन आंकड़ा प्रबंधन के लिए प्रावधान के साथ देश के विश्वनीय अन्वेषण और उत्पादन आंकड़ों के भंडार की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा, ऐसा समझा जाता है कि एनडीआर से सभी अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों के लिए विश्वस्तरीय आंकड़ा भंडारण और आधारभूत संरचना का पुनरूद्धार होगा।

उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों के अलावा एनडीआर के अन्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- उच्च गुणवत्ता और विश्वनीय भूविज्ञानी आंकड़ों का वैधीकरण, भंडारण, रखरखाव और इनका पुनरूत्पादन करना।
- सभी भूविज्ञानी एजेंसियों सहित विद्यमान कंपनियों को कारगर आंकड़े मुहैया कराना, आंकड़ों का आदान-प्रदान करना, और आंकड़ों का व्यापार करना।
- अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों और रिपोर्टिंग की निगरानी और नियंत्रण करने में डीजीएच की क्षमता में सुधार करना।
- उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध करवाकर नई अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।
- भारत में समग्र भूवैज्ञानिक गतिविधियों को बल देना।
- भारत में उन्नत वैश्विक अन्वेषण और उत्पादन कारोबारी माहौल के लिए एक भावी मुक्त रकबा प्रणाली को सहायता देना।
- डीजीएच में प्रसंस्करण, निर्वचन और मानसदर्शन केन्द्रों के लिए गुणवत्ता वाले अन्वेषण और उत्पादन आंकड़े उपलब्ध कराना।
- वर्तमान कार्य प्रगति के आधार पर यह अनुमान है कि एनडीआर की स्थापना वित्तीय वर्ष 2011-12 में हो सकती है।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास क्षेत्र में विदेशी कंपनियां

3094. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में औषध बनाने के काम में कार्यरत विदेशी कंपनियां अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपबंध बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) देश में औषध बनाने वाली विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं; और

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा किए गए औषध और अनुसंधान कार्य का मूल्य कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) भारत में औषधियों का निर्माण कर रही विदेशी औषध निर्माण कम्पनियां भी या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा संविदा आधारित अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान आदि के माध्यम से अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही हैं। इससे वे भारत की अनुसंधान तथा विकास क्षमताओं का लाभ उठा पाती हैं और अपनी निर्माण प्रतियोगी क्षमता को बनाए रख पाती हैं। विश्व श्रेणी प्रतिभा बेस से भारत को औषध क्षेत्र में अनुसंधान हेतु आकर्षक केंद्र बनाने में मदद मिली है। 2003-04 से 2005-06 तक की संयुक्त अवधि के दौरान औषध निर्माण उद्योग की सभी निजी कंपनियों (विदेशी कंपनियों सहित) द्वारा किया गया निवेश 6505.42 करोड़ रुपए है जो इन निजी औषध निर्माण कंपनियों (विदेशी औषध निर्माण कंपनियों सहित) की सकल बिक्री का 3.38% है।

(ग) और (घ) सरकार औषध निर्माण उद्योग को नीचे लिखे अनुसार प्रोत्साहन देती है यथा अपने विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के जरिए अनुसंधान तथा विकास हेतु कर रियायतें, अनुदान, सहज ऋण तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं, सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थानों (नाईपरों) के जरिए गुणवत्ता सम्पन्न

मानव संसाधन, नाईपरों की तथा सरकारी प्रयोगशालाओं की अनुसंधान गतिविधियों और अनुसंधान सुविधाओं आदि के जरिए।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) क्योंकि औषधियों के निर्माण हेतु लाइसेंस राज्य स्तर पर दिए जाते हैं इसलिए यह सूचना भी राज्य स्तर पर रखी जाती है।

(छ) परिमाणपरक डाटा अलग से उपलब्ध नहीं है। तथापि जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है, भारतीय निजी औषध कंपनियों (विदेशी औषध निर्माण कंपनियों सहित) द्वारा वर्ष 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के दौरान अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय 6505.42 करोड़ रुपए है।

एथेनाल मिश्रित पेट्रोल

3095. श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में एथेनाल मिश्रित कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार देश के सभी राज्यों में एथेनाल मिश्रित पेट्रोल बेचने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव से तेल का आयात कम होने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथेनाल मिलाना अनिवार्य करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और द्वीपीय प्रदेशों को छोड़कर पूरे देश में वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर 1 नवंबर से 5% एथेनाल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम शुरू किया है।

यह कार्यक्रम एथेनाल की आपूर्ति में कमी और कतिपय राज्य विशेष से संबंधित मुद्दों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। इसके कारण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित 20 राज्यों और 4 संघ शासित राज्यों में से केवल 4 राज्यों और 3 संघ शासित राज्यों में ही ईबीपी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सका।

वहनीय आधार पर ईबीपी कार्यक्रम के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 20 राज्यों और 4 संघ शासित राज्यों में 5% एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करने का निर्णय लिया है। संभारतंत्रीय, वाणिज्यिक व्यवहार्यता और तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचित क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर और द्वीपीय राज्यों को शामिल नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत लगभग 82% कच्चा तेल आयात करता है। पेट्रोल में मिश्रण के लिए प्रयुक्त होने वाले एथेनाल की मात्रा कच्चे तेल से उत्पादित पेट्रोल की समतुल्य मात्रा को प्रतिस्थापित करेगी। इस प्रकार पेट्रोल में 5% एथेनाल की शुरुआत करके सरकार पेट्रोल की खपत को 5% तक कम करेगी।

(च) और (छ) एथेनाल का 10% अनिवार्या मिश्रण, 5% ईबीपी कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन और मिश्रण के उस स्तर को वहनीय बनाने के लिए एथेनाल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता की शर्त पर है।

[अनुवाद]

शेल तेल भंडार

3096. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में उपलब्ध शेल गैस बेड का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या और शेल गैस भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार शेल गैस बेड के अन्वेषण में कोई संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अन्वेषण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है और इन भंडारों का उपयोग करने के लिए कार्य कब तक प्रारंभ किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (च) देश में शेल गैस संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने देश में शेल गैस संसाधनों के अन्वेषण हेतु उपयुक्त नीति तैयार करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शेल गैस अन्वेषण और दोहन हेतु ब्लाक प्रदान करने के तौर-तरीके सरकार द्वारा अनुमोदित शेल गैस नीति की शर्तों पर निर्भर करेंगे।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, देश में शेल गैस के अन्वेषण और दोहन के लिए कोई विशेष समय-सीमा इस स्तर पर नहीं बताई जा सकती है।

लौह अयस्क का उत्पादन और निर्यात

3097. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन तथा लौह अयस्क के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि देश के लौह अयस्क भण्डार बड़ी तेजी से खाली न हों?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस्पात के उत्पादन तथा लौह अयस्क के निर्यात के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(मात्रा: मिलियन टन)

वर्ष	अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन	लौह अयस्क निर्यात
2007-08	53.86	104.27
2008-09	58.44	105.87
2009-10 (अनंतिम)	64.88	117.37
2010-11 (अनंतिम) अप्रैल से जून	16.82	28.07

स्रोत: अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन: जेपीसी, कोलकाता लौह अयस्क निर्यात: एमएमटीसी

(ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के लौह अयस्क संसाधनों के संरक्षण का अत्यधिक महत्व है तथा यह संरक्षण उपयुक्त वित्तीय उपायों द्वारा किया जा सकता है। फिलहाल लौह अयस्क चूर्ण पर 5 प्रतिशत का निर्यात शुल्क है जबकि लौह अयस्क के अन्य प्रकारों पर 15 प्रतिशत निर्यात शुल्क है।

दाहेज, गुजरात में विद्युत संयंत्र की स्थापना

3098. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने गुजरात के दाहेज में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के संगठनों के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मददेनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण

3099. डॉ. बलीराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का उत्तर प्रदेश में मऊ से वाराणसी-जौनपुर-सुलतानपुर-लखनऊ तथा मऊ आजमगढ़ शाहगंज-फैजाबाद लखनऊ रेल लाइन का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेल लाइन के दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण का कार्य कब तक प्रारंभ करने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रेल मार्गों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

खंड का नाम	दोहरीकरण	विद्युतीकरण
मऊ-वाराणसी	फिलहाल विचाराधीन नहीं है।	फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
वाराणसी-सुल्तानपुर-लखनऊ	वाराणसी-जाफराबाद और लखनऊ-उतरेतिया खंड पहले से ही दोहरी लाइन वाले खंड हैं। उतरेतिया-जाफराबाद खंड में कहीं-कहीं दोहरीकरण हो चुका है और शेष भाग के दोहरीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। दोहरीकरण के इस कार्य को पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।	विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और जिसके 2012-13 में पूरा हो जाने की संभावना है।
	लखनऊ-बाराबंकी खंड पहले से ही दोहरी लाइन वाला खंड है। शेष भाग के दोहरीकरण का कार्य फिलहाल विचाराधीन नहीं है।	लखनऊ-बाराबंकी खंड पहले से ही विद्युतीकृत है। शेष भाग के विद्युतीकरण का कार्य फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

उत्तराखंड में विमानपत्तन

3100. श्री सतपाल महाराज: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड में कुल कितने विमानपत्तन हैं और वे कहां-कहां पर हैं तथा इन विमानपत्तनों पर किस प्रकार के विमान उतर सकते हैं;

(ख) क्या उत्तराखंड में अवस्थित विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण तथा सौन्दर्यकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) उत्तराखंड में दो प्रचालनात्मक हवाई अड्डे हैं अर्थात् देहरादून और पन्त नगर। देहरादून का हवाईअड्डा बी-737-800/एबी-320 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त है, जबकि पन्त नगर हवाईअड्डा एटीआर-72 प्रकार के विमानों के प्रचालनों के लिए उपयुक्त है।

(ख) से (घ) देहरादून हवाईअड्डे पर रन-वे के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार, एबी-320 प्रकार के विमानों के लिए एप्रन के निर्माण तथा नये टर्मिनल भवन के निर्माण से संबंधित कार्य पूरे हो गए हैं। इस समय, पन्त नगर हवाईअड्डे से किसी प्रकार का कोई अनुसूचित प्रचालन नहीं किया जा रहा है। तथापि, सुविधाओं का स्तरोन्नयन किया जाना, पर्याप्त विमान यातायात की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता तथा अन्य संबंधित आवश्यकताओं पर आधारित होता है।

[अनुवाद]

रेलवे कर्मचारी

3101. श्री मनोहर तिरकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2010 की तिथि के अनुसार समूह क, ख, ग और घ में नियमित रेलवे कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि रेल विभाग ने रेलवे स्टेशनों तथा चलती रेलगाड़ियों के भीतर कतिपय कार्यों को आउटसोर्स कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 31 मार्च, 2010 की तिथि अनुसार समूह क, ख और ग में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलगाड़ियों द्वारा पशुओं को कुचला जाना

3102. श्री महेन्द्र कुमार राय: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के दुआर क्षेत्र में अनेक वन्यजीव चलती मालगाड़ियों तथा यात्री गाड़ियों द्वारा मारे गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) हासीमारा तथा गुलमा खंड के बीच चार स्थानों पर वन विभाग द्वारा चिन्हित वाइल्ड एलीफेंट मूवमेंट जोनों में 50 कि. मी.प्र.घं. का गति प्रतिबंध लगाया गया है।

गैस आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना

3103. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से सूरत में संयुक्त उद्यम में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के साथ गैस आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया को गति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कूच बिहार विमानपत्तन

3104. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कूच बिहार विमानपत्तन पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे जन साधारण हेतु कब तक खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या कार्य पूरा करने में अत्यधिक विलंब से सरकारी खजाने को हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों/एजेंसियों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन का कार्य जून, 2009 में पूरा हो गया था।

(ख) यह हवाईअड्डा एटीआर-72 किस्म के विमान के लिए पहले से ही प्रचालनात्मक है। इस समय, इस हवाईअड्डे से कोई भी अनुसूचित प्रचालन नहीं होता है। बहरहाल, यहां से गैर अनुसूचित प्रचालकों द्वारा यदाकदा उड़ानें प्रचालित की जाती हैं।

(ग) यद्यपि, इस हवाईअड्डे के स्तरोन्नयन कार्य को पूरा करने में विलंब हुआ फिर भी इस परियोजना के पूरा होने की लागत स्वीकृत राशि के अंदर ही थी और इसके कारण राजकोष की कोई हानि नहीं हुई।

(घ) तांतिया कंस्ट्रक्शन एजेंसी लि. के कारण इस परियोजना में विलंब हुआ इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसको दंडित किया गया।

[अनुवाद]

अलूवा रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

3105. श्री के.पी. धनपालन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में अलूवा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ख) क्या रेलवे का केरल में अलूवा स्टेशन को आदर्श स्टेशन घोषित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा उक्त कार्य को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) अलूवा रेलवे स्टेशन पर मानदंडों के अनुसार सभी

अनिवार्य सुविधाएं मुहैया करा दी गई हैं। यात्री सुविधाओं में वृद्धि/सुधार करके स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य यात्री यातायात में वृद्धि और अन्य सापेक्ष प्राथमिकताओं में वृद्धि के आधार पर शुरू किए जाते हैं। हालांकि अलूवा स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में घोषित नहीं किया गया है फिर भी कुछ ही समय पूर्व इस स्टेशन पर 142 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर आधुनिकीकरण के विभिन्न कार्य पूरे किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 94 लाख रुपए की लागत पर विभिन्न कार्यों जैसे प्लेटफार्म सं. 1 का सुधार और प्लेटफार्म सं. 1, 2 और 3 पर सायबान के विस्तार आदि को आरंभ किया गया है और इन्हें चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा करने की योजना है।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

3106. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा संपूर्ण देश में इस्पात क्षेत्र में उत्पादकता, कार्य-कुशलता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए विभिन्न नवोन्मेष अनुसंधान और विकास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें अब तक परियोजनाओं को लागू कर दिया गया है साथ ही उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) जी हां।

(ख) इस्पात मंत्रालय लौह तथा इस्पात क्षेत्र में आर एण्ड डी के लिए निम्न दो योजनाएं चला रहा है:

(i) इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से वित्तीय सहायता के साथ अनुसंधान एवं विकास।

(ii) सरकारी बजटीय सहायता (जीबीएस) के साथ अनुसंधान एवं विकास।

एसडीएफ का उपयोग करते हुए योजना के तहत, 64 आर एण्ड डी परियोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है जिनमें से 31 पूरी हो गई हैं। पूरी हो चुकी इन परियोजनाओं के कुछ अनुसंधान संबंधी परिणामों को झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित इस्पात संयंत्रों में क्रियान्वित किया गया है जो प्रक्रिया तथा उत्पादों में सुधार, उत्पादकता में बढ़ोतरी, ऊर्जा दक्षता आदि सहित इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ अर्जित कर रहे हैं।

सरकारी बजटीय सहायता के साथ आर एण्ड डी योजना को हाल ही में शुरू किया गया है। इसलिए इस स्थिति में अनुसंधान परिणामों के क्रियान्वयन का प्रश्न ही नहीं उठता।

सुपरफास्ट रेलगाड़ियां शुरू करना

3107. श्री देवराज सिंह पटेल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर रेलवे मंडल ने अलग-अलग समय पर रीवा से मुंबई तथा रीवा से राजकोट तक दो सुपरफास्ट रेलगाड़ियां तथा रीवा से चिरमिरी तथा रीवा से बिलासपुर के बीच दो रेलगाड़ियां आरंभ करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रीवा-बिलासपुर रेलगाड़ी को एक्सप्रेस रेलगाड़ी का दर्जा देकर रायपुर दुर्ग तक बढ़ाया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्यों में संशोधन

3108. श्रीमती जे. शांता: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू भेषज उद्योग ने राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को परिवर्तन तथा पैकेजिंग लागत में वृद्धि पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर औषधियों के मूल्य में संशोधन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या औषधि नियंत्रक प्रत्येक वर्ष ऐसी दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करता है जिनके निर्माण में ऐसे 74 प्रकार के कच्चे माल में से कोई भी माल शामिल हो जोकि सरकारी मूल्य नियंत्रणाधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय औषधि भेषज संघ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नया मूल्य निर्धारक स्वयं कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विजन 2020

3109. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 'विजन 2020' दस्तावेज को सार्वजनिक कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) आगामी वर्षों के दौरान रेलवे के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) विजन 2020 नेटवर्क के त्वरित विस्तार, क्षमता संवर्धन, आधुनिकीकरण और ग्राहकोन्मुखी सेवा सुपुर्दगी द्वारा उच्च विकास आधारित योजना के माध्यम से व्यापक विकास, राष्ट्रीय एकता के सुदृढ़ीकरण और पर्यावरणीय दीर्घकालिक विकास के विशाल योजनागत राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रूपरेखा मुहैया कराता है।

(ग) कार्य-निष्पादन में सुधार एक सतत और चालू प्रक्रिया है और राजस्व को अधिकतम करने, लागतों को कम करने, संरक्षा को बेहतर बनाने और ग्राहक केन्द्रित सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए रेलें निरंतर प्रयासरत रहती हैं।

[हिन्दी]

मुंबई और दिल्ली के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ी

3110. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का मुंबई और दिल्ली के बीच बरास्ता, चुरू, सुजानगढ़-जोधपुर एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का जोधपुर और दिल्ली के बीच जोधपुर-दिल्ली मेल बरास्ता सुजानगढ़-चुरू को पुन: आरंभ करने का प्रस्ताव है जिसे आमान-परिवर्तन कार्य के चलते बंद कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे मुख्यालय का स्थानांतरण

3111. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को गुजरात सरकार से पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई से अहमदाबाद स्थानांतरित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार में राजस्व, आपदा प्रबंधन, सड़क एवं इमारत, पूंजी परियोजना और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सुश्री आनंदी बेन पटेल से दिनांक 01.02.2010 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) इस प्रस्ताव की जांच की गई और इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

विभिन्न श्रेणियों को छूट

3112. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को रियायत दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप रेलवे को अनुमानित कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के बजट के दौरान घोषित की गई अतिरिक्त रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस घाटे की भरपाई करने के लिए विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, अशक्त व्यक्तियों और रोगियों के कतिपय कोटियों, विद्यार्थियों, कलाकारों, प्रेस संवाददाताओं, डॉक्टरों, पुलिस पदक विजेताओं, खिलाड़ियों, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों, शहीदों की विधवाओं इत्यादि जैसे व्यक्तियों को रियायत प्रदान करती है।

2009-10 के दौरान यात्रियों की विभिन्न कोटियों को प्रदान की गई रियायतों का मौद्रिक मूल्य लगभग 567 करोड़ रु. था।

(ग) पिछले तीन वर्षों के बजट के दौरान निम्नलिखित रियायतों की घोषणा की गई है:

2008-09

- लड़कियों को मुफ्त एमएसटी (मासिक सीजन टिकट) 12वीं से बढ़ाकर स्नातक तक और लड़कों को 10वीं से 12वीं स्टैण्डर्ड तक।
- महिला वरिष्ठ नागरिकों को रियायत का एलीमेन्ट 30% से बढ़ाकर 50% तक कर दिया गया।
- एड्स रोगियों को नामित एन्टी-रिट्रोविरल थरेपी (एआरटी) केन्द्रों में इलाज के लिए द्वितीय श्रेणी में 50% रियायत प्रदान की गई।

2009-10

- मदरसा, उच्च मदरसा और वरिष्ठ मदरसा को मुफ्त एमएसटी दी गई।
- शैक्षणिक रूप से 12वीं कक्षा के समतुल्य कक्षाओं तक विद्यालयों/मदरसा/मान्यता प्राप्त वोकेशनल संस्थानों में जाने वाले छात्रों को कोलकाता मेट्रो में एमएसटी में 60% रियायत।
- 1500 रु. तक की मासिक आमदनी वाले असंगठित क्षेत्र के सदस्यों के लिए 100 किमी. तक यात्रा करने के लिए 25 रु. मूल्य पर इज्जत मासिक सीजन टिकट शुरू की गई।
- कलाकारों को 50% की रियायत मेल/एक्सप्रेस और राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों की एसी कुर्सीयान, एसी 3 टियर और एसी 2 टियर में में दे दी गई है।
- राष्ट्रपति पुलिस मैडल और भारतीय पुलिस मैडल प्राप्त करने वाले, 60 वर्ष या अधिक के पुरुष कर्मियों को 30% से बढ़ाकर 50% और महिला पुलिस कर्मियों को 30% से बढ़ाकर 60% कर दी गई।
- प्रेस संवाददाताओं को राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों में रियायत बढ़ाकर 50% कर दी गई है। यह रियायत स्पाउस को भी एक वर्ष में एक बार दी गई है।

2010-11

- कैंसर रोगियों को स्लीपर और 3 एसी श्रेणियों में रियायत को 100% तक बढ़ा दिया गया है।
- फिल्म प्रोडक्शन से संबंधित कार्य के लिए यात्रा करते समय क्षेत्रीय और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म टेक्नीशियन को स्लीपर में 75% और प्रथम श्रेणी, एसी-सीसी, 3 एसी और 2 एसी में राजधानी/शताब्दी गाड़ी सहित 50% की रियायत प्रदान की गई।
- प्रेस संवाददाताओं के स्पाउस के मामले में यथा लागू रियायत उनके आश्रित बच्चों और सहचार को भी दी गई है।

(घ) रेलवे द्वारा यातायात अर्जन को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में नई गाड़ियों को शुरू करना, विशेष गाड़ियों को चलाना, गाड़ियों के कंपोजिशन को बढ़ाना, फ्रेट बिजनेस सेगमेंट के तहत पहल, पार्सल स्पेस को अतिरिक्त पट्टे पर देना, तत्काल परिचालन उपयोग में न आने वाली भूमि का वाणिज्यिक प्रचार, एयरस्पेस का वाणिज्यिक उपयोग आदि शामिल हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को वेतन

3113. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमों (पीएसई) का ब्यौरा क्या है जो अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के बजटीय अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) प्राप्त बजटीय अनुदान का पीएसई-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अनुदान किन मानदण्डों पर प्रदान किए गए तथा क्या ऐसे अनुदानों के माध्यम से सभी रूग्ण पीएसई को कवर किया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) सामान्यत: केन्द्रीय सरकारी उद्यम अपने कर्मचारियों को उनकी मजूरी, वेतन और बकायों का भुगतान अपने संसाधनों से करते हैं। सरकार कतिपय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को मजूरी, वेतन और सांविधिक बकायों का भुगतान करने के लिए उनके प्रयासों के अनुपूरण के उद्देश्य से गैर-योजना ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता तब मुहैया कराती है जब वे अपेक्षित संसाधनों को सृजित करने में असमर्थ होते हैं।

(ख) भारी उद्योग विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 10 रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में दिनांक 01.04. 2009 से 31.12.2009 तक की अवधि हेतु वेतन/मजूरी और सांविधिक बकायों के भुगतान के लिए उन्हें ऋण के रूप में 204.83 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को ऋण के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करने के मानदण्ड इस प्रकार से हैं:

(i) रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985/ लोक उद्यम विभाग के दिनांक 6.12.2004 के संकल्प के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार लगातार घाटा उठा रहे केन्द्रीय सरकारी उद्यम।

(ii) वे केन्द्रीय सरकारी उद्यम जो अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण वेतन/मजूरी का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

(iii) बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर पुनरूद्धार/बन्द करने की योजना, सरकार/बीआईएफआर के पास, अनुमोदन हेतु लम्बित पड़ी हैं।

ऐसे सभी रूग्ण केन्द्रीय सरकारी उद्यम, जो उपर्युक्त शर्तों के अन्तर्गत पात्र हैं, को भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत ऐसी बजटीय सहायता हेतु कवर किया गया है।

कोल्लम-पुनलूर के बीच नई रेलगाड़ी

3114. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का दक्षिण रेलवे में कोल्लम-पुनलूर से होकर नई रेलगाड़ी आरंभ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का इस रेलगाड़ी को कोल्लम-कोट्टायम तथा एर्णाकुलम से पुनलूर तक विस्तार देने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रेलगाड़ियों को कब तक आरंभ करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं। कोल्लम-पुनलूर के बीच पहले ही चार जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

3115. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली तथा मुम्बई विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन करोड़ों रुपये की भूमि को विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी कंपनियों को औने-पौने दाम पर बेच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने इन विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए वैकल्पिक योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एएआई द्वारा परिकलित कुल अनुमानित लागत निजी कंपनियों द्वारा परिकलित लागत से भिन्न है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इस पर क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली और सीएसआई हवाई अड्डा, मुम्बई क्रमशः मै. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. और मै. मुम्बई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा.लि. नामक संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) को 30 वर्ष की अवधि, जो इन जेवीसी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच हुए प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करार (ओएमडीए) के अनुसार कुछ निश्चित शर्तों के अध्यधीन आगे 30 वर्ष तक विस्तारणीय है, के लिए लीज आऊट किये जा चुके हैं। ये जेवीसी अपने अपने हवाई अड्डों के प्रचालन, अनुरक्षण, विकास, डिजाइनिंग, निर्माण, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण, वित्त पोषण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं। ये हवाई अड्डे इन जेवीसी को 3.5.2006 को सौंपे गए थे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतिबंधित खाद्य मदें

3116. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **रेल मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा मानदण्डों के अनुसार कोई ऐसी खाद्य मदें हैं जिनकी प्लेटफार्म पर बिक्री प्रतिबंधित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्लेटफार्म स्टालों पर ऐसी प्रतिबंधित खाद्य मदों की बिक्री के संबंध में भुसावल मंडल को कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन 'फूड स्टॉलों' पर गुणवत्ता तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। तम्बाकू उत्पाद, एल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ यथा वाइन, बीयर आदि और गाय तथा सुअर का मांस अथवा कानून द्वारा निषिद्ध कोई अन्य मद किसी भी रूप में किसी भी भोज्य पदार्थ में इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) स्टेशनों पर खानपान स्टॉलों के जरिए बेचे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्यिक एवं स्वास्थ्य विभागों के रेलवे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं।

लौह अयस्क का निर्यात

3117. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात मंत्रालय लौह अयस्क निर्यात को रोकने के लिए कड़े मानदंड अपनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसकी कार्यान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ग) इस संबंध में अब तक प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है?

इस्पात मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) से (ग) इस्पात मंत्रालय का मत है कि लौह अयस्क के गैर नवीनीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन होने के कारण इसका घरेलू इस्पात उद्योग के दीर्घकालिक उपयोग हेतु संरक्षण किया जाना चाहिए। लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने के बावजूद पिछले वर्षों में लौह अयस्क के निर्यात में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि हुई। 2009-10 के दौरान देश से लौह अयस्क के निर्यात में 117. 37 मिलियन टन के अब तक के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है। इसलिए इस्पात मंत्रालय का मत है कि देश से इसके निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए प्रभावी रूप से लौह अयस्क के निर्यात पर उपयुक्त निर्यात शुल्क आरोपित किया जाना चाहिए। इस्पात मंत्रालय का यह भी मत है कि निर्यात शुल्क के अलावा लौह अयस्क के निर्यात पर प्रतिबंधों के रूप में अतिरिक्त उपाय किए जाने की भी आवश्यकता है।

भारत सरकार ने निश्चय किया है कि देश के लौह अयस्क संसाधनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसे उपयुक्त

राजकोषीय उपायों से प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में लौह अयस्क चूरे पर 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क है जबकि लौह अयस्क की अन्य किस्मों पर 15 प्रतिशत निर्यात शुल्क है।

रसोई गैस सिलिण्डर की आपूर्ति

3118. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोदागु क्षेत्र में 5 कि.ग्रा. की रसोई गैस सिलिण्डर उपलब्ध करायी जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार मैसूर-कोदागु क्षेत्र में कुल कितनी सामुदायिक पाकशालाएं हैं;

(घ) क्या इस क्षेत्र में रसोई गैस वितरकों के लिए व्यापार क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां कर्नाटक के राज्य के कोडागु क्षेत्र में 5 कि.ग्रा. के एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति कर रही हैं तथापि, 5 किग्रा. के सिलेंडरों की कुल खरीद बहुत कम है।

(ग) दिसम्बर 2009 की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड मैसूर शहर में 2 और एच.डी. कोटा और नांजांगुड में एक-एक, कुल चार, सामुदायिक पाकशालाओं का प्रचालन कर रही हैं।

(घ) और (ङ) ओएमसीज के सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, कर्नाटक राज्य के मैसूर-कोडागु क्षेत्रों सहित, देश में व्यापारिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट हैं।

आरआईएल का 'डिमर्जर'

3119. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी लॉ बोर्ड तथा सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के डिमर्जर को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेबी तथा कम्पनी लॉ बोर्ड द्वारा आरआईएल का डिमर्जर किस आधार पर अनुमोदित किया गया?

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) मर्जर या डिमर्जर के मामले कम्पनी विधि बोर्ड और सेबी के कार्यक्षेत्र में नहीं हैं। अत: डिमर्जर से संबंधित मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं है।

ओएनजीसी द्वारा फोटो वोल्टिक संयंत्र की स्थापना

3120. श्री प्रदीप माझी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओएनजीसी) द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत 10 मेगावाट का सौर फोटो वोल्टिक (पीवी) संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही कंपनी अपने सौर पीवी परियोजना के लिए किन क्षेत्रों में स्थल की तलाश कर रही है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) गुजरात और राजस्थान तथा अपने कुछ संस्थापनों में राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर ऊर्जा फोटो वोल्टिक (पीवी) से संबद्ध 5-10 मेगावाट (एमडब्ल्यू) ग्रिड स्थापित करने की संभाव्यता की जांच कर रही है।

(ग) परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, ओएनजीसी का प्रयास होगा कि परियोजना को यथाशीघ्र अंतिम रूप दे दिया जाए।

तेल शोधन क्षमता में वृद्धि

3121. श्री एन. चेलुवरया स्वामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ऑयल कारपोरेशन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों ने 60,000 करोड़ रु. के निवेश से देश की तेल शोधन क्षमता में वृद्धि करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस निवेश के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त तेल शोधन क्षमता का सृजन होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने देश की तेल शोधन क्षमता में वृद्धि के आर्थिक पहलुओं की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, ऐसे उपायों से कितना लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) किस सीमा तक लाभों को जन साधारण तक पहुंचाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने संयुक्त उद्यमों सहित, अपनी तेल रिफाइनरियों की परिशोधन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 77,501.72 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (संयुक्त उद्यमों सहित) की परिशोधन क्षमता 112.886 मि.मी.ट.प्र. वर्ष से बढ़कर 153.232 मि.मी.ट.प्र. वर्ष हो जाएगी। पर्यावरण अनुकूल रिफाइनरियों की स्थापना सहित, परिशोधन क्षमता में वृद्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए परिशोधन क्षमता में वृद्धि कार्यनीति का एक अभिन्न अंग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार, परिशोधन क्षमता में वृद्धि, देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करेगी। इसके अलावा, हमारा देश पेट्रोलियम उत्पादों का निवल निर्यातक है और वर्ष 2009-10 के दौरान, पीएसयूज ने 39,433 करोड़ रुपए मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया है। परिशोधन क्षमता में वृद्धि से हमारे निर्यात द्वारा अर्जन में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय स्तर पर, परिशोधन क्षमता विस्तार के लिए किए गए निवेश से आर्थिक वृद्धि में अंशदान होगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियोजन का सृजन होगा, और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

विवरण

11वीं योजना में रिफाइनरी-वार क्षमता वृद्धि

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	1.7.10 की स्थिति के अनुसार क्षमता (एमएमटीपीए)	11वीं योजना में नई वृद्धि विस्तार (एमएमटीपीए)	विस्तार के बाद कुल क्षमता (एमएमटीपीए)
1	2	3	4	5
1.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नूनमती, गुवाहाटी	1.00	-	1.00
2.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड बेगूसराय, बरौनी	6.00	-	6.00
3.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, कोयाली, बड़ोदरा	13.70	-	13.70
4.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हल्दिया	7.50	-	7.50
5.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा	8.00	-	8.00
6.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, डिग्बोई	0.65	-	0.65
7.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पानीपत	12.00	3.00	15.00
8.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, बोंगाईगांव	2.35	-	2.35
9.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पारादीप	-	15.00	15.00
10.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चैम्बूर, मुंबई	6.50	1.40	7.90

1	2	3	4	5
11.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, विशाखापट्टनम	8.30	1.70	10.00
12.	एचपीसीएल–मित्तल एनर्जी लि., बठिण्डा (संयुक्त उद्यम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, एवं मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रा.लि.)	–	9.00	9.00
13.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, चैम्बूर, मुंबई	12.00	–	12.00
14.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, एरनाकुलम, कोच्चि	9.50	–	9.50
15.	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, बीना (संयुक्त उद्यम भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड एवं ओमान आयल कंपनी	–	6.00	6.00
16.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मनली, चेन्नई	9.50	1.00	10.50
17.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, नागापट्टिनम	1.00	–	1.00
18.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़	3.00	–	3.00
19.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. मैंगलोर	11.82	3.18	15.00
20.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, तातीपाका	0.066	0.066	0.132
	योग	112.886	40.346	153.232

महाराष्ट्र में एफपीआई

3122. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से राज्य के रत्नागिरी जिले में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तकनीकी अपग्रेडेशन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75 लाख रुपए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रत्नागिरि जिले में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से सीधे तौर पर कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पूर्व में इस प्रकार के अनुदान के सभी आवेदन मंत्रालय को राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते थे। उसके पश्चात इन आवेदनों पर केंद्रीय रूप से कार्रवाई की जाती थी और अनुदान सीधे मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता था। वर्ष 2007-08 से, आवेदनों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन, अनुदान पात्रता की गणना तथा निधियों का वितरण पूर्णत: विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत, कोई भी उद्यमी/आवेदनकर्ता पड़ोस के बैंक/वित्तीय संस्थान में आवेदन दर्ज कर सकता है। उसके पश्चात बैंक/वित्तीय संस्थान आवेदन का मूल्यांकन करके मंत्रालय द्वारा उन्हें दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र-अनुदान राशि की गणना करेंगे। बैंकों/वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन रिपोर्ट तथा इनकी संस्तुति ई-पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को भेज दी जाती हैं; ई-पोर्टल इसी उद्देश्य से लगाया गया है। अनुदान जारी करने हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान से संस्तुति प्राप्त हो जाने के पश्चात, मंत्रालय अनुदान को स्वीकृत करके निधियां ई-पोर्टल के माध्यम से अंतरित कर देता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेटेंट औषधियों के मूल्य

3123. श्री जोस के. मणि: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पाद पेटेंट औषधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में पेटेंट औषधियों के मूल्यों को नियंत्रित तथा उनकी निगरानी की जाती है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पेटेंट औषधियों का नियंत्रित तथा उनकी निगरानी करने वाले प्राधिकरण का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (घ) देश में पेटेंटशुदा औषधियों के मूल्यों की मॉनीटरिंग करने के लिए 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' (डीपीसीओ, 95) में कोई पृथक प्रावधान नहीं है। 'औषधि (मूल्य नियंत्र) आदेश, 1995' (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अधीन प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 मूल्य, नियंत्रण के अधीन हैं। औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा 'औषधि (मूल्य नियंत्र) आदेश, 1995' (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण अथवा संशोधन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित औषधि/फार्मूलेशन को एनपीपीए/सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है।

जो औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में मूल्य मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में एनपीपीए उनके मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो वहां संबंधित निर्माताओं से कहा जाता है कि वे स्वेच्छा से मूल्य घटाएं यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल भण्डार की स्थापना

3124. श्री के.आर.जी. रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव कम से कम 78 दिनों की आवश्यकता पूरी करने हेतु पर्याप्त देश में तीन स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल भंडारों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) जो तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) की विशेष प्रयोजन व्यवस्था तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, तीन स्थलों अर्थात विशाखापत्तनम, मंगलोर और पाडूर में 5.33 मिलियन मीटरी टन क्षमता के कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडार स्थापित कर रही है।

आईएसपीआरएल के परियोजनाओं को चालू करने से और तेल कम्पनियों द्वारा और भंडारण क्षमता बढ़ाने से, देश के पास 2012-13 तक तेल आयातों के 78 दिनों के बराबर कुल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार होंगे।

(ग) तीन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

विशाखापत्तनम (1.33 एमएमटी*)–सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भूमिगत निर्माण कार्य दे दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। भूमि के ऊपर का कार्य भी दे दिया गया है।

मंगलोर (1.5 एमएमटी*)–सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भूमिगत निर्माण कार्य दे दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। भूमि के ऊपर की सुविधाओं के लिए, निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य प्रगति पर है।

पाडूर (2.5 एमएमटी*)–160 एकड़ की कुल मांग में से 140 एकड़ भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। भूमिगत निर्माण कार्य दे दिया गया है। भूमि के ऊपर के निर्माण कार्यों को देने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रयोक्ता का अधिकार (आरओयू) अर्जित करने के बाद, पाइपलाइन निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

*एमएमटी–मिलियन मीटरी टन।

विमान सेवाओं की समाप्ति

3125. श्री मिलिंद देवरा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने केबिन क्रू की कमी के कारण काबुल और कुआलालंपुर सहित अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से 12 विमान सेवाओं को रद्द कर दिया है अथवा अस्थायी रूप से वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो केबिन क्रू की कमी के क्या कारण हैं तथा एयर इंडिया के पास कब से यह कमी बनी हुई है;

(ग) कमी की कुल संख्या कितनी है तथा इन पदों को कब तक भर लिया जाएगा; और

(घ) इन विमान सेवाओं को रद्द किए जाने के कारण कितनी वित्तीय हानि होने की संभावना है तथा इन विमान सेवाओं को फिर से कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। तथापि, जून, 2010 से मध्य सितम्बर, 2010 तक कम भीड़-भाड़ वाले मौसम के कारण घरेलू और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सेवाओं में कमी की जाती है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मेलों के आयोजन में भ्रष्टाचार

3126. श्री अर्जुन राय: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार को एम्पोरियम और हथकरघा और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी/मेलों के आयोजकों द्वारा धनराशि के गबन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दोषी अधिकारियों और आयोजकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई है/की जा रही है तथा किन सुधारात्मक उपायों की शुरुआत की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एम्पोरियम्स और हथकरघा एवं हस्तशिल्प की प्रदर्शनी/मेलों के आयोजकों द्वारा निधियों के गबन के विषय में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई-टिकट और नकली अनारक्षित टिकट

3127. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री पी.सी. मोहन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को ई-टिकट और नकली अनारक्षित टिकटों को रद्द करने के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे की जानकारी में ऐसे मामले आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो नकली अनारक्षित टिकटों की बिक्री को रोकने हेतु रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ऐसे कुछ मामलों का पता लगा है जिनमें कुछ व्यक्ति अनारक्षित टिकटें बेचते हुए पकड़े गए थे परंतु वे व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे। उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और कानून के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया है।

ई-टिकटों पर झूठे रिफंड के दावों के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। अब तक की सूचना के अनुसार रिफंड के इन मामलों में शामिल अनुमानित राशि लगभग 13 लाख रुपए है।

(घ) ई-टिकटों पर रिफंड की प्रक्रिया पूरी सावधानीपूर्वक और क्रॉस-सत्यापन किए जाने के बाद की जाती है। जब कभी इस प्रकार की अनियमितताओं की सूचना मिलती है या ऐसे मामले पकड़े जाते हैं तो उन ई-टिकटिंग एजेंट आई डी/ई-मेल आई डी को निष्क्रिय करने और कानून के अनुसार दण्ड देने संबंधी कार्रवाई शुरू की जाती है।

आरक्षण/बुकिंग कार्यालयों, प्लेटफार्मों और गाड़ियों में भी रेलवे के वाणिज्य विभाग द्वारा नियमित औचक जांचों सहित निवारक उपाय किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रेलवे के सतर्कता एवं जालसाजी रोधी दस्ते द्वारा बुकिंग कार्यालयों में वर्ष भर निरंतर अभियान चलाए जाते हैं तथा त्यौहारों एवं छुट्टियों के दौरान इन्हें बढ़ा दिया जाता है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर जन उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लगातार उद्घोषणाएं की जाती हैं जिनमें यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि यात्री केवल स्टेशन के बुकिंग काउंटरों या अधिकृत टिकट काउंटरों से ही टिकट खरीदें।

एनएमडीसी द्वारा लोहे का उत्पादन/निर्यात

3128. श्री तूफानी सरोज: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश-वार कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कंपनी द्वारा कितने टन लौह अयस्क का उत्पादन किया गया है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनएमडीसी का देश-वार निर्यात निम्नानुसार है:

(मात्रा: मिलियन टन)

वर्ष	जापान	दक्षिण कोरिया	चीन	योग
2007-08	2.8	0.6	0.4	3.8
2008-09	1.72	0.33	1.82	3.87
2009-10	2.18	0.28	0.97	3.43
2010-11 (अप्रैल-जुलाई, 2010)	0.48	0.14	0.11	0.73

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनएमडीसी का लौह अयस्क उत्पादन निम्नानुसार है:

(मात्रा: मिलियन टन)

वर्ष	आयरन ओर उत्पादन
2007-08	29.8
2008-09	28.5
2009-10	23.8
2010-11 (अप्रैल-जुलाई, 2010)	6.95

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों हेतु आरक्षण कोटा

3129. श्री पूर्णमासी राम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के साथ पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों की तुलना में रेलगाड़ी में कोटे के मामले में भेदभाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार के लिए रेलगाड़ियों में कोटा को तत्काल बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) आरक्षण कोटा की समीक्षा गाड़ी-वार की जाती है न कि राज्य-वार। आरक्षण कोटा की इस प्रकार की समीक्षा क्षेत्रीय रेलों द्वारा आवधिक आधार पर की जाती है और मौजूदा आरक्षण कोटे के उपयोग एवं मांग के स्वरूप के आधार पर समायोजन किए जाते हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है।

स्मार्ट कार्ड पर एलपीजी की बिक्री

3130. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री आधि शंकर:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल और रसोई गैस के सभी प्रयोगकर्ताओं को बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार उन राज्यों/शहरों के नाम क्या हैं जहां यह योजना शुरू की गई है; और

(ग) देश के अन्य भागों में इस योजना का विस्तार करने हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) अभीष्ट लाभार्थियों को राजसहायता बेहतर ढंग से पहुंचाने के उद्देश्य से यूआईडीएआई के प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के वितरण से संबंधित परियोजना में भागीदारी के लिए इस मंत्रालय ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकारें, जिन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बायो मैट्रिक परियोजना के निष्पादन के लिए पहले से ही यूआईडीएआई के साथ समझौता ज्ञापन किया हुआ है, के साथ मिलकर यूआईडीएआई के अनुपालन संबंधी मानदंडों के अनुसार, प्रयोगिक परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है। प्रारम्भिक प्रायोगिक परियोजनाओं की शुरूआत आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर तथा कर्नाटक राज्य के मैसूर व तुमकुर शहर और महाराष्ट्र के पुणे शहर में की जाएगी। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले के पासगावना ब्लाक तथा मथुरा जिले के फराह ब्लाक दोनों को भी प्रायोगिक परियोजना के तहत शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता के आधार पर इसे देश के अन्य भागों में लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन का उन्नयन

3131. श्री मिथिलेश कुमार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन सहित किन-किन रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) अभी तक कितने स्टेशनों का पुनरूद्धार किया गया है और इन पर स्टेशन-वार कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इन स्टेशनों का उन्नयन कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का उन्नयन/संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। इस समय, इस संबंध में शाहजहांपुर सहित उत्तर प्रदेश राज्य में 96 रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्य शुरू किए गए हैं। इन कार्यों को 30.6.2011 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

स्टेशनों पर उन्नयन का कार्य यात्री सुविधाएं योजना शीर्ष के अंतर्गत शुरू किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए उपगत स्टेशन-वार व्यय का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं पर उपगत व्यय जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाले स्टेशन शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

क्रम.सं.	रेलवे	पिछले तीन वर्षों (2007-08 से 2009-10) के दौरान उपगत व्यय (करोड़ रुपए में)
1.	पूर्व मध्य	82.08
2.	पूर्वोत्तर	73.20
3.	पूर्व मध्य	82.64
4.	उत्तर	243.80
5.	पश्चिम मध्य	61.03

[अनुवाद]

लाइसेंस शुल्क की वसूली

3132. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अब भी विभिन्न भारतीय और बहु राष्ट्रीय कंपनियों से लाइसेंस शुल्क के रूप में काफी धनराशि वसूल करना है;

(ख) यदि हां, तो बकाया धनराशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ओएनजीसी को हुई हानि

3133. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) को त्रिनिदाद और टोबैगो से उत्तर तटीय समुद्री क्षेत्र-2 परियोजना को वापस लिए जाने के कारण कितनी हानि हुई है; और

(ख) ओएनजीसी द्वारा इस हानि की भरपाई हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) का त्रिनिडाड और टोबैगो में नार्थ कोस्ट मैरीन एरिया-2 परियोजना में आरम्भ से ही किए गए खर्च का हिस्सा 1.06 मिलियन अमरीकी डालर है जो एक डूबी हुई लागत है।

(ख) ओवीएल द्वारा परियोजना में किया गया खर्च एक डूबी लागत है और वसूली योग्य नहीं है।

नई रेलगाड़ियां शुरू करना

3134. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कोई प्रस्ताव देश के विभिन्न भागों से मध्य प्रदेश तक दूरन्तो जैसी और रेलगाड़ियां शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय रेलवे राज्य-वार आधार पर गाड़ियां नहीं चलाती है बल्कि गाड़ियां यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यावहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चलाई जाती हैं।

कासगंज-मथुरा खंड के बीच सवारी रेलगाड़ी

3135. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कोई प्रस्ताव कासगंज-मथुरा खंड पर और अधिक सवारी रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संसद सदस्यों को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस डीलरशिप का आवंटन

3136. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों के पति/पत्नी और बच्चों को पेट्रोल/डीजलशिप के आवंटन पर कोई पाबंदी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संसद सदस्यों के पति/पत्नी और बच्चों को खुदरा बिक्री केंद्र डीलरशिप्स/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते वे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बीपीसी) के डीलर/वितरक चयन संबंधी दिशा-निर्देशों में यथा-विनिर्दिष्ट लागू पात्रता मानदंड जैसे न्यूनतम आयु शैक्षणिक योग्यता, एक से अधिक डीलरशिप संबंधी प्रतिमानक आदि पूरे करते हों।

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी राष्ट्रीय नीति

3137. श्री रामसिंह राठवा: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एककों के परियोजना अनुमोदन/मूल्यांकन के लिए सरकार द्वारा क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार परियोजना अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण संबंधी एक नई राष्ट्रीय नीति लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश में कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तकनीकी अपग्रेडेशन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का सामान्य क्षेत्रों में 25% की दर से अधिकतम 50.00 लाख रुपए अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75 लाख रुपए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पूर्व में इस प्रकार के अनुदान के सभी आवेदन मंत्रालय को राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त होते थे। उसके पश्चात इन आवेदनों पर केंद्रीय रूप से कार्रवाई की जाती थी और अनुदान सीधे मंत्रालय द्वारा वितरित किया जाता था। वर्ष 2007-08 से, आवेदनों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन, अनुदान पात्रता की गणना तथा निधियों का वितरण पूर्णत: विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। नई प्रक्रिया के तहत, कोई भी उद्यमी/आवेदनकर्ता पड़ोस के बैंक/वित्तीय संस्थान में आवेदन दर्ज कर सकता है। उसके पश्चात बैंक/वित्तीय संस्थान आवेदन का मूल्यांकन करके मंत्रालय द्वारा उन्हें दिए गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र-अनुदान राशि की गणना करेंगे। बैंकों/वित्तीय संस्थानों की मूल्यांकन रिपोर्ट तथा इनकी संस्तुति ई-पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय को भेज दी जाती हैं; ई-पोर्टल इसी उद्देश्य से लगाया गया है। अनुदान जारी करने हेतु बैंक/वित्तीय संस्थान से संस्तुति प्राप्त हो जाने के पश्चात, मंत्रालय अनुदान को स्वीकृत करके निधियां ई-पोर्टल के माध्यम से अंतरित कर देता है।

(घ) और (ङ) खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करना राज्य सरकारों का विषय है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त खाद्य प्रसंस्करण नीतियां तैयार करें। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्रियों के हाल ही में आयोजित किए गए प्रथम सम्मेलन में राज्य सरकारों ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए नीतियां बनाने के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

वस्त्र प्रसंस्करण उद्योग

3138. श्री संजय धोत्रे: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों को कोई राजसहायता/सहायता अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त राजसहायता/सहायता अनुदान की मात्रा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक बढ़ाने और जारी किए जाने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ प्रदान कर रही है:

- विनिर्दिष्ट वस्त्र प्रसंस्करण मशीनरी पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति जमा 10% पूंजी सब्सिडी।
- टीयूएफएस अनुकूल मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों सहित एसएसआई वस्त्र उद्योग के लिए 15% मार्जिन मनी सब्सिडी।
- प्रसंस्करण गृहों द्वारा संस्थापित बहिस्राव उपचार संयंत्रों (ईटीपी) पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति और 10% पूंजी सब्सिडी।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान टीयूएफएस के तहत राज्यों को जारी की गई कुल निधियों (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए निधियां भी शामिल हैं) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (जून, 2010 तक)
आंध्र प्रदेश	34.34	134.35	135.57	49.03
चंडीगढ़ (के.शा.क्षे.)	1.13	4.69	6.63	2.19
छत्तीसगढ़			0.43	0.05
दादरा और नगर हवेली (के.शा.क्षे.)	1.68	2.01	6.78	1.87
दमन और दीव (के.शा.क्षे.)	0.85	1.73	2.31	1.33
दिल्ली (के.शा.क्षे.)	24.46	64.89	62.76	16.63
गुजरात	155.76	501.5	323.20	129.60
हरियाणा	18.58	73.39	64.62	10.05
हिमाचल प्रदेश	1.27	13.86	7.33	1.87
जम्मू और कश्मीर	3.52	17.12	8.50	2.12
झारखंड			0.83	0.17
कर्नाटक	23.54	103.24	87.38	19.17
केरल	6.91	15.39	24.54	12.29
मध्य प्रदेश	12.14	12.8	26.70	13.32
महाराष्ट्र	274.19	465.77	704.44	267.20
पुडुचेरी	0.37		0.58	0.13
उड़ीसा		0.02		0.19
पंजाब	134.34	416.53	364.74	112.93
राजस्थान	60.63	142.55	146.43	47.69
तमिलनाडु	306.74	530.86	726.15	189.98
उत्तर प्रदेश	19.49	71.08	99.09	24.79
उत्तराखंड	2.03	1.66	8.30	0.70
पश्चिम बंगाल	11.19	17.96	29.17	8.70
कुल	1093.16	2591.4	2836.47	912.00

गैंगमैनों की कमी

3139. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में गैंगमैनों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो कुल कमी का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्तियों को भरे जाने हेतु रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। यद्यपि समय के किसी बिंदु पर इस सतत प्रक्रिया में कुछ रिक्तियों के विद्यमान रहने की संभावना हो सकती है, सरकार की नीति रिक्तियों को प्रक्रिया अनुसार तुरंत भरने की रहती है। समूह घ के (जिन्हें अब 1800 रु. के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-I में रखा गया है) के कर्मचारियों की आवश्यकता का आकलन करने और रेल भर्ती कक्षों (आरआरसी) को मांगपत्र प्रस्तुत करके समय-समय पर इन रिक्तियों को भरने का अधिकार महाप्रबंधकों को दिया गया है। रेलों में गैंगमैनों की कमी को पूरा करने के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले और अन्य नियुक्ति पाने वाले उपयुक्त व्यक्तियों में से प्राथमिकता के आधार पर इन पदों को भरने के निर्देश जारी किए गए हैं।

विवरण

(क) और (ख) रेलों में 1.4.10 को गैंगमैनों की जोन-वार कुल कमी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	रेलवे	रिक्तियां
1	2	3
1.	मरे	1639
2.	पूतरे	3644
3.	पूमरे	4407
4.	पूरे	2468
5.	उमरे	633
6.	पूर्वो. रेलवे	1329
7.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	995
8.	उरे	788
9.	उपरे	944
10.	दमरे	2598
11.	दपूमरे	2899
12.	दपूरे	3856
13.	दरे	2439
14.	दपरे	2690
15.	पमरे	2646
16.	परे	1313
	कुल	35288

प्रशिक्षित पायलटों की कमी

3140. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्रशिक्षित पायलटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस मानदंड को समाप्त करने का निर्णय लिया है जिसके अंतर्गत घरेलू विमान कंपनियों के विमान कॉकपिट के अंदर कम से कम एक भारतीय पायलट होने की अनिवार्यता थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) देश में विमान चालकों की कोई कमी नहीं है, तथापि, एयरलाइन ऑपरेटरों सहित टाइप रेटिड कमांडरों की कमी है। टाइप रेट कमांडरों की कमी से उबरने के लिए, एयरलाइन ऑपरेटरों

को 31.07.2011 तक विदेशी पायलट को, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी उनके विदेशी लाइसेंस की वैधता के आधार पर, उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(ख) और (ग) इस प्रकार के कोई मानक नहीं हैं जिसमें यह अनिवार्यता हो कि घरेलू एयरलाइन्स में विमान के कॉकपिट के अंदर कम से कम एक भारतीय विमान चालक हो।

(घ) अधिक समय तक पर्याप्त गुणवत्ता वाले विमान चालकों को रखने के लिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी को, सिविल और विद्युतीय अवसंरचना के स्तरोन्नयन तथा अतिरिक्त प्रशिक्षक विमान अधिग्रहण द्वारा आधुनिक बनाया जा रहा है। सरकार ने गोंदिया, महाराष्ट्र में संयुक्त उपक्रम के रूप में राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है। देश में अन्य उड़ान क्लबों को भी केन्द्र सरकार द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय तथा एयरोक्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण विमान की खरीद के लिए निधियां जुटाकर सहायता दी जा रही है।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी सघन उपाय

3141. **श्री राकेश सिंह:**
श्री एंटो एंटोनी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री विश्व मोहन कुमार:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री ओम प्रकाश यादव:
श्री आर. थामराईसेलवन:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री लालचन्द कटारिया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए गए प्रौद्योगिकी सघन उपाय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त उपायों के संबंध में प्रायोगिक परियोजनाएं चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के सभी जोनों में ऐसी पहलों का विस्तार करने हेतु और क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रौद्योगिकी सघन उपायों में सहायक चेतावनी प्रणाली, टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी), गाड़ी संरक्षण एवं चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस), स्टेशन खंड का संपूर्ण रेलपथ परिपथन, गतायु यांत्रिक/बहु-केबिन प्रणाली के बदलाव में रंगीन रोशनी वाले बहुसंकेती सिगनलों (एमएसीएलएस) सहित वैद्युत/इलेक्ट्रॉनिक अंतर्पाशन प्रणाली, ब्लॉक खंड की स्वचल क्लीयरेंस के लिए धुरा काउंटर, रोशनी उत्सर्जक डायोड सिगनल, सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी), पहिया प्रभाव भार संसूचक (वाइल्ड), लोको पायलटों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर आदि की व्यवस्था शामिल हैं। पिछले 18 से अधिक साल से मुम्बई क्षेत्र के ईएमयू (इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) में सहायक चेतावनी प्रणाली उपलब्ध कराई गई है ताकि मोटरमेन द्वारा सिगनल के संकेत के अनुसार गति को बनाए रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) से (घ) टक्करों के मामलों की रोकथाम करने और टक्करों द्वारा उत्पन्न क्षति की सीमा को न्यूनतम बनाने के लिए टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) की पायलट परियोजना का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के 1736 मार्ग किलोमीटर पर सेवा परीक्षण किया जा रहा है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर अनुभव के आधार पर, एसीडी की कुशलता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए इसकी विशिष्टियों में संशोधन किया गया है। अब कोंकण रेल निगम लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा संशोधित विशिष्टियों के साथ उन्नत संस्करण विकसित किया जाएगा जिसका तीन क्षेत्रीय रेलों अर्थात दक्षिण, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम रेलवे में बहुल लाइन और विद्युतीकृत खंड को शामिल करने वाले 1600 मार्ग किलोमीटरों पर सेवा परीक्षण किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 127 करोड़ रुपये है।

पहले गाड़ी संरक्षण चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) की पायलट परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जिनमें से एक मई 2008 से दक्षिण रेलवे के चेन्नै सेंट्रल-गुम्मिद्दीपूंदी खंड (50 मार्ग किलोमीटर) पर प्रयोग की जा रही है। दिल्ली-आगरा खंड (200 मार्ग किलोमीटर) की दूसरी पायलट परियोजना के भी सेवा परीक्षण चल रहे हैं। चार क्षेत्रीय रेलों (उत्तर, मध्य, पूर्व, दक्षिण पूर्व और पश्चिम) के 828 मार्ग किलोमीटरों को शामिल करते हुए 570 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उच्च घनत्व नेटवर्क/स्वचल सिगनल प्रणाली वाले खंडों पर लगाए जाने हेतु भी टीपीडब्ल्यूएस स्वीकृत की गई है।

3 फेज के सभी बिजली रेलइंजनों पर ड्राइवरों को सतर्क रखने के लिए सतर्कता नियंत्रण उपकरण (वीसीडी) मौजूद हैं।

30 परंपरागत रेलइंजनों पर इस उपकरण के सफल परीक्षण के बाद इन उपकरणों को सभी परंपरागत रेलइंजनों में लगाने का निर्णय लिया गया है। यह उपकरण 1500 डीजल रेलइंजनों में भी लगाया गया है और चरणबद्ध आधार पर शेष डीजल रेलइंजनों में इसको लगाए जाने की योजना है। शेष बिजली/डीजल रेलइंजनों में वीसीडी की व्यवस्था करने की अनुमानित लागत 245 करोड़ रुपये है।

विभिन्न स्थलों पर नौ पहिया प्रभाव भार संसूचक (वाइल्ड) लगाए गए हैं और ऐसे छह अतिरिक्त उपकरण लगाए जाएंगे।

कटनी-बीना खंड का विकास

3142. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के अंतर्गत कटनी-बीना खंड पर चल रहे निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त परियोजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) कटनी-बीना खंड बड़ी लाइन की दोहरीलाइन वाला विद्युतीकृत मार्ग है। इस मार्ग पर कोई परियोजना कार्य प्रगति पर नहीं है। बहरहाल, मध्यवर्ती ब्लॉक खंडों, निचले सड़क पुल, रेल पुलों, रनिंग रूम, कम्यूनिटी हॉल स्टेशन में सुधार आदि संबंधी निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। इन कार्यों की कुल लागत लगभग 34 करोड़ रु. है। इन कार्यों को मार्च, 2012 तक पूरा करने की योजना है।

बीसीएएस में रिक्त पद

3143. डॉ. भोला सिंह:
श्री शिवराम गौडा:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी (बीसीएएस) में आयुक्त के पद सहित कई उच्च पद पिछले कई महीनों से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक बीसीएएस में खाली पड़े पदों का ग्रेड-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उच्च अधिकारियों की अनुपस्थिति में आकस्मिक योजनाओं की प्रभावोत्पादकता तथा विभिन्न एजेंसियों की प्रचालनगत तैयारी की जांच करने के लिए नियमित रूप से 'मॉक अभ्यास' का कार्य नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) विमानपत्तनों पर सुरक्षा के रक्षापायों हेतु इन रिक्तियों को तुरंत भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नियमित उत्तराधिकारी के चयन की अंतरिम अवधि के दौरान मंत्रालय के संयुक्त सचिव को सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) (सीओएससीए) का अतिरिक्त कार्य सौंपा गया है। इसी तरह की व्यवस्था अपर सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के लिए भी की गई है।

(ख) संयुक्त सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) का एक पद, नया सृजित पद है, तथा अपर सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) का एक पद रिक्त है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। मॉक अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं।

(ङ) सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) की नियुक्ति के मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाया गया था। संयुक्त सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), जो कि नया सृजित पद है, के पद की नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है। अपर सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के एक पद के संबंध में, गृह मंत्रालय से चयनित अधिकारी को कार्यमुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया है। अपर सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन) के दूसरे पद के लिए नियमित उत्तराधिकारी को नियुक्त किए जाने हेतु भी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

3144. श्री मनीष तिवारी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विधिक और न्यायिक क्षेत्र के हितधारियों के साथ कोई परामर्श शुरू किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त परामर्श का क्या परिणाम निकला;

(घ) सरकार द्वारा प्रस्तावित उक्त न्यायिक सेवा का प्रारूप ढांचा, कृत्य और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई औपचारिक परामर्श पत्र जारी किया गया है; और

(च) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा किस हद तक न्याय प्रदान करने और न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने में सहायक होगी?

विधि और न्याय मंत्री (डॉ. एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) भारतीय विधि आयोग की, उसकी पहली, आठवीं और ग्यारहवीं रिपोर्टों में सिफारिशों, 1989 की रिट याचिका सं. 1022–ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले के निर्णय में भारत के उच्चतम न्यायालय के तारीख 13.11.1991 के निदेशों और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए दिशानिर्देशों के अनुसरण में, सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के विषय में अत्यधिक गंभीर है।

चूंकि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ और राज्यों के लिए समान होगी और इसके लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों की सहमति अपेक्षित है, इसलिए उनके मत/टिप्पणियां मांगी गई थी।

इस मुद्दे पर 16 अगस्त, 2009 को हुए मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में आगे और विचार-विमर्श किया गया था, जहां अन्य बातों के साथ, यह विनिश्चय किया गया था कि "राज्य सरकारें, सिद्धांत रूप में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के प्रस्ताव पर सहमति देती हैं। तथापि, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन को वास्तविक प्रभाव देने से पहले एक व्यापक परामर्श किया जाए।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) यह आशा की जाती है कि एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ऐसी किसी सेवा के सृजन से, प्रतिभाशाली युवा पुरुष और महिलाएं इसकी ओर आकर्षित होंगी और इस प्रकार पूरे देश की सर्वोत्तम योग्यताएं न्यायपालिका में सम्मिलित होंगी जैसा कि अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में होता है और इससे सकल न्याय प्रणाली में सुधार होगा।

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

3145. श्री प्रबोध पांडा:
श्री गुरूदास दासगुप्त:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के रूपनारायणपुर स्थिति हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार उन प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसमें इस संयंत्र से आप्टीकल फाइबर केबल जैसी नई मदों के उत्पादन की वकालत की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में संयंत्र में कार्यरत कर्मकारों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संयंत्र का पूर्ण जीर्णोद्ध करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस जीर्णोद्धार को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) से (छ) उत्पांद अप्रचलित होने के कारण हिंदुस्तान केबल्स लि. के रूपनारायणपुर यूनिट में वर्ष 2003 से उत्पादन बंद है। दिनांक 01.07.2010 की स्थिति के अनुसार, इस यूनिट में कर्मचारियों की संख्या 1132 है। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) दिनांक 22.6.2010 को हुई सुनवाई में प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एचसीएल में अपनी सभी वित्तीय देयताओं को पूरा करते हुए किसी निश्चित समय-सीमा के भीतर अपने नेटवर्थ को संचित हानि से अधिक कर पाने की संभावना नहीं है। परिणामस्वरूप, दीर्घकालीन आधार पर कंपनी के व्यवहार्य बनने की संभावना नहीं है और इसे बंद करना न्यायसंगत, उचित और जनहित में है। तदनुसार, बीआईएफआर द्वारा दिनांक 05.07.2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि कंपनी, वर्तमान प्रोमोटर्स या पंजीकृत कामगार औद्योगिक को-ऑपरेटिव सोसायटी (डब्ल्यूआईसीएस) या कोई बाह्य एजेंसी समाचार पत्र में आदेश/प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सरकारी समापक को ओटीएस के बिना या इसके साथ और कोप्रोमोटर के साथ या इसके बिना पूर्ण रूप से तैयार प्रस्ताव

प्रस्तुत कर सकती है। वर्तमान में सरकारी परिसमापक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार के पास पूर्ण रूप से तैयार कोई प्रस्ताव नहीं है।

विमानन सुरक्षा बल

3146. श्री वैजयंत पांडा:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में विमानपत्तनों की आतंकवादी हमलों से सुरक्षा के लिए विमानन सुरक्षा बल का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी भी प्रकार की दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए विमानों के उतरने की प्रक्रिया में पाई गई विभिन्न प्रकार की कमियों को दूर करने हेतु क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। देश में हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए विमानन सुरक्षा बल बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। यह एक अलग एवं समर्पित बल होगा जिसे विमानन सुरक्षा के तकनीकी कार्यों के निष्पादन के लिए स्थाई रूप से हवाई अड्डे पर लगाया जा सकता है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 01.06.2010 को प्रचालन परामर्शक परिपत्र 2010 का 12 जारी किया गया जिसमें सभी अनुसूचित/गैर अनुसूचित/सामान्य विमान प्रचालकों को एप्रोच तथा लैंडिंग के लिए मानक प्रचालनिक क्रियाविधियों का सख्ती से अनुपालन किए जाने के लिए जोर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप विमान की सीमाओं के भीतर तथा अपेक्षित स्टॉपिंग डिस्टेंस से बिना कोई समझौता किए लैंडिंग स्वीकार्य है।

इस्पात की खपत

3147. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण लोगों में इस्पात के उपयोग के विभिन्न लाभों की कम जानकारी होना और इस्पात की मदों के मंहगे होने की अवधारणा ही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत न बढ़ने के मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना की अपर्याप्तता जैसे कई संबंधित ऐसे मुद्दे हैं जो गांवों/ग्रामीण बाजार में इस्पात की बिक्री को किफायती बनाने से रोकते हैं।

(ग) भारतीय ग्रामीण बाजार में इस्पात की खपत के तरीके और संभावनाओं को समझने के लिए सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग आंकने हेतु एक अध्ययन शुरू किया है।

(घ) इस अध्ययन में देश के सभी 35 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से 300 जिलों, 1500 गांवों, 4500 निर्माताओं और 8000 खुदरा व्यापारियों को शामिल किया जाएगा। इस अध्ययन का उद्देश्य (क) मांग पक्ष यथा घरेलू और सामुदायिक/सांस्थानिक उपयोग और (ख) आपूर्ति पक्ष यथा निर्माता, खुदरा व्यापारी दोनों के बयानों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की विभिन्न मदों की खपत पैटर्न की प्रवृतियों का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त, इस अध्ययन में इस्पात की खपत का स्तर बढ़ने की संभावना, उपयोग परिवर्तन का स्वरूप और प्रतिस्पर्धी सामग्रियों के साथ प्रतिस्थापन की आशंका की सीमा आदि की जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

पीएनजी की आपूर्ति

3148. श्री संजय सिंह चौहान:
श्रीमती दीपा दासमुंशी:
श्री नामा नागेश्वर राव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित देश में पाइपलाइन के माध्यम' से गैस (पीएनजी) की आपूर्ति हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विभिन्न शहरों में पीएनजी की आपूर्ति हेतु निविदाएं/बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006" अधिनियमित किया है, जिसमें पीएनजीआरबी को नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्कों के प्रचालन के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीजीडी नेटवर्कों में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए पीएनजी की आपूर्ति अपरिहार्य है। पीएनजीआरबी ने उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश सहित देश में 300 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क के विकास की एक रोल-आउट योजना की परिकल्पना की है।

वर्तमान में, गुजरात के शहरों, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, त्रिपुरा, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में सीजीडी नेटवर्क की सुविधा है।

[अनुवाद]

चौथा एशियाई ऊर्जा मंत्री सम्मेलन

3149. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री प्रदीप माझी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में वियतनाम के दालात में आयोजित चौथे एशियाई ऊर्जा मंत्री सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बैठक में किन-किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न एशियाई देशों के साथ कार्य करने की आवश्यकता को रेखांकित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रतिनिधि द्वारा व्यक्त विचारों पर अन्य प्रतिभागी देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) ने 22-23 जुलाई, 2010 को दालात, वियतनाम में ऊर्जा मंत्रियों के चौथे पूर्वी एशिया शीर्ष सम्मेलन (ईएएस) में भाग लिया था। 2005 में स्थापित, ईएएस सहयोग को समर्थ बनाने के लिए, 16 एशियाई देशों अर्थात 10 आसियान देशों और आस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया का एक मंच है। बैठक के दौरान, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण, परिवहन के लिए जैव ईंधनों और ऊर्जा बाजार एकीकरण के क्षेत्रों में 16 सदस्य-देशों के बीच सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया। कोल बेड मीथेन के विकास, दूसरी पीढ़ी के जैव-ईंधनों को विकसित करने, ऊर्जा की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों को काम में लेने जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए प्रस्ताव और तेल और गैस क्षेत्र के बचाव और सुरक्षा संबंधी उपायों का मूल्यांकन किया गया। सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी के इस्तेमाल पर अपनी विशेषज्ञता बांटने के लिए भी भारत ने सदस्य-देशों के सामने प्रस्ताव रखा। वियतनाम में रहते हुए मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) ने तेल और गैस क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के संबंध में वियतनाम के अपने समकक्ष मंत्री के साथ व्यापक विचार-विमर्श किए थे। वे वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मिले थे। म्यांमार, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

[हिन्दी]

दिल्ली में रिंग रेल सेवा

3150. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दिल्ली में रिंग रेल सेवाओं का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में रिंग रेल सेवाओं का विकास करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई; और

(घ) रिंग रेल सेवाओं को अधिक कारगर बनाने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सामान्य सुविधाएं

3151. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वातानुकूलित सवारी डिब्बों में गंदे बिस्तरों, बदबू वाले सवारी डिब्बों, शौचालयों में लिक्विड सोप की अनुपलब्धता आदि की सामान्य सुविधाओं के बारे में रेलवे को शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक शिकायतों के बावजूद भारतीय रेलवे खान-पान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) का सामान्य सुविधाओं के प्रति ढुलमुल रवैया है; और

(घ) यदि हां, तो ट्रेनों में सामान्य सुविधाओं में सुधार करने हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) वातानुकूलित सवारी डिब्बों में सुविधाओं के संबंध में संदर्भ और सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और इन पर भारतीय रेलों द्वारा समुचित कार्रवाई भी की जाती है।

(ग) और (घ) गाड़ियों में लिनन प्रबंधन और ऑन बोर्ड सफाई कार्यों को भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड से भारतीय रेलों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

गाड़ियों में सफाई सुविधाओं के मानकों को निरंतर बेहतर बनाने की दिशा में रेलें सदैव प्रयासरत रहती हैं। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- लिनन की धुलाई को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यंत्रीकृत लॉन्ड्रियों की स्थापना
- यात्रा के दौरान डिब्बों के शौचालयों, रास्तों, गलियारों और पैसेंजर कंपार्टमेंट की बार-बार सफाई और लिक्विड शॉप और एयर फ्रेशर के छिड़काव हेतु राजधानी, शताब्दी, दूरंतो और सभी महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सेवाएं।
- कोचिंग डिपों में पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से रेकों की सघन यंत्रीकृत सफाई।
- चिन्हित गाड़ियों की नामित मार्गवर्ती 'क्लीन ट्रेन स्टेशन' पर उनके निर्धारित ठहराव के दौरान सीमित यंत्रीकृत सफाई।
- पेशेवेर एजेंसियों के जरिए गाड़ियों के व्यापक पेस्ट एंड रोडेन्ट कंट्रोल।

जी.आर.पी. पुलिस स्टेशनों की स्थापना

3152. श्री कैलाश जोशी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को हबीबगंज, रीवा तथा शिवपुरी में नए जी.आर.पी. स्टेशनों की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) शिवपुरी, हबीबगंज तथा रीवा में नई राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन चौकियां स्थापित करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से अभी हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों को प्रशिक्षण

3153. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. में कार्यरत अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों को देश और विदेश

में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए कोई नियम/दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश और विदेश में कुल कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामांकित अ.जा./अ.ज.जा. के अधिकारियों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और सामान्य श्रेणी के नामांकित अधिकारियों में उनका अनुपात कितना है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कमियां देखी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन दिशा-निर्देशों में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए कोई विशिष्ट नियम/राष्ट्रपतीय निर्देश नहीं हैं। तथापि, लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 25.04.1991 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-6/19/89-डीपीई (एससी/एसटी प्रकोष्ठ) के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि समूह 'क' में उच्चतर श्रेणियों के पदों पर चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के अवसरों में सुधार करने के लिए अनु. जाति/अनु.जनजाति के अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण और सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिक अवसरर उपलब्ध करवाए जाएं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. में अनु. जाति/अनु. जनजाति के अधिकारियों की भागीदारी को उचित महत्व दिया गया है और यह भारत में प्रशिक्षण नामांकनों के लिए वर्ष 2007-08 में 22.9% से बढ़कर 2009-10 में 24.4% तथा विदेशी नामांकनों के लिए 2007-08 में 13.3% से बढ़कर 2009-10 में 14.3% हो गई है। अनु. जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि एक समयावधि में इन श्रेणियों के अधिक से अधिक कर्मचारियों को उनके विकास और ज्ञानार्जन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड में अधिकारियों को उनकी अभिज्ञात प्रशिक्षण आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान देश और विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित अधिकारियों की श्रेणी-वार संख्या नीचे दी गई है:

विवरण

भारत में

	2007-08	2008-09	2009-10
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या के जिनके लिए अधिकारी नामांकित किए गए	1806	2375	2384
नामांकित अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	2631	3210	3758
नामांकित अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या	1124	1384	1678
अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या	3755	4594	5436
सामान्य श्रेणी के अधिकारियों की संख्या	12636	16924	16833
नामांकित अधिकारियों की कुल संख्या	16391	21518	22269
नामांकित अनु. जाति + अनु. जनजाति के अधिकारियों का %	22.9%	21.4%	24.4%

विदेशों में**

	2007-08	2008-09	2009-10
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या के जिनके लिए अधिकारी नामांकित किए गए	127	149	370
नामांकित अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या	19	19	42
नामांकित अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या	4	6	15
अनुसूचित जाति + अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या	23	25	57
सामान्य श्रेणी के अधिकारियों की संख्या	150	133	341
नामांकित अधिकारियों की कुल संख्या	16391	21518	22269
नामांकित अनु. जाति + अनु. जनजाति के अधिकारियों का %	13.3%	15.8%	14.3%

** इंडियन आयल विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं करती है। उपर्युक्त कार्यक्रम बाह्य एजेंसियों द्वारा आयोजित हैं।

[अनुवाद]

आर.बी.डी.सी.के. को भुगतान का निपटारा

3154. श्री कोडिकुन्नील सुरेश: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सड़क और सेतु विकास निगम (आर.बी.डी.सी.के.) का भुगतान का अंतिम निपटारा लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या आर.बी.डी.सी.के. ने दिसंबर 2008 में रेलवे से 100 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे रेलवे की ओर से देय प्रतिपूर्ति के आधार पर समायोजित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने आर.बी.डी.सी.के. के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो आर.बी.डी.सी.के. को अग्रिम राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। केरल में आरबीडीसीके के द्वारा 15 ऊपरी सड़क पुलों का कार्य पूरा कर दिया गया है। इनमें से एक का वित्त पोषण पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा किया गया है और अन्य दो ऊपरी सड़क पुलों के लिए रेलवे द्वारा आरबीडीसीके को अंतिम भुगतान कर दिया गया है। शेष 12 ऊपरी सड़क पुलों के लिए, आरबीडीसीके को उसके और रेलवे के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार पूर्ण प्रतिपूर्ति प्रस्तावों को अभी प्रस्तुत किया जाना है। ऐसी स्थिति में अंतिम भुगतान नहीं किया जा सका।

(ग) से (ङ) जी हां। आरबीडीसीके ने रेलवे द्वार अग्रिम भुगतान के रूप में 100 करोड़ रु. के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मामले पर समुचित विचार करने के उपरांत भुगतान को स्वीकृति नहीं दी गई थी।

पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा

3155. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में पश्चिमी समर्पित मालभाड़े गलियारे की क्या स्थिति है;

(ख) इस गलियारे हेतु रेलवे द्वारा अधिगृहीत अतिरिक्त भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानीय निवासियों को अदा किए गए कुल मुआवजे का ब्यौरा क्या है जिनकी भूमि को रेलवे द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ अधिगृहीत किया गया है;

(घ) क्या अंतरण संबंधी विवादों को रेलवे द्वारा हल कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो विलंब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राजस्थान राज्य से गुजरने वाली समर्पित माल गलियारा परियोजना पश्चिमी माल गलियारा परियोजना के चरण-I का भाग है। इस खंड के वित्त पोषण के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ समझौता किया गया है और अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है।

(ख) से (च) पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारे के लिए अपेक्षित कुल अतिरिक्त भूमि लगभग 6588 हेक्टेयर है जिसमें राजस्थान राज्य की 2003 हेक्टेयर भूमि शामिल है। धारा 20 (ई) अर्थात भूमि की खरीद के लिए घोषणा के अंतर्गत 1793 हेक्टेयर भूमि के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं और सभी विवादों को निपटाने के बाद राजस्थान राज्य में परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि के रूप में अभी तक 2.68 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

सरकारी तेल उपक्रमों की कार्यक्षमता पर श्वेत पत्र

3156. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सरकारी तेल उपक्रमों की कार्यक्षमता पर कभी कोई श्वेत पत्र लाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यक्षमता के अत्याधुनिक और वैश्विक मान्यता प्राप्त उपाय हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय तेल फर्मों की वैश्विक मानकों की तुलना में अधिक प्रचालन लागत है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार राजसहायता और ईंधन मूल्य वृद्धि के द्वारा अकुशल सरकारी तेल उपक्रमों की सहायता कर रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार तेल मूल्यों में बेहतर प्रतिस्पर्द्धा और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने हेतु दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर खुदरा सहित सभी क्षेत्रों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हेतु तेल क्षेत्र को खोलने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) वर्ष 2010 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज के अनुसार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 4 तेल कंपनियां विश्व की 500 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल हैं।

(छ) और (ज) क्षेत्रीय नीति और विनियमनों की शर्त पर अन्वेषण और उत्पादन तथा शोधन में प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। विदेशी निवेशकों सहित निजी निवेशकों द्वारा परिवहन ईंधन के विपणन अधिकारों के मामले में भारत में तेल और गैस क्षेत्र में न्यूनतम निवेश 2000 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए और/अथवा करने की वचनबद्धता की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग मिट्टी के तेल डिपो की स्थापना

3157. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री आनंदराव अडसूल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल की चोरी रोकने हेतु देश के प्रत्येक जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अलग मिट्टी के तेल के डिपो खोलने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत मिट्टी के तेल का मूल्य अब तक निर्धारित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत मिट्टी के तेल का मूल्य कब तक निर्धारित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्तमान में देश में किसी जिले में सीधे ग्राहकों को ऐसे मिट्टी तेल की बिक्री हेतु गैर-पीडीएस मिट्टी तेल डिपो स्थापित करने का कोई प्रस्ताव/योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ना

3158. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ गया है; और

(घ) देश के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने में कितना समय लगने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (घ) 21 राज्यों की राजधानियां, जो रेल नेटवर्क से जुड़ी हैं, गाड़ियों द्वारा सेवित हैं, ऐसे संपर्कों में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

ऊर्जा आस्तियां

3159. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वियतनाम ने एक बड़ी ब्रिटिश तेल कंपनी बी. पी. से 1.3 बिलियन डॉलर की ऊर्जा आस्तियों को खरीदने में भारत की सरकारी तेल कंपनियों की सहायता का वायदा किया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वियतनाम ने बी.पी. के सहयोग में कार्य करने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस का बी.पी. गैस उत्पादन क्षेत्र में 20 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तक का हिस्सा है; और

(ङ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) 1988 में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) द्वारा वियतनाम में 45 प्रतिशत भागीदारी हित (पीआई) के साथ 06.1 ब्लाक के लिए अन्वेषण लाइसेंस अर्जित किया था और बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम (बीपी) प्रचालक के रूप में और पेट्रोवियतनाम (वियतनाम की राष्ट्रीय तेल कम्पनी) भागीदार के रूप में क्रमश: 35 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की पीआई के साथ इसमें शामिल हुई। वर्तमान में ओवीएल बीपी की परिसम्पत्तियों के लिए पेट्रोवियतनाम के साथ मिलकर बोली लगाने की संभावना की तलाश कर रही है।

रसायन उत्पादन इकाइयों का कार्य-निष्पादन

3160. श्रीमती दीपा दासमुंशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रसायनों का उत्पादन कर रही औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस अवधि के दौरान उक्त औद्योगिक इकाइयों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) कुछ खतरनाक रसायनों को छोड़कर रसायन क्षेत्र लाइसेंसमुक्त है। देश में बड़ी संख्या में रसायनों का विनिर्माण करने वाली अनेक औद्योगिक इकाइयां हैं और अलग-अलग औद्योगिक इकाइयों के कार्य-निष्पादन की निगरानी नहीं की जाती है। तथापि, प्रमुख रसायनों की वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2008-09 के लिए उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर (सीएआरजी) 0.64% थी जिसका उत्पादन आंकड़ा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा रखा जाता है।

हेलीकॉप्टर सेवाएं

3161. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री इज्यराज सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुदूर क्षेत्रों और ऊंचे पर्वतों पर स्थित धार्मिक स्थानों पर जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन से हैं जहां के लिए ऐसी सेवाएं आरंभ की गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इन स्थानों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड वर्ष में दो बार (मई-जून तथा सितम्बर-अक्तूबर) अगस्तमुनि से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए यात्री सेवाओं का प्रचालन करता है। पीएचएचएल कटरा से माता वैष्णोदेवी श्राईन के लिए भी नियमित यात्री सेवा प्रचालित करता है। पीएचएचएल ने 01.07.2010 से अमरनाथ धाम के लिए बालटाल-पंचतरणी सैक्टर पर भी नियमित यात्री सेवा प्रचालित करनी आरंभ कर दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पीएचएचएल की उपरोक्त सेवाओं का लाभ काफी संख्या में तीर्थयात्री अपनी तीर्थयात्रा के लिए उठाते हैं।

[अनुवाद]

भेल और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम

3162. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच संयुक्त उद्यम बना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है; और

(घ) इस परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): (क) जी हां।

(ख) एनटीपीसी-बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल) एनटीपीसी और बीएचईएल की 50:50 की संयुक्त उद्यम कंपनी है।

(ग) एनबीपीपीएल की प्राधिकृत शेयर पूंजी 300 करोड़ रुपए है। प्रचालन आरंभ करने के लिए बीएचईएल और एनटीपीसी दोनों द्वारा सौ-सौ करोड़ रुपए (कुल 200 करोड़ रुपए) की राशि स्वीकृत की गई थी। तथापि, वर्तमान प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ रुपए है (बीएचईएल और एनटीपीसी प्रत्येक द्वारा 25 करोड़ रुपए)।

(घ) विनिर्माण संयंत्र की स्थपना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आबंटित 750 एकड़ भूमि एनबीपीपीएल के नाम पंजीकृत करवा दी गई है। पर्यावरण और वन संबंधी अनुमति सहित सभी सांविधिक अनुमति प्राप्त कर ली गई हैं। कार्य स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ हो गया है।

उड़ीसा की बुनकर सहकारी समितियां

3163. श्री अर्जुन चरण सेठी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने 484 अर्थक्षम और संभावित रूप से अर्थक्षम बुनकर सहकारी समितियों के पुनरुद्धार हेतु सरकार से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य में बुनकरों और सहकारी क्षेत्र की सहायता करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावों पर सकारात्मक रूप से विचार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अन्य राज्यों द्वारा भेजे गए ऐसे प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) और (घ) प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा संस्तुत एक 'हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुद्धार, सुधार तथा पुनर्संरचना पैकेज' कुछ समय पूर्व वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव में, अन्य बातों के साथ-साथ, सहकारी सोसाइटियों के तुलन पत्रों का पुनर्पूंजीकरण तथा हथकरघा बुनकरों/सोसाइटियों को ब्याज हेतु आर्थिक सहायता सहित 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण की जरूरतों का वित्त पोषण करना शामिल है। तथापि, व्यय विभाग के सुझावों और टिप्पणियों को देखते हुए उक्त पैकेज को नया रूप दिया गया है और उसे 7 जुलाई, 2010 को वित्त मंत्रालय को पुनः प्रस्तुत किया गया है।

(ग) अन्य राज्य सरकारों के ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश के विभिन्न राज्यों में दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार शीर्ष तथा प्राथमिक हथकरघा सहकारी सोसाइटियों के लेखा परीक्षित आंकड़ों (तुलन पत्र का परिमार्जन, ऋण और ब्याज की छूट (वेवर) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	लेखा परीक्षित आंकड़े (करोड़ रुपये में)
1.	तमिलनाडु	583.09
2.	उत्तर प्रदेश	197.19
3.	केरल	482.32
4.	उड़ीसा	255.10
5.	असम	52.68
6.	हिमाचल प्रदेश	0.74
7.	आन्ध्र प्रदेश	415.33
8.	छत्तीसगढ़	13.13
9.	कर्नाटक	23.63
10.	पश्चिम बंगाल	241.48
11.	महाराष्ट्र	110.55
12.	मेघालय	0.47
13.	अरूणाचल प्रदेश	1.30
14.	मध्य प्रदेश	43.56
	कुल	2420.57

[हिन्दी]

एलपीजी एजेंसियां

3164. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा और चित्रकूट में कितनी रसोई गैस एजेंसियां कार्यरत हैं और प्रत्येक एजेंसी द्वारा प्रतिमाह कितने गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): दिनांक 01.8.2010 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड के चित्रकूट क्षेत्रों में 4 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूयटरों और बांदा में 6 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों का प्रचालन कर रही हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों का नाम और औसत मासिक रिफिल बिक्रियों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्रम सं.	डिस्ट्रीब्यूटर का नाम	जिला	14.2 कि.ग्रा. घरेलू एलपीजी की औसत मासिक रिफिल बिक्री
1.	अटारा गैस	बांदा	4715
2.	अराधना गैस	बांदा	15579
3.	गरुणा इंडेन	बांदा	3824
4.	टिंडवाडी इंडेन	बांदा	1164
5.	विंध्यवासीनी गैस	बांदा	2497
6.	ओम भारत गैस	बांदा	4000
7.	चित्रकूट गैस	चित्रकूट	7003
8.	रामेश्वर भारत गैस	चित्रकूट	2090
9.	राजा रानी भारत गैस	चित्रकूट	1788
10.	श्री कामतगिरी गैस एजेंसी	चित्रकूट	3646

इनके अलावा, ये डिस्ट्रीब्यूटर 5 कि.ग्रा. के घरेलू एलपीजी सिलिंडरों और 19 कि.ग्रा. के वाणिज्यिक सिलिंडरों की भी बिक्री कर रहे हैं।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का मूल्य निर्धारण

3165. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में लौह अयस्क का मूल्य निर्धारण के बारे में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एमएमडीसी) द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या एनएमडीसी ने वर्ष की हर तिमाही में घरेलू खरीदारों हेतु मूल्य निर्धारण प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं पर लौह अयस्क के मूल्य निर्धारण का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) एनएमडीसी घरेलू ग्राहकों के लिए अपने लौह अयस्क की कीमतों का निर्धारण जापानीज स्टील मिल्स (जेएसएम) और पोस्को, दक्षिण कोरिया को किए जाने वाले अपने लौह अयस्क के निर्यात की कीमतें, जोकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क कीमतों के आधार पर तय होती हैं, के आधार पर निर्धारित करता रहा है। तथापि, निर्यात हेतु निर्धारित फ्री आन बोर्ड (एफओबी) कीमत को दीर्घकालीन घरेलू ग्राहकों से वसूल की जाने वाली पिट हेड कीमतों के निर्धारण के लिए संतुलित किया जाता है।

(ख) वर्ष 2010-11 से लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग कीमत निर्धारण प्रणाली को वार्षिक कीमत निर्धारण से बदलकर तिमाही कीमत निर्धारण के आधार पर निर्धारित बना दिया गया है। इसी के अनुरूप एनएमडीसी ने भी घरेलू दीर्घकालीन ग्राहकों के लिए अपनी कीमतों की समीक्षा तिमाही आधार पर करने का निर्णय लिया है।

(ग) लौह अयस्क एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और ग्राहकों के लिए लौह अयस्क की कीमत मांग-आपूर्ति की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत के रूख समेत विभिन्न घटकों के आधार पर बाजार शक्तियों से शासित होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि एनएमडीसी देश में लौह अयस्क की कुल खपत का लगभग 20-25% की ही आपूर्ति करता है।

दवाओं की बिक्री पर लाभ मार्जिन

3166. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दवाई कंपनियां थोक विक्रेताओं और केमिस्टों को भारी लाभ मार्जिन दे रही हैं और बेचारे उपभोक्ताओं को दवाइयों के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार थोक विक्रेताओं और फुटकर दवाई विक्रेताओं के लिए लाभ मार्जिन की सीमा निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित किए जाने से दवाइयों के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी आने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित दवाइयों के मूल्यों का निर्धारण राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा थोक विक्रेताओं के लिए 8% और खुदरा विक्रेताओं के लिए 16% के मार्जिन को ध्यान में रखकर किया जाता है। यदि किसी कंपनी के बारे में यह पाया जाता है कि वह एनपीपीए/सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमोदित मूल्य से अधिक मूल्य पर अनुसूचित दवाई बेच रही है तो उस कंपनी के खिलाफ औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जो औषधियां 'औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995' के अधीन नहीं आती हैं अर्थात गैर-अनुसूचित औषधियां हैं, उनके मामले में निर्माताओं द्वारा सरकार/एनपीपीए से अनुमोदन लिये बिना ही मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य की मॉनीटरिंग कार्य के अंग के रूप में, एनपीपवीए गैर अनुसूचित दवाइयों के मूल्यों में घट-बढ़ की नियमित आधार पर जांच करता है। ओआरजी-आईएमएस की मासिक रिपोर्टों और अलग-अलग निर्माताओं द्वारा दी गई सूचना का उपयोग गैर-अनुसूचित फार्मूलेशनों के मूल्यों की मॉनीटरिंग के प्रयोजन हेतु किया जाता है। जहां कहीं 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक मूल्य वृद्धि का पता चलता है तो वहां संबंधित निर्माताओं से कहा जाता है कि वे स्वेच्छा से मूल्य घटाएं यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए जनहित में फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करने के लिए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैराग्राफ 10(ख) के अधीन कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है।

अमीरगढ़ में सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना

3167. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को संयुक्त उद्यम में अमीरगढ़ में यात्री सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना हेतु गुजरात सरकार और गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर में वस्त्र क्षेत्र

3168. श्री राकेश सचान: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में अपनी प्रमुख योजनाओं अर्थात् टीयूएफएस, एसआईटीजी, टीएमसी आदि को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर पाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन योजनाओं की असफलता हेतु जिम्मेदार कारकों का पता लगाया है और इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार की क्या कार्यनीति है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2010-11 के लिए इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और वास्तव में कितनी उपलब्धि प्राप्त हो गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पूर्वोतर क्षेत्र के लिए विशेष प्रयास करने और विशेष रियायतें उपलब्ध कराने के बावजूद भी प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत लाभ लेने के लिए इस क्षेत्र के उद्यमियों से पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

टीयूएफ योजना का उद्देश्य भागीदार बैंकों से लिए गए ऋण पर 4-5% की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराकर वस्त्र इकाइयों को आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत विद्युतकरघा इकाइयों को टीयूएफ अनुकूल मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 20% मार्जिन मनी सब्सिडी लेने के अतिरिक्त विकल्प का प्रावधान है। इस योजना के तहत वस्त्र लघु उद्योग और पटसन क्षेत्र को 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 15% मार्जिन मनी सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाती है। इसमें विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण, तकनीकी वस्त्र और गारमेंटिंग मशीनरियों के लिए 5% ब्याज प्रतिपूर्ति जमा 10% पूंजी सब्सिडी भी उपलब्ध करायी जाती है। पूर्वोत्तर में वस्त्र इकाइयां जब तक अपनी इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए बैंक ऋण नहीं लेती हैं-यह रणनीतिक निर्णय स्वयं उद्यमियों द्वारा लिया जाना होता है-उन्हें इस योजना के लाभ नहीं दिए जा सकते। वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस योजना के व्यापक प्रचार करने के बावजूद भी अब तक, पूर्वोत्तर में केवल एक इकाई ने इस योजना का लाभ लिया है।

एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) का उद्देश्य वस्त्र इकाईयों की स्थापना करने हेतु विश्वस्तरीय अवसंरचना सुविधाएं सृजित करना है। इस योजना को 40 करोड़ रु. प्रति परियोजना की सीमा के अध्यधीन अन्य क्षेत्रों के लिए परियोजना लागत के 40% की तुलना में पूर्वोत्तर के लिए सरकारी अनुदान को परियोजना लागत के 90% तक बढ़ाकर (पूर्वोत्तर में पहली दो योजनाओं के लिए) अत्यधिक उदार बनाया गया है। ऐसी उदार सहायता के बावजूद मंत्रालय को वस्त्र पार्कों की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर से कोई पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

टीयूएफएस और एसआईटीपी योजनाओं को जारी रखा गया है और पूर्वोत्तर के उद्यमी अपनी आवश्यकतानुसार इन योजनाओं के तहत लाभ ले सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय अपनी तरफ से योजनाओं का पर्याप्त प्रचार कर रहा है और पूर्वोत्तर के लिए एसआईटीपी योजना को अत्यधिक उदार भी बनाया है।

जहां तक कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) का संबंध है, वस्त्र मंत्रालय बाजारों यार्डों की स्थापना और जिनिंग एवं प्रेसिंग (जीएंडपी) इकाइयों के आधुनिकीकरण से संबंधित लघु मिशन III और IV कार्यान्वित कर रहा है। चूंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक कपास खेती नहीं की जाती है, अत: टीएमसी के तहत व्यय नहीं किया जा सका है। इस मिशन को 31.3.2009 से बंद कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के तहत 2010-11 के लिए पूर्वोत्तर हेतु किए गए आबंटनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अभी तक कोई व्यय नहीं हुआ है।

क्र.सं.	योजना	पूर्वोत्तर के लिए आबंटन (करोड़ रु.)
1.	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	132.50
2.	एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)	50.00
3.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)	शून्य

एन.आई.पी.ई.आर. में वैज्ञानिक सुविधाएं

3169. श्री रघुवीर सिंह मीणा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोहाली स्थित राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) का नई दिल्ली में कार्यालय अथवा वैज्ञानिक सुविधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं कब से हैं और नई दिल्ली स्थित कार्यालय में कितने वैज्ञानिक तैनात हैं और वर्तमान में वैज्ञानिकों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एयर ट्रैफिक में वृद्धि

3170. श्री के. शिवकुमार उर्फ **जे.के. रितीश:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर ट्रैफिक में वृद्धि का प्रतिशत क्या है;

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार अगले तीन वर्षों में एयर ट्रैफिक वृद्धि का आकलन क्या है;

(ग) भविष्य में एयर ट्रैफिक की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अवसंरचना निर्माण करने हेतु एएआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान आवाजाही, यातायात तथा मालभाड़े (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों) में हुई वृद्धि का प्रतिशत इस प्रकार है:

वर्ष	विमान प्रचालन	यात्री	सामान
2006-07	28.60	31.40	11.00
2007-08	21.30	21.20	10.60
2008-09	-00.10	-06.80	-01.00

(ख) 2008-09 से अगले तीन वर्षों में विमान आवाजाही, यातायात तथा मालभाड़े (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों) में होने वाली अनुमानित वृद्धि का प्रतिशत इस प्रकार है:

वर्ष	विमान प्रचालन	यात्री	सामान
2009-10	3.4	-2.1	2.7
2010-11	4.8	4.5	5.4
2011-12	4.9	5.3	6.1

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय (सीएसआई) हवाई अड्डा, मुंबई को विश्वस्तरीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दो पृथक कंपनियों यथा मैसर्स दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट (डायल) और मैसर्स मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (मायल) के साथ प्रचालन प्रबंधन और विकास समझौता (ओएमडीए) किया है। आईजीआई एयरपोर्ट के विकास का प्रथम चरण-34 मिलियन अतिरिक्त यात्री प्रतिवर्ष (एमपीपीए) के लिए नए एकीकृत टर्मिनल टी-3 के निर्माण से पूरा हुआ है। मुंबई हवाई अड्डे पर मैसर्स मायल की 2012 तक उत्कृष्ट सुविधाओं वाले एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ पूरा करने की योजना है। इस टर्मिनल भवन के निर्माण के बाद सीएसआईए, मुंबई 40 एमपीपीए की आवश्यकता पूरी करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त के अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा 1808 करोड़ रु. की लागत से चेन्नई हवाई अड्डे का तथा 1942.5 करोड़ रु. की लागत से कोलकाता हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण एवं विकास कार्य भी किया जा रहा है। इसके द्वारा 35 गैर मैट्रो हवाई अड्डों का भी विकास कार्य किया जा रहा है।

खन्ना-राहों-नवांशहर-जम्मू रेल लाइन

3171. श्री रवनीत सिंह: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खन्ना और राहों को जोड़ते हुए खन्ना-राहों-नवांशहर-जालंधर-जम्मू से वैकल्पिक रेल लाइन बनाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेल नेटवर्क द्वारा राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी को खन्ना-लुधियाना-जालंधर को जोड़ने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जालंधर-लुधियाना-खन्ना पहले ही अंबाला के रास्ते रेल लाइन द्वारा नई दिल्ली से जुड़ा हुआ है। चंडीगढ़-लुधियाना नई लाइन का कार्य प्रगति पर है जो जालंधर और लुधियाना से पंजाब राज्य की राजधानी, चंडीगढ़ तक वैकल्पिक संपर्क मुहैया कराएगी।

[हिन्दी]

चौकीदार रहित रेलवे क्रांसिग हेतु कर्मी

3172. श्री मधु कोड़ा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दक्षिण-पूर्व रेल जोन के टाटानगर-बडबिल रेल खंड में पाटाहाटू गांव में केढपोसी तथा मालुका के बीच चौकीदार रहित रेलवे क्रांसिग पर कर्मियों को तैनात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक तैनात किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) केडपोसी-मालुका खंड पर छ: समपार हैं। एक समपार पर पहले ही चौकीदार तैनात है और रेलवे ने 351/33-35 किमी. पर स्थित समपार सं. आरबीके-38 और 352/21-23 किमी. पर स्थित समपार सं. आरबीके-39 पर 31.3.2011 तक चौकीदार तैनात करने की योजना बनाई है। चौकीदार तैनात करने संबंधी मानदंडों के अनुसार बिना चौकीदार वाले शेष तीन समपार चौकीदार तैनात किए जाने के लिए अर्हक नहीं हैं।

एयरलाइनों का कार्य-निष्पादन

3173. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई के फलस्वरूप एयरलाइनों का ऑनटाइम कार्य-निष्पादन बेहतर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विभिन्न एयरलाइनों के ऑनटाइम कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ानों में देरी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) अप्रैल से जून 2010 तक अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों के समयबद्ध कार्य-निष्पादन के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

अप्रैल 2010	81.4%
मई 2010	80.7%
जून 2010	78.5%

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, सभी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को अपने मासिक समयबद्ध कार्य निष्पादन आंकड़ों को, नागर विमानन महानिदेशालय को भेजना होता है।

(ङ) देरियों को कम करने के क्रम में, डीजीसीए ने अक्तूबर 2009 कार्यविधि पर में एक परिपत्र जारी किया है जिसे एयरलाइनों, विमान यातायात नियंत्रण यूनिटों तथा एयरपोर्ट आपरेटर्स द्वारा पालन करने को कहा गया है जिसे उड़ान विलम्ब को कम करने के लिए लागू किया जा रहा है।

पोषण आधारित राजसहायता नीति का प्रभाव

3174. श्री राजू शेट्टी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोषण आधारित राजसहायता नीति के प्रभाव का इसके कार्यान्वयन के बारे में कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यूरिया का उपयोग कम हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इससे राजसहायता का बोझ कम हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी धनराशि कितनी है तथा किस तरीके से यह कम हुआ है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार ने नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों के लिए दिनांक 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति शुरू की है, जिसमें किसानों को डाइ-अमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी), एनपीकेएस मिश्रित उर्वरक, मोनो अमोनियम फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट (एएस) और सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। उत्पादकों/आयातकों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रति कि.ग्रा. राजसहायता के आधार पर उपरोक्त उर्वरकों पर राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य वर्ष 2002 से स्थिर रहा है। एनपीके मिश्रित उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य में 18.6.2008 से और कमी की गई थी। सरकार ने पोषक तत्वों के लिए पोषक-तत्व आधारित राजसहायता इस तरीके से निर्धारित की है कि फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के फार्मगेट मूल्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। दिनांक 1.4.2010 से प्रभावी पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एसएसपी के लिए 1.5.2010 से) के अंतर्गत प्रति बैग पर पहले प्रचलित एमआरपी में 30 रु. की वृद्धि हुई है। एमओपी के पहले प्रचलित एमआरपी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एसएसपी के एमआरपी में 1.5.2010 से 70 रु. प्रति बैग की औसत कमी हुई है। खरीफ 2010 और रबी 2010-11 दोनों के लिए उर्वरकों की आवश्यकता निश्चित की जा चुकी है। उर्वरक कम्पनियों ने वर्ष 2010-11 की आवश्यकता के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन और आयात करने का आश्वासन दिया है। तदनुसार, डीएपी (45 लाख मी. टन) और मिश्रित उर्वरकों (87 लाख मी. टन) के स्वदेशी उत्पादन के अलावा 70 लाख मी. टन डीएपी, 45 लाख मी. टन एमओपी और 11 लाख मी. टन मिश्रित उर्वरकों के आयात की प्रतिबद्धता भी की गई है। इसके अतिरिक्त, एसएसपी को एनबीएस के अंतर्गत शामिल करने से लगभग 30 लाख मी. टन स्वदेशी एसएसपी उपलब्ध होने की संभावना है। पोषक-तत्व आधारित राजसहायता के कार्यान्वयन के बाद यह पाया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न उर्वरकों और उर्वरक आदानों के मूल्य में पहले प्रचलित उतार-चढ़ाव और अनिश्चित वृद्धि के रुझानों की तुलना में या तो कमी हुई है अथवा वे पहले प्रचलित स्तर पर रहे हैं।

(ग) और (घ) खरीफ 2010 मौसम में 31.7.2010 तक यूरिया की बिक्री 73.59 लाख टन थी जबकि खरीफ 2009 की इसी अवधि में यह 68.05 लाख टन थी।

(ङ) और (च) पोषक तत्व आधारित राजसहायता के अंतर्गत राजसहायता की राशि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य रुझान के आधार पर सरकार द्वारा घोषित की गई राजसहायता की दर और देश में उर्वरक की आवश्यकता पर आधारित होती है। वर्ष 2010-11 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के प्रचलित मूल्यों के आधार पर पोषक तत्व आधारित राजसहायता निर्धारित की गई हैं चूंकि 2010-11 के लिए सम्पूर्ण खपत का पता वर्ष के अंत में ही लगेगा इसलिए राजसहायता के कुल प्रभाव का पता भी उसी के अनुसार ही लगेगा। तथापि, वर्ष 2009-10 के दौरान, नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों के लिए वितरित की गई छूट की राशि 39,452.06 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2010-11 के लिए पीएंडके उर्वरकों का बजट आकलन 28,500 करोड़ रु. है। चूंकि खरीफ 2010 में यूरिया की खपत में कमी नहीं हुई है इसलिए यूरिया के लिए राजसहायता में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। तथापि, यूरिया की समग्र राजसहायता फीडस्टाक मूल्य और अन्य प्रभारों पर भी आधारित होगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में गैस पाइप लाइन बिछाना

3175. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण की योजना तमिलनाडु के सभी प्रमुख शहरों में प्राकृतिक गैस हेतु पाइपलाइन बिछाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड कोच्चि-कूटानाड-बंगलौर-मंगलौर पाइपलाइन बिछा रही है, जो तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर, ईरोड, सलेम और धर्मापुरी से गुजरेगी।

भारत सरकार ने "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006" प्रतिस्थापित किया है जिसमें पीएनजीआरबी को, कंपनियों को नगर गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क साझा और संविदागत वाहकों बिछाने के निर्माण करने और प्रचालन करने का प्राधिकार प्रदान करने की अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएनजीआरबी ने 300 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क के विकास की एक रोलआउट योजना की संकल्पना की है, जिसमें तमिलनाडु के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र शामिल हैं:

चेन्नई, कांचीपुरम, तिरूवन्नामलाई, कल्लाकक्कुरीचीची, धर्मापुरी, कुडालोर, सलेम, पेराम्बटूर, लालगुड़ी, नमक्कल, करूर, ईरोड, तिरूचिरापल्ली, थैकावूर, डिंडीगुल, पाडुक्कोट्टई, मथरई, विरूदूनगर, अरूप्पूकोट्टई, कोविलपट्टी, तूतीकोरिन, पेरियार, कोयम्बदूर, उधगम्मंडलम, तिरूट्टनी, होसूर, कृष्णमागिरि।

भारत में विभिन्न शहरों में सीजीटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु गेल ने अपने पूर्ण स्वामित्व में सहायक कंपनी गेल गैस लिमिटेड तैयार की है। गेल गैस लिमिटेड तमिलनाडु के साथ-साथ अन्य भौगोलिक क्षेत्रों हेतु पीएनजीआरबी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली में भागीदारी करेगी।

[हिन्दी]

मालभाड़ा गलियारा परियोजना

3176. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महत्वकांक्षी माल भाड़ा गलियारा परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या कार्य समय-सीमा के अनुसार प्रगति पर है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन पर खर्च की गई अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना को तेज करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) पूर्वी गलियारे (लुधियाना-दानकुनी) और पश्चिमी गलियारे (जवाहर लाल नेहरु पोर्ट टर्मिनल से तुगलकाबाद-दादरी) वाली समर्पित मालभाड़ा गलियारा परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और यह क्रियान्वयधीन है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए रेल मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में एक विशेष उद्देश्य वाहन, भारतीय समर्पित मालभाड़ा गलियारा निगम लिमिटेड का गठन किया गया है। पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारे और पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे के लुधियाना-सोननगर खंड के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे में 105 किमी. के लिए और पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारे पर 54 बड़े और महत्वपूर्ण पुलों के लिए प्रारंभिक निर्माण ठेके आबंटित किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है। बाह्य वित्त पोषण के लिए बातचीत प्रगति पर है और पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारे के पहले चरण (रेवाड़ी-बडोदरा) हेतु वित्त पोषण के लिए जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) से समझौता किया गया है। पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारे के भाग के लिए भी सार्वजनिक निजी साझेदारी में देशी निवेश के माध्यम से भी वित्त पोषण किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना को 2016-17 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मुंबई के पास जवाहर लाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट से दिल्ली के पास दादरी तक पश्चिमी समर्पित मालभाड़ा गलियारा और दानकुनी से लुधियाना तक पूर्वी समर्पित मालभाड़ा गलियारा की मूल लागत लगभग 42,231 करोड़ रुपए है। इस लागत में निर्माण के दौरान एस्केलेशन, आकस्मिक व्यय, पीपीपी एलीमेंट, कर और ब्याज शामिल नहीं हैं।

(ङ) इस परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु रेल मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों में पर्याप्त निधियों की व्यवस्था करना, क्रिटिकल चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित करना और गहन निगरानी करना शामिल है।

फैशन/डिजाइन संस्थान

3177. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री रूद्रमाधव राय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम तथा देश में अन्य राज्यों में फैशन/डिजाइन संस्थानों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में ऐसे संस्थान हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ इसके स्थापित किए जाने के समय का संकेत करते हुए तत्संबंधी स्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में उड़ीसा और अन्य पिछड़े राज्यों में वस्त्र क्षेत्र का विकास करने की कार्य योजना क्या है; और

(च) देश में कार्यशील फैशन/डिजाइन संस्थानों की संख्या कितनी है तथा ऐसे प्रत्येक संस्थान के लिए राज्य-वार कितना वार्षिक बजट आबंटित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मौजूदा नीति के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) केंद्र की स्थापना की लागत निफ्ट और संबंधित राज्य द्वारा वहन की जाएगी। असम में निफ्ट केंद्र की स्थापना का एक प्रस्ताव अक्तूबर, 2009 में असम सरकार से प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से 58.65 करोड़ रु. की निधियों की पुष्ट वचनबद्धता सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था। असम सरकार ने दिनांक 07.07.2010 के अपने पत्र के माध्यम से निधियों की चरणवार आवश्यकता तथा अन्य ब्यौरा मांगा था। इस मामले में निफ्ट द्वारा दिनांक 10.08.2010 को उनको यह सूचित करते हुए एक उत्तर भेज दिया गया है कि निफ्ट के शासी बोर्ड के अनुमोदन से संशोधित परियोजना लागत उनको सूचित कर दी जाएगी। असम सरकार से ऐसी वचनबद्धता प्रतिक्षित है। जुलाई, 2010 में दो नए निफ्ट केंद्र जोधपुर (राजस्थान) और भुवनेश्वर (उड़ीसा) में खोले गए हैं। इसके अलावा, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) में एक नया केंद्र तथा कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में एक विशेषज्ञता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकारों से इन संस्थानों की स्थापना के लिए अपने-अपने राज्यों में भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भुवनेश्वर में एक अस्थाई निफ्ट केंद्र स्थापित किया गया है जिसने जुलाई, 2010 से कार्य करना शुरू कर दिया है। भुवनेश्वर में स्थायी निफ्ट केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया राज्य सरकार के परामर्श से शुरू की गई है।

(ङ) उड़ीसा द्वारा उत्पादन किए जा रहे विभिन्न किस्म के हस्तशिल्प एवं वस्त्र स्वरूपों को ध्यान में रखकर शैक्षणिक-सत्र 2010-11 के दौरान दो स्नातक पाठ्यक्रम (1) डिजाइन स्नातक (एसेसरी डिजाइन) और (2) डिजाइन स्नातक (वस्त्र डिजाइन) शुरू किए गए हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उड़ीसा में वस्त्र क्षेत्र के विकास में सहायता करेंगे। इसी प्रकार देश में अन्य निफ्ट केंद्र इन केंद्रों में उपलब्ध पाठ्यक्रम और सुविधाओं पर निर्भर करते हुए अपने अवस्थिति क्षेत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर रहे हैं।

(च) इस समय देश में 15 निफ्ट केंद्र कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र (1) बेंगलूरू (कर्नाटक), (2) भोपाल (मध्य प्रदेश), (3) भुवनेश्वर (उड़ीसा), (4) चेन्नई (तमिलनाडु), (5) गांधीनगर (गुजरात), (6) हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), (7) जोधपुर (राजस्थान), (8) कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश), (9) कन्नूर (केरल), (10) कोलकाता (पश्चिम बंगाल), (11) मुंबई (महाराष्ट्र), (12) नई दिल्ली, (13) पटना (बिहार), (14) रायबरेली (उत्तर प्रदेश) और (15) शिलांग (मेघालय) में स्थित हैं। निफ्ट हेतु वर्ष 2010-11 के लिए वस्त्र मंत्रालय का बजट अनुमोदन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

गैर योजना

(i) 10 करोड़ रु.

योजना

(i) निफ्ट: 210 करोड़ रु.

(ii) निफ्ट-एनईआर (शिलांग): 35 करोड़ रु.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है जो अहमदाबाद (गुजरात) में कार्यरत है। इस संस्थान हेतु वर्ष 2010-11 के लिए बजट आबंटन 37 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

बांग्लादेश से जूट का आयात

3178. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि बांग्लादेश से जूट के शुल्क मुक्त आयात के मुद्दे पर सरकार के हस्तक्षेप हेतु भारतीय जूट मिल संघ ने अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि संघ ने मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बांग्लादेश से जूट के आयात पर गुणवत्तापूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोच्ची स्थित एलएनजी पेट्रोनेट परियोजना

3179. श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोच्ची में जारी एलएनजी पेट्रोनेट परियोजना का ब्यौरा तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस परियोजना के पूर्ण होने की प्रस्तावित तिथि क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु आबंटित तथा अब तक संवितरित निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना के विस्तार की संभावना का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ङ) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल), एक संयुक्त उद्यम कंपनी कोच्चि, केरल में एक एलएनजी परियोजना की स्थापना कर रही है, यह परियोजना कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। वर्ष 2012 की प्रथम तिमाही तक इसके चालू हो जाने की संभावना है। परियोजना पर लगभग 3600 करोड़ रुपए लागत का अनुमान है और इसकी वित्त व्यवस्था ऋण और इक्विटी के मिश्रण से की जा रही है। परियोजना की प्रारम्भिक क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (मि.मी.ट.प्र.व.) है, जिसे बाजार संभाव्यता और संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के आधार पर 5.0 मि.मी.ट.प्र.व. तक बढ़ाया जा सकता है।

विवादों के निपटान हेतु विशेष न्यायालय

3180. श्री आनंद प्रकाश परांजपे: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आर्थिक अपराधों तथा विवादों के निपटान हेतु विशेष पैनलों तथा न्यायालयों के गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

3181. श्री एम. आनंदन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न राज्यों जैसे दिल्ली, बिहार और पं. बंगाल में घरेलू एलपीजी को 1-2 कि. ग्रा. के छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से अंतरित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव मंजूरी हेतु लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो सम्मिलित कुल राशि कितनी है तथा इन विद्युत प्रस्तावों को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे

3182. श्री घनश्याम अनुरागी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार मेल तथा सुपरफास्ट रेलों में अतिरिक्त डिब्बों को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार जनरल कोचों में गद्देदार सीट लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) मेल और सुपरफास्ट गाड़ियों में सवारी डिब्बे जोड़ना एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालनिक व्यवहार्यता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) यात्रियों के आराम को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सवारी डिब्बों में रैट्रोफिटमेंट सहित सभी अनारक्षित सवारी डिब्बों में कुशन वाली सीटों की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे 16,000 सवारी डिब्बों में से, जिनमें आरंभ में लकड़ी की सीटें मुहैया कराई गई थी अभी तक लगभग 15,000 सवारी डिब्बों में कुशन वाली सीटें उपलब्ध करा दी गई हैं।

[अनुवाद]

छोटे सिलेंडरों की बिक्री

3183. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास तमिलनाडु सहित देश में कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस हरकत को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) और (ख) यद्यपि देश में आंशिक रूप से प्रयोग किए गए सिलेंडरों/कम भार वाले सिलेंडरों/एलपीजी सिलेंडरों से गैस चोरी वाले सिलेंडरों की आपूर्ति की घटनाएं होती रही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के एलपीजी वितरकों द्वारा छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

चोरी/किसी भी प्रकार के कम भार वाले सिलेण्डरों की रोकथाम के लिए क्षेत्र अधिकारियों द्वारा वितरकों के गोदाम के साथ-साथ सुपुर्दगी वाहन में उपलब्ध भरे हुए सिलेण्डरों के भार की मार्गस्थ जांच सहित औचक गुणवत्ता नियंत्रण जांच की जाती है। वितरकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सिलेण्डर का वजन करके सही भार के बारे में ग्राहक को संतुष्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि आपूर्ति के समय सील की जांच की जाती है और ग्राहक को दिखाई जाती है। यदि ग्राहक को कम वजन का सिलेण्डर प्राप्त होता है तो ओएमसीज द्वारा उस सिलेण्डर को मुफ्त में बदला जाता है।

जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच की जाती हैं और यदि कोई शिकायत सिद्ध होती है तो एलपीज वितरक/वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी)/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि एलपीजी वितरकों द्वारा आंशिक प्रयोग किए गए सिलेण्डर/कम वजन वाले सिलेण्डर/चोरी वाले उत्पाद की आपूर्ति की सिद्ध शिकायतों के आधार पर गत वर्ष और अप्रैल-जून 2010 के दौरान दिल्ली में 7 और पश्चिम बंगाल में राज्य में 1 मामले सहित, 49 मामलों पर एमडीजी/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की गई है।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी के विरुद्ध अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्थापित एलपीजी (आपूर्ति और वितरण का विनियमन), आदेश 2000 के तहत कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माप और तोल विभाग कम वजन वाले एलपीजी सिलेण्डरों की आपूर्ति करते पाए गए एलपीजी वितरकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हैं।

गुजरात एक्सप्रेस में आग

3184. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को मालूम है कि हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में पार्क की गयी गुजरात एक्सप्रेस रेलगाड़ी में आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी दुर्घटना के कारण क्या हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। 18.7.2010 को अहमदाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 2 पर 9011 डाउन गुजरात एक्सप्रेस के खाली रेक के प्रथम वातानुकूलित डिब्बे में आग लगने की एक छोटी सी घटना हुई थी। इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए चार रेलवे अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। इस घटना को राजकीय पुलिस द्वारा भी रिकार्ड किया गया है और नमूने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अहमदाबाद को सौंप दिए गए हैं। बहरहाल, आग लगने के कारण का अभी पता लगाया जाना है।

(ग) किए गए निरोधक उपायों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थों और खतरनाक माल ले जाने के विरुद्ध नियमित अभियान चलाए जाते हैं। दोषियों को रेलवे अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं।

2. गाड़ियों में धूमपान के खिलाफ नियमित जांचें की जाती हैं और रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत दोषियों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाते हैं।

3. रेलें आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल के लिए रेल इंजनों, वातानुकूलित सवारी डिब्बों, एसएलआर और रसोईयानों में अग्निशामक मुहैया कराती हैं।

4. रेलों के संबंधित विभागों के कर्मचारियों को सभी विद्युत उपकरणों को सही प्रकार से बंद करने और सवारी डिब्बों पर ताला लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

5. रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस और वाणिज्यिक कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों और स्टेशनों पर सामान और पार्सलों की औचक जांचे की जाती हैं। रेलों द्वारा परिवहन हेतु बुक किए गए दुपहिया वाहनों की भी जांच की जा रही है और इन वाहनों में पेट्रोल पाया जाने पर कार्रवाई की जाती है। रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस के मार्गरक्षी कर्मचारियों को चुस्त रखने के लिए अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा औचक जांचे की जाती हैं।

6. यात्रा करने वाले यात्रियों को जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए शिक्षित किया जाता है और गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने के खतरों के संबंध में प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए यात्री जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

7. संदिग्ध तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर निगरानी कैमरे लगाए गए हैं।

8. सभी गाड़ियों के मार्गरक्षी कर्मचारियों और स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशामकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और किसी संभाव्य घटना के मामले में नजदीकी अग्निसेवा केन्द्र को सूचित करने के बारे में भी इन्हें बताया जाता है।

[हिन्दी]

इज्जत मासिक सीजन टिकट

3185. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने इज्जत मासिक सीजन टिकट योजना प्रारंभ की है; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक गरीबों को वहनीय रेल यात्रा उपलब्ध कराने हेतु रेलवे द्वारा आरंभ की गई उक्त योजना से राज्य-वार लाभान्वितों की संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की सूचना राज्य-वार नहीं रखी जाती। बहरहाल, 01.08.2009 से 30.06.2010 तक की अवधि के दौरान लगभग 22.9 लाख इज्जत मासिक सीजन टिकटें जारी की गई हैं।

[अनुवाद]

मुंबई हवाई अड्डे पर बाल-बाल होने से बची दुर्घटना

3186. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मुंबई हवाई अड्डे पर हाल में बाल-बाल होने से बची दुर्घटना जिसमें जेट एयरवेज तथा एयर

इंडिया उड़ान हवा में बड़ी टक्कर से बच गए थे, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने तथा विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) दिनांक 10.07.2010 को नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) की उड़ान संख्या आईसी-174 तथा जेट एयरवेज की उड़ान सं. जेएआई 2119 के बीच समीप से गुजरने की घटना हुई। यह घटना ''गंभीर घटना'' की श्रेणी में नहीं आती क्योंकि इन विमानों में ट्रैफिक कोलाइजन एवं एवॉयडेन्स सिस्टम (टीसीएएस) लगे हुए थे और विमान यातायात नियंत्रक अधिकारियों (एटीसीओ)/पायलटों द्वारा समय से काफी पहले निवारात्मक कार्रवाईयां की गई थीं।

(ग) और (घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा नागर विमानन अपेक्षाएं जारी की गई हैं जिसमें विमानों पर एयरबोर्न कोलाइजन एवॉयडेन्स सिस्टम (एसीएएस) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है। विमान यातायात नियंत्रकों को विमान की ऊंचाई संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के प्रयोजन से देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर मोनो-पल्स सेकेण्डरी सर्विलांस राडार लगाए गए हैं। सिस्टम में विमान यातायात व्यवधान चेतावनी को शामिल करने के लिए विमान यातायात प्रबंधन सेवाओं को आधुनिकीकृत किया गया है। वायु क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए वायु क्षेत्र के फ्लैक्सिबल उपयोग को कार्यान्वित किया गया है। विमान यातायात नियंत्रकों और पायलटों की नियमित रूप से निपुणता की जांच की जाती है और जब भी आवश्यक होता है उन्हें सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में यातायात को स्थानांतरित करने के लिए विशिष्ट क्रियाविधियां बनाई गई हैं और इनकी आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। विमान यातायात प्रबंधन की निगरानी एवं विनियमन को बेहतर करने के लिए डीजीसीए में वायु क्षेत्र तथा विमान यातायात प्रबंध न का एक अलग निदेशालय है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नोटरी नियमों में संशोधन

3187. श्रीमती जे. शांता:
श्री जोस के. मणि:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नोटरी नियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्पश्चात नियुक्त नोटरियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में नोटरियों की संख्या में वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी हां। केन्द्रीय सरकार ने, तारीख 1.3.2009 को प्रवृत्त सा.का. नि. सं. 114(अ) तारीख 24.02.2009 द्वारा नोटरी (संशोधन) नियम, 2009 से नोटरी नियम, 1956 को संशोधित किया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नोटरी नियमों में संशोधन के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नोटरियों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
2.	आन्ध्र प्रदेश	18
3.	अरूणाचल प्रदेश	-
4.	असम	-
5.	बिहार	6

1	2	3
6.	चंडीगढ़	2
7.	छत्तीसगढ़	–
8.	दिल्ली	8
9.	दादरा और नगर हवेली	–
10.	दमन और दीव	–
11.	गोवा	2
12.	गुजरात	41
13.	हिमाचल प्रदेश	–
14.	हरियाणा	13
15.	झारखंड	1
16.	जम्मू और कश्मीर	–
17.	केरल	22
18.	कर्नाटक	26
19.	लक्षद्वीप	–
20.	महाराष्ट्र	–
21.	डींतींजतं	89
22.	मणिपुर	–
23.	मिजोरम	–
24.	मध्य प्रदेश	5
25.	नागालैंड	–
26.	उड़ीसा	2
27.	पंजाब	10
28.	पुडुचेरी	11
29.	राजस्थान	8
30.	सिक्किम	–
31.	तमिलनाडु	69
32.	त्रिपुरा	–
33.	उत्तर प्रदेश	22
34.	उत्तरांचल	1
35.	पश्चिम बंगाल	7

आर.पी.एफ.

3188. श्री एस.एस. रामासुब्बूः क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे पुलिस बल (आर.पी.एफ.) की अनुमोदित/वास्तविक शक्ति जरूरत/कमी जोन-वार कितनी है;

(ख) क्या रेलवे ने रिक्त पदों को भरने तथा आर.पी.एफ. कर्मियों की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क)

स्वीकृत संख्या	–	69307
वास्तविक संख्या	–	61688
रिक्तियां	–	7619

(ख) से (घ) रिक्तियां होना और भर्ती करना एक सतत प्रक्रिया है। इस समय, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण मध्य रेलवे पर कांस्टेबलों की 1393 रिक्तियों पर भर्ती संबंधी प्रक्रिया जारी है। पश्चिम मध्य रेलवे पर कांस्टेबलों की 236 रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके अलावा, रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब. में विशेषकर नए सृजित 5134 पदों के लिए शीघ्रता से रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर हैंगर

3189. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर निर्मित हैंगर इकाई की कमीशनिंग हेतु केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कमिशन किया जाएगा तथा त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर हैंगर इकाई के निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत कितनी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैसूर में एलपीजी वितरक

3190. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक के मैसूर तथा कोडागू क्षेत्र एलपीजी वितरकों की तेल कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान एलपीजी वितरकों द्वारा मैसूर तथा कोडागू क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शनों का सम-वितरण करने के लिए स्लैब प्रणाली का अनुगमन नहीं किया जा रहा है; और

(ग) उन एलपीजी वितरकों के विरुद्ध दर्ज मामलों की संख्या कितनी है जिन्होंने मैसूर तथा कोडागू क्षेत्र में घरेलू कनेक्शनों को व्यावसायिक उपयोग में बदल दिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) दिनांक 01.08.2010 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) कर्नाटक राज्य के मैसूर बाजार में 29 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों का और कोडागू बाजार में 8 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों का प्रचालन कर रही हैं। कंपनीवार ब्यौरे निम्नवत हैं:

मैसूर	कोडागू	
आईओसी	11	4
बीपीसीएल	6	1
एचपीसीएल	12	3

(ख) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि उनके एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा नये एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने हेतु कोई स्लैब या कोटा व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में, ओएमसीज के मौजूदा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से कर्नाटक राज्य के मैसूर और कोडागू क्षेत्रों सहित पूरे देश नये एलपीजी कनेक्शन यथाशीघ्र और किसी भी दशा में साठ दिनों की अवधि में उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ग) ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2009-10 और अप्रैल-जून 2010 के दौरान, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा एलपीजी सिलेंडरों के विपथन की सिद्ध शिकायतों के आधार पर कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में 2 मामलों में और कोडागू जिले में 3 मामलों में कार्रवाई की गई है।

कम्पनी लॉ बोर्ड

3191. श्री प्रदीप माझी: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक कम्पनी लॉ बोर्ड के पास निपटान के लिए कितने मामले लम्बित हैं;

(ख) क्या सीएलबी में मामलों के निपटान में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार सीएलबी में रिक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त रिक्तियों को भरने और मामलों के बैकलॉग के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) दिनांक 31.07.2010 की स्थिति के अनुसार कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की कुल संख्या 2688 है।

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा मामलों की जांच में कम्पनी विधि बोर्ड के कारण कोई विलंब नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं सात अन्य सदस्यों को मिलाकर कम्पनी विधि बोर्ड में कुल 9 पद हैं।

रिक्तियां भरने के मंत्रालय के प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्तमान में अध्यक्ष एवं पांच सदस्य कार्य कर रहे हैं। एक अभ्यर्थी जिसकी कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई थी और 03.02.2010 को नियुक्ति पत्र भेजा गया था, ने अभी तक पदभार ग्रण नहीं किया है। अ.जा. श्रेणी हेतु आरक्षित सदस्य (तकनीकी) के शेष एक पद को भरा नहीं जा सका क्योंकि अ.जा. श्रेणी से किसी अभ्यर्थी का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार, मंत्रालय, कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों के रिक्त पदों को भरने का भरसक प्रयास कर रहा है।

दादर रेलवे स्टेशन पर हॉकर

3192. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि दादर रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज पर हॉकरों ने अवैध कब्जा जमा लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा ऐसे कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे द्वारा इस कब्जे को हटाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। कुछ हॉकर दादर रेलवे स्टेशन के नए 12.0 मीटर चौड़े ऊपरी पैदल पुल और ग्रेटर मुम्बई नगर निगम के ऊपरी पैदल पुल पर समय-समय पर अतिक्रमण करते रहते हैं।

(ग) से (ङ) जब कभी अतिक्रमण नजर में आते हैं रेलवे उन्हें हटाने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। रेल सुरक्षा बल (रे.सु.ब.) अप्राधिकृत फेरीवालों के विरुद्ध नियमित अभियान चलाता है। जनवरी से जून, 2010 की अवधि में ऐसे अभियानों के दौरान रेलवे ऊपरी पुल सहित दादर रेलवे स्टेशन के 110 अप्राधिकृत फेरीवालों के विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधान के तहत रेल सुरक्षा बल द्वारा मुकदमा चलाया गया।

पीएससी की लेखापरीक्षा

3193. श्री पूर्णमासी राम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (नेल्प) के अंतर्गत उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा के अध्यधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या सीएजी ने लेखापरीक्षा पूर्ण की है; और

(ग) यदि हां, तो और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (ग) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) के तहत, सरकार या तो अपने स्वयं के प्रतिनिधियों द्वारा भारत में पंजीकृत सनदी लेखाकारों की फर्म या इस प्रयोजन से सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्रतिष्ठित परामर्शदाता फर्म के माध्यम से लेखा परीक्षा करा सकती है।

सामान्यत: पीएससीज की लेखा परीक्षा इस प्रयोजन से नियुक्त सनदी लेखाकारों की फर्म द्वारा की जाती है। तथापि, रायल्टी, लाभ पेट्रोलियम और अन्य उदग्रहणों के रूप में सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 13.11.2007 को भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) से नियमित लेखा परीक्षा के अलावा आठ ब्लाकों नामत: पन्ना-मुक्ता, मध्य व दक्षिण ताप्ती, केजी-डीब्ल्यूएन-98/3, आरजे-ओएन-90/1, राव्वा, हजीरा, केजी-ओएसएन-2001/3 तथा पीवाई-3 की एक विशेष लेखा परीक्षा कराने का अनुरोध किया था।

सीएजी ने सूचित किया है कि वे उपरोक्त 8 ब्लॉकों में से 4 ब्लॉक नामत: पन्ना-मुक्ता, मध्य व दक्षिण ताप्ती, केजी-डीडब्लयूएन-98/3 और आरजे-ओएन-90/1 का दो वित्तीय वर्षों अर्थात् 2006-07 और 2007-08 के लिए, इन वर्षों के लेन-देनों से संबद्ध पूर्व वर्षों के अभिलेखों तक पहुंच के साथ, विशेष लेखा परीक्षा करेंगे। इसके आगे यह भी संकेत दिया गया कि प्रथम चार ब्लॉकों की लेखा परीक्षा पूरी हो जाने के बाद शेष चार ब्लॉकों के लिए लेखा परीक्षा की जा सकती है। चार ब्लॉकों की लेखा परीक्षा का कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

परली-अहमदनगर रेल परियोजना

3194. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे द्वारा परली-अहमदनगर रेल परियोजना हेतु कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त प्रयोजन हेतु जारी की गई निधि और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अहमदनगर-बीड-परली-बैजनाथ नई लाइन परियोजना को महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ 50:50 पर लागत में भागीदारी के आधार पर 512.67 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर निष्पादित किया जा रहा है। 31.03.2010 तक इस परियोजना पर 61.13 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और वर्ष 2010-11 के बजट में 50 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में यह कार्य पूरा किया जाएगा।

नैनी और झांसी में रेलवे पुल

3195. श्री तूफानी सरोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नैनी और झांसी के रेलवे पुलों को जीर्ण-शीर्ण पुलों की सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या उक्त पुलों से संबंधित कोई प्रस्ताव रेलवे द्वारा प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुलों की मरम्मत/मजबूती के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) उत्तर मध्य रेलवे में नैनी और इलाहाबाद स्टेशनों के बीच यमुना नदी पर रेल एवं सड़क पुल सं. 30 (14 × 61 मी. खुले वेब गर्डर + 1 × 9.15 मी. आर्क) को नैनी पुल के नाम से जाना जाता है। झांसी पुल के नाम से कोई पुल नहीं है। इसके अलावा झांसी क्षेत्र में कोई भी पुल क्षतिग्रस्त या डिस्ट्रैस्ड पुल की सूची में नहीं है। बहरहाल, पूर्वोत्तर रेलवे में इलाहाबाद के पास रेल पुल सं. 111 (40 × 45.7 मी. गर्डर) को झांसी पुल के नाम से जाना जाता है। क्षतिग्रस्त या डिस्ट्रैस्ड पुल की सूची में न तो नैनी पुल का नाम है और न ही झांसी पुल का नाम है।

(ख) और (ग) नैनी पुल-इस पुल के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

झांसी पुल-भारी धुरा भार यातायात को शुरू किए जाने के लिए 129.90 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का पुनर्निर्माण करने की स्वीकृति दे दी गई है।

(घ) भारतीय रेल में पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है। भारतीय रेल में पुलों के मल्टी टियर निरीक्षण के लिए सुविकसित प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। फील्ड में किए गए नियमित निरीक्षणों के दौरान उनकी वास्तविक स्थिति के आधार पर रेलवे, पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण करती है। 01.04.2010 को पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण किए जाने वाले पुलों की संख्या 3960 है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय रेल में पुनर्स्थापित/पुनर्निर्मित/सुदृढ़ीकृत पुलों की संख्या और मौजूदा वर्ष में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार है:

05-06	06-07	07-08	08-09	9-10	10-11 (लक्ष्य)
1431	1114	1208	1388	1294	1345

प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति

3196. श्री अर्जुन राय:
श्री हर्ष वर्धन:
श्री जगदीश शर्मा:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मांग और आपूर्ति के अंतर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 (जून, 2010 तक) के दौरान उत्पादित प्राकृतिक गैस की मात्रा निम्नानुसार है:

(बिलियन घनमीटर (बीसीएम))

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11 (जून, 2010 तक)
ओएनजीसी	22.49	23.11	5.76
ओआईएल	2.27	2.42	0.55
निजी/संयुक्त उद्यम	8.09	21.98	7.29

(ख) 11वीं योजना के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान प्राकृतिक गैस की अनुमानित मांग क्रमश: 196.64 मिलियन मीट्रिक घनमीटर प्रतिदिन

(एमएमएससीएमडी), 22.52 एमएमएससीएमडी और 262.07 एमएमएससीएमडी थी। इसकी तुलना में वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमश: 105.28 एमएमएससीएमडी और 148. 23 एमएमएससीएमडी की आपूर्ति की गई थी। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राकृतिक गैस मौजूदा आपूर्ति लगभग 165 एमएमएससीएमडी है। इन आंकड़ों में पुर्नगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति शामिल है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, देश में प्राकृतिक गैस की घरेलू आपूर्ति मांग से कम है। सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बहुमुखी कार्यनीति अपनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) दौरों के जरिए घरेलू अन्वेषण और उत्पादन संबंधी कार्यकलापों में तेजी।

(ii) कोल बेड मीथेन (सीबीएम)

(iii) कतर, रूसी संघ, आबूधाबी, मिश्र, आस्ट्रेलिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, मलेशिया और ओमान सहित विभिन्न देशों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात।

उपर्युक्त के अलावा, भूमिगत कोयला गैसीकरण और गैस हाइड्रेट्स आकलन प्रायोगिक चरण में हैं।

[अनुवाद]

बिहार में रेल परियोजनाएं

3197. श्री नारनभाई कछाड़िया: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कई रेल परियोजनाएं अभी पूरी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) बिहार राज्य में 33 नई लाइनें, 5 आमान परिवर्तन, 12 दोहरीकरण परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं में विलम्ब के मुख्य कारण धनराशि की कमी, भूमि उपलब्धता में विलंब और इन परियोजनाओं के निष्पादन में प्रगति को प्रभावित करने वाले प्रक्रिया संबंधी मामले हैं।

(ग) परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, राज्य सरकारों और अन्य लाभार्थियों द्वारा वित्त पोषण जैसे गैर-बजटीय उपायों के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

कासगंज-बरेली के बीच रेल लाइन का आमान परिवर्तन

3198. श्री सी.आर. पाटिल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कासगंज और बरेली के बीच रेल लाइन के आमान परिवर्तन कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) आज की तारीख तक आबंटित बजट और उस पर किए गए व्यय तथा बढ़ी हुई लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा परियोजना की लागत में बिना और किसी वृद्धि के शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) कासगंज-बरेली खंड (107.50 किमी.) पर मिट्टी संबंधी, छोटे और बड़े पुल संबंधी, गिट्टी, बिजली आदि संबंधी कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। यह कानपुर-कासगंज-मथुरा और कासगंज-बरेली-लालकुआं (544.50 किमी.) आमान परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है।

(ख) और (ग) यह कार्य 395 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया था जिसकी लागत अब लगभग 1107-22 करोड़ रु. हो गई है। मार्च, 2010 तक 1052.22 करोड़ रु. का खर्च किया जा चुका है और वर्ष 2010-11 के दौरान 55 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना को आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

ट्रेनों का ठहराव

3199. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को असम राज्य के कोकराझार गोसांई गांव, फक्राग्राम, बासुगांव, बिजनी और बारपेटा स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। कोकराझार, गोसाईंगांव हाट, फकीराग्राम, बासुगांव, बिजनी और बारपेटा रोड स्टेशनों पर लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें माननीय संसद सदस्यों के अभ्यावेदन भी शामिल हैं।

(ग) इन स्टेशनों पर फिलहाल ठहरने वाली गाड़ियां निम्नानुसार हैं:

स्टेशन	ठहरने वाली गाड़ियों की संख्या
कोकराझार	17 जोड़ी एक्सप्रेस और 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां
गोसाईंगांव हाट	4 जोड़ी एक्सप्रेस और 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां
फकीराग्राम	5 जोड़ी एक्सप्रेस और 2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां
बासुगांव	2 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां
बिजनी	1 जोड़ी एक्सप्रेस और 3 जोड़ी पैसेंजर गाड़िया
बारपेटा रोड	11 जोड़ी एक्सप्रेस और 3 जोड़ी पैसेंजर गाड़िया

23.03.2010 से प्रयोगात्मक आधार पर 4055/4056 ब्रह्मपुत्र मेल को बिजनी स्टेशन पर ठहराव दे दिया गया है। बहरहाल, अन्य गाड़ियों को उपर्युक्त स्टेशनों पर ठहराव देना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

विमान यात्रियों की संख्या में वृद्धि

3200. श्री रामसिंह राठवा:
श्री सोमेन मित्रा:
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में विमान यात्रियों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ए-380 एयर बस खरीदने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान (2005 से 2009 तक) घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय सैक्टरों पर वाहित यात्रियों के ब्यौरे निम्न अनुसार हैं:

वर्ष	वाहित यात्री (मिलियन में)	
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय
2005	22.3	19.3
2006	32.7	22.5
2007	43.3	26.3
2008	41.3	28.8
2009	44.5	29.6 (अनंतिम)

(ग) और (घ) जी, नहीं। सरकार की राष्ट्रीय वाहकों के लिए ए-380 एयरबस खरीदने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने मैसर्स किंगफिशर एयरलाइन्स को 29.06.2006 को 05 ए-380 विमानों के आयात करने को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया है।

खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करना

3201. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्य सरकारों से देश के प्रत्येक जिले में किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य प्रदान करने तथा रोजगार सृजन के लिए खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन के लिए दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से देश के प्रत्येक जिले में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इस समय मंत्रालय ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रहा है।

[हिन्दी]

विमान यात्रा पर सेवा कर

3202. डॉ. भोला सिंह: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विमान यात्रा पर सेवा कर लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विमानपत्तनों पर कतिपय सेवाओं को सेवा कर से मुक्त रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी हां। दिनांक 01.05.2006 से भारत में विमान पर सवार होने वाले तथा उच्च श्रेणी (इकोनॉमी श्रेणी के अलावा) में विमान यात्रा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर सेवा कर लगाया गया हैं वित्त अधिनियम 2010 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा (इकोनॉमी क्लास) तथा घरेलू यात्रा पर सेवा कर लगाया गया था। विमान यात्रा पर सेवा कर की दरें निम्नानुसार हैं:

(i) घरेलू यात्री परिवहन सेवाओं पर कुल मूल्य का 10% अथवा 100/- रु. प्रति ट्रिप, इनमें से जो भी कम हो, की दर से सेवाकर लगाया गया है। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल में बागडोगरा हवाईअड्डों के लिए/से विमान यात्रा पर सेवाकर से छूट प्राप्त है।

(ii) इकोनॉमी श्रेणी में तथा भारत में विमान में सवार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री के लिए विमान परिवहन सेवा पर कुल मुल का 10% अथवा 500/- रु. प्रति ट्रिप, इनमें से जो भी कम हो, के हिसाब से सेवाकर लिया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। हवाई अड्डों पर निम्नलिखित सेवाओं को सेवा कर से मुक्त रखा गया है:

(i) हवाई अड्डे के भीतर की जा रही मूल गतिविधियों कर से मुक्त रखा गया है जैसे (ए) जल आपूर्ति (बी) विद्युत आपूर्ति, (सी) डिस्पेन्सरी, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम अथवा मल्टी-स्पेशलिटी क्लीनिक (कॉस्मैटिक अथवा प्लास्टिक शल्य सेवा के अलावा) द्वारा व्यक्तियों का उपचार, (डी) व्यावसायिक कोचिंग अथवा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में अलावा औपचारिक शिक्षा दिए जाने के प्रयोजन से स्कूल अथवा केन्द्र द्वारा दी जा रही सेवाएं, (ई) फायर सर्विस एजेंसियों द्वारा दी जा रही सेवाएं और (एफ) वित्त अधिनियम की धारा 66 की तहत लगाए जाने वाले संपूर्ण सेवा कर से वांछित प्रदूषण नियंत्रण सेवाएं।

(ii) हवाईअड्डे से संबंधित व्यावसायिक तथा औद्योगिक निर्माण सेवाएं।

(iii) कतिपय सेवाओं जैसे 'कैब को किराए पर उपलब्ध कराना' स्थापन, प्रचालन एवं संस्थापन सेवाओं सामान परिवहन एजेंसी सेवाओं तथा कतिपय निर्माण सेवाएं तब उपलब्ध कराई जाएंगी जब ये पूर्ण रूप से हवाईअड्डों के भीतर ही हवाईअड्डा सेवाओं की नई परिभाषा के अंतर्गत उपलब्ध होंगी।

(iv) कृषि उत्पादों का भंडारण एवं भंडारण के अंतर्गत शीत भण्डारण सुविधाएं एवं वेयरहाउसिंग सेवा, विमान प्रचालक द्वारा विमान में निर्माण किए गए सामानों का परिवहन तथा साइट इन्फार्मेशन एवं क्लीयरेन्स, हवाई अड्डे के निर्माण के दौरान खुदाई एवं डिमोलिशन सेवाएं आदि।

[अनुवाद]

बासुमति प्रेस

3203. श्री प्रबोध पांडा:
श्री गुरूदास गुप्त:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार वर्ष 2009-10 के रेलवे बजट में की गई घोषणा के अनुसार बासुमति प्रेस और मार्टिन एण्ड बर्न कंपनी का अधिग्रहण करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त प्रस्तावों को छोड़ दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनका कब तक अधिग्रहण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) बासुमति प्रेस और बर्न स्टैण्डर्ड कं.लि. का अधिग्रहण किए जाने की घोषणा 2009-10 के रेलवे बजट में की गई थी।

(ख) से (ङ) बासुमति प्रेस को सौंपे जाने के लिए रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को पिछले वर्ष अनुरोध किया था। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने जवाब दिया था कि उन्होंने इस संस्थान में पिछले वर्षों में काफी बड़ी मात्रा में निवेश किया है इसलिए रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस यूनिट आदि की वित्तीय स्थिति के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा बनाई गई आकलन रिपोर्ट सहित बासुमति प्रेस का नवीनतम तुलन पत्र प्रस्तुत किए जाने का अनुरोध किया था। पश्चिम बंगाल सरकार से अभी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक बर्न स्टैण्डर्ड कं. लि. का अधिग्रहण किए जाने का संबंध है, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कंपनी के अंतरण के लिए सरकारी अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुका है और रेल मंत्रालय ने 2010-11 के दौरान माल डिब्बों के निर्माण के आदेश पहले ही दे दिए हैं।

सीएफटीआरआई शाखा खोलना

3204. श्री वैजयंत पांडा:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा राज्य सरकार से केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) की भुवनेश्वर में एक शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भुवनेश्वर, उड़ीसा में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की शाखा खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

इस्पात का उत्पादन

3205. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री प्रदीप माझी:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सकल घरेलू उत्पाद में इस्पात क्षेत्र का योगदान क्या है और देश में कितने लोग इस क्षेत्र में नियोजित है;

(ख) वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रीय राजकोष में इस्पात क्षेत्र के अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी समिति ने हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि., एमएसटीसी, फेरो स्क्रैप निगम लि. और कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि. की संरचना, कार्यकरण और उद्देश्यों की समीक्षा की है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. साई प्रताप): (क) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस्पात सेक्टर का योगदान लगभग 2 प्रतिशत है तथा कर्मचारियों की संख्या 5 लाख से अधिक है।

(ख) 2009-10 के दौरान इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्र के उपक्रमों एवं कंपनियों ने राष्ट्रीय राजकोष में लगभग 1700 करोड़ रुपए (गैर लेखा परीक्षित अनंतिम आकलन) का योगदान दिया है। इस्पात सेक्टर के नियंत्रणमुक्त सेक्टर होने के कारण इस्पात मंत्रालय निजी इस्पात सेक्टर के संबंध में समान आंकड़े नहीं बनाए रखता है।

(ग) जी, हां। 2 सितंबर, 2009 को समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं:

हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल): एचएससीएल भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सहायता प्राप्त कंपनी है जिसकी देश में में इस्पात क्षेत्र के क्रियान्वयन व विकास में तथा अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

एमएसटीसी लिमिटेड: (i) वर्तमान व्यापार प्रारूप की बोर्ड/सरकार द्वारा समीक्षा की जा सकती है तथा अनुपालना हेतु कंपनी को उपयुक्त अनुदेश जारी किए जा सकते हैं। एमएसटीसी को अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों को पुन: शुरू करना चाहिए उदाहरणतय: इसे केवल वित्त उपलब्ध कराने तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखना चाहिए जैसा कि वर्तमान में कर रही है बल्कि इसे वास्तविक रूप से घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार से व्यापार करना चाहिए। एमएसटीसी को चरणबद्ध रूप से असुरक्षित तरीके से कार्यकारी पूंजी प्रदान करना बंद कर देना चाहिए।

(ii) एमएसटीसी का निदेशक मंडल करारनामा, वाणिज्यिक नीति, वर्तमान व्यापार प्रारूप तथा एमएसटीसी की शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा कर सकता है।

(iii) कौशल उन्नयन तथा आवश्यक मानव संसाधन विकास कार्यक्रम जो भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), कोलकाता तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) जैसे संस्थानों के माध्यम से एमएसटीसी हेतु टेलर-मेड हैं, को लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(iv) बाजार आसूचना उत्पन्न करने तथा व्यापार विकास की तात्कालिक आवश्यकता है ताकि कंपनी मात्रा के आधार पर कीमत निर्धारण बाजार परिस्थितियों के मामले में अपनी प्रक्रिया को उन्मुखी के लिए बाजार परिस्थितियों की समीक्षा कर सके।

(v) सतत विपणन प्रयासों तथा उनकी व्यवहार्यता के स्थापित होने के पश्चात प्रस्तावित व्यापार प्रयासों सहित अपने कार्यकलापों में वृद्धि द्वारा एमएसटीसी के पास मुख्य क्षेत्रों में अपना निष्पादन बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।

(vi) एजेंसी के रूप में मनोनीत किए जाने तथा स्वर्ण का वास्तविक व्यापार करने हेतु वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा दर्जा दिए जाने का एमएसटीसी द्वारा लाभ उठाया जाना चाहिए।

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल): एफएसएनएल को सेल, आरआईएनएल तथा एमएसटीसी की समान, औचित्य भागीदारी के साथ एक स्वतंत्र कंपनी बनाया जाना चाहिए।

क्रुदेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड(केआईओसीएल): केआईओसीएल के लिए यह सबसे उपयुक्त विकल्प होगा कि वह कंपनी में अपनाए जाने वाले कुछ रणनीतिगत उपायों के साथ अपने पैलेट संयंत्र तथा ब्लास्ट फर्नेस की व्यवहार्यता को सुधारने हेतु कैपेक्स प्लान के साथ स्टैंडएलान आधार पर कार्य जारी रखें।

(ङ) सिफारिशों पर निम्न कदम उठाए गए:

हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल): संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श से पुनर्निर्माण-सह पुनरूत्थान विचाराधीन हैं।

एमएसटीसी लिमिटेड: एमएसटीसी को समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई है।

फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल): यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान संरचना में संतोषजनक कार्य को देखते हुए एफएसएनएल के मामले में पूर्व स्थिति को बनाए रखा जाए।

क्रुदेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (केआईओसीएल): केआईओसीएल को एक स्वतंत्र कंपनी बने रहने में सक्षम करने हेतु अनेक उपाय शुरू किए गए हैं तथा इनकी सरकार द्वारा निगरानी की जा रही है।

2. इस्पात मंत्रालय का उद्देश्य अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली को सुधारना है जो कि एक अनवरत प्रक्रिया है। इसी भावना से सीमिति स्थापित की गई थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ-साथ समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन को अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों तथा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ परामर्श की आवश्यकता है। इसे अनेक वैधानिक तथा कार्यविधिक कदमों के पूरा होने की भी आवश्यकता है जिनमें से कुछ को अन्य मंत्रालयों तथा विभागों के निर्णय एवं कार्रवाई की आवश्यकता है। अत: सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकी।

[हिन्दी]

आम आदमी को त्वरित न्याय

3206. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री तकाम संजय:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया तथा उस पर होने वाले व्यय के कारण न्याय बहुत खर्चीला हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम आदमी को त्वरित तथा वहनीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ग) (i) सरकार ने न्यायालयों में मामलों की लंबित संख्या को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। अक्तूबर, 2009 में न्याय विभाग द्वारा आयोजित 'लंबित मामलों की संख्या और उनके विलंब को कम करने के लिए न्यायपालिका के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय परामर्श' में कार्य योजना को उपदर्शित करने वाला एक 'दृष्टिकोण विवरण' प्रस्तुत किया गया था।

इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने, सिद्धांत रूप से 'राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन' की स्थापना करने का विनिश्चिय किया है। यह आशा की जाती है कि न्यायालयों में मामलों की लंबित संख्या की अवधि वर्ष 2012 तक औसतन 15 वर्ष से घटाकर औसतन तीन वर्ष तक तब की जाएगी जब राष्ट्रीय मिशन दृष्टिकोण विवरण में परिकल्पित कार्य योजना को पूर्णतया कार्यान्वित करने की अपनी रणनीतियों को प्रभावी कर दिया जाता है। न्याय विभाग इस समय राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करने के विषय में अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(ii) सरकार ने देश में न्याय प्रदान प्रणाली का सुधार करने के लिए राज्यों को 5000 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराने के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है। 500 करोड़ रुपए की पहली किश्त राज्यों को पहले ही जारी की जा चुकी है। इन अनुदानों की सहायता से, अन्य बातों के साथ, राज्य प्रात:कालीन/सायंकालीन/पाली/विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित कर सकते हैं और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने की दृष्टि से तथा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अधिक लोक अदालतें आयोजित कर सकते हैं।

(iii) त्वरित निपटान न्यायालों को लंबे सेशन मामलों और विचाराधीन कैदियों से संलिप्त मामलों को निपटाने के लिए स्थापित किया गया था।

(iv) सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया है, जो पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों को स्थापित करने का उपबंध करती है। 5000 से अधिक ग्राम न्यायालयों को संपूर्ण देश में स्थापित किए जाने की प्रत्याशा की जाती है। तारीख 31.07.2010 तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र ने, एक साथ मिलाकर, 144 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया है जिनमें से आज तक 47 ग्राम न्यायालयों को प्रचालित कर दिया गया है। ये न्यायालय आम आदमी को विशिष्टितया, जो ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, को सस्ता और सुलभ न्याय को प्रदान करेंगे।

रेलवे की खाली भूमि

3207. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री के. शिवकुमार उर्फ **जे.के. रितीश:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अन्य रेल जानों सहित पश्चिम रेलवे में रेलवे भूमि का बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख की स्थिति के अनुसार जोन-वार रेलवे की खाली पड़ी भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे के पास खाली पड़ी भूमि को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातिय समुदाय के लोगों को आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आबंटित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान रेलवे को उक्त भूमि के उपयोग तथा वाणिज्यिकीकरण से जोन-वार कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

रेलवे परिसर में पार्किंग सुविधा

3208. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को यात्रियों से भुसावल मंडल के रेलवे परिसर में निजी ठेकेदार द्वारा संचालित पार्किंग स्थल में वाहनों की पार्किंग के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस पर क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) अप्रैल, 2007 से जुलाई, 2010 तक भुसावल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर वाहनों की पार्किंग के संबंध में 41 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

शिकायतों के किस्म	शिकायतों की संख्या
अधिक प्रभार लगाना	17
दुर्व्यवहार	5
कम समय के लिए पार्किंग प्रभार	7
वाहनों को नुकसान	4
बोर्ड का डिस्पले न होना	2
रसीद जारी नहीं किया जाना	2
डुप्लीकेट पार्किंग टिकट जारी करना	1
सही कूपन का जारी नहीं किया जाना	1
मासिक पास जारी नहीं किया जाना	2

(ग) भुसावल मंडल में दर्ज की गई 41 शिकायतों में से 13 मामलों में कुल 29,000/- रु. दंड लगाया गया था, 13 मामलों में चेतावनी पत्र जारी किए गए थे, 3 शिकायतें शिकायतकर्ताओं द्वारा वापस ले ली गयी, 11 शिकायतों को सही नहीं पाया गया था और एक मामले में ठेका रद्द कर दिया गया था।

अपतटीय ड्रिलिंग रिग्स की मांग और आपूर्ति

3209. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपतटीय ड्रिलिंग रिग्स विशेषकर जैकअप रिग्स, जो छिछले पानी में कार्य करता है, की मांग और आपूर्ति के बीच में वैश्विक असंतुलन से पिछले छह माह में डे हायरिंग दरों में 15 प्रतिशत तक की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त असंतुलन का अब तक बाजार और उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) से (घ) वर्तमान में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैक-अप रिग्स की कोई कमी नहीं है। नवम्बर, 2009 से ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) ने जैक-अप रिग्स को भाड़े पर लेने के लिए दो (2) निविदाएं पूरी की हैं तथा कैंटीलीवर प्रकार के जैक-अप रिग्स के लिए 15.89% तक भाड़ा दरों में कमी आई है। संभवत: उन्नत उपलब्धता और जैक-अप रिग्स के लिए वैश्विक मांग में परिवर्तन के कारण, जैक-अप-रिग्स की भाड़ा दरों में कमी आई है।

ओएनजीसी द्वारा पिछली दो निविदाओं में भाड़े पर लिए गए जैक-अप रिग्स के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र.सं.	निविदा सं.	माह	रिग्स का नाम	रिग का प्रकार	मूल्यांकित दैनिक दर (ईडीआर) (अमरीकी डालर में)
1	2	3	4	5	6
1.	पी-46जेसी 09005	नव. 2009	ईडी-होल्ट	कैंटीलीवर प्रकार	74900
2.	(अंतर्राष्ट्रीय	नव. 2009	ट्राइडेंट	कैंटीलीवर प्रकार	74900
3.	प्रतिस्पर्द्धा बोली (आईसीबी) निविदा)	दिस. 2009	केदारनाथ	स्लाट प्रकार	60300
1.	पी-46जेसी 09011 (आईसीबी निविदा)	अप्रैल 2010	नोबल चार्ली येस्टर	कैंटीलीवर प्रकार	62995

1	2	3	4	5	6
2.		अप्रैल 2010	जेटी ऐंजल	कैंटीलीवर प्रकार	62995
3.		अप्रैल 2010	रान टैप मेयर	कैंटीलीवर प्रकार	62995
4.		अप्रैल 2010	ट्राइडेंट 12	कैंटीलीवर प्रकार	62995
5.		अप्रैल 2010	डीप सी फासिल	कैंटीलीवर प्रकार	62995
6.		अप्रैल 2010	एनस्को 57	कैंटीलीवर प्रकार	62995
7.		अप्रैल 2010	नोबल जार्ज डीलने	कैंटीलीवर प्रकार	62995

दैनिक दर में यह कमी लाभदायक है और इससे कम दरों पर रिग्स स्रोत करने में ओएनजीसी को मदद मिलती है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन

3210. श्री आर.के. सिंह पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयातित कच्चे तेल तथा देश में उत्पादित कच्चे तेल पर कुल कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या सरकार आगामी पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): (क) वर्ष 2009-10 के दौरान आयातित कच्चे तेल का कुल मूल्य 3,75,378 करोड़ रुपए (79,552 मिलियन अमरीकी डॉलर) था। स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्चे तेल के संबंध में तुरंत सूचना उपलब्ध नहीं है और सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) और (ग) स्वदेशी स्रोतों से अपनी अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन कार्यों को गति देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

(i) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी/कोल बैड मिथेन (सीबीएम) नीति के विभिन्न दौरों के तहत पेशकश के लिए अन्वेषण हेतु अधिकाधिक क्षेत्रों को लाना।

(ii) मौजूदा क्षेत्रों से निकासी में वृद्धि के लिए वर्धित तेल निकासी (ईओआर)/उन्नत तेल निकासी (आईओआर) का अनुप्रयोग।

(iii) इक्विटी तेल लाने के लिए विदेश में अन्वेषण रकबों और तेल उत्पादक संपत्तियों का अर्जन।

(iv) पुराने होते जा रहे क्षेत्रों से कमी को नियंत्रित करना।

(v) बायो डीजल, ऐथनोल आदि जैसे गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग द्वारा तेल का प्रतिस्थापन।

उपयुक्त उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करते हुए राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट्स कार्यक्रमों (एनजीएचपी) के तहत गैस हाइड्रेटों से गैस का निष्कर्षण।

[अनुवाद]

सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू किया जाना

3211. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की योजना गांधीधाम से भिलडी, दीसा, पालनपुर, आबू रोड, फलना, मारवाड, अजमेर, जयपुर, रेवाड़ी,

गुड़गांव, दिल्ली छावनी होकर नयी दिल्ली स्टेशन तक आश्रम एक्सप्रेस जैसी दैनिक सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू करने की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सागर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3212. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009-10 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के सागर जिले में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सागर जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं और तदनुसार देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या संबंधी आंकड़े मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद, भारत सरकार की प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अनुसार सागर जिला समेत मध्य प्रदेश में कुल 517 पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें चल रही हैं। तथापि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के तहत, मध्य प्रदेश की इकाइयों समेत मंत्रालय द्वारा उन्हीं इकाइयों के राज्य-वार आंकड़े रखे जाते हैं जिन्हें मत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी है:

राज्य का नाम	2009-10 जारी की गई राशि	2010-11 (आज की तिथि के अनुसार) जारी की गई राशि
मध्य प्रदेश	273.03	128.96

(ख) सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना और आधुनिकीकरण, बुनियादी अवसंरचना का सृजन, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट जैसी गुणवत्ता प्रणालियों का कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रही हैं। सरकार ने खाद्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कमी, उत्पाद शुल्क को समाप्त करने/घटाने जैसे अनेक वित्तीय उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, हैजार्ड, एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी), जैसी गुणवत्ता प्रणालियों के कार्यान्वयन, अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रोत्साहन, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास संबंधी अपनी योजना स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराता है ताकि वे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु नए संस्थानों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने तथा मौजूदा संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं साथ ही अंगूर, मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए भी कदम उठाए हैं। मंत्रालय की पहलों में शामिल हैं–राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता तथा प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना, राष्ट्रीय मांस एवं पॉल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना, भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीपीटी) की स्थापना एवं राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) का सुदृढ़ीकरण करना।

[अनुवाद]

कॉमर्शियल पायलट

3213. श्री नरहरि महतो:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एयर इंडिया और निजी विमान कंपनियों में कॉमर्शियल पायलटों की भर्ती के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नये कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारक की बजाय टापप रेटिंग के आधार पर पायलटों की नियुक्ति करने का है;

(ग) यदि हां, तो उन नए कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों का भविष्य क्या होगा, जो अपने प्रशिक्षण पर 20 लाख रुपए का खर्चा करने के बाद भी बेरोजगार हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन बेरोजगार कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस धारकों को ग्राउन्ड स्टाफ या विमान यातायात नियंत्रण सेवाओं में समायोजित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) वाणिज्यिक पायलटों के रूप में नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास एक वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) होना चाहिए जो नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी अथवा वैध करार दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। पायलट की नियुक्ति के लिए मूलभूत अर्हकता वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) है। बहरहाल, एयरलाइनें व्यावसायिक/तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर सुरक्षा के हित में अतिरिक्त टाइप रेटिड अर्हता वाले पायलटों को लगाने/नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस समय इंडियन एयरलाइन्स द्वारा नए सीपीएल धारकों को नियुक्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) सीपीएल धारकर ग्राउंड स्टाफ तथा विमान यातायात नियंत्रण (एटीसी) सेवाओं हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बशर्ते उनके पास आवश्यक अर्हता हो।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सभी घरेलू एयरलाइनों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहित सभी हवाई अड्डा प्रचालकों की अपनी भर्ती एवं प्रशिक्षण नीतियां हैं और सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है।

रेलवे की मालभाड़ा क्षमता

3214. श्री वरूण गांधी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न गलियारों/मार्गों पर रेलवे की मालभाड़ा ढुलाई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार वस्तुओं के त्वरित संचलन के लिए अधिक समर्पित मालभाड़ा गलियारों का सृजन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) भारतीय रेल नेटवर्क एक ही रेलपथ पर माल और यात्री यातायात दोनों को ढोती है इसलिए सिर्फ समग्र क्षमता की गणना की जाती है। 2009-10 के दौरान, रेलवे ने लगभग 888 मिलियन टन प्रारंभिक माल यातायात और लगभग 7.4 बिलियन प्रारंभिक यात्री यातायात ढोया है। अधिकांश यातायात उन मार्गों पर चलता है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई चार महानगरों से जुड़े हैं। ये भारतीय रेल की उच्च घनत्व नेटवर्क हैं। उच्च घनत्व नेटवर्क पर अधिकांश खंड संतृप्त हैं। अत: प्रारंभ में दो कॉरीडोरों अर्थात दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा के लिए, भारतीय रेल ने लुधियाना को दानकुनी से जोड़ते हुए पूर्वी समर्पित माल गलियारा और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को तुगलकाबाद/दादरी से जोड़ते हुए पश्चिम समर्पित गलियारा बनाने का विनिश्चय किया है। पूरा होने पर इनसे माल यातयायात को ढोने के लिए पर्याप्त क्षमता की वृद्धि होगी।

(ख) और (ग) रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित चार भविष्य के समर्पित माल गलियारा परियोजनाओं को प्राथमिक इंजीनियरिंग सह यातायात सर्वेक्षण (पीईटीएस) के लिए चिन्हित किया है:

(i) पूर्व पश्चिम गलियारा (कोलकाता-मुंबई)

(ii) उत्तर-दक्षिण गलियारा (दिल्ली-चेन्नई)

(iii) पूर्वी तट गलियारा (खड़गपुर-विजयवाड़ा)

(iv) दक्षिणी गलियारा (गोवा-चेन्नई)

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

3215. श्री अर्जुन मुंडा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मार्च, 2010 तक 'मॉडल रेलवे स्टेशन' योजना के अंतर्गत प्रत्येक मंडल में पांच रेलवे स्टेशनों के पुनरुद्धार और उनमें यात्री सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अभी तक झारखंड के कितने स्टेशनों का पुनरूद्धार किया गया है और उनमें यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2006 में यह विनिश्चिय किया गया था कि प्रत्येक मंडल पर मॉडल स्टेशन अथवा महत्वपूर्ण स्टेशनों के रूप में घोषित स्टेशनों में से 5 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाए। परिणामस्वरूप, वर्ष 2006-07 के दौरान 334 स्टेशन और 2007-08 के दौरान 303 स्टेशन इस प्रयोजन के लिए चुने गए। इस समय, आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों का विकास किया जाता है।

(ग) आधुनिकीकरण योजना के तहत झारखंड राज्य में 24 स्टेशनों का विकास किया गया है।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 10 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 2831/15/10]

कार्पोरेट मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (परिसमापन और विघटन) नियम, 2010 जो 30 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 266 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 2832/15/10]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 1548 (अ) जो 25 जून, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निदेशक, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को, केवल ऐसे मामलों के संबंध में जहां केन्द्रीय सरकार गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, उक्त अधिनियम की धारा 235 या धारा 237 के अंतर्गत कंपनी के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 2833/15/10]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 2834/15/10]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 2835/15/10]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सत्ताओं को प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को बिछाने, निर्मित करने, प्रचालित करने अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2010 जो 9 जुलाई, 2010 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 2836/15/10]

(2) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 2837/15/10]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरूण यादव): मैं हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2010-2011 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, **देखिए** संख्या एल.टी. 2838/15/10]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 4) विधेयक 2010 के, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 5 अगस्त, 2011 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

अपराह्न $12.02^{1}/_{2}$ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): महोदय, मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी के तेरहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के अध्याय-एक तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति (2009-10) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) को अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (2009-10) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति का दसवां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2009-10) के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (2009-10) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

एयर इंडिया के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में दिनांक 29.7.2010 के अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): आपकी अनुमति से मैं एयर इंडिया कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में श्री ए. वेंकटरामी रेड्डी और श्री एन. चेलुवरया स्वामी द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 807 के 29.07.2010 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं।

यह शुद्धिपत्र श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी तथा श्री एन. चेलुवरया स्वामी द्वारा दिनांक 29.07.2010 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 807 के भाग(क) और (ख) के उत्तर से संबंधित है। उत्तर में जेट एयरवेज के पायलटों द्वारा की गई हड़ताल की तिथियां गलती से 08.09.2010 से 12.09.2010 दर्शाई गंई है जबकि हड़ताल की तारीख 08.09.2009 से 12.09.2009 थी।

इसलिए, उपर्युक्त प्रश्न के भाग-(क) और (ख) के उत्तर के अंतिम वाक्य को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

'दिनांक 08.09.2009 से 12.09.2009 तक जेट एयरवेज के पायलटों द्वारा बीमार होने की सूचना देकर उत्प्रेरक हड़ताल की गई थी।'

[ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल.टी. 2839/15/10]

अपराह्न 12.05 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

जाति-आधारित जनगणना की पद्धति पर निर्णय के बारे में—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह कुछ माननीय सदस्यों ने जाति आधारित जनगणना की क्रियाविधि के बारे में अपने मत व्यक्त किए।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, इस मुद्दे को विगत सत्र में उठाया गया था। तत्पश्चात् माननीय प्रधानमंत्री ने इस संबंध में एक मंत्री समूह का गठन किया है जिसने कैबिनेट की बैठक में इस पहलू पर विचार किया। मंत्री समूह ने सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिखा और हमें राजनीतिक दलों से इसका उत्तर प्राप्त हो गया है। मंत्री समूह की कल बैठक हुई और उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के लिखित उत्तरों पर विचार किया। मंत्री समूह ने यह निर्णय लिया कि जनगणना की समग्रता पर प्रभाव डाले बिना जाति को जनगणना में शामिल किया जाएगा। यह कैसे और कब किया जाएगा इस पर विचार किया जा रहा है।

आज नेताओं द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन सभी पर विचार किया जाएगा और इसकी क्रियाविधि पर शीघ्र ही समुचित निर्णय लिया जाएगा। चूंकि निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा इसलिए मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लेने के पश्चात ही इस सभा को सूचित करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: महोदय, अब सभा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लेगी।

श्री जगदम्बिका पाल

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदय, मुझे माननीय अध्यक्षा द्वारा मुझे कहा गया था कि मुझे कुछ जानकारी देने हेतु एक मिनट बोलने की अनुमति दी जाएगी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कोई सूचना नहीं मिली है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी कोई नोटिस नहीं है। आपने लिखकर नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैं एक जानकारी देने वाला हूं।

उस दिन मैंने यह मुद्दा उठाया था कि कुमारी ममता बनर्जी, जिन्हें "जेड प्लस" सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है, को अपने काफिले में लालगढ़ से आते समय बहुत बड़े ट्रक ने टक्कर मार दी। मुद्दा है कि बहुत बड़े ट्रक ने काफिले में घुसकर सुरक्षा बलों से भरी कार को टक्कर मार दी। उस कार ने पुन: पुन: कुमारी ममता बनर्जी की कार से टक्कर मार दी। वह थोड़ी घायल हो गयीं। उन्हें दो दिन बाद चिकित्सक ने तुरंत अस्पताल में भर्ती हो जाने की सलाह दी। यद्यपि उन्हें अस्पताल जाने का मन नहीं है। सामान्यतया अपनी आदत के मुताबिक वह अस्पतालों, चिकित्सकों के पास नहीं जातीं। किसी तरह घर पर उनका इलाज चल रहा है।

इस संबंध में, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की जांच करे तथा पता लगाए कि जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को ट्रक कैसे टक्कर मार सकता है और यह पूरे काफिले में कैसे घुस गया। यदि इसे चुनौती नहीं दी गयी तो उन्हें राजनीति से शारीरिक रूप से हटाने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में कई बार टक्कर मारी गयी है। इसलिए हम आशंका व्यक्त करते हैं कि उनकी जिन्दगी खतरे में है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात समाप्त करने दें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अविलम्ब लोक महत्त्व के विषय लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। वह जो कह रहे हैं, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं समझता हूं कि आपने पर्याप्त बातें कह दी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे ख्याल से आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। आप बहुत बोल चुके।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: किसी की बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात खत्म कीजिए। आपकी बात आ गई है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: सुदीप जी, आपने अपनी बात रख ली है, अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सुदीप जी, आपने अपनी बात कह दी है। अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: जगदम्बिका पाल जी, आप अपना ध्यानाकर्षक प्रस्ताव पेश करें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं अपने तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का और अपने वामपंथी दलों के सदस्यों का *...(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (सारण): एक मिनट पहले मेरी बात सुन लें। उपाध्यक्ष जी, ममता जी के साथ ऐसा इंसीडेंट पहली बार हुआ है। हम लोग पूरे हाउस की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि वह जल्दी निरोग होकर सदन में आएं और यहां फिर से शांति हो सके। *...(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: उपाध्यक्ष महोदय, ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए पूरा सदन चिंतित है। मैं भी इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से पूरे देश की जनता के समक्ष जो चिंता है, वह प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: पहले आप अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करें। उसके बाद जवाब होगा, फिर आप विस्तार से बताएं।

अपराह्न 12.14 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में आहार और खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर अपमिश्रण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में आहार और खाद्य पदार्थों के बड़े पैमाने पर अपमिश्रण से उत्पन्न स्थिति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): महोदय, मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने देश में खाद्य और खाद्य पदार्थों के अनियंत्रित अपमिश्रण से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए उपायों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का विषय हाल ही में इस सदन, प्रचार माध्यमों तथा आम आदमी का काफी ध्यान आकर्षित करता रहा है। मुझे खुशी है कि इस सम्मान्य सदन ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय दिया है जो प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करता है। मुझे आशा है कि हम इस पर कार्रवाई करने के लिए कुछ ठोस और कीमती सुझाव देने में समर्थ होंगे।

चर्चा शुरू करने से पहले मैं, सम्मान्य सदन को इसके कानूनी उपबंधों के बारे में सूचित करना चाहूंगा। हमारे देश में खाद्य वस्तुओं के गुणवत्ता मानकों को खाद्य अपमिश्रण निवारण (पीएफए) अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अनुसार विनियमित किया जाता है। खाद्य अपमिश्रण निवारण का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है। तदनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सौंपा गया है। केन्द्र सरकार विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मानकों और योज्यों, लेबलिंग, संदूषकों आदि के इस्तेमाल के संबंध में विनियमन निर्धारित करती है। यह मुख्य रूप से इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत सौंपे गए विभिन्न सांविधिक कार्यों/कर्तव्यों का पालन करने के अलावा इसके कार्यान्वयन में एक सलाहकारी भूमिका निभाती है। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकारियों को समुचित निर्देश भी जारी करती है, और उन्हें सावधान करती है कि वे उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य सुनिश्चित करने हेतु अपने-अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखें।

जहां तक क्रियाविधि का संबंध है, राज्य, खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के प्रवर्तन कर्मचारी विनिर्माताओं, थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं जैसे विभिन्न खाद्यों के यादृच्छिक नमूने लेते हैं और संदिग्ध स्थानों पर छापे भी मारते हैं तथा इन नमूनों का यह देखने के लिए खाद्य जांच प्रयोगशालाओं में विश्लेषण करवाते हैं कि ये नमूने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1995 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्य उपबंधों के अधीन निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। ऐसे लोगों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जाती है, जो अपमिश्रण या गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन एवं व्यापार में संलिप्त रहते हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16 के अंतर्गत नकली/अपमिश्रित खाद्य सामग्री की बिक्री के लिए शास्ति विद्यमान है। शास्ति अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है:

यदि कोई व्यक्ति बिक्री के लिए किसी ऐसे पदार्थ का विनिर्माण करता हो या किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का भंडारण करता हो या वितरण करता है, जिसे गुणवत्ता के कारण अपमिश्रित घोषित कर दिया गया हो, जिससे स्वास्थ्य की हानि होती हो तो इसके लिए न्यूनतम छह माह की अवधि तक कारावास की शास्ति दी जाती है किन्तु जो तीन वर्षों तक हो सकती है तथा अर्थदंड लगाया जा सकता है जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा।

यदि कोई व्यक्ति बिक्री के लिए किसी ऐसे खाद्य पदार्थ का विनिर्माण करता हो या भंडारण, बिक्री या वितरण करता हो जिसे निर्धारित मानदंडों के अलावा अन्य रंजन सामग्री निहित होने के कारण अपमिश्रित घोषित किया गया हो तो शास्ति न्यूनतम एक वर्ष का कारावास है किन्तु जिसे बढ़ाकर छह वर्ष किया जा सकता है और अर्थदंड जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा, लगाया जा सकता है।

अपमिश्रण से आईपीसी की धारा 320 की परिभाषा के भीतर गंभीर चोट होने अथवा जीवन पर खतरा होने की स्थिति में अर्थदंड जो 5000 रु. से कम नहीं होगा, के साथ आजीवन कारावास तक कारावास का उल्लेख किया गया है।

देश में खाद्य सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को बेहतर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रशासित अनेक खाद्य संबंधी कानूनों और आदेशों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के साझा संरक्षण में लाकर तथा उन्हें एक नए एकल प्राधिकरण नामत: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण के पर्यवेक्षण में ला करके समेकित एवं एकीकृत करने का केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास किया गया है। नया अधिनियम एक समग्रतावादी दृष्टिकोण से खाद्य सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करता है जिसमें खाद्यों को बाजार से हटाना, सुधार संबंधी सूचना और अपमिश्रित

या हानिकारक खाद्य सामग्री द्वारा उपभोक्ता को क्षति या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अथवा कानूनी प्रतिनिधि के लिए विक्रेता या विनिर्माता द्वारा मुआवजा दिए जाने संबंधी उपबंध शामिल हैं।

खाद्य अपमिश्रण या तो घटिया पदार्थों के अपमिश्रण या प्रतिस्थापन द्वारा या कुछ बहुमूल्य अवयव हटा करके बिक्री के लिए रखे गए खाद्य की गुणवत्ता को जानबूझकर दूषित करने का कृत्य है। दृश्यमान परिमाण में वृद्धि करने और उत्पादन लागत में कमी लाने अथवा अन्य किसी प्रकार से धोखा देने अथवा दुर्भावना के प्रयोजन से अधिक कीमती पदार्थों में इरादतन अपमिश्रक डाले जा सकते हैं। यह कई तरह से किया जाता है। इसमें दूध में पानी मिलाकर अपमिश्रण से लेकर, खाद्य पदार्थों एवं मिठाइयों में अपमिश्रक मिलाना, फलों को कृत्रिम रूप से पकाना और आक्सीटोसिन सहित रसायनों का फल और सब्जियों में इंजेक्शन लगाने की घटना शामिल है जो प्राय: चर्चा का विषय होती है।

दूध और दूध से बने पदार्थों जैसे घी, मावा इत्यादि को तैयार करने में जानवरों की चर्बी और यूरिया के दुरुपयोग के मामले के बारे में रिपोर्ट आती रही है। केन्द्र सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं कि वे दूध और दूध से बने पदार्थों के यादृच्छिक नमूने लेकर विशेष अभियान चलाकर दूध और दूध से बने पदार्थों की गुणवता पर कड़ी निगरानी रखें तथा पीएफए अधिनियम, 1954 और पीएफए नियमावली, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य निवारक कार्रवाई करें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा नियमित रूप से दूध से बने उत्पादों, खाद्य तेलों, सब्जियों, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्रियों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते हैं और अपमिश्रित खाद्य पदार्थों की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी के खिलाफ पीएफए अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2006-08 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाए गए दोषसिद्ध मामलों की संख्या सहित पूंजीकृत और चालान किए गए मामलों की संख्या के संबंध में विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (उपाबंध-I)

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों ने पेय पदार्थों, दूध और दूध से बने पदार्थों जैसी वस्तुओं में अपमिश्रण की उच्च प्रतिशतता दर्शाई है। राज्यों से प्राप्त कुछ हालिया डाटा सदन के पटल पर रख दिया गया है। (उपाबंध-II)

2008 में, चीन में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में मेलामाइन की मिलावट और उस मिलावट की वजह से बच्चों की मृत्यु की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इसके परिणमस्वरूप, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने चीन से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध के लिए आदेश जारी किए थे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, खाद्य पदार्थों में मिलावट का प्रतिशत 2006 में संकलित नमूनों के 8.44 प्रतिशत से कम होकर 2008 में 7.73 प्रतिशत हो गया।

राज्यों/संघ राज्यों की सरकारों द्वारा दुग्ध उत्पादों, खाद्य तेल, सब्जियों, मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्यों के नमूने नियमित रूप से उठाए जाते हैं और मिलावटी खाद्य की शिकायतों के मामले में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष 2007 से संबंधित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अभियोग के 3495 मामले आरंभ किए गए थे जिनमें से 2409 मामले दोषसिद्धि के पाए गए। 30699 मामले न्यायालयों में निपटाने के लिए लंबित थे।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं खाद्य सुरक्षा के सभी नियमों का संचालन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं इस सम्मान्य मंच के जरिये सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों और उनके खाद्य सुरक्षा संचालकों से अपने प्रवर्तन तंत्रों को मजबूत करने, अनैतिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने तथा त्वरित विचारण के लिए प्रयास करने का अनुरोध करूंगा ताकि ऐसे जघन्य अपराधी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ न कर सकें तथा दोषसिद्धियों को शीघ्र ध्यान में लाया जाए। महोदय, मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे अनुचित कृत्यों की जांच हेतु अपेक्षित उपायों को लागू करने में कोई ढील नहीं बरती जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि 2006 में जो मिलावट देश के खाद्यान्न या मिल्क प्रोडक्ट में थी, वह 8.44 प्रतिशत थी। वर्ष 2008 में 7.73 प्रतिशत हो गई। माननीय मंत्री जी के हिसाब से मिलावट में कमी आ रही है, यह आपने आंकड़ों से सिद्ध करने की कोशिश की है। लेकिन पूरा देश जानता है कि अगर परिणामों को देखें तो आज कोई दिन नहीं जाता होगा कि जिस दिन मिलावट की चर्चा न हो। कल राजस्थान से टी.वी. पर रिपोर्ट आ रही थी कि सरस जो राजस्थान की कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उसके दूध में मिलावट है। कहीं फूड प्रोडक्ट में मिलावट है, कहीं घी, मसाले, दाल, एडिबल ऑयल्स में मिलावट

है और यहां तक कि अभी सब्जियों में भी मिलावट है। सब्जियों में अभी जिस तरीके से ऑक्सीटौसिन की बात की गई है, उस इंजेक्शन से सब्जियों के साइज को बढ़ाने के लिए और वे अच्छा दिखें, लगातार अधिक मुनाफा कमाने के और अधिक उत्पादन के चक्कर में जिस तरीके से अभी देश के बड़े शहरों में मिलावट हो रही थी, अभी वह मिलावट गांवों तक पहुंच गई है। उसके बावजूद भी आपने यह कहा कि आंकड़ों के हिसाब से कम हो रहा है लेकिन मैं समझता हूं कि चाहे वह दिल्ली हो या देश का और कोई भी राज्य हो, आज मिलावट की निरन्तरता बढ़ती जा रही है।

आज मिलावट केवल एक चीज में नहीं है। आज मिलावट सभी चीजों में हो रही है। आप समझते हैं, आपने अभी खुद ही महसूस किया कि सब्जियों के लिए, फलों के लिए जिस तरीके से ऑक्सीटौसीन का प्रयोग किया जा रहा है कि जो छोटी सब्जियां हैं, चाहे वे लौकी हो या करेला हो या वॉटरमेलन हो, उसको बढ़ाने के लिए और उसको आकर्षक बनाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। दूध के अधिक उत्पादन के लिए जिस तरीके से गाय और भैंस को ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, वह भी न केवल देश के जन-जीवन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है बल्कि वह एक स्लो पॉइजन है जिसका असर किडनी, लीवर और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है जिसकी रिपोर्ट आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के पास है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आज सरसों के तेल में आर्जीमोन्स मिलाये जा रहे हैं जिसके नाते ड्रॉप्सी हो रही है, दाल में खिसारी है और फलों में जिस तरीके से कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जा रहा है जिसके नाते फल दिखने में बहुत अच्छे लगें, फल बहुत बड़े-बड़े दिखने में लगें, लेकिन उन फलों में जो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है, क्या आप उसके इंग्रेडिएंट्स जानते हैं कि उनमें आर्सनिक और फॉस्फोरस है। यह आर्सनिक और फॉस्फोरस बम बनाने में प्रयोग किया जाता है, यह रिपोर्ट भी आपके पास है। मैं समझता हूं कि उत्तर में आप जरूर कहिएगा अगर मैं इस बात को गलत कह रहा हूं।

आज जिस चीज से क्रैकर्स, पटाखे बनाये जा रहे हैं, बॉम्ब्स बनाये जा रहे हैं। यदि फलों को बढ़ाने के लिए, फलों के साइज को आकर्षक करने के लिए अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो जैसे आपने कहा कि एक साल की सजा, एक हजार रुपये दंड या दो साल की सजा हो सकती है, परंतु यदि मृत्यु हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक दिन इन फलों या सब्जियों को खाने पर मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं कि सभी डाक्टर्स और साइंटिस्ट्स की रिपोर्ट है कि अगर हम निरंतर इस तरह की सब्जियों, फलों और मिलावटी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम धीरे-धीरे मीठे जहर के रूप में ले रहे हैं, जिसके अंततोगत्वा कई कारण मौत के बनते हैं। फिर आप तात्कालिक रूप से कैसे सिद्ध कर सकते हैं।

महोदय, इसके अलावा जो आपके एक्ट हैं, जिनका आपने उल्लेख किया है, वे सारे एक्ट अस्तित्व में हैं। लेकिन उन एक्ट के अंतर्गत आपने खुद ही बताया है कि वर्ष 2006 से 2008 तक इनके अंतर्गत जो चालान किये गये हैं और जो कंविक्शन हुआ है, वे 2006 में टोटल केसिज में जो चालान हुए हैं, उनकी संख्या 7695 है। 2007 में 3902, 2008 में 3250 है। 2006 में 1284 केसिज में कंविक्शन हुआ है। 2007 में 2472 और 2008 में 591 हुए हैं। इस तरह से निरंतर चालान की संख्या घटती जा रही है। जहां मिलावट बढ़ती जा रही हैं, वहीं पूरे राज्यों, यूनियन टैरिटरीज और देश में छापों की संख्या और केसिज के प्रोसीक्यूशन की संख्या घटती जा रही है। अगर 2006 में 7000 थे तो 2007 में तीन हजार रह गये और 2008 में 3250 रह गये। क्या आप इस बात से चिंतित नहीं होंगे कि आपने जो एक अथॉरिटी बनाई है और आपने कहा कि हमने उस अथॉरिटी को ताकत दे रखी है, वह अथॉरिटी आपको क्या कह रही है। आज फिक्की की क्या रिपोर्ट है? फिक्की के सर्वे के मुताबिक 30 परसैन्ट लोग आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, जो मैनडेटरी है, उसे जानते भी नहीं हैं। यह शहरों के सर्वे की रिपोर्ट है। गांवों के लोगों को, जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है, उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। पहले नॉन-ब्रांडेड चीजों में मिलावट होती थी। माननीय मंत्री जी पूरा सम्मानित सदन इस बात से सहमत होगा कि अब ब्रांडेड चीजों में भी मिलावट होने लगी है। चाहे वे फूड प्रोडक्ट्स हों, उन पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम के रैपर्स होंगे। नेक्ड आईज से देखकर आप यह भी डिस्टिंगुइश नहीं कर पाएंगे कि यह उसी ब्रांडेड कंपनी का घी, दूध या मसाले या दवाइयां आदि हैं। चूंकि आज नकली माल उसी रैपर्स में, उसी तरीके से बनकर मार्केट में आ रहे हैं। पिछले दिनों चाइना से आया। मुम्बई में भी बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई। मैं समझता हूं कि अब ब्रांडेड चीजों का भी भरोसा नहीं रह गया है। पहले लोग कहते थे कि खुला सरसों का तेल मत लीजिए, घी मत लीजिए या खुले मसाले मत लीजिए, क्योंकि ये मिलावटी होंगे। लेकिन अब यदि लोग ब्रांडेड ले रहे हैं, ब्रांडेड में भी जिस तरीके से मिलावट हो रही है और उसी ब्रांड के नाम पर तमाम शहरों और गांवों में नकली उत्पादन हो रहा है। आज आप खुद मानते हैं कि पूरे देश में 20 से 25 परसैन्ट दवाइयां फेक मिल रही हैं। अगर गांव का कोई गरीब आदमी कर्ज लेकर अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई लाता है या पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए मंगलसूत्र बेचकर गांव के बाजार से फेक दवा ले आती

है तो वह भले ही अपना मंगलसूत्र भी बेच दे तो भी वह अपने पति या पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता है। मैं समझता हूं कि मिलावट के इस गंभीर मामले पर चिंता व्यक्त करनी होगी। आज आप कहते हैं कि हमने शेडयूल्ड एच में, जो हमारे ड्रग्स को रेगुलेट करता है, नोटिफिकेशन कर दिया है कि बिना किसी प्रिस्क्राइब्ड डाक्टर के एनीमल हस्बैंडरी के डाक्टरर की पर्ची के बिना लोगों को ऑक्सीटोसिन का इंजैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप कहीं भी डेयरी में चले जाइए, जहां भी दूध उत्पादन हो रहा है। यह इंजैक्शन खुले आम गाय, भैंस में जिस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उसका असर उन पर भी हो रहा है। पहले हम दूध में पानी की मिलावट करते थे। परन्तु उस पानी की मिलावट के बाद सिथैंटिक दूध बनने लगा और अब ऑक्टीटोसिन से जो दूध आने लगा, वह निश्चित रूप से हम एक जहर ले रहे हैं। इसे रोकने के लिए आपने जो भी एक्ट बनाया, चाहे वह प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, 1954 बनाया हो या आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 पास किया हो और उसे लागू करने के लिए 2008 में आपने जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनाई। उसे जिस तरीके से रेगुलेट करना है, चाहे ऑक्टीटोसिन इंजैक्शन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करना है, इसकी बिक्री को रेगुलेट करना है। लेकिन आज निरंतर उसका राज्यों में प्रचलन बढ़ रहा है।

मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चिन्ता का विषय है कि लोग कहते हैं कि अब बाजार में ऐसी कौन सी चीज मिलेगी जिसे हम खायें जो सही हो सकती है या सुरक्षित हो सकती है। आज तो लगता है कि बाजार में कोई चीज सुरक्षित नहीं है। चाहे वह खाद्य तेल हो, सब्जियां हों, दूध हो या दूध से बनी चीजें हों। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि यह पंजाब में ज्यादा है। पंजाब में फिरोजपुर के श्री डी.सी.के. यादव ने टैस्ट कराया जिससे कि इंडो-पाक के लोग बच जायें, जिस तरीके से सतलुज की बाढ़ से लोग बच जायें ...*(व्यवधान)* अगर 1800 इंस्पैक्टर हैं तो 1000 पद खाली हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अम्बिका जी, आप संक्षेप में कहिए।

श्री जगदम्बिका पाल: उपाध्यक्ष जी, मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने काफी ज्यादा कह दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल: उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि जो एक्ट हैं, जिनके लिए माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन्हें राज्यों को लागू करना है, क्या इसके लिए कोई अथॉरिटी है या आप कोई इस तरह से बैठक करेंगे, क्या कोई अभियान चलाकर लोगों में भावना पैदा करेंगे? मंत्री जी ने यहां पर चीन का उदाहरण दिया कि अगर वहां दूध में मिलावट हुई तो उसने दूध को बैन कर दिया। अगर यहां कोई मिलावट मिलती है, उसकी एक-दो दिन चर्चा होती है, उसके बाद वह चर्चा बंद हो जाती है। क्या सरकार ऐसा कोई उपाय करेगी? मैं समझता हूं कि सरकार कहेगी कि देश में और नई 72 प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य सवाल पूछें।

श्री जगदम्बिका पाल: उपाध्यक्ष जी, चाहे प्रयोगशालाएं हों या जिले में प्रयोगशालाएं हों, इनके कनविक्शन के लिए क्या अलग से इनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी? अगर एक आदमी एक मौत के लिए जिम्मेदार होता है तो वह 302 का मुलजिम हो जाता है। जहां इस मिलावट के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो रही हो, वहां उन्हें एक साल की सजा हो या दो साल की सजा हो लेकिन वह सजा भी नहीं होती है। केस तो रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, उसकी राज्यों में जो पैरवी होनी चाहिए, उस तरीके से उसकी पैरवी नहीं होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति बहुत डिप्रैस्ड था, बड़ा ही स्ट्रेस में था, उसने कहा कि मैं अपने जीवन को खत्म कर लूं, वह बाजार से जहर लेने के लिए गया। वह जहर उसने पी लिया लेकिन मरा नहीं। उसने कहा कि मैं जहर खाकर भी नहीं मरा और अब मेरी जिन्दगी है तो मैं अब कुछ टॉनिक पी लूं जिससे कि मैं और मजबूत हो जाऊं। वह बाजार से टॉनिक खरीदकर लाया जिसे उसने पिया तो वह मर गया। इसका तात्पर्य यह है कि जहर से मौत हो नहीं सकती और टॉनिक से हो गई क्योंकि वह मिलावटी था। फिर आदमी की जिन्दगी कैसे सुरक्षित रह सकती है ...*(व्यवधान)* मैं समझता हूँ कि जो कानून हैं, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: उपाध्यक्ष जी, मैं क्वैश्चन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्वैश्चन नहीं कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: सरकार ने जो कानून बनाये हैं, क्या उन कानूनों को इफैक्टिव ढंग से लागू करने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को उपाय करने के लिए निर्देश करेगी? क्या उपभोक्ताओं को एडल्ट्रेशन से सुरक्षित रखने के लिए सरकार और प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी? सरकार ने ऑक्सीटौसिन इंजैक्शन को मैंडेटरी किया है कि बिना प्रेसक्रिपशन के नहीं मिलना चाहिए लेकिन आज खुले बाजार में मिल रहा है। क्या सरकार उस पर बैन करने

पर विचार करेगी? जो इंस्पैक्टर के पद खाली हैं, उन पर और अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदयः श्री देवेन्द्र नागपाल – अनुपस्थित
कुंवर रेवती रमन सिंह – अनुपस्थित।

श्री दिनेश त्रिवेदीः उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं और माननीय सदस्य का शुक्रगुजार हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, नियम के अनुसार केवल उन सदस्यों को भाग लेने की अनुमति होती है जिनका नाम लिस्ट ऑफ बिजनैस में होता है।

आप इस नियम को मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो नियम बनाये गये हैं, वे हम सभी ने बनाये हैं। कालिंग अटैंशन में जिन माननीय सदस्यों का नाम होता है, चाहे वे दो, तीन, चार या पांच जितने भी हों, उन्हें ही बोलने के लिए बुलाया जाता है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः क्या मैं अपनी बात कहना जारी रखूं?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः अब मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, पिछले सत्र में चेयर से आदेश हुआ था कि जिन लोगों का नाम है, उसके अतिरिक्त अन्य सम्मानित सदस्यों ने भी अपने विचार रखकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। *...(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सदन में समय-समय पर ये तमाम, मिलावट आदि के सब्जेक्ट उठे हैं। *...(व्यवधान)* मैं चाहूंगा कि आप कुछ सम्मानित सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दें। *...(व्यवधान)* वैसे आपका निर्णय सर्वोच्च है और जो आप कहेंगे, वह बात हम मानेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह मेरा निर्णय नहीं है। मैंने नियम बता दिया है कि यह नियम है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः अगर आप बोलना चाहेंगे तो फिर पता नहीं कितने लोग बोलेंगे, इसमें दिन भर हो जायेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः कृपया मैं अपनी बात कहना जारी रखूं?

[हिन्दी]

श्री रामकिशुन (चन्दौली): महोदय, यह देश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदीः मैं बहुत कृतज्ञ हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदयः आप लोग तो सत्ता के पक्ष में हैं, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): शैलेन्द्र भाई, बैठ जाइये। रूल में नहीं है तो क्या करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी: बड़ी कृपा होगी।

[हिन्दी]

यदि आप हमारी बात सुन लें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: किसी की भी बात रिकॉर्ड में नहीं जायेगी।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: केवल मंत्री जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी: फिर ये रूल किसके लिए हैं। *...(व्यवधान)* आप लोग बैठ जाइये। *...(व्यवधान)* आप लोग रूल पढ़िये, उसके बाद रिप्लाई दीजिये। *...(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी: आप हमें एक मिनट दे दीजिये। *...(व्यवधान)* हमारी बात सुन लीजिये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी: आप हमारी बात सुन लीजिये। *...(व्यवधान)* माननीय सदस्यगण, आप हमारी बात सुन लीजिये। *...(व्यवधान)* आप लोग हमारी एक विनती सुन लीजिये। *...(व्यवधान)* यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारी एक विनती सुन लीजिये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

बस एक अनुरोध है। उपभोक्ता के तौर पर मैं भी अन्य सदस्यों की तरह उत्तेजित हूं। इसमें संदेह नहीं है। मैं चाहूंगा

[हिन्दी]

यदि इस पर पूरे दिन की चर्चा होती तो हमें बहुत खुशी होती। हम आपको बतायें कि हम भी बाजार में जाकर चीजें खाते हैं। *...(व्यवधान)* यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो मेहरबानी करके हमारी बात सुन लीजिये और यदि हल्ला-गुल्ला चाहिए तो फिर इसमें भी मिलावट हो जायेगी, हमारी स्पीच में भी मिलावट हो जायेगी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): महोदय, मैंने नोटिस दिया हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी: आप मेहरबानी करके हमारी बात सुन लीजिये। हम आपसे यही विनती करेंगे। बहन जी, हमारी बात सुन लीजिये। *...(व्यवधान)* हमारी विनती यही है, हमारी एक विनती सुन लीजिये। *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: हमने नोटिस दिया हुआ है। *...(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी: हम एक बात कहते हैं कि हम यहां पूरे दिन चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि इस पर पूरे दिन चर्चा हो। यदि आप नोटिस दे दें तो हम पूरे दिन चर्चा करने के लिए तैयार हैं। *...(व्यवधान)*

अब आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि यह मसला एक कैंसर की तरह है और हमें इसकी तह तक जाना है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): आपका धन्यवाद, आपने कहा, नोटिस दे दिया जाएगा और इस पर चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: महोदय, मैंने भी नोटिस दिया हुआ है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: आप इस विषय पर चर्चा हेतु अलग से नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदय, हमने कह दिया है, अब लिखित में भी आ जाएगा। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह** (मुंगेर): महोदय, जब एक माननीय सदस्य आपसे बार-बार बोलने की अपील कर रही हैं तो उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मुलायम सिंह जी ने कह दिया है कि नोटिस दे देंगे। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, इसमें हमारे नेता का नाम है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कहां है? इसमें आपके नेता का नाम नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी: श्री रेवती रमन सिंह इस समय सदन में नहीं हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: वह यहां नहीं हैं। आप रेवती रमन सिंह नहीं हैं। कृपया माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिनेश त्रिवेदी: आपको तय करना है कि हम जवाब दें या न दें। *...(व्यवधान)* यदि आप चाहते हैं कि हम जवाब न दें तो हम बैठ जाते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि उनको बोलने के लिए बोलेंगे तो यह भी बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे। आप लोग नोटिस दे दीजिए, इस पर दिन भर बहस हो सकती है। हमें कोई एतराज नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप सभी लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद देखेंगे। हम कह रहे हैं कि पहले नोटिस दीजिए, फिर दिन भर बहस होगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदय, मैं कुछ कह सकता हूं?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दिनेश त्रिवेदी: मैं आपके कंसीडरेशन के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं *...(व्यवधान)* आप लोग एक विनती सुन लीजिए। *...(व्यवधान)* यदि आपको अच्छा न लगे तो नकार दीजिए। *...(व्यवधान)* आज यह बहस यहीं तक रहे और इस पर फिर से पूरे दिन चर्चा हो यही हमारी विनती है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, इस ध्यानाकर्षण का उत्तर दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** महोदय, आप रूलिंग दीजिए कि इस पर पूरे दिन चर्चा होगी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, यदि वे नोटिस देते हैं तो कार्य मंत्रणा समिति इस पर निर्णय लेगी। हमें उसका पालन करना

होगा। इस प्रकार से नहीं कर सकते ...*(व्यवधान)*। महोदय आप एक पृथक नोटिस दीजिए ...*(व्यवधान)* कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी: मुझे कोई समस्या नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री वी. नारायणसामी: माननीय मंत्री चर्चा के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:** महोदय, सरकार ने चर्चा का प्रस्ताव दिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी: सरकार ने प्रस्ताव नहीं दिया है। यह ध्यानाकर्षण पर चर्चा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप जवाब देना चाहते हैं या नहीं?

...*(व्यवधान)*

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): महोदय, मंत्री जी बात रखने की बजाय बता रहे है। कि ऐसा कीजिए। जब उनका नोटिस है तो उन्हें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? आप पूरे दिन की चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हें दो मिनट क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी: यह मेरे हाथ में नहीं है। यह चेयर के हाथ में है। ...*(व्यवधान)*

श्री गोपीनाथ मुंडे: उपाध्यक्ष महोदय, आपके हाथ में है, इसका मतलब है कि आपको चर्चा नहीं चाहिए। सरकार कर सकती है, जब सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष तैयार हैं तो चर्चा होनी चाहिए। आप रूलिंग दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: महोदय, दो माननीय सदस्यों, जिन्होंने सूचना दी है, उपस्थित नहीं हैं। नियमानुसार, ध्यानाकर्षण में सूचना देने वाला सदस्य ही बोल सकता है। कोई भी खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि "मैं बोलना चाहता हूं"। हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रूल फालो करना पड़ेगा। श्री रेवती रमन सिंह को बुलाइए, जिन्होंने कॉलिंग अटैंशन दिया है, आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह कॉलिंग अटैंशन है, इस पर जिन लोगों ने नोटिस दिया है, केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। अध्यक्ष महोदया ने ऑलरेडी कहा है कि इस पर विचार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): आप एक मिनट श्रीमती बादल जी को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद हाउस चल जाएगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर हम श्रीमती बादल जी को बोलने का मौका देते हैं तो अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका देना पड़ेगा, सब को बुलाना पड़ेगा। आप तय कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: चार-पांच आदमी खड़े हैं, इन सब को बुलाना पड़ेगा।

श्री शरद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सर्वेसर्वा हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सब कुछ ठीक है, लेकिन वह भी नियम के आधार पर ही होगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हम विशेष निवेदन के आधार पर सिर्फ श्रीमती बादल जी को ही बोलने का मौका दे रहे हैं, अन्य किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बादल जी, आप संक्षेप में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सरदीना *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, पहले इस पर आप अपनी व्यवस्था दे दीजिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः माननीय सदस्यगण, कृपया सदन की मर्यादा बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं और तत्पश्चात् मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.02$^{1}/_{4}$ बजे

झारखंड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः मद सं. 15, डॉ. सी.पी. जोशी

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (डॉ. सी. पी.जोशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदयः प्रश्न यह है:

"कि झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 में और संशोधन करने वाले विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. सी.पी. जोशी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.02$^{1}/_{2}$ बजे

झारखंड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2010 के बारे में वक्तव्य*

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायत राज मंत्री (डॉ. सी. पी.जोशी): महोदय, सभा पटल पर झारखण्ड पंचायत राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का झारखण्ड अध्यादेश संख्याक 1) द्वारा तत्काल विधान के कारणों को दर्शाने वाला एक स्पष्टीकरण वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.02$^{3}/_{4}$ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

19वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 12.08.2010 में प्रकाशित।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2840/15/10

अपराह्न 2.03 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में आहार और खाद्य पदार्थ में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, इसमें कोई संदेह नहीं कि योजना और खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। माननीय मंत्री ने इस मामले पर अल्पकालिक चर्चा कराने की सरकार की मंशा जाहिर की है। माननीय सदस्यगण इस मामले पर चर्चा हेतु नियम 193 के अधीन नोटिस दे सकते हैं। चर्चा की तारीख और समय माननीय अध्यक्ष निर्धारित करेंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ रतन सिंह अजनाला (खडूर साहिब): चेयरमैन साहब, हमने कॉलिंग-अटेंशन का नोटिस दिया है। हमें बोलने का टाइम दिया जाए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): महोदय, हमने अविलम्ब लोक महत्त्व के विषय की सूचना दी है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाएं। आपको मंत्री जी के उत्तर के बाद समय मिलेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको समय मिलेगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी बोलें।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश त्रिवेदी): धन्यवाद महोदया, सबसे पहले तो मैं अध्यक्षपीठ तथा माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिनकी वजह से मुझे इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने का अवसर मिला। मैं पूरी सभा की की चिंता को समझता हूं खासकर श्री जगदम्बिका पाल जिन्होंने *...(व्यवधान)* मैं अभी बात पूरी नहीं कर पाया हूं ... *(व्यवधान)*

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक): मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रहा या आपके विरुद्ध कोई बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो प्रक्रिया का एक मामला उठा रहा हूं। सभापति महोदय, आपने पहले ही घोषणा की है कि अध्यक्षपीठ नियम 193 के अधीन चर्चा कराना चाहते हैं। यदि माननीय सदस्य नोटिस देते हैं तो आपको उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आपने ऐसी घोषणा भी की है। अत: मेरे विचार से इस विषय पर आगे अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं है वरना पुनरावृत्ति ही होगी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए, माननीय सदस्य एक मुद्दे की बात कह रहे हैं।

श्री अर्जुन चरण सेठी: इसके अलावा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का पहले से कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। सामान्यत:, मैंने यही देखा है कि दोपहर भोजनावकाश के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा नहीं की जाती है। जब आप पहले ही यह घोषणा कर चुके कि इस विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा होगी क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है तो आप फिर उत्तर क्यों दे रहे हैं?

श्री दिनेश त्रिवेदी: क्या मैं आपके विचारार्थ एक बात कहूं? मैं काफी संक्षेप में कहूंगा और काम की बात ही कहूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं बात यह कहना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): यदि माननीय सदस्य एक अलग प्रारूप में नोटिस दें तो उन्हें गृहीत किया जा सकता है और प्रक्रिया का प्रश्न नहीं उठेगा।

सभापति महोदय: पहले माननीय मंत्री जी उत्तर दें फिर हम अपनी बात जारी रखेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप समय खराब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

आपको टाइम मिलेगा।

श्री वी. नारायणसामी: शैलेन्द्र जी, आप बैठिए। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री, आप अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वी. नारायणसामी: शैलेन्द्र जी, आप बैठ जाइये। आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री, आप अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बाद में बोलिये, प्लीज।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मै आपकी बात ही कह रहा हूं। सभापति की चेयर पर आप भी बैठते हैं। रूलिंग्स के बारे में सभी सम्मानित सदस्यों को ज्ञान है। कॉलिंग अटेंशन मोशन प्रथम ऑवर में लिया जाता है। लंच के बाद आप इसका जवाब दिलवा रहे हैं। जब नियम 193 में आपको रूलिंग दे दी कि इस पर चर्चा होगी तो सभी सम्मानित सदस्यों की चर्चा हो जायेगी, तब मंत्री जी जवाब देंगे तो ठीक लगेगा। इस समय जवाब देना ठीक नहीं है, मैं यह कह रहा था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इस रूलिंग से सहमत हैं तो यह भी मेरी रूलिंग है। हम बाद में बात करेंगे। माननीय मंत्री जी आप बोलिए।

श्री दिनेश त्रिवेदी: महोदय, यदि आप चाहें तो बीच का एक रास्ता है। यदि आप कहें तो मैं अपना उत्तर सभा पटल पर रख देता हूं, मैंने उसमें सब बातें लिखी हैं।

सभापति महोदय: ठीक है।

***श्री दिनेश त्रिवेदी:** महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह लिखित उत्तर सभा पटल पर रख रहा हूं। माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल ने आज चार महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं:

- खाद्य पदार्थों में अत्यधिक मिलावट
- साग-सब्जियों का आकार-प्रकार उन्नत करने के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग
- फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग
- विवरण में दिए अनुसार: खाद्य पदार्थों में मिलावट कम होने संबंधी आंकड़े
- राज्यों में कार्यान्वयन-तंत्र को मजबूत बनाया जाना जिसमें प्रयोगशालाओं की संख्या भी दी गई है।

जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, खाद्यगत मिलावट सभी के लिए चिंता का विषय है, फिर चाहे कोई किसी भी राज्य या क्षेत्र का हो, और इस प्रकार, केन्द्र और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर हम सभी संबंधित तंत्रों का सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, जैसा कि विवरण में दिया गया है। मिलावट का मुद्दा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अधीन आता है। इस तरह, केन्द्र की भूमिका इसमें सुपरिभाषित है जो समय-समय पर कानून बनाता तथा राज्यों को सलाह देता रहा है और इस वास्ते मानक भी तय करता रहा है, तथा जब भी नागरिकों द्वारा विशेष तौर पर शिकायत की गयी या मामला उठाया गया, राज्यों को आगाह भी करता रहा है। कार्यान्वयन की जिम्मेदारी तथापि पूरी तरह राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की है।

ऑक्सीटोसिन का प्रयोग: माननीय संसद सदस्यों, मीडिया सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से यह खबर मिली है कि साग-सब्जी उत्पादकों और दुग्ध-उत्पादकों द्वारा ऑक्सीटोसिन का काफी प्रयोग किया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन शेड्यूल 'एच' की औषधि है जिसे पंजीकृत चिकित्सक द्वारा विशेष उपयोग के लिए विनिर्धारित किये जाने, सिंगल क्लिस्टर पैक में चिकित्सा-पर्ची देखकर ही बेचा जा सकता है। किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऑक्सीटोसिन का किसी भी प्रकार का दुरूपयोग औषधि और सौंदर्य-प्रसाधन अधिनियम, 1940 और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के तहत दण्डनीय है। प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, मेरे मंत्रालय ने 30 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों को परामर्श जारी किया जिसके पश्चात् उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन जब्त किया। हमारे पास पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट भी है जिसके अनुसार, लौकी, कद्दू और खीरे जैसी सब्जियों की पैदावार पर इसका कोई प्रभाव नहीं प्रतीत नहीं होता। हमारे पास आई.सी.एम.आर. के द्वारा प्राप्त एक अन्य रिपोर्ट है जो कहती है कि हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार, ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन हार्मोन है और इसे

*भाषण सभा पटल पर रख गया।

खाये या पिये जाने पर यह गैस्ट्रिक तथा आंत्रगत एंजाइमों द्वारा विनष्ट हो जाता है तथा इसकी कोई क्रिया नहीं होती। तथापि, हमारे मंत्रालय ने इस मुद्दे को दीर्घावधिक आधार पर समाधान करने तथा साग-सब्जियों में कॉपर सल्फेट, ऑक्सीटोसिन इत्यादि तत्वों के होने तथा सेहत पर इनका असर होने से जुड़े शोधगत मुद्दों की पहचान करने के लिए आई.सी.एम.आर. के महानिदेशक तथा आई.सी.ए.आर. के महानिदेशक की सह-अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग: फल पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग को खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 44 कक के अंतर्गत निषिद्ध किया गया है। तथापि, कैल्शियम कार्बाइड के अन्य उपयोग भी हैं अत: केवल इसे प्रतिबंधित करना भर समाधान नहीं है। मंत्रालय ने 26 मई, 2010 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी करके फल पकाने हेतु कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग के प्रति आगाह किया है। तथापि, मुझे कृषि मंत्रालय से पता चला है कि उसने किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियां (जी.ए.पी.) बताई हैं जिनके तहत किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अनुमत्य रासायनिकों का उपयोग करके फल पकाने हेतु शिक्षित किया जाता है।

विवरण में दिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कम होने संबंधी आंकड़े: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। दुर्भाग्यवश, हमें अनेक राज्यों से ये आंकड़े नियमित तौर पर प्राप्त नहीं होते। अनेक राज्यों ने वर्ष 2006-08 के दौरान के आंकड़े अब तक नहीं भेजे हैं।

राज्यों में कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत बनाना जहां प्रयोगशालाएं हैं: सरकार ने एफ.एस.एस.ए. अधिनियम, 2006 बनाया है। इस संबंध में वर्तमान स्थिति यह है: सभी 101 धाराएं अधिसूचित कर दी गई हैं जबकि एक धारा (22) अधिसूचित नहीं की गई है। नवगठित खाद्य प्राधिकरण ने एक आदर्श कार्यान्वयन संरचना की सिफारिश की है जिसका राज्यों द्वारा पालन किया जाना है। एफ.एस.एस.ए. नियम अधिसूचित किए जाने के अंतिम दौर में है और शीघ्र ही अधिसूचित कर दिए जाएंगे। हम राज्य सरकारों के प्राधिकारियों से एक केन्द्रीय सलाहकार समिति के माध्यम से समन्वय कर रहे हैं और समस्त राज्यों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त उसके सदस्य हैं। इस समिति की बैठक शीघ्र होने जा रही है। हम राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन की दृष्टि से एक विश्लेषण भी कर रहे हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2839-ए/15/10]

अपराह्न 2.09 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइये, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। वे सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गयी है और सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं 20 मिनट के भीतर सभा के सभा पटल पर व्यक्तिगत रूप से पर्चियां दे सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनकी पर्चियां निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त की जाएगी। शेष मामलों को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) विदेशी फीडर जहाजों के माध्यम से पोतांतरण को आकर्षित करने के लिए केरल के वल्लारपदम में प्रस्तावित इंटरनेशनल कन्टेनर शिपमेंट टर्मिनल के लिए केबोटेज लॉ (धारा 407) में ढील दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थामस (इदुक्की): ऐसा समझा जाता है कि मौजूदा व्यापार विधि (धारा 407) वल्लारपदम में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पर प्रतिकूल प्रभावों की आशंका है। विदेशी फीडर पोत कोलंबो से सभी भारतीय पत्तनों के लिए एविजम कंटेनर ले जा सकते हैं। मौजूदा मामलों के अनुसार आईसीटीटी वल्लारपदम से यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इससे आईसीटीटी की व्यवहार क्षमता प्रभावित होने की सम्भावना है। विदेशों से आने वाले ट्रांसशिपमेंट कंटेनर और अन्य भारत के अन्य पत्तनों की ओर जाने वाले और अन्य भारतीय पत्तनों से प्रस्थान करने वाले विदेशी कंटेनरों और कोचीन पत्तन से विदेश जाने वाले शिपमेंट को केबोटेज विधि के अंतर्गत घरेलू कार्गो आवाजाही नहीं माना जाएगा। सरकार को उपर्युक्त स्थिति को ठीक करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में लम्बे समय से प्रतिक्षीत वल्लारपदम में कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित करने को सुनिश्चित कर इसे साकार करे।

(दो) देशभक्त श्री अरविंदों के विरुद्ध कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण एक अमरीकी लेखक द्वारा लिखित 'द लाइव्य ऑफ श्री अरविंदो' नामक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

श्री अमरनाथ प्रधान (सम्बलपुर): श्री अरविंदो भारत के एक सच्चे सपूत, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, क्रान्तिकारी, योगी और दार्शनिक थे ने पुडुचेरी एक अग्रम आरम्भ किया था। देश को उनके प्रसिद्ध साहित्य और रहस्यवाद पर गर्व है। परन्तु, एक अमरीकी नागरिक श्री पीटर हिस्स द्वारा लिखित किताब 'द लाइव्स ऑफ श्री अरविंदो' के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से श्री अरविंदो की निंदा और अपमानजनक टिप्पणी करने का प्रयास किया है। अत: मैं भारतीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि श्री पीटर हिस्स द्वारा लिखित पुस्तक पर प्रतिबंध लगाकर मातृभूमि की प्रतिष्ठा और करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

(तीन) आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 2731/2732 तिरूपति-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी (अनन्तपुर): दक्षिण मध्य रेलवे में पक्कला-धरमवरम के आमान परिवर्तन के पश्चात जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ था, रेलवे ने पवित्र नगरी तिरूपति के दर्शन करने वाले हजारों यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2731/2732 तिरूपति-सिकन्दराबाद एक नई रेलगाड़ी आरम्भ की है। वास्तव में इस नई ब्रॉड गेज रेल पटरी पर यह पहली एक्सप्रेस रेलगाड़ी है और अनन्तपुर जिले के लोगों ने आमान परिवर्तन और इस मार्ग पर नई रेलगाड़ी आरम्भ किए जाने का काफी स्वागत किया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे द्वारा जितना मुख्यालय और संसदीय निर्वाचन मुख्यालय अनन्तपुर पर इस रेलगाड़ी का ठहराव प्रस्तावित नहीं है। काफी संख्या में यात्री अनन्तपुर से सिकन्दराबाद और तिरूपति की ओर यात्रा करते हैं और इस मार्ग पर रात्री एक्सप्रेस सेवा से रेलवे को भारी आमदनी होगी। इस रेलगाड़ी का अनन्तपुर स्टेशन पर ठहराव देना रेलवे के राजस्व में वृद्धि और यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

मैं रेलमंत्री से यह मांग करता हूं कि वे दक्षिण मध्य रेल के अधिकारियों को अनन्तपुर स्टेशन पर 2731/2732 तिरूपति-सिकन्दराबाद एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान करने के लिए तत्काल प्रभाव से निदेश जारी करे।

(चार) आंध्र प्रदेश के जहीराबाद और देश के अन्य भागों में सफाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 70% के अनुदान दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कुमार शेटकर (जहीराबाद): ऐसा कहा जाता है कि ''स्वास्थ्य ही पूंजी है'' और हम इसे केवल बेहतर स्वच्छता सुविधाओं के माध्यम से ही सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे देश में क्रियान्वित किए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम न केवल मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आंध्र प्रदेश के जहीराबाद में अपितु संपूर्ण देश विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वांछित परिणाम नहीं दे रहा है। राज्य पहले ही वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए विभिन्न कारणों से स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का समुचित वित्तपोषण करने की स्थिति में नहीं हैं। आजकल, सरकार स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों के लिए प्रति यूनिट मात्र 3,000 रुपए आवंटित कर रही है। यह धनराशि स्वच्छता संबंधी क्रियाकलापों के समुचित क्रियान्वयन के लिए अपर्याप्त है इसलिए इस वित्तीय वर्ष में बढ़ती हुई लागत तथा गुणवत्तापरक कार्य के लिए इन स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं हेतु प्रति यूनिट कम से कम 7,000 से 8,000 रुपए आवंटित किए जाने की सख्त जरूरत है।

अत: मंत्रालय इस पर विचार करे और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का केन्द्र सरकार के 70 प्रतिशत तथा संबंधित राज्य के 30 प्रतिशत तदनुरूपी अनुदान के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाए ताकि वित्तीय समस्याओं से कार्य प्रभावित न हो सकें। हमारे देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में किसी भी तरह से धन की कमी नहीं होनी चाहिए। समुचित जागरूकता तथा केन्द्र सरकार के पृथक बजटीय आवंटन के साथ स्वच्छता कार्यक्रमों में गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए।

इसलिए मैं पीठ के माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री से शेष पंचवर्षीय अवधि (2007-12) के दौरान विशेषकर आंध्र प्रदेश और संपूर्ण देश में केन्द्र सरकार के 70 प्रतिशत तथा संबंधित राज्य सरकार के 30 प्रतिशत तदनुरूपी अनुदान के साथ देश में स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करें।

(पांच) आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के पिछड़े क्षेत्रों में पोषण जागरूकता कार्यकलापों हेतु नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन, हैदराबाद में वैज्ञानिकों के विभिन्न पदों को भरे जाने तथा अतिरिक्त पद सृजित किए जाने की आवश्यकता

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): मैं इस सम्मानीय सभा का ध्यान हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान में रिक्त पदों विशेषकर वैज्ञानिकों के पदों को भरने तथा अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जैसा कि सभी को जानकारी है कि आंध्र प्रदेश विशेषकर तेलंगाना जैसे पिछड़े क्षेत्रों में लोग लौह अल्पता, अनीमिया (आईडीए) और आयोडीन की कमी जैसे पोषाहार संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। आंध्र प्रदेश में विशेषत: तेलंगाना जैसे ग्रामीण और

पिछड़े क्षेत्रों में कार्यक्रम की विषयवस्तु और परिधि पर विचार करते हुए विशेषकर राज्य स्तर पर परियोजना की पहचान, तैयार तथा इसे लागू करने वाले प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को पोषाहार विस्तार तथा जागरूकता संबंधी क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन करने के साथ-साथ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि की शेष अवधि में प्रशिक्षण स्कंध में भी अतिरिक्त पदों का सृजन करना चाहिए।

इसके लिए ग्राम स्तर पर नियमित आधार पर अधिमानत: रविवार को समुचित जागरूकता अभियानों का भी आयोजन किया जाना चाहिए। परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त प्रशासनिक जनशक्ति की आवश्यकता है। सरकार को ग्राम स्तर से "सभी के लिए पोषाहार" का नारा अपनाकर इस लक्ष्य को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त किया जाना चाहिए।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) की शेष अवधि के दौरान राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद में सभी वर्तमान रिक्त पदों को भरा जाए और पर्याप्त धनराशि के साथ जहां कहीं आवश्यक हो नए पदों का सृजन किया जाए।

(छह) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-63 और राष्ट्रीय राजमार्ग-13 की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु कर्नाटक सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जे. शांता (बेल्लारी): महोदय, मैं माननीय रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाई-वे मंत्री का ध्यान कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र से गुजरने वाली नेशनल हाई-वे की समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं।

कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 के विकास तथा मरम्मत के बारे में दो प्रस्ताव केन्द्र को भेजे हैं। लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 का अंकोला-गूटी सेक्शन जो हॉसपेट से गादीगनूर का स्ट्रेच है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 का शोलापुर-मंगलौर सेक्शन जो व्यासानाकेरे से दानानाया कानाकेरे का स्ट्रेच है, बहुत ही बदहाल है और टूटा-फूटा है।

महोदय, हॉसपेट-बैल्लारी तथा हॉसपेट-बेंगलूरू-मंगलौर को जोड़ने वाली ये सड़कें अनेक खानों, रेलवे लोडिंग यार्डों तथा हैवी-इंडस्ट्रीज के फीडर रोड तथा अप्रोच रोड से जुड़ी हैं। पूरे क्षेत्र में उद्योग तथा माइनिंग एक्टिविटीज के कारण वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। इसके चलते हाईवे की स्थिति बहुत ही खराब है। हाल ही में आई बाढ़ के कारण बेल्लारी जिले की सड़क बुरी तरह टूट गई हैं। प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों को आने-जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा भेजे गए दोनों प्रस्तावों पर जल्द कार्यवाही करे और कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों के मरम्मत तथा विकास के काम में तेजी लाए। इसके लिए जल्द से जल्द टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव तथा फाइनेंसियल स्वीकृति प्रदान की जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके।

(सात) बिहार के रजौली में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह (नवादा): भारत सरकार ने देश में आणविक विद्युत संयंत्र लगाने के संबंध में कई अवसरों पर देश के राज्यों में उसे स्थापित करने की घोषणायें भी की हैं जिसमें बिहार में रजौली का भी चयन किया गया है। बिहार सरकार ने कई बार राष्ट्रीय विकास परिषद में भी मुख्यमंत्री के द्वारा पानी की उपलब्धता के संबंध में आश्वासन दे रखा है, पर अभी भी केन्द्र सरकार ने आणविक विद्युत संयंत्र लगाने की स्वीकृति नहीं दी है जो अत्यंत दुखद है।

अत: केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि वह अविलंब बिहार के रजौली में आणविक विद्युत संयंत्र लगाने की घोषणा करें।

(आठ) हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के स्थानों को जोड़ने वाला एक पर्यटक सर्किट विकसित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): हिमाचल प्रदेश में ईश्वर प्रदत्त अप्रतिम प्राकृतिक सौन्दर्य को इस पहाड़ी राज्य के आर्थिक साधनों की सुदृढ़ता द्वारा अधिकाधिक रोजगार के सुअवसर सृजित करने हेतु प्रदेश में पर्यटन विकास के विस्तारीकरण को अति शीघ्र नए आयाम स्थापित है। अत: अत्यंत मनोरम हरित घाटियों, अद्वितीय जड़ी बूटियां, सुन्दर घने जंगलों व चांदी की तरह चमकती धौलाधार बर्फीली चोटियों के संग ऐतिहासिक शक्तिपीठों यथा चामुण्डा, ब्रजेश्वर, ज्वालाजी, चिन्तापूरनी व नयनादेवी सहित शंकर

महादेव के पूज्य स्थान भरमौर, बैजनाम, काठगढ़, किन्नौर व मण्डी तथा दियोटसिद्ध सहित प्रसिद्ध मणिकर्ण व पौंटासाहिब गुरुद्वारों के साथ महामहिम दलाईलामा के प्रवास धर्मशाला को जोड़ते हुए पवित्र व्यास, रावी, सतलुज आदि सभी नदियों के दर्शन एक साथ हों ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति हेतु हिमाचल प्रदेश के लिए तुरंत एक पर्यटन का सर्किट भारत सरकार स्वीकृत करें।

[अनुवाद]

(नौ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्य वन सेवा संवर्ग की वेतन संरचना डैनिप्स के समतुल्य संशोधित किए जाने की आवश्यकता

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): असिस्टेंट कंसर्वेटर ऑफ वन एसएफएस व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है लेकिन उसके साथ चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग के बाद से भारी अन्याय किया जा रहा है।

यद्यपि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने कहा था कि वन अधिकारियों की उनके समकक्ष पुलिस रैंकों के समान वेतन मिलना युक्तियुक्त है लेकिन वेतन तथा भत्तों से संबंधित लाभ केवल अखिल भारतीय सेवाओं यथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को ही दिए गए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने एसीएफ को पुलिस उपअधीक्षक के समान वेतन ढांचे की सिफारिश की थी और जब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था तो एसएफएस एसोसिएशन ने इस मामले को उनके साथ उठाया था।

एसएफएस अधिकारियों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गठित विसंगति निवारण समिति से संपर्क किया था। विसंगति निवारण समिति ने सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करते हुए इन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय में भेजा था लेकिन यह मामला पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास अब भी लम्बित है।

इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के राज्य वन सेवा कैडर को दानिप्स के बराबर युक्तियुक्त वेतन ढांचा दिया जा सके जैसा कि पर्यावरण और मंत्रालय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विसंगति निवारण समिति द्वारा संस्तुति की गई है।

(दस) झारखंड के बोकारो में कोनार बांध पर जल विद्युत परियोजना के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): बोकारो, झारखंड में कोनार बांध पर एक जल विद्युत परियोजना की स्थापना के संबंध में एनएचपीसी द्वारा वर्ष 2003-04 में एक रिपोर्ट दामोदर घाटी निगम को प्राप्त हुई और इससे एनएचपीसी द्वारा उक्त स्थल पर 3 मेगावाट की यूनिट स्थापित की जा सकती है। सीडब्ल्यूसी के विशेषज्ञों को जांच में लगाने का कार्य 2 वर्षों के बाद किया गया। कोनार बांध में दरारों की मॉनिटरिंग का समय 4-5 वर्षों तक किया जाना अपेक्षित बताया गया है। प्रश्न है कि बांध में दरारों के बाद भी एनएचपीसी और दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा 3 मेगावाट की यूनिट की स्थापना की सहमति कैसे बनी और इस कार्य के लिए संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण कार्य के लिए समय और राशि का अपव्यय क्यों किया गया।

अत: सरकार से आग्रह है कि सीडब्ल्यूसी के द्वारा इस कार्य के लिए शीघ्र अनुमति प्रदान कराने की व्यवस्था की जाये।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के इटावा, औरेया और कानपुर देहात क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और अनुरक्षण हेतु केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेमदास (इटावा): मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश की खस्ता हाल सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रदेश में सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इन दुर्घटनाओं में काफी लोग मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। विशेषकर इटावा, औरया और कानपुर देहात में सड़कें टूटी-फूटी हैं। जिसके कारण स्थानीय लोगों को सड़क पर चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राज्य मार्गों की भी दयनीय स्थिति है।

सड़कों की खस्ता हाल को देखते हुए इटावा, कानपुर देहात और औरया में सड़कों के सुधार करने के लिए जल्द से जल्द सी.आर.एफ. की ओर से धनराशि उपलब्ध कराके इन सड़कों की हालत को सुधारने का काम करने का कष्ट करें।

(बारह) बुलंदशहर और दिल्ली के बीच रेल-संपर्क प्रदान किए जाने तथा उत्तर प्रदेशमें बुलंदशहर के समीप चोला रेलवे स्टेशन का स्तरोन्नयन किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला मुख्यालय राजधानी दिल्ली से रेलवे से सीधा जुड़ा हुआ न होने की वजह से वहां के लोगों को दिल्ली आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां के लोगों की विगत काफी समय से यह मांग रही है कि बुलंदशहर को दिल्ली से रेल द्वारा सीधे जोड़ा जाए और यदि ऐसा किसी कारणवश संभव नहीं है तो फिर चोला रेलवे स्टेशन, जो दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाईन के अंतर्गत बुलंदशहर से केवल 8 कि.मी. की दूरी पर पड़ता है, को उच्चीकृत कर चोला रेलवे स्टेशन का नाम 'चोला-बुलंदशहर' करते हुए यहां पर सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाएं।

(तेरह) बिहार के पश्चिमी चम्पारण और नालंदा जिले में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद की प्रक्रिया की जांच हेतु सतर्कता-सह-निगरानी समिति गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): मेरे राज्य बिहार में पिछले कुछ वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो किसानों का धान, गेहूं खरीदा जाता है वो किसानों से सीधे नहीं लिया जाता है केवल बिचौलियों एवं व्यवसायियों के माध्यम से लिया जाता है। ऐसे किसानों का धान-गेहूं कम मूल्य में खरीद होती है जिसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र का पश्चिमी चम्पारण जिला एवं नालन्दा जिला इस समस्या से बहुत ज्यादा ग्रस्त है।

इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार राज्य में प्रत्येक जिला स्तर पर विजिलेंस एवं अनुश्रवण समिति बनाया जाये जिसके सदस्य जिले के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखा जाये एवं इसका अध्यक्ष जिले के संसद सदस्य (लोक सभा) हो। विजिलेंस एवं अनुश्रवण समिति के बन जाने से ही बिचौलियों एवं व्यवसायियों के माध्यम से धान-गेहूं खरीदवाना रूकेगा। बिचौलियों एवं व्यवसायियों को इसके लिए कड़ा दंड की व्यवस्था की जाए। इसके लिए वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विशेष कानून की व्यवस्था की जाए। इसके लिए आई.पी.सी. एवं सी. आर.पी.सी. में संशोधन किया जाए। इसकी पुरजोर मांग मैं केन्द्र सरकार से करता हूं। पश्चिमी चम्पारण एवं नालन्दा जिला बिहार राज्य में इसी वर्ष से विजिलेंस एण्ड मॉनिटरिंग कमिटी बना दिया जाए।

[अनुवाद]

(चौदह) तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत विभिन्न सड़कों को चौड़ा किए जाने तथा उनका सुदृढ़ीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): धर्मापुरी जिला तमिलनाडु राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है और जहां तक सड़कों का संबंध है, इस जिले को केन्द्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। निम्नलिखित सड़कों को तत्काल चौड़ा करने और उनके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है और इस कार्य को केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अधीन जल्द से जल्द किया जाए।

(1) धर्मपुरी शहर में हाले-धर्मपुरी से सरकारी आर्ट्स कॉलेज तक की सड़क को चौड़ा कर एनएच-7 के 134/0-141/0 कि.मी. तक चार लेन का करना।

(2) बोम्मिडी आर.एम. से कोप्पय्मार रोड के 0/0 से 10/0 कि.मी. तक सड़क का चौड़ीकरण और सुधार कार्य।

(3) बोम्मिडी आर.एम. से कोप्पय्यार रोड के 10/0 से 17/10 कि.मी. तक चौड़ीकरण और सुधार कार्य।

(4) बोम्मिडी आर.एम. से कोप्पय्यार रोड के 19/4 से 24/2 कि.मी. तक चौड़ीकरण और सुधार कार्य।

(5) पेन्नागारम-नागामारई रोड के 25/0 से 29/6 कि.मी. तक चौड़ीकरण और सुधार कार्य।

(6) भूतनाथम-कल्लीयुर-जम्मानाहल्ली रोड के 0/0-5/8 कि.मी. का चौड़ीकरण और सुधार कार्य।

(7) मल्लापुरम-मोपीनाथमपट्टी रोड के 18/0-21/0 कि. मी. का चौड़ीकरण और सुधार कार्य।

(8) मोकानूर-करन्द रोड के 22/0-25/6 कि.मी. का चौड़ीकरण और सुधार कार्य।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि संबंधित प्राधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अधीन उक्त सड़कों का कार्य करने के निर्देश दें।

(पंद्रह) दिल्ली से उड़ीसा के बोलंगिर, तितिलागढ़ और सम्बलपुर क्षेत्रों को जोड़ने वाला रेल संपर्क प्रदान किए जाने तथा इन क्षेत्रों के रेलवे स्टेशनों पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलंगिर): उड़ीसा के बोलंगिर क्षेत्र को रेलवे के संबंध में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी और बोलंगिर तितिलागढ़ और सम्बलपुर क्षेत्रों के बीच कोई सीधा सम्पर्क नहीं है। परिणामस्वरूप मोटे तौर पर लोगों का राष्ट्रीय राजधानी से सम्पर्क नहीं है। इस क्षेत्र में केवल एक आरक्षण केन्द्र ही प्रचालनरत है जो कई बार निर्धारित समय से पहले बंद हो जाता है। स्टेशनों पर जो प्लेटफार्म हैं, वहां पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है और आरक्षण काउंटर पर यात्रियों के लिए बैठने का स्थान मुहैया नहीं कराया गया है। व्हीलचेयरों को लाने-ले जाने के लिए रास्ता बनाए जाने और नि:शक्त तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए नए व्हीलचेयर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। रेलवे पारपथ समपार नहीं है और यह यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी खतरनाक है। मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे।

(सोलह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारतीय खेल प्राधिकरण के अवसंरचना विकास हेतु धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): शंभाजी नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसे 8 जिलों वाले मराठवाड़ा क्षेत्र की राजधानी माना जाता है। इन आठ जिलों के लोग इसके मौजूद औद्योगिक, शैक्षिक और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बार-बार शंभाजी नगर, औरंगाबाद आते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (आई) का केन्द्र भी इनमें से एक है। आई-उप केन्द्र में उत्कृष्ट अवसंरचनात्मक सुविधाएं हैं पर खेल सुविधाओं का अभाव है।

हॉकी के लिए एस्ट्रो ट्रैक, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, मुख्य द्वार से सभी खेल के मैदान तक कंक्रीट सड़क का निर्माण, परिसर में स्ट्रीट लाईट, हाई एक्सटेंशन इलेक्ट्रिसिटी को हटाया जाए तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना की जाए ताकि इसे आधुनिक बना कर क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टस सेन्टर बनाया जा सके।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह निधियां आवंटित करे और उक्त सुविधाएं जन हित में आई, शंभाजी नगर, औरंगाबाद को उपलब्ध कराई जाए।

अपराह्न 2.10 बजे

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा में मद संख्या 18 को लिया जाएगा।

श्री आनन्द शर्मा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 में संशोधन करने वाले विधयेक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

महोदय, मैं एक संक्षिप्त आरंभिक भाषण देना चाहता हूं।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया सभा की गरिमा बनाए रखें। मंत्री महोदय आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री आनन्द शर्मा: विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 एक ऐसा अधिनियम है जिसमें आयात को सुकर बनाने तथा भारत से निर्यात में वृद्धि करने के साथ-साथ इससे संबंधित या अनुषांगिक रूप से संबद्ध मामलों में विदेश व्यापार के विकास और विनियमन की व्यवस्था की गई है।

1992 मे इस अधिनियम के अधिनियमन के बाद से ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं और कतिपय आवश्यकताएं उत्पन्न हो गई हैं जिससे इस अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है। तदनुसार, विदेश व्यापार (विकास और विनियनन) संशोधन विधेयक, 2001, राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विकास संबंधी स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव की व्यापक जांच की और वर्ष 2002 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके पश्चात इस विधेयक को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया और स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2001 के प्रथम संशोधन विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ-साथ विदेशी व्यापार को सुगम बनाने और इसके विनियमन से संबंधित अन्य

मुद्दों को नए विधेयक में शामिल करके 25 नवम्बर, 2009 को राज्य सभा में पुनः पुरःस्थापित किया गया जिसे समुचित चर्चा के पश्चात राज्य सभा ने पारित किया।

महोदय, 1992 के विदेश व्यापार अधिनियम में 20 धाराएं थीं जिसमें से 17 धाराओं में वर्ष 2009 के विदेश व्यापार संशोधन विधेयक के माध्यम से संशोधन करने का प्रस्ताव है और इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार है।

प्रस्तावित संशोधनों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपबंध व्यापार सुरक्षोपाय के रूप में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाना है। यद्यपि अभी तक अधिनियम के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां थी लेकिन ऐसा कोई विशेष उपबंध नहीं था जो प्राधिकरणों या अभिकरणों को व्यापार सुरक्षोपाय के रूप में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता था। इस संशोधन के माध्यम से इसे सम्मिलित करके हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि यदि आयात में वृद्धि होगी, यदि आयात ऐसे मूल्य पर हो रहा है जोकि देश में या उसके उत्पादक देश में उसके उत्पादन या विपणन के मूल्य से कम है तब मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पाटनरोधी और सुरक्षोपाय महानिदेशालय के अंतर्गत कई उपबंध हैं लेकिन इसमें मात्रात्मक प्रतिबंध संबंधी उपबंध नहीं है। इसलिए हम ऐसा करना चाहते हैं और यह गेट के अनुच्छेद 19 तथा सुरक्षोपाय संबंधी विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तदनुरूप होगा जिसका भारत का एक पक्षकार है।

इस संशोधन विधेयक के माध्यम से हम दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और उनसे संबंधित प्रौद्योगिकीयों के मामले में सख्त व्यापार नियंत्रण कर सकते हैं, जोकि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप होंगे, संसद द्वारा 2005 में पारित किया गया था अर्थात व्यापक विनाश के हथियार और उनकी परिदान प्रणाली, जो दोहरे उपयोग वाली सामग्रियों से संबंधित किसी व्यापार उल्लंघन और निर्यात उल्लंघनों के मामले में सख्त कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करेंगे। यद्यपि यह अधिनियम 2005 से लागू है और इसके प्रवर्तन की जिम्मेदारी विदेश व्यापार महानिदेशालय की है और इसके पास इसे लागू करने की सांविधिक शक्तियां नहीं हैं। इसे शामिल करके हम दोहरे उपयोग वाली व्यापार प्रौद्योगिकी का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकेंगे।

हम इस अधिनियम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी और सेवाओं को भी ला रहे हैं ताकि सेवाओं और प्रौद्योगिकियां दोनों का व्यापार सरल हो सके। गत कुछ वर्षों के दौरान विशेषकर वर्ष 1992 में इस अधिनियम के अधिनियमन के बाद से सेवाओं के व्यापार में कई गुणा की वृद्धि हुई और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। सरकार ने सेवाओं के व्यापार के संवर्द्धन के लिए विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत अनेक उपाय किए हैं जोकि भारत की महत्वपूर्ण ताकत है और विश्व भी इसे मानता है। सेवाओं में व्यापार के लिए अनेक प्रोत्साहन और सहायता उपाय किए गए हैं और इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं से विशेष रूप से जिन सेवाओं को लाभ होगा उन्हें संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम की परिधि में लाया जाएगा।

प्रौद्योगिकी के बारे में, मैंने इसके एक पहलू का उल्लेख किया है। व्यापार को विनियमित करने के लिए यहां प्रौद्योगिकियों का उल्लेख कर सकते हैं विशेष रूप से, उन प्रौद्योगिकियों जिनका प्रसार होने की क्षमता काफी अधिक है। प्रौद्योगिकी की परिभाषा जो कि प्रस्तावित संशोधन में शामिल की गई है वास्तव में वही है जो कि डीआरडीओ और विदेश मंत्रालय द्वारा सुझाई गयी है।

संशोधित विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अधिसूचित माल के निर्यात और आयात पर सभी प्रतिबंध एक स्थान पर उपलब्ध हैं। अभी विभिन्न विभागों की आयात अथवा निर्यात पर प्रतिबंध के संबंध में अपनी-अपनी अधिसूचनाएं हैं। इससे लेन-देन लागत में कमी होगी क्योंकि इसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक के दायरे के भीतर लाया जायेगा और जो इस लेन-देन में लगे हुए हैं उनके लिए लेन-देन लागत में कमी होगी। मैं इस सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि में और किसी अन्य प्रभावी विधि के अंतर्गत सांविधिक आपेक्षाओं से छूट नहीं माना जाएगा।

अधिनियम की धारा 8 विदेश व्यापार के महानिदेशक को आयातक-निर्यातक कूट संख्या को निलंबित अथवा रद्द करने की शक्ति प्रदत्त करता है। यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से निर्यात अथवा आयात किया है जो कि भारत के व्यापार संबंधों के विकट प्रतिकूल है। प्रस्तावित विधेयक में अब 'विकट' शब्द का लोप किया जाएगा क्योंकि विधेयक की विषयवस्तु में शब्द 'विकट' विकट प्रतिकू में यह सिद्ध करना कठिन होता है जब इन मामलों को न्यायालयों में ले जाया जाता है। इस संशोधन से व्यापार विवादित मामलों में त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई सुकर करेगा।

इस विधेयक का उद्देश्य प्रभावी तंत्र के माध्यम से वित्तीय शक्तियों को लगाने और उगाही की व्यवस्था को युक्तिसंगत और उन्नत बनाएगा तथा सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद निपटान आयोग को,

सीमाशुल्क और उत्पाद का तथा ब्याज के मामलों के निपटान को सुकर बनाएगा। अन्य उपबंध डीजीएफटी को विदेश व्यापार अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन होने की स्थिति में लाभार्थी प्रमाण पत्र प्रतिभूति पत्र अथवा अन्य वित्तीय समाशोधन अथवा वित्तीय लाभ यदि कोई हो प्रभावी शास्ति कार्रवाई करना भी सुकर करेगा।

समितियों के सुझाव जिनका मैंने उल्लेख किया है सरकार ने शामिल किया है और स्वीकार किया है। केवल एक छोटी सी सिफारिश को छोड़कर जो कि पूर्णत: प्रारूप प्रकृति की थी। संसदीय स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। संसदीय समिति द्वारा अनुशंसित परिवर्तन मुख्यत: सरलीकरण और स्पष्टीकरण के लिए थी जिसका उद्देश्य हितधारकों की चिंताओं का समाधान करना था जिसे संगत धाराओं के उपबंधें को प्रभावी बनाने के लिए विदेश व्यापार (संशोधन) विधेयक 2009 के खंड 3, 6 और 10 में परंतुक जोड़ना उप धाराएं सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकियों के आयात अथवा निर्यात के मामले में प्रभावी होगा केवल उस स्थिति में जब सेवा अथवा प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा अथवा विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के कारोबार में लगा हुआ है शामिल हैं।

समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें शामिल करने के संबंध में तथा कृषि उत्पादों के संबंध में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने हेतु उचित वैधानिक सुरक्षोपाय प्रदान करना भी इस संबंध में उपबंध बनाना कि तलाशी और जब्त करने की अनुमति विदेश व्यापार महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों की स्वीकृति से ही दी जानी चाहिए। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि 'वस्तु' वस्तुएं जहां भी उल्लेख किया गया है का 'माल' शब्द के साथ प्रतिस्थापन किया गया है।

जैसाकि मैंने कहा था, यह विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि मात्रात्मक प्रतिबंध के माध्यम से, यदि जब भी आायतों के प्रवाह की आशंका हो, घटिया आयात अथवा कोई अन्य चुनौती जो घरेलू उद्योग के लिए घातक हो सकती है हम कार्यान्वयन एजेंसियों के जब भी आवश्यक हो, प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करेंगे। अन्य विभागों की अधिसूचनाओं के अनुसार आयात और निर्यात से संबंधित अन्य सभी प्रतिबंधों को इस अधिनियम के अंतर्गत एक स्थान पर लाकर राष्ट्रीयकरण और सरलीकरण के माध्यम से लेन-देन लागत में कटौती करना है। अभी तक किसी वाणिज्य के कारोबार में लगी कंपनी को इस सभी विभागों से गुजरना होता है। जबकि अब एक ही स्थान पर समेकन किया जा रहा है। मैंने आरम्भ में ही कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक पूर्णत: गैट के अनुच्छेद 18 और विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अनुरूप है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने अभी जो कहा, मैं उस पर बिना भूमिका बांधे सीधे आना चाहता हूं। इस बिल का उद्देश्य गुड्स के साथ-साथ सर्विसेज और इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी को जोड़ना है। इस बिल का मूल उद्देश्य यह है कि जो बिल वर्ष 1992 में आया था, उसमें गुड्स के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात कही गई थी। इसके साथ-साथ सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात भी इस विषय में कही गई है। जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी जुड़ेगी, उन्हें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, यह बात भी इस बिल में कही गई है। अभी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन की बात मंत्री जी ने कही।

सभापति महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य आयात को सरल करना और निर्यात को बढ़ावा देना रहेगा, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। उदारीकरण, वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन आदि ये सब शब्द वर्ष 1991 में सुने गये और यह चर्चा हुई कि आर्थिक सुधारों के माध्यम से देश विकास की गति को तेज करेगा। कुछ एप्रीहैंशन्स उस समय भी थे और आज भी इस बिल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिन्हें पहले एएसआई सैक्टर कहते थे, आज कल एमएसएमई यानी मिडियम स्माल माइक्रो इन्टरप्राइजेज के नाम से जाने जाते हैं। उनमें और बड़े उद्योगों में बड़ा गेप है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जिनके माध्यम से यह तय है कि उनकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कम हुई है और बड़े उद्योगों की बढ़ी है। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, जिसका जिक्र अभी मंत्री जी ने किया। स्टैंडिंग कमेटी ने इसका बहुत डिटेल में अध्ययन किया और उनकी रिपोर्ट में जो पाया गया, उसे मैं पढ़ना चाहूंगा। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि

[अनुवाद]

"विधेयक के माध्यम से सामान के साथ-साथ सेवाओं और प्रौद्योगिकियों में व्यापार को विनिमित किया जाएगा। समिति नोट करती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि विधेयक के विभिन्न उपबंधों की प्रतिकूल व्याख्या से विभिन्न सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सू.प्रौ. क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।"

[हिन्दी]

दूसरी चीज जो कमेटी ने कही, वह यह है:

[अनुवाद]

"समिति यह सिफारिश करती है कि कानून में "वस्तु" शब्द को "सामान" शब्द से प्रतिस्थापित कर इसे पर्याप्त रूप से स्पष्ट बनाया जाए। समिति सुझाव देती है कि प्रमाणात्मक प्रतिबंध लगाए जाने से पूर्व प्रभावित होने वाले पक्षों अथवा प्रभावित पक्षों के साथ परामर्श कर एक प्रभावी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। तथापि, समिति यह सिफारिश करती है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस उपबंध के तहत बनाए गए नियमों को वेबसाइट पर भी दर्शाया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

यह है कमेटी की रिकमेंडेशन। यही रिकमेंडेशन एग्रीकल्चर गुड्स के लिए भी है।

[अनुवाद]

"समिति यह सिफारिश करती है कि कृषि वस्तुओं के संबंध में प्रमाणात्मक प्रतिबंध लगाने के लिए उपयुक्त विधिक रक्षोपाय होना चाहिए।"

[हिन्दी]

मैं दो-तीन चीजों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कमेटी ने इस बिल की डिटेल्ड स्टडी की ओर रिकमेंड किया है कि इस देश में जो एसएसआई के लोग हैं, यह बिल उन लोगों को एडवर्सली अफेक्ट न करे। क्या इस बिल में इस बात का ध्यान रखा गया है या नहीं? जैसा अभी मंत्री जी ने बताया है, इसके इनफोर्समेंट का पूरा जिम्मा डीजीएफटी के पास है। मैं बताना चाहता हूं कि डीजीएफटी एक बहुत छोटा महकमा है, उसके ऑफिसर्स बहुत कम हैं और हर राज्य में उनको कोई एक दफ्तर होता है। पहले से ही आपने एसईजेड का जिम्मा उनको दिया हुआ है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस का जिम्मा भी उनको दिया हुआ है, अब सर्विसेज और टेक्नोलॉजी में भी उनको इनफोर्समेंट का आप जिम्मा दे रहे हैं। क्या डीजीएफटी डिपार्टमेंट इसके लिए कैपेबल है? क्या उसके पास पूरा मैनपावर, पूरी मशीनरी है जो इसको इंप्लीमेंट कर लेगी? मेरी जानकारी के मुताबिक इंडियन ट्रेड सर्विस के माध्यम से डीजीएफटी में ऑफिसर जाते हैं और इंडियन ट्रेड सर्विस का का रिक्रूटमेंट यूपीएससी ने पिछले 17 सालों से नहीं किया है। अभी लास्ट ईयर उन्होंने कोई 22 पोस्टें भेजी हैं, उनका रिक्रूटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, वह कब तक होगा, यह अलग बात है। डीजीएफटी के ऑफिस के बारे में जनता को पता भी नहीं है कि वह ऑफिस कहां है। पहले तो गुड्स एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट करने वाले लोग ही वहां जाते थे, अब आपकी सर्विसेज इसमें जुड़ जाएंगी जिनके बारे में आप बता रहे थे कि गैट और डब्ल्यूटीओ का कंप्लशन है कि जोड़नी ही पड़ेंगी। जो सर्विसेज जोड़ी जा रही हैं उनको मैं कोट करना चाहता हूं। –"बिजनेस, कम्यूनिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, इनवायरनमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, टूरिज्म एंड ट्रेवल, रिक्रिएशन, कल्चर एंड स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एवं अदर्स"। अगर चाहेंगे तो कुछ और भी सेवाएं इसमें जुड़ जाएंगी। जब इतने लोग इससे जुड़ जाएंगे, तो क्या डीजीएफटी इसके लिए कैपेबल है? मैं राजस्थान से आता हूं, मुझे पता है कि डीजीएफटी का ऑफिस उद्योग भवन में है। वहां कभी-कभी लोग जाते हैं तो डीजीएफटी के लोग कहते हैं:

[अनुवाद]

हम प्रवर्तन विषय पर कार्यवाही कर रहे हैं; इसमें विकास संबंधी पहलू के लिए हमसे संपर्क न करें।

[हिन्दी]

यह उनकी कल्चर है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। बहुत से लोग जब इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने जाते हैं, जब उन लोगों से पूछते हैं कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कैसे फार्म भरा जाएगा, तो वे कहते हैं:

[अनुवाद]

हम प्रवर्तन पर कार्यवाही कर रहे हैं; विकास से हमारा कोई लेना देना नही है।

[हिन्दी]

हम यह नहीं बताएंगे। यदि कोई बताने की कोशिश करता है, तो उस कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ उनके ऑफिसर्स कार्रवाई करते हैं। पूरे राजस्थान में एक ही डीजीएफटी ऑफिस जयपुर में उद्योग भवन में है। ऐसे ही हर राज्य में एक ही ऑफिस है और उसमें गिने-चुने लोग हैं, वे इतनी सर्विसेज को कैसे कर पाएंगे? आपने कहा है कि इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के लिए कोड भी अनिवार्य होगा, इसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

क्या डीजीएफटी काम पूरा कर पाएगा या नहीं?

[हिन्दी]

यह मंत्री जी से मेरा प्रश्न है। इंटरप्रिटेशन का मसला स्थायी समिति के सामने भी आया कि इंटरप्रिटेशन के कारण कई दिक्कतें हो सकती हैं।

इंटरप्रिटेशन के मसले पर स्टेंडिंग कमेटी में डिसकशन हुआ और उन्होंने यह पाया कि इंटरप्रिटेशन के मसले में बहुत से कानूनों की व्याख्या, जो इन्फोर्समेंट वाले करते हैं, गलत कर लेते है। इसलिए लोगों को दिक्कत होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्लास्टिक कैरी बैग को बैन करने का भारत सरकार का नोटिफिकेशन है। उसके तहत महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सरकार ने उसे बैन किया है। उस एक्ट में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि प्लास्टिक कैरी बैग बंद होगा। उसका एक डिजाइन भी दिया हुआ है कि यही बंद है। उसमें कितने माइक्रो के ऊपर का बंद होगा, यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिन राज्यों में बैन हुआ है, उसमें जो एक्सैप्शन है, फूड स्टफ, ब्लड को स्टोरेज करने वाली पैकेजिंग प्लास्टिक थैली और मिल्क को स्टोरेज करने वाली प्लास्टिक थैली, इन्हें उसमें छूट दी गई है। लेकिन जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हर राज्य में, मैं फिर कह रहा हूं कि वे बहुत कम हैं, खासकर प्लास्टिक थैलियों के लिए। उनमें मुख्य हैं, स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड, इनके राज्यों में एक-एक ही ऑफिस हैं। इसलिए वे ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से जनता परेशान हो रही है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। गांव का कोई गरीब आदमी थैली लेकर जा रहा हो, उसे कहते हैं कि लाओ, हमें दो, क्योंकि यह प्लास्टिक थैली बैन है, तुम्हारे ऊपर जुर्माना करेंगे और उस पर 500 रुपए तक जुर्माना कर दिया जाता है। वह आदमी कहता है कि यह वह थैली नहीं है, यह सिली हुई है, बैन नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि नहीं, सारी प्लास्टिक की थैलियां बैन हैं। यह मैं अपना फील्ड का अनुभव बता रहा हूं। इसलिए इसमें भी स्टेंडिंग कमेटी ने एक एप्रिहेंशन रखा था इंटरप्रिटेशन के मसले पर कि जनता को तकलीफ हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे प्लास्टिक की थैलियां बैन कीं, स्टेट पॉल्युशन बोर्ड हर राज्य में एक ही है, ऐसे ही इतनी सर्विसेज आप इसके साथ जोड देंगे, तो कहीं ऐसा न हो कि डीजीएफटी केपेबल नहीं हो और बीच में दलाल पैदा हो जाएं सर्विसेज देने के लिए। इसके लिए सरकार को सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आएगी।

सभापति जी, अब मैं एक महत्वपूर्ण इश्यू, लीगल इश्यू के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह बिल कहता है–

[अनुवाद]

विधेयक के अनुसार आयात अथवा निर्यात के लिए सभी लाइसेंसों को इस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाएगा। यह अन्य सभी अधिनियमों के उपबंधों को रद्द कर देगा।

[हिन्दी]

यह क्लाज तीन कहती है। उसमें यही लिखा हुआ है कि कोई और एक्ट होंगे, यह बिल उन्हें ओवरराइड करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई विदेशी बैंक भारत में आना चाहता है, तो उसमें आरबीआई का रेग्युलेशन लागू होगा या इस बिल का होगा? क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें आपने जोड़ी हैं। आरबीआई की एक अलग अथोरिटी है। उसी तरह कम्युनिकेशन में अगर कोई सर्विसेज आना चाहती हैं तो उन पर ट्राई का नियम लागू होगा या इस एक्ट के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी? यह अनसर्टिनिटी स्टेंडिंग कमेटी ने भी जाहिर की थी और यह आज भी बनी हुई है, क्योंकि क्लाज में अलग-अलग चीजें दी हुई हैं। क्लाज तीन यह कहता है, जो मैंने बताया है।

[अनुवाद]

यह अन्य सभी अधिनियमों के उपबंधों को रद्द कर देगा।

[हिन्दी]

आगे 19 में कुछ और लिख देते हैं कि

[अनुवाद]

इसका यह अर्थ है कि अन्य क्षेत्रों में विनियामक द्वारा कम से कम सेवा क्षेत्र में विदेश व्यापार के मामले में सेवा प्रदाताओं

को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक अपने कानूनों के तहत बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 के तहत विदेशी बैंकों के प्रवेश को विनियंत्रित करता है। इससे यह अनिश्चितता पैदा होगी कि संगत क्षेत्र में सीमा पार व्यापार के लिए लाइसेंस देने का क्षेत्राधिकार किस विनियामक अथवा मंत्रालय का है।

[हिन्दी]

यह अनसर्टिनिटी बनी हुई है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस अनसर्टिनिटी को दूर करेंगे या नहीं करेंगे?

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण और पवित्र उद्देश्य का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां जो एसएसआई सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई सेक्टर हैं, उसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना चाहते हैं। यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है और इस बिल में भी लिखा हुआ है।

मैं जानना चाहता हूं कि डब्ल्यूटीओ और गैट एग्रीमेंट के बाद, पूरा संसार खुल गया, यहां कोई इंडस्ट्री वाला कोई उत्पादन करता है, वह ब्राजील में जाकर बेचता है, ब्राजील वाला इंडिया में आकर बेच सकता है लेकिन क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर को अमरीका में जो सुविधा है, क्या वह इंडिया में है? मैं यह कहना चाहता हूं कि अमरीका में कोई आदमी अगर इंडस्ट्री लगाता है और आयात-निर्यात की बात करेगा या बड़ा ग्रुप बनाएगा, उसको दो या तीन परसेंट पर कर्ज उपलब्ध है, क्या भारत में दो या तीन परसेंट पर कर्ज उपलब्ध है? अगर नहीं है तो यह लेवल-प्लेइंग फील्ड कैसे हुआ? ऐसे बहुत से सेक्टर हैं, इंग्लैंड में, अमरीका में क्या इंडस्ट्रीज को सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वे सुविधाएं यहां मिल रही हैं? सरकार कभी-कभी किसी नोटिफिकेशन से कोई बहुत अच्छा काम करती है लेकिन उसकी इंटरप्रीटेशन पर ध्यान नहीं देती है। जैसे आई.टी. में ई-सब्मिशन शुरू किया। अगर कोई आदमी इन्कम-टैक्स चाहे तो कंप्यूटर पर घर से ही जमा कर सकता है। लोगों ने सोचा कि जब ई-सब्मिशनशुरू किया है तो ई-रिफंड भी होगा, लेकिन जब इन्कम-टैक्स डिपार्टमेंट में बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, केवल ई-सब्मिशन ही है, ई-रिफंड नहीं है, उसके लिए तो आपको दफ्तर आना ही पड़ेगा। यह उनकी इंटरप्रीटेशन है। इसलिए यह जो इंटरप्रीटेशन का मैटर है, इस पर सरकार को सावधान रहना पड़ेगा। स्टेंडिंग कमेटी ने जो कहा उस बिन्दु को इन्होंने बिल में लिया है या नहीं। जैसे यह शब्द इन्होंने कहा कि हमने "ग्रेवली" शब्द हटा दिया, तो बहुत अच्छा किया। मेरी समझ में नहीं आया कि नेचुरल जस्टिस को भी इन्होंने इंकार कर दिया। सीआरपीसी या आईपीसी, सब जगह लिखा हुआ है कि एफआईआर जो दर्ज होगी, वह सब-इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक वाला नहीं कर सकता है। इसमें यह लिखा दिया कि कोई भी ऑफिसर, किसी भी आदमी का लाइसेंस सीज कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, आंकड़े देख सकता है, उसमें ऑफिसर शब्द लिखा है, रैंक नहीं लिखी। उसमें यह और लिख दिया है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या हम नेचुरल जस्टिस के खिलाफ यह बिल ला रहे हैं। आगे लिखा है कि 6 महीने के बाद उसे सुनवाई का अवसर मिलेगा। 6 महीने क्यों, जब उसने कहा कि यह गुड्स मेरी ठीक हैं, मैं इसके कागज दिखाना चाहता हूं तो वह डीजीएफटी का जो ऑफिसर है, उसमें रैंक नहीं लिखी है, उसमें रैंक लिखनी चाहिए कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल होगा या ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी आदमी आकर किसी को भी तंग कर सकता है। इसलिए इसमें रैंक लिखना जरूरी है। हर एक्ट में रैंक लिखी जाती है। आईपीसी, सीआरपीसी में भी लिखा हुआ है कि एफआईआर जो आदमी दर्ज करेगा, वह सब-इंस्पेक्टर से कम रेंक का नहीं होगा। तो इसमें क्यों नहीं लिखा है? यह और जो कह दिया गया है कि उसे 6 महीने बाद सुनने का अवसर दिया जाएगा। जब आप लाइसेंस रद्द करोगे, उसकी गुड्स सीज करोगे, वह कहेगा कि मेरी गुड्स ठीक हैं, अपना एकाउंट और बिल दिखाना चाहता है, लेकिन नहीं, अधिकारी बोलेगा नहीं सुनेंगे हम। तो यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, इस पर अमेंडमेंट आना चाहिए। आपने जो "ग्रेवली" शब्द हटाया है, उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन यह नेचुरल जस्टिस वाली बात का भी आप ध्यान रखें। मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि बिल के उद्देश्य पवित्र हो सकते है। लेकिन जो इंटरप्रीटेशन का मसला है, जैसे अधिनियमों में आता है, जो स्टेंडिंग कमेटी ने भी सिफारिश की हैं, उन्हें ध्यान में रखकर अगर माननीय मंत्री जी इस बिल में अमेंडमेंट करेंगे, तो यह देश के लिए और आयात-निर्यात करने वाले लोगों के लिए भी यह बिल फायदेमंद होगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, इस विषय पर आपने मुझे बोलने के लिए अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज हमारे सदन में फॉरेन-ट्रेड डिवेलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2009 पर चर्चा हो रही है। यह मूलतः 1992 का कानून है जब यह कानून बना था। वर्ष 1992 में यह कानून तब बनाया गया जब डब्ल्यूटीओ रिजम शुरू हुई, ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, तब कहा गया कि जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार की दीवारें हैं, उन दीवारों को गिरा देना चाहिए और एक मुक्त अर्थव्यवस्था की कल्पना की गई। इसमें निश्चित तौर पर एक चुनौती थी कि जो डिवेलपिंग कंट्रीज हैं, उनके और जो पहले

से विकसित देश हैं, उनके बीच अर्थव्यवस्था खुली हो जाए तो जो अविकसित और विकासशील देश हैं वहां के उद्योग-धंधे और परिस्थितियां प्रभावित हो सकती हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए यह व्यवस्था करके दी गई। मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि वे बहुत समय पर यह अमेंडमेंट लेकर आये है।। इसमें तीन तरह की अमेंडमेंट्स हैं। एक तो यह है कि इसमें क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स की बात कही गई है। एक अरसे से अपने देश में लगातार क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स के लिए एक चिंता जताई गई। डमिपिंग हो रही है और चाइना से सबसे ज्यादा डम्पिंग होती है और जो भी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वहां से डम्पिंग होती है और इस पर सदन में भी कई बार चर्चा हुई है और चिंता व्यक्त की गई है। एक, क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स जो हमें सेफगार्ड मेजर के तौर पर हमें लगाना है, वह अधिकार हर देश को पहले से डब्ल्यूटीओ में दिया गया था, लेकिन उसे एक कानूनी तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, अब तक जो फॉरेन ट्रेड होता था वह माल का होता था, पहली बार इसमें एक संशोधन करके सर्विसेज और तकनीक को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में और जीडीपी में सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है और पूरी दुनिया में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तकनीक का जो आदान-प्रदान है वह भी अपने आप में एक बड़ा विषय बन गया है, तो दूसरा संशोधन इस आशय का है और तीसरा संशोधन जो माननीय मंत्री जी डब्ल्यूएमडी के संदर्भ में लाये हैं। जो अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 2005 के तहत जो एक प्रावधान किया गया है कि जो वैपन्स फॉर मास डिस्ट्रक्शन्स के लिए, दुबारा यूज होने वाले जो पदार्थ हैं, उसके ऊपर एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया है, वह कानून तो बन गया था लेकिन उस कानून को लागू कौन करे, उसका एनफोर्समेंट कैसे हो, वह एक चिंता थी और इसमें एक अमेंडमेंट करके, इस कानून के तहत, कॉमर्स मिनिस्ट्री को यह हक दिया गया है कि जो खतरनाक पदार्थ हैं जिनसे बर्बादी हो सकती है, उन पदार्थों के आयात-निर्यात के धंधे में कोई शामिल पाया जाता है तो उस दिशा में, रोक लगाने का आप प्रयत्न करें। ये तीनों संशोधन बहुत अच्छे हैं और इनके माध्यम से आने वाले दिनों में विदेश व्यापार के क्षेत्र में, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, स्थानीय उद्योग-धंधों को संरक्षण देने के क्षेत्र में सराहनीय कदम होगा।

मैं मंत्री जी का ध्यान दो-तीन बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आप जो क्वांटेटिव रिस्ट्रिक्शन्स लेकर आना चाहते हैं, वह बहुत अच्छी बात है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को आज सबसे बड़े एंटी डम्पिंग इन्वेस्टीगेटर के रूप में जाना जाता है। सबसे ज्यादा डम्पिंग के हम शिकार हो रहे हैं। डम्पिंग को रोकने की दिशा में प्रयास हुए भी हैं। इसी बिल पर चर्चा के दौरान मैं चाहता हूं कि उस विषय पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डालने की कोशिश करूं।

[अनुवाद]

"पाटन रोधी महानिदेशक द्वारा वर्ष 1988 से 2005 के बीच कितनी जांच शुरू की गई। 177 मामलों में अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए हैं; दो मामलों में प्रारम्भिक निष्कर्ष जारी किए गए हैं तथा आगे की कार्यवाही चल रही है; नौ मामलों में प्रारम्भिक अंतिम निष्कर्ष हेतु जांच चल रही है।"

[हिन्दी]

इस हिसाब से देखा जाए, तो कुल 188 केसिस 2005 तक रजिस्टर्ड किए थे और उस समय तक 96 केसिस के मामले में कदम उठाए थे। मैं कंट्री वाइज ढूंढने की कोशिश करता रहा, तो समझ में आया कि सबसे ज्यादा डम्पिंग के केसिस चाइना की तरफ से 88 केसिस आए हैं। दूसरा यूरोपियन यूनीयन और तीसरा यूएस। रशिया से भी बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसे में जब आप आयात और निर्यात को विकसित और नियमित करने के हिसाब से कानून लेकर आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा सावधान करना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा, उतना ही देश को फायदा है। पिछले एक वर्ष में वर्ष 2008 के बाद की मंदी थी, उसके बाद एक्सपोर्ट थोड़ा-सा प्रभावित हुआ था। वर्ष 2008-09 में 185 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट था, जबकि वर्ष 2009-10 में 178 बिलियन डालर का एक्सपोर्ट था। इस साल ऐसा दिख रहा है कि 32 प्रतिशत का राइज एक्सपोर्ट में आ रहा है और यह बहुत ही संतोष की बात है। अप्रैल-जून 2009 में अगर 38 बिलियन था तो अप्रैल-जून 2010 में 50 बिलियन हो गया। आपके मंत्रालय ने ऐसी अपेक्षा की है कि लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट होगा, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे एक खतरनाक ट्रैंड दिखाई दे रहा है, जिसमें आपके इस नये कानून की छानबीन करने की जरूरत पड़ेगी, वह है उसी गति से इम्पोर्ट भी बढ़ रहा है। निर्यात से ज्यादा आयात बढ़ रहा है। यदि देखा जाए, जब वर्ष 2006-07 126 बिलियन डॉलर का निर्यात था, तब इम्पोर्ट 185 बिलिय डॉलर का था, जब एक्सपोर्ट 163 बिलियन डॉलर था तो इम्पोर्ट 249 बिलियन डॉलर हो गया। यदि इसी तरह से देखा जाए, आगे जाकर यह 319 बिलियन डॉलर के इम्पोर्ट की संभावना बताई जा रही है और इस इम्पोर्ट पर आपके इस कानून के द्वारा रिसट्रीक्शन डालने की बहुत जरूरत होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को संरक्षण देने का सरकार का इरादा है, क्योंकि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, तब से इस देश का बहुत बड़ा वर्ग अपने कृषि उत्पादों को लेकर चिंतित है। पूरी दुनिया में इनपुट्स कॉस्ट हमारे से कम है। उनके सामान

हमारे से सस्ते हैं। इससे हमारी कृषि जन्य अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, ऐसे में आपके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही आ रही है।

महोदय, मेरी दूसरी चिंता एफटीए है। हमने पिछले कई वर्षों में लगातार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। 13 अगस्त 2009 को आपने स्वयं आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं यह पूरी व्यवस्था को कोन्ट्राडिक्ट करता है। आप पूरी सावधानी बरतते हैं, कई वर्षों के कंसलटेशन के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। आपने कई देशों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। आसियान के अलावा आपने श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर और साउथ एशियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते समय आपने ध्यान रखा होगा, लेकिन एग्रीमेंट के बाद आयात बहुत तेजी से बढ़ता है। एग्रीमेंट करते समय आपने नेचुरल लिस्ट को नेगेटिव लिस्ट में रखा, क्योंकि जिन देशों के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, वे इसका बहुत अधिक उत्पादन करते हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में रबर का उत्पादन बहुत अधिक होता है और इसलिए आपने रबर और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को नेगेटिव लिस्ट में रखा है। इस आधार पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने हमारे देश के किसानों और कृषि उत्पादों का ध्यान रखा। जब आयात बढ़ेगा, तब इस कानून का उपयोग भी ज्यादा बढ़ेगा, इसका प्रभाव भी बढ़ेगा। डीजीएफटी को आपने इस कानून के द्वारा अधिकार दिए हैं। डीजीएफटी की इससे जवाबदेही निश्चित तौर बढ़ेगी। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की इस बात से सहमत हूं कि डीजीएफटी का जितना विस्तृत कार्य होना चाहिए, शायद उतना नहीं है। इस कानून के कार्यान्वयन के साथ-साथ डीजीएफटी को विस्तार देने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसे ताकत तो मिल गई है, लेकिन उसका इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट को बढ़ाया जाना चाहिए।

महोदय, दूसरा विषय है कि टैक्नोलॉजी और सर्विसेज को आपने साथ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के एक साथी का अच्छा प्वाइंट था कि पहले तो गुड्स की ट्रेडिंग होती थी, सर्विसेज ऑफ टैक्नोलॉजी की भी ट्रेडिंग होगी जो कि इस एक्ट के तहत आपके अधीन आएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन बना रहेगा क्योंकि बैंकिंग सर्विसेज जब आएगी तो हमारे पास पहले से ही बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 का है जिसके तहत विदेशी बैंक को आरबीआई लाइसेंस दिया करती है। इसलिए वह जो कंफ्यूजन है, उसे दूर करना पड़ेगा। टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया। इसी तरह से इंश्योरेंस सैक्टर है। इंश्योरेंस सैक्टर ओपन होने के बाद पूरी दुनिया की इंश्योरेंस कंपनीज हमारे यहां आ रही हैं। ठीक है, उनका स्वागत है। लेकिन ऐसे में इरडा को हमने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाकर रखा है, वैसे ही उस इरडा के रहते हमारे इस कानून के तहत आपके मंत्रालय के सामने कुछ चुनौतियां आएंगी। उनको भी हमें थोड़ा समझना होगा। एसईजैड जो कानून 2005 का है, इसके तहत जो हम बनाते हैं, उसमें जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, उसमें एसईजैड और इस कानून के तहत मंत्रालय में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तो उसे भी दूर करने की आवश्यकता है। उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा।

[अनुवाद]

"मंत्रालय विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों, डवेलेपरों को कानून में परिवर्तन तथा व्यापार विकास तथा विनियमन अधिनियम के अनुसार नोटिस देते हैं ताकि अपराध का पता लगाया जा सके।"

[हिन्दी]

यह बेसिकली एसईजैड की यूनिट वाले जो लोग हैं, उनको काफी हद तक इस कानून के तहत आना पड़ेगा, ऐसा विषय निकलकर आया है। तीसरे, वैपन फॉर मॉस डैस्ट्रक्शन एक्ट के तहत निकलकर आया है। अच्छा है कि नैचुरल जस्टिस का इंतजाम होना चाहिए लेकिन यह इतना खतरनाक विषय है कि जो खतरनाक पदार्थों की ट्रेडिंग में शामिल है, उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में शामिल है और अगर डीजीएफटी को समझ में आता है कि यह एक खतरनाक चीज है और इससे वैपन फॉर मॉस डैस्ट्रक्शन बन सकता है तो उसको 6 महीने के नोटिस देने के बाद उसका लाइसेंस केंसिल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यह सही नहीं होता। इसलिए इस कानून मे जो प्रावधान है कि पहले लाइसेंस केंसिल करिए और उसके बाद 6 महीने का आप उसको नोटिस दीजिए कि 6 महीने के अंदर आप साबित कर सकते हैं कि आप सही हैं, आप साबित करिए कि आप जिस पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं, वह घातक या जहरीला पदार्थ नहीं है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस कानून में सही व्यवस्था है और उस व्यवस्था पर बहुत ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि यह ट्रेंड चला जा रहा है।

अपराह्न 2.52 बजे

[श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए]

अंत में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह पूरा कानून एक प्रोग्रेसिव किस्म का कानून है। दुनिया में जिस प्रकार की नई अर्थव्यवस्थाएं निकल कर आ रही हैं, दुनिया में जिस प्रकार से बदलाव हो रहा है, उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून के कार्यान्वयन के समय थोड़ी सी सावधानी बरतने

की आवश्यकता है। क्वांटिटी ऑफ रैस्ट्रिक्शन के समय थोड़ा सा अपने उद्योग धंधे जो हमारी डॉमैस्टिक इंडस्ट्री है, उसे पूरा संरक्षण देने की आवश्यकता है। व्यवस्था है कि किसी भी देश का इम्पोर्ट अगर तीन प्रतिशत से ज्यादा होने लग जाता है तो आप रोक लगाते हैं। कई विकसित देशों में यह व्यवस्था है कि अगर 9 प्रतिशत से ज्यादा हो जाता है तो आप रोक लगाते हैं। वह सारी व्यवस्था उस एक्ट में है। उसी व्यवस्था का लाभ उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा सख्ती के साथ अगर काम किया जाए तो 1991 के बाद लगातार लगभग 29 वर्षों से जो एक चिंता जताई जा रही है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद हमारी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर बुरा असर पड़ा है और बहुत लोग परेशान हो गये हैं। इसलिए उस परेशानी को दूर किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और इस कानून के समर्थन में मैं यहां खड़ा हुआ हूं। जितनी जल्दी हो, इस विधेयक को पास किया जाए, इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जाए ताकि हमारे देश में विदेश व्यापार का काम और भी सरल ढंग से विकसित ढंग से हो।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे विदेश व्यापार विकास विनिमय (संशोधन) विधेयक 2010 पर बोलने के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी अर्जुन मेघवाल जी ने बहुत विस्तार से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और तमाम बातों पर अपनी बातें रखीं। आज अगर देखा जाए तो इस पूरे संसार में दो तरह के देश हैं, एक तो विकसित देश हैं और दूसरे विकासशील देश हैं। हम विकासशील देशों में आते हैं और जहां तक देखा जाए तो आज भी भारत वर्ष के करीब 70-75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।

जहां तक वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में अगर भारतवर्ष की भूमिका देखी जाए तो मैं विदेश मंत्री जी से यही कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह की कोई बात हो तो किसानों के हित की बात होनी चाहिए। अपने यहां के किसानों की भौगोलिक परिस्थितियों और अपने यहां के उत्पादन को देखते हुए किसानों के हित की ही बात होनी चाहिए। खासकर हमें विकसित देशों के साथ नहीं बल्कि विकासशील देशों के साथ खड़े होकर अपनी बात को मजबूती के साथ कहना चाहिए।

महोदय, जैसे दोहा में पिछले सालों में एक सम्मेलन हुआ था और 153 देश वहां एकत्र हुए थे। वहां देखा गया कि विकसित देशों का विकासशील देशों पर हमेशा दबाव बढ़ता रहा है। खासकर सब्सिडी को लेकर दबाव रहता है। जैसा आपने अभी अपने उद्बोधन में बात कही कि इस विधेयक में बीस धाराओं का संशोधन है और स्थाई कमेटी की जो सिफारिशें हुई हैं, हमने उन पर अमल किया है। यह बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने कुछ सुझावों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करेंगे। लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि विश्व व्यापार संगठन की सलाह पर कुछ औद्योगिक वस्तुओं पर इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की बात आप कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में आप टेरिफ घटा सकते हैं, वे टैक्सटाइल, आटो पार्ट्स, फुटवियर और साईकिल जैसे तमाम ऐसे उत्पाद हैं, जहां कटौती की जा सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुख्य वस्तु कपास है। भारत, चीन और अर्जेन्टीना कपास का उत्पादन करते हैं। यह टैक्सटाइल में हमेशा प्रयोग होता है। खास तौर पर देखा गया है कि हमारे देश में कपास की जो खेती होती है, उसकी कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का असर जरूर पड़ता है। इसके बारे में पिछली लोक सभा और इस लोक सभा में हम लोगों ने यहां बड़े विस्तार से चर्चा की है। खासकर हमारे किसानों की माली हालत को देखते हुए हमने डिस्कस किया है। चूंकि हमारे देश के किसान आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा देश कृषि पर आधारित है, इसलिए हमें इस पर अधिक ध्यान देना होगा कि कहीं किसानों के हितों की कोई अनदेखी न हो, बल्कि उनके हितों की रक्षा के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। हम लोगों पर अमरीका का दबाव हमेशा रहता है और विकासशील देशों में भारत, ब्राजील और चीन मुख्य देश हैं और तमाम तरह की वस्तुओं का उत्पादन हम करते हैं, चाहे रसायन का उत्पादन हो, चाहे औद्योगिक मशीनरी, इलैक्ट्रोनिक आदि तमाम तरह के उत्पादन हों, जिनके सीमा शुल्क को घटाकर शून्य प्रतिशत पर ले जाने की बात कही जाती है।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि अमरीका की जो अतिरिक्त अस्थाई मांगें हैं, उन्हें पूरे तरीके से स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उक्त देशों में चाहे भारत, चीन और ब्राजील हो, वहां के उद्योगों को जो भी नुकसान होगा, उससे हमारा उत्पादन भी नष्ट होगा। इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। जून, 2010 में हमारा निर्यात 30 प्रतिशत की उछाल पर था और इसमें 12 प्रतिशत का इजाफा भी हुआ। इस पर मंत्री जी को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी अन्य देशों के प्रति क्या स्थिति है। इसका मूल्यांकन करके हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा वाणिज्यिक मंत्रालय तथा आपके विभाग को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि तमाम ऐसे उत्पाद जैसे ज्वैलरी, टैक्सटाइल, फार्मास्युटीकल्स, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पाद जैसे पांच अहम क्षेत्रों पर हमें विशेष नजर रखनी होगी।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति जी, मैं पुन: एक बार मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व में जिस चीज का उत्पाद होता है, हर देश चाहता

है कि हमें अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी का सामान मिले लेकिन इन जरूरतों को देखते हुए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार की कोई बात हो तो अपने देश के किसानों के हितों को सामने रखकर कोई ऐसा समझौता न करें जिसमें किसानों का अहित हो।

सभापति जी, मैं अपने ये चंद सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं और विधेयक पर बल देता हूं कि यह विधेयक अच्छा है, इस पर ध्यान दिया जाए।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का सवाल है, इसमें दो बातें खटकती हैं कि यह विधेयक बड़ा क्रान्तिकारी है और इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है लेकिन इस बिल में दो भयंकर खामियां हैं। पहले मैं आपका ध्यान सैक्शन-8 में अमैंडमेंट हुआ है, उस ओर दिलाना चाहता हूं और एक लाईन पढ़ देता हूं।

> "उपबंध के अनुसार, वहां महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधि कृत कोई अन्य अधिकारी उस व्यक्ति से अभिलेख या कोई अन्य जानकारी मांग सकेगा और उस व्यक्ति को लिखित सूचना देने के पश्चात् जिसमें उसे उन आधारों की जानकारी दी जाएगी जिन पर आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक का निलंबन या रद्करण किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है तथा उसे ऐसे उचित समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित अभ्यावेदन करने का और यदि वह व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उस व्यक्तिक को दिए गए आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक को ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए निलंबित या रद्द कर सकेगा।"

इसका मतलब यह है कि अगर इसमें इम्पोर्टर की गड़बड़ है तो उसे एक कोड नम्बर मिलता है। अगर आपने कोड नम्बर से पता किया तो मालूम हुआ कि वह गड़बड़ कर रहा है। उसे कैंसिल करने की पावर आपके पास है लेकिन यह आपका आब्लिगेशन है कि उसे आप अपार्चुनिटी देंगे, इन राइटिंग आप रीजन्स पास करेंगे और उसे कर देंगे। यहां पर तो आपने प्रिंसीपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, 1888 से जो कानून आ रहा है,

बिना सुनवाई किये किसी भी व्यक्ति की भर्त्सना नहीं की जाएगी।

यह आपने बहुत अच्छा पालन किया। तब के संविधान से ऑनरेबल मिनिस्टर परिचित हैं। लेकिन आपने इसका एकदम विरोधाभास कंट्राडिक्शन सैक्शन 14बी किया है। अगर सदन की अनुमति हो तो मैं उसे पढ़ दूं। सैक्शन 14बी में लिखा है-

लाइसेंस को स्थगित या रद्द करना।

आपने कोड नम्बर में नेचुरल जस्टिस का पालन किया। इसमें कह रहे हैं:

महानिदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई सक्षम प्राधिकारी, यह बिलकुल सही है।

जिला मजिस्ट्रेट अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा लाइसेंसधारी को उपयुक्त अवसर प्रदान किए बिना विशिष्ट वस्तु अथवा सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी के आयात अथवा निर्यात करने के लाइसेंस को स्थगित अथवा रद्द कर सकता है।

[हिन्दी]

बाई एक्ट आपने रीजनल अपार्चुनिटी को कैंसिल कर दिया। आपने पॉवर ले लिया कि

[अनुवाद]

आप लाइसेंसधारी को सुने जाने का उपयुक्त अवसर प्रदान किए बिना लाइसेंस को स्थगित कर सकते हैं परंतु ऐसे व्यक्ति को ऐसे आदेश को प्राप्ति किए जाने के छह माह के भीतर सुने जाने का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

आपने प्रॉयर अपार्चुनिटी न देकर उसे बाद में जो अपार्चुनिटी दी, यह गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आनन्द शर्मा: यह केवल चार विनिर्दिष्ट सामान, सेवाएं व प्रौद्योगिकियों के लिए है, जिन्हें व्यापक विनाश के हथियारों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह एक साधारण बात नहीं है। यहां आपके देश की सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय संधि की बाध्यताएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए, जब ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि ऐसी प्रौद्योगिकियों अथवा ऐसे सामग्री का व्यापार हो रहा है जिसका व्यापक विनाश के हथियार बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तुरंत कार्रवाई किए जाने की जरूरत होती है।

यदि उस स्थिति में, छह माह का समय दिया जाता है, वास्तव में हम स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा है, केवल इन मामलों में ''विशिष्ट प्रौद्योगिकी'' का उल्लेख किया है। यह माननीय सदस्यों के लाभ के लिए है। उनकी सूची बनाई गई है।

श्री विजय बहादुर सिंह: ऐसा नहीं है। मैं इसके प्रति सचेत हूं। कल भी जब मुझे अवसर मिला था मैंने इसे दो या तीन बार पढ़ा है। मैं इसी बात पर आ रहा हूं। मैं इसे अन्य तरीके से बता रहा हूं। मैं पहला वकील था जिसने 'पोटा' अधिनियम की शक्तिमत्ता को चुनौती दिया था। चेन्नई न्यायालय के एक मामले में हमारे द्वारा दिये गये तर्कों की कलमबद्ध की गई थी। मेरा कहना है कि जनसंहारक हथियारों के मामले में भी आप सीधे निलंबित कर सकते हैं तथा इसके बाद आप उसे अवसर दे सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आपको शक्ति प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, सत्येदव पाटील का मामला है। आपके पास अवलिम्ब निलंबन करने की शक्ति है। मान लीजिये कोई व्यक्ति ऐसे हथियार का प्रयोग कर रहा है जो जनसंहारक हथियार है। उदाहरण के लिये, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एके 47 हथियार के बारे में इससे संबंधित एक मामला है कि क्या यह जनसंहारक हथियार है। यह स्वचालित राइफल है। एक मिनट में यह 640 कारतूस दाग सकती है। यह जनसंहारक हथियार है। इसमें प्रश्न है कि आप उसे सीधे गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार करते समय आप उसे अवसर प्रदान करें। इस विधेयक में आप इससे इन्कार कर रहे हैं। आपने सीधे शक्ति को अनाधिकार ग्रहण कर लिया है तथा छह महीने बाद आप अवसर प्रदान करेंगे। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार नहीं है।

प्रत्येक दिन कुछ न कुछ होता है। अनुच्छेद 311 है। यहां माननीय मंत्री श्री खुर्शीद हैं, वह भी वकील हैं। मेरा कहना है कि आप सीधे निलंबित कर सकते हैं तथा निलंबित करते समय आप उसे एक अवसर दे सकते हैं और जांच कर सकते हैं। निलंबन के संबंध में जांच लंबित है। लेकिन यदि आप कोई प्रावधान सम्मिलित कर रहे हैं जो निरर्थक एवं आवश्यक नहीं है तो यह सही नहीं है। मैं इसे और स्पष्ट करूंगा।

एक तर्क दूसरे पक्ष की तरफ से दिया गया है कि अत्यंत खतरनाक हथियार के मामले में आप अविलंब कार्यवाही करना चाहते हैं। कोई बात नहीं है। इस प्रावधान के बगैर आप अविलंब कार्यवाही कर सकते हैं। आपके पास सीधे निलंबन करने की शक्ति अन्तर्निहित है। जो भी हो इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो इस अधिनियम में बर्बरता आ जायेगी। 2010 में आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने गंभीर अपराध किये हैं। प्रधानमंत्री की हत्या में 12 वर्ष लगे तथा मामला चलता रहा। इसके बाद किसी को छोड़ दिया गया। अत: जब तर्क की बात आती है तो यह कोई आधार नहीं होगा। अब आपके पास छह महीने की शक्ति प्राप्त है। तो आप इसका प्रयोग करें। यह शक्ति के दुरूपयोग करने जैसा है। मुझे यही कहना है। एक राष्ट्रवादी होने के नाते मेरा कहना है कि यह अत्यंत अच्छा प्रयास है कि आप उन सभी जघन्य अपराध करने वालों को गिरफ्तार करना चाहते हैं जो देश हित के लिए हानिकारक है।

[हिन्दी]

लेकिन उसके अलावा भी माननीय शर्मा जी आप उसी तरह इलैक्ट्रोनिक स्पीड से उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं, बिना इस प्रोविजन के, मैं यह कहना चाहता हूं। आप इसे देख लीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: शर्मा जी, आप इन बातों का उत्तर अन्त में दे सकते हैं। हमारे पास समय की कमी है।

[हिन्दी]

श्री विजय बहादुर सिंह: मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम योर्स तो ठीक है आई एम योर्स, लेकिन अगर कोई यह कहे कि आई एम योर्स विद रिजर्वेशन, इसका मतलब यह है कि आप दोनों चीजें कह रहे हैं। आई एम योर्स तो है, मगर विद रिजर्वेशन तो इनहैरिएंट है, मतलब जो चीज इम्प्लीसिट है, उसे एक्सप्लीसिट मत कीजिए। मान्यवर, यही मेरा निवेदन है।

महोदय, मैं अपनी तीसरी बात कहकर बात समाप्त करना चाहता हूं। जब माननीय सांसद जी चेयर पर बैठते हैं तो मैं बहुत घबराता हूं। आप समय के बहुत पाबंद हैं। आप और गोवा के सांसद जी, सारदीना साहब भी समय के बहुत पाबंद हैं। मैं आधा मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। एक क्लॉज आर्बिट्रेशन का भी होना चाहिए। *...(व्यवधान)* इसे मैंने इसलिए लाइटर किया क्योंकि यह बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। भोपाल गैस त्रासदी विषय होता तो लोग एन्जॉय करते। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह: लॉ बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट है। माननीय लॉ मिनिस्टर इसे एप्रिसिएट करेंगे। मैं यह कह रहा था कि एक आर्बिट्रेशन का भी क्लोज रखिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल जितने भी लोग फॉरेन ट्रेड्स में हैं, वे अपने यहां आर्बिट्रेशन क्लॉज रखे हुए हैं। मान लीजिए हमने मुरादाबाद में किया और उन्होंने गलत भेज दिया। कुछ इस तरह की भी इसमें सोच हो सकती है कि मान लीजिए हमें किसी सप्लायर ने गलत ट्रीट किया, लेकिन हमारे एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर इसे भी इसमें देख लें कि जैसे मान लीजिए हमने किसी से बाहर से कोई चीज इम्पोर्ट की और उसमें कुछ गड़बड़ी है तो एक ऐसा कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज हो, जो उसे भी बाउन्ड हो और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बता सकें कि हमारे देश में भी एक ऐसा एक्ट है।

[अनुवाद]

महोदय, मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं, मैं मंत्री को बधाई देता हूं, मैं उन्हें 'शुभकामनायें देता हूं तथा संशोधन के साथ इस विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं आपत्ति के साथ आपकी बात का समर्थन करता हूं।

डॉ. रत्ना डे (हुगली): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं उस विधेयक का समर्थन करती हूं जिसे माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया हूं। मैं इस विधेयक के विभिन्न मुद्दों के विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 जिसे मुख्यत: आयात को सुगम बनाने तथा भारत से निर्यात में वृद्धि करने के साथ-साथ इससे संबंधित या अनुषांगिक रूप से संबंद्ध मामलों में विदेश व्यापार का विकास एवं विनियमन हेतु अधिनियमित किया गया था।

संप्रग सरकार ने पहले ही 27 अगस्त 2009 को विदेश व्यापार नीति की घोषणा कर दी है। यह स्वागतयोग्य कदम है। हम इसका समर्थन करते हैं। यह भी ध्यान देना है कि सरकार ने मार्च 2011 तक 200 बिलियन अमरीकी डालर के माल का व्यापार करने के लक्ष्य निर्धारित किये हैं। यदि हमें यह लक्ष्य प्राप्त करना है और विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देना है तो हमें सरकार को हर तरह से सहयोग देना होगा।

सरकार देश में सभी प्रकार के निर्यात निष्पादन चाहे वह हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि, समुद्रीय क्षेत्र कोई हो में सुधार करने हेतु सभी प्रकार के प्रयत्न कर रही है तथा संसद को सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयास को हर संभव सहयता प्रदान करनी है। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए तीसरा सबसे आकर्षक स्थान है। 2000 से 2010 तक विदेशी कंपनियों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हुई है यद्यपि वैश्विकी मंदी की प्रवृत्ति के कारण 2008-09 के परवर्ती अर्द्ध अवधि में इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

विधेयक के मुद्दे पर वापस आते हुए मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रस्तावित संशोधनों से निस्संदेह सरकार घरेलू उद्योग को न केवल अत्यावश्यक प्रोत्साहन देने बल्कि समान अवसर प्रदान करने के सुरक्षोपाय के रूप में संख्यात्मक प्रतिबंध लगाने में सक्षम हो सकेगी। विधेयक में प्रस्तावित संशोधन, जैसा कि उद्देश्य एवं कारणों के कथन में कहा गया है, यह भी सुनिश्चित करेगा कि संवेदनशील प्रौद्योगिकी का व्यापार विनियमित हो, शास्ति के वसूली के अतिरिक्त तरीके उपलब्ध हैं और सेवाओं में भारत का विकसित होता व्यापार सुगम हो।

हमने गत हाल ही में अनेक देशों जैसे श्रीलंका, दक्षिण एशिया, एफटीए, सिंगापुर, नेपाल, भूटान और जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किये हैं। सरकार हमारे माननीय मंत्री श्री आनन्द शर्मा के नेतृत्व में नवीन प्रयास कर रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में इसके असाधारण परिणाम देखने को मिलेंगे।

महोदय मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के मामले में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने चाहिएं और सरकार को जनसंहारक हथियारों और डिलीवरी प्रणालियों के आयात को नियंत्रित करना चाहिए। प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के दायरे में लाना अच्छा है। किंतु आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध अवश्य लगाया जाना चाहिए। फिर, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जून में हमारा निर्यात बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है और हमारा आयात भी बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलंगिर): सभापति महोदय, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं उस स्थायी समिति का हिस्सा था, जिसने इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक विचार किया।

महोदय, वस्तुत: यह एक समर्थकारी विधेयक है। यह वैश्विक व्यापार की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति और विश्व व्यापार संगठन की नई व्यापक नीतियों के संबंध में सरकार को अद्यतन जानकारी से अवगत कराने का प्रयास करता है और सरकार के विभिन्न कार्यकारी विभागों की सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक नीतियों पर अमल करने का समर्थनकारी अधिकार देता है।

यह एक ऐसा विधेयक है जिसके द्वारा विभाग को उस अद्यतन स्थिति से अवगत कराना अपेक्षित है कि कहां क्या हो रहा है। यह अधिनियम में सेवाओं को शामिल करके, इसके आधार पर सेवाओं को प्रोत्साहन पाने का अवसर प्रदान करके और उन प्रोत्साहनों को पाने में किसी प्रकार की धोखाधड़ी को रोककर, व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

तथापि, मेरे विचार से, दो या तीन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। किसी भी मामले का विस्तृत विवरण ही उसकी परेशानी का सबब होता है और यह इस पर निर्भर करता है, और मैं माननीय मंत्रीजी अथवा विभाग अथवा डीजीएफटी अथवा डीजीएफटी में काम करने वाले व्यक्तियों पर कोई लांछन लगाए बिना ऐसा कह रहा हूं कि विभाग उन अधिकारों को किस प्रकार अमल में लाता है जो उसे अनिवार्य रूप से इस विधेयक के माध्यम से प्राप्त होती हैं।

हम ऐसे समझें कि आज के वैश्विक परिदृश्य में भारत ने सेवाओं के क्षेत्र में अधिकतर देशों को प्रमुख रूप में पछाड़ दिया है क्योंकि सरकार ने सेवाओं को विनियमन के दायरे में नहीं रखा। चिंता का पहला विषय सदैव यही रहता है कि जब भी आप सेवाओं को इसके क्षेत्राधिकार के दायरे में लाते हैं, तो आप किस प्रकार का विनियमन, किस प्रकार की जटिल प्रक्रिया उद्योग पर थोपते हैं।

मुझे ज्ञात है कि स्थायी समिति में डीजीएफटी और मैं देख सकता हूं कि अब माननीय मंत्री क्यों अपना सिर हिला रहे हैं कि इस विधेयक की ऐसी मंशा नहीं है। तथापि व्यवहार में इससे भिन्न हो सकता है। मेरी समझ से यह केवल उन सेवाओं के लिए है जो वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग करती हैं। तथापि प्रक्रियात्मक दबाव, जो मान लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अथवा किसी अन्य संचार क्षेत्र पर पड़ेगा वह जटिल हो सकता है और इसे नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, अनेक सदस्यों ने इस विधेयक द्वारा विभिन्न अन्य विनियामकों के अधिकारों के निराकरण के बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि ये चिंता तब उजागर हुई जब विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। मैं अभी इस विधेयक का अध्ययन कर रहा था, यह चिंता पृष्ठ 3 पर संशोधन अधिनियम की धारा 4 में ''के बावजूद'' शब्द की अर्थमूलकता को लेकर हुई प्रतीत होती है जो मूल अधिनियम में उप-धारा 4 को समाविष्ट करने का उपबंध करता है, जिसे ''बिना पूर्वग्रह के'' पढ़ा जाए। क्या मैं सही हूं?

श्री आनन्द शर्मा: जी हां।

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: मैं मान कर चल रहा हूं कि यह एक मुद्रण संबंधी त्रुटि थी, अथवा हमें सेबी और इरडा के बीच वाद-विवाद के ऐसे अनेक मामले और स्थितियां नजर आतीं जो इसके परिणामस्वरूप होता।

महोदय अन्य चिंता जो इस सभा में उठाई गई है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से जुड़ी है। माननीय मंत्री ने इसकी पुष्टि की है और यह केवल जनसंहारक हथियारों अथवा इसके भंडारगृहों पर लागू होता है। तथापि मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सर्वाधिक अहानिकर उत्पादों का भी जनसंहारक हथियारों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एक साधारण पेच का उदाहरण लें। मान लीजिए भारत में नट और बोल्ट के एक उत्पादक को नट और बोल्ट का निर्यात करने का मौका मिलता है और उसे संयोगवश यह पता चलता है कि एक देश शातिर व्यवसायी है और एक देश ने ऐसे किसी देश को इसकी आपूर्ति की जो कि परमाणु हथियार बना रहा है। ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उल्लेख किया है एक विनिर्देश मौजूद है कि किसे जनसंहारक हथियार माना जाए। मैंने अभी तक उसका अध्ययन नहीं किया है। मुझे नहीं मालूम कि मैं उसका खंडन कर रहा हूं जो वे कह चुके हैं। तथापि, मैं समझता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

मैं अधिकतर सदस्यों से सहमत हूं कि लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। वह ज्यादातर निर्यात के मामले से संबंधित है न कि आयात से। जो लोग निर्यात कर रहे हैं, उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है और इस अधिनियम के पृष्ठ 8 पर धारा 15 के 14(क) में नए समाविष्ट अध्याय के भाग 14(घ) में उद्धृत है।

> ''महानिदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी एक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुओं और सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी का आयात अथवा निर्यात करने के लाइसेंस को निलंबित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है।''

वहां आने वाले शब्द ''बिना'' को ''पश्चात्'' से प्रतिस्थापित किया जाए।

इससे समान अवसर मिलेंगे। मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि मेरे मन में माननीय मंत्री या डीजीएफटी के सदस्यों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है लेकिन हमारे देश में भेदभाव या विवेकाधिकार के उल्लंघन के मामले देखे जा सकते हैं। जब हम कोई ऐसा कानून लागू करने जा रहे हैं जो आने वाले अनेक वर्षों तक प्रभाव में रहेगा तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्पष्टता मौजूद है और संबंधित निकाय का कार्यकरण किसी भी प्रकार के पक्षपात या आक्षेप से परे रहे।

> अधिकांश कानूनों में ऐसे अधिकारियों के स्तर का साफ तौर पर उल्लेख किया गया है जो कानून के सिद्धान्त के आधार पर कार्य करते हैं। इस सीमा तक मैं अपकी अनुमति से संशोधन विधेयक के पृष्ठ 5 पर मौजूद धारा 11 को उद्धृत करना चाहता हूं जिसमें मूल अधिनियम की धारा 10 में संशोधन का उपबंध किया गया है। इसमें कहा गया है: ''केन्द्र सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना के माध्यम से ... के संबंध में शक्तियों का उपयोग करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगी।''

और तत्पश्चात इसमें शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अब मैं संशोधन विधेयक की धारा 11 पर आता हूं और कहना चाहता हूं कि अधिकतर कानूनों में वरिष्ठता के स्तर, ऐसे अधिकारियों की श्रेणी के बारे में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है जो मामला दायर करने या कंपनियों के परिसर में प्रवेश संबंधी कृत्य कर सकेंगे।

पुन: इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि यह है कि किसी कंपनी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनियों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं यह सिफारिश करता हूं कि माननीय मंत्री ऐसे छापे मारने के अपर महानिदेशक या ऐसे किसी अधिकारी जो उन्हें ऐसे कार्य के निर्वहन के लिए विधिक रूप से सक्षम लगें, नियुक्त करने के लिए इस कानून में संशोधन करें।

हम हमेशा वाणिज्य मंत्रालय और विश्व व्यापार संगठन के वाद-विवाद का हवाला देते हैं। हमने आज भी यह देखा है और मैं ऐसा माननीय मंत्री को विश्व व्यापार संगठन में हाल ही में उनके रूख तथा विश्व व्यापार संगठन में देश की ओर से दिए गए हालिया तर्कों के लिए मुबारकबाद देने के बाद कह रहा हूं। लेकिन, तथापि विश्व व्यापार संगठन कई तरह से क्षेत्रीय समझौते, मुक्त व्यापार समझौते के अधीन है जोकि विश्व व्यापार संगठन के विधिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मैं सोचता हूं कि जैसे-जैसे हम इस पर ध्यान देते जाएंगे तो हम देखेंगे कि अधिकांश देश चाहे वह भारत हो, अमरीका हो या यूरोपीय संघ हो ये सभी स्थानीय मुक्त व्यापार समझौते कर रहे हैं जिसका अर्थ है कि वे विश्व व्यापार समझौते को दरकिनार करके इन देशों के साथ विशेष संबंध बना रहे हैं।

मात्रात्मक प्रतिबंधों के संदर्भ में मेरे कोई प्रश्न नहीं हैं, मुझे मात्रात्मक प्रतिबंधों से कोई समस्या नहीं है। आज वास्तव में यह हो रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के दबाव के बावजूद, मुक्त व्यापार समझौते के दबाव के बावजूद अधिकांश देश विशेषत: कृषि आयात और निर्यात के मामले में स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी करके कृषि आयात को प्रतिबंधित या रोक रहे हैं। हम कई बार यह देख चुके हैं कि अमरीका ने कतिपय कीटनाशकों का उपयोग किए जाने के कारण भारतीय कृषि उपजों को लेने से इंकार कर दिया है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका सरकार की नीति में कोई समाधान नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसका ध्यान रखेंगे।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): धन्यवाद सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के साथ-साथ इस विधेयक का भी स्वागत करता हूं। इस विधेयक का विस्तार सीमित है और दायरे में केवल 'प्रौद्योगिकी' और ''सेवाएं'' आती हैं। इसका उद्देश्य मात्रात्मक प्रतिबंध अधिरोपित करने के साथ-साथ दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के व्यापार के नियंत्रण को और कड़ा करने के लिए उपबंध लाने का है। इसके अतिरिक्त इसमें इस अधिनियम में उपबंधित लाइसेंसों के सिवाय कोई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करना है। लेकिन ऐसा कहने के साथ-साथ मैं कुछ मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं और मैं सोचता हूं कि मंत्री जी और मंत्रालय आगे यह बताएंगे कि प्रौद्योगिकी और सेवाओं के दायरों में क्या लाया गया है और इसके साथ-साथ कृषि उत्पाद संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंधों के बारे में भी बताएंगे।

जहां तक विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्धता का संबंध है तो 1,429 वस्तुओं पर से मात्रात्मक प्रतिबंध को वापस लिया गया है। अब सरकार प्रौद्योगिकी और सेवाओं के बारे में क्या सोच रही है क्या सरकार कृषि उत्पादों के संबंध में भी इसी तरह के विचार रखती है। मुझे लगता है अन्य देशों से कृषि उत्पाद के निर्यात संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंधों को वापस ले लेना चाहिए।

अब अन्य बातों पर आ रहा हूं। इस विधेयक में अधिनियम में उपबंधित लाइसेंसों के सिवाय सेवा के क्षेत्र में सीमा पार व्यापार करने के लिए सभी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यहां यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे अन्य

विनियामकों की क्या स्थिति है जिनके उक्त सेवाओं में सीमा पार व्यापार करने के लिए स्वयं की लाइसेसिंग आवश्यकताएं हैं। क्या मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे? मैं मंत्री जी से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहूंगा।

तत्पश्चात महोदय, क्या इस विधेयक में शामिल सेवाओं में विश्व व्यापार संगठन के अधीन व्यापार सेवाओं संबंधी सामान्य समझौते के अंतर्गत सभी व्यापारयोग्य सेवाएं शामिल हैं। इनमें 12 क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

जहां तक उद्योग का संबंध है सरकार ऐसी किसी वस्तु पर मात्रात्मक प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगी, जो घरेलू उद्योग को गंभीर हानि पहुंचा सकती है। यह सूत्र कृषि पर भी लागू किया जाना चाहिए।

यह विधेयक ऐसी सामग्रियों या प्रौद्योगिकियों को विनियमित करेगा, जिनका उपयोग विध्वंसकारी हथियारों या अन्य परिदान प्रणालियों के निर्माण में किया जा सकता है। यहां प्रश्न यह है कि विध्वसंकारी हथियारों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों या प्रौद्योगिकियों को परिभाषित, स्पष्ट और निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट नहीं है। अत: इसे निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

अब मैं सेवाओं की बात करता हूं। इस विधेयक के द्वारा अधिनियम के दायरे को बढ़ाकर सेवा क्षेत्र में व्यापार (ट्रेड) को भी लिया जा रहा है। इस विधेयक में सेवागत व्यापार क्षेत्र के लिए लाइसेंस संबंधी जरूरतों को विशेषत: अधिनियम के दायरे में कर दिया गया है, जबकि कोई विशेष अधिसूचना अन्यथा न जारी की जाए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सेवाओं के अंतर्गत कम से कम विदेशी व्यापार के मामले में तो सेवा प्रदाताओं को अन्य क्षेत्रों में अपना अधिकार रखने वाले विनियामकों से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता न होगी।

मेरे पूर्व भाजपा के जो वक्ता बोले उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक का उल्लेख किया। विदेशी बैंकों को लाइसेंस देने के मामले में उसके अपने नियम हैं। तो क्या फिर विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो जाएगा? क्या इस संबंध में कोई भ्रांति आ गई है? मैं इस संबंध में मंत्री जी का उत्तर जानना चाहूंगा। कृपया ऐसी भ्रांति और विरोधाभासों को दूर कीजिए।

एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा, वह यह कि यह विधेयक उस विशिष्ट सामग्री के व्यापार को प्रतिबंधित करता है जिसे व्यापक जनसंहार के शस्त्रास्त्रों को बनाने और बेचने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। प्राधिकृत अधिकारी का महानिदेशक, विदेश व्यापार, ऐसी सामग्री रखने वाले को सुनवाई का कोई अधिकार दिए बगैर ही उसका व्यापारिक लाइसेंस निरस्त या निलंबित कर सकते हैं। यद्यपि, निर्यातक को ऐसे निरस्तीकरण या निलंबन के छह महीने के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन विधेयक में महानिदेशक, विदेश व्यापार पर एक विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करने की शर्त नहीं रखी गई है। इससे उन लोगों के लिए अनिश्चितता की स्थिति बनती है जो दोहरे उपयोग की संभावना वाली सामग्री का निर्यात करते हैं। मेरे विचार से यह एक अनिश्चितता वाली स्थिति है।

महोदय, मेरी अंतिम बात यह है कि एक ओर तो आप मात्रात्मक प्रतिबंध लगा रहे हैं–अच्छी बात है–लेकिन दूसरी तरफ, आप मुक्त व्यापार समझौता भी कर रहे हैं।

यह बिलकुल विरोधाभासी है। 'आसियान' देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। और, मेरे विचार से, अब सरकार यूरोपीय देशों तथा इस्राइल के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता करने जा रही है। जहां तक 'आसियान' देशों के साथ समझौते का प्रश्न है उन्होंने एक 'नकार-सूची' घोषित की है। हमें नहीं पता कि यूरोपीय देशों और इस्राइल के साथ समझौते के लिए किस प्रकार की 'नकार सूची' प्रस्तावित है। इस तरह के मुक्त व्यापार समझौते से हमारा देश एक कबाड़घर बन जाएगा जिससे कृषि क्षेत्र, खासकर देश के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अत:, मुझे आशा है कि अपने उत्तर के दौरान माननीय मंत्री इन सभी संदेहों, आशंकाओं और अनिश्चितताओं को दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी.आर. नटराजन (कोयम्बटूर): सभापति महोदय, मैं इस विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

इसके पूर्व, हमने मात्रागत प्रतिबंधों को हटाने का तगड़ा विरोध किया था जिनके कारण भारत के कृषि-उद्योग जगत में गंभीर संकट उठ खड़े हुए थे। उस कारण किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी। अब, इस विधेयक में मात्रागत प्रतिबंधों को समर्थित करने वाले सुरक्षोपायों का सांविधिक उपबंध दिया गया है। इस कारण, हम इस संशोधन विधेयक का स्वागत करते हैं।

लेकिन हम माननीय मंत्रीजी को आगाह भी करना चाहते हैं। हमें कुछ अनुभव भी हासिल हुए हैं। 'आसियान' देशों के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता रहा है और इससे भारतीय उद्योगों के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं। अब हमें पता चल रहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता हो रही है। लगता है कि कुछ गोपनीय बातचीत हुई है। लेकिन हरेक गोपनीयता का कुछ भेद भी खुल जाता है और उसी

से हमें पता लगा है कि यूरोपीय संघ कतिपय शर्तें लगा रहा है। यूरोपीय संघ अपने कृषि-उत्पादों पर भारी सब्सिडी दे रहा है। इससे यूरोपीय संघ को यूरोपीय कृषि-उत्पादों को भारतीय बाजार में खपाने में मदद मिलेगी। हमने भारतीय कृषि पर एक ऐसे ही समझौते का असर देखा है जब घटिया पाम तेल बाहर से मंगाकर घरेलू उत्पादन को तबाह किया गया था।

इसी प्रकार, बौद्धिक संपत्ति के मामले में यूरोपीय संघ 'ट्रिप्स' तथा अन्य उपबंधों तथा भारतीय पेटेण्ट और कॉपीराइट एक्ट के पुनर्रचन की मांग कर रहा है। इसके अलावा, कई एकाधिकारपरक तथा कार्पोरेट जगत के लिए मुनाफादार उपायों की मांग भी उसके द्वारा की जा रही है। वे अपने कृषि-व्यापार के हितार्थ पेटेण्ट-अवधि पांच वर्ष और बढ़ाने तथा कृषक अधिकारों में कमी की बात कह रहे हैं। हमें इन मुद्दों पर काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है।

महोदय, यूरोपीय संघ उन सभी भैषजिक उत्पादों, जिन्हें भारत यूरोपीय संघ के राज्य क्षेत्र के जरिए अन्य देशों को निर्यात करता है और जो यूरोपीय संघ के पेटेण्ट कानूनों के अनुरूप नहीं हैं, को 'नकली' बताने के लिए भारत पर दबाव बना रहा है।

यूरोपीय संघ औद्योगिक सामग्री पर आयात-शुल्क में भी भारी कटौती करने को कह रहा है जिससे भारत के विनिर्माण क्षेत्रक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि पहले ही सिकुड़ते बाजार-अवसरों के कारण नौकरियां घटाने की समस्या से जूझ रहा है।

महोदय, हम आपके माध्यम से ये सभी चेतावनियां सरकार को दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, इस विधेयक का प्रयोजन दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों के मामले में निर्यात अथवा व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखना और विध्वसंकारी अस्त्र और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का निवारण) अधिनियम, 2005 के समान नियन्त्रण स्थापित करने हेतु समर्थकारी प्रावधान करना है। परन्तु हमारा अनुभव यह है कि गत कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान महत्त्वपूर्ण रक्षा अधिप्राप्तियों हेतु अमरीकी सरकार के विदेशी सेना बिक्री कार्यक्रम का उपयोग करते रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए विमान, हैलीकॉप्टर आदि जैसी कई आवश्यक वस्तुओं की खरीद की है। हमारी रक्षा सेनाओं की मौजूदा स्थिति यही है।

अत: आयात और निर्यात हेतु लाइसेंस परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त करने के प्रावधान की समुचित रूप से जांच और संवीक्षा करने की आवश्यकता है तथा अधिनियम के माध्यम से लाइसेंस द्वारा आयात की जाने वाली ऐसी वस्तुओं की सूची में और वस्तुएं शामिल की जानी चाहिएं जिनके आयात हेतु पूर्व लाइसेंस की आवश्यकता होती है और जिनके संबंध में घरेलू उत्पादन क्षमता में देश प्रगति करता है।

अंत में, विश्व व्यापार में भारत को एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनाने के लिए न केवल निर्यात का संवर्धन करने की आवश्यकता है जो कि देश मुख्य उत्पादों और मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने के दृष्टिकोण को अपनाकर किया जा रहा है अपितु, भारतीय उद्योग विशेषकर वस्त्र उद्योग की रक्षा करने के लिए समान उपाय किए जाने की भी आवश्यकता है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और साथ ही मैं विश्व व्यापार संगठन और भारतीय श्रमिक वर्ग पर इसके प्रभाव के संबंध में एक श्वेत पत्र की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, विदेश व्यापार कानून में संशोधन लाते हुए सरकार ने दावा किया है कि विदेश व्यापार को दुरुस्त करने के लिए उसमें मात्रात्मक प्रतिबंध लगाएंगे तो यह ठीक हो जाएगा। विदेश व्यापार हिन्दुस्तान के लिए परम्परागत पुराने जमाने से हो रहा है। जिस जमाने में माल ढोने के लिए हवाई जहाज नहीं था, तब समुद्र, नाव, पनिया जहाज या घोड़े, खच्चर पर सिल्क रूट से देश-विदेश से हिन्दुस्तान का व्यापार चलता था। फिर डब्ल्यूटीओ का दौर आया। मुक्त व्यापार की बहस चल रही है। दोहा फेल हो गया, कतर वाला गड़बड़ हो गया। हाल में जेनेवा में छोटे मंत्री जुटे थे, बड़े मंत्रियों का सम्मेलन नहीं हो सका। हम देहात के लोग यह सब सुनते रहते हैं कि विदेश व्यापार में क्या हो रहा है। सामान्य बुद्धि के लोग मानते हैं कि विदेश व्यापार नीति वह होनी चाहिए कि अपने देश से विदेश में ज्यादा सामान भेजा जा सके और विदेश से कम आए, तो यह सफल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। बीच में यह हुआ कि एक्सपोर्ट 3.8 प्रतिशत घट गया। मंदी हो गई। क्या मंदी सिर्फ हमारे देश के लिए हुई, चीन के लिए मंदी नहीं हुई, हम सवाल उठाना चाहते हैं? हमने माना कि विदेश से हमारा जो व्यापार है, दुनिया में हमारा व्यापार कितना प्रतिशत है और कितना प्रतिशत होना चाहिए।

अगर प्रतिशत का हिसाब जोड़ा जाए, तो हिन्दुस्तान नगण्य में आएगा। इतना बड़ा मुल्क है। हम दुनिया का छठा हिस्सा हैं। हमारी आबादी 16-17 फीसदी है। हमारे पास बहुत मेधा है। डब्ल्यूटीओ के बारे में हम सुनते हैं कि सामान की आवाजाही

फ्री कर देंगे। आप केवल एक शर्त यहां से रखिए, ज्यादा नहीं। जैसे डब्ल्यूटीओ में सामान की आवाजाही फ्री कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप आदमी की आवाजाही फ्री करवा दीजिए यानी पासपोर्ट खत्म करवा दीजिए, फिर देखिए कि हिन्दुस्तान का क्या होता है? हमारे लोग दुनिया भर में छा जाएंगे। यहां के लोग मेहनती, मेधावी हैं, लेकिन वहां रिस्ट्रिक्शन है। अब आपने ठीक किया है। माल की परिभाषा में आपने सेवाएं और टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है। अब केवल सामान नहीं है, आपने यह ठीक उपाय किया है। यदि हम यहां ही सारे कानून पास करेंगे, लेकिन डब्ल्यूटीओ में कौन सा कानून लागू होगा? आप वहां अपना तर्क रखिए, डिप्लोमेसी करिये और चीन और अर्जेन्टीना को मिलाइए। अब अमेरिका या विकसित मुल्क जो भी साजिश करते हैं, हम गांव में रहकर उसे देख और समझ रहे हैं। अब गेट्स आ गया, ट्रिप्स आ गया, ट्रिम्स आ गया। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटलैक्चुअल प्रापर्टी राइट और जनरल एग्रीमैंट इन सर्विसेज आदि सभी तरह की बातें जब हम सुनते हैं, तो लगता है कि हमने ऐसे ही डंकल प्रस्ताव की खिलाफत की। लेकिन यह होता है कि यह नेसेसरी बिल है, इससे हमारा नुकसान है, लेकिन इससे हटने का कोई उपाय नहीं है। हमने इसलिए दस्तख्त कर दिए हैं, लेकिन इसमें कम से कम तकलीफ हो और देश का नुकसान कम से कम हो, यह प्रयत्न चल रहा है। हम इसी से समझ जाते हैं कि क्या मामला हो रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के बाजार में चीन का सामान छा गया। हम हाल ही में चीन गये थे, वहां हमारा कौन सा सामान बिक रहा है? यहां से कच्चे माल जैसे ओर, लोहा आदि पानी के जहाज में लादकर ले जाया जा रहा है। वे उससे स्टील बनाकर फिर हमारे देश में भेज रहे हैं। इसलिए विदेश व्यापार में एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट घटे, इस कसौटी के साथ आप क्या सामान बाहर भेज रहे हैं? आप हमारा कच्चा माल बाहर भेज रहे हैं और उनका पक्का माल हमारे यहां आ रहा है। यह विदेश व्यापार की सफलता है या विफलता, यह हम सवाल उठाना चाहते हैं? आयरन ओर से यहां लोहा बनाने का उपाय होता है, फिर सबसाइड, लिमोनाइट, हिमाटाइट आदि होता है। उससे फर्नेस ऐसा बनाइये कि हाई स्टील बने, लोहा बने, ढलवा, पिटवा लोहा बने। माननीय मंत्री जी माइन्स के बारे में समझते हैं। हमने कहीं इनका बयान देखा है कि हमारे यहां से सस्ते में बहुत कच्चा माल जा रहा है। यहां पर इतना लोहा बनाने का कोई उपाय नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदयः रघुवंश जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः मैं अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* मंत्री जी हमारे प्रथम सवाल का जवाब दें कि डब्ल्यूटीओ में कैसे हिन्दुस्तान की रुचि हो। हिन्दुस्तान के हित को, अपने देश और किसान का सर्वोच्च हित देखना चाहिए। वे कहते हैं कि हम सब सब्सिडी नहीं रोकेंगे, लेकिन यहां कहते हैं कि किसानों की सब सब्सिडी रोक दीजिए। आप वहां जो बहस चलाते हैं, उसे हम सब सुनते हैं। डब्ल्यूटीओ में सभी देश भर के मंत्री जिनेवा आदि सब समझौतों में जाकर बहस करते हैं। अब वह फेल होने पर लगा हुआ है, ऐसा हमें लगता है। अब आप यह कानून ला रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि पहले यह कानून नहीं था, तब क्या देश का नुकसान नहीं हुआ होगा? अगर यह कानून पहले रहता, तो देश का फायदा होता। हमें ऐसा लगता है कि पहले इस कानून को नहीं लाने से देश का नुकसान ही हुआ होगा। इसलिए डब्ल्यूटीओ से आप कैसे सुधरेंगे?

एक्सपोर्ट के बारे में आपने कहा कि यह लगभग 200 बिलियन यानी लगभग नौ-दस लाख करोड़ रुपये का टारगेट रखा है। *...(व्यवधान)* ट्रेड डेफिसिट 116 बिलियन होने का अनुमान है। ट्रेड डेफिसिट मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा और इम्पोर्ट कम। इसका क्या उपाय करेंगे? 116 बिलियन ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। यह इन्हीं का आंकड़ा है। यहां से किसानिया सामान जाए, फूड प्रोसेसिंग होकर जाए। दवा के मामले में हम देखते हैं कि चरक हमारे यहां के, हमारा आयुर्वेद, सुश्रुत, बाणभट्ट, धनवंतरि सब हमारी उत्पादित जड़ी-बूटियां, लेकिन चीन भेज रहा है ज्यादा और हमारे देश में उनका कुछ पता ही नहीं है। इस सबके लिए आप क्या करेंगे? विदेश में यहां से अंग्रेजी दवाइयां जाती हैं वे जाएं ठीक है लेकिन जो हमारी जड़ी-बूटियां हैं, उनको भेजने का आपने क्या विशेष प्रबंध किया है क्योंकि बाहर इनकी मांग है? चीन हमसे आगे जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति चीन यहां आकर बेच रहा है। गणेश जी एवं अन्य सभी रंग-बिरंगी मूर्तियां, बिजली का सामान यहां सस्ते में लोगों को मिल रहा है। चीन में बना हुआ बिजली का सामान हमारे बाजार में डम्प किया हुआ है। आपका कॉमर्स विभाग कहां था? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी कृपया बैठ जाइए। आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः चीन की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति अपने देश में सस्ती मिल रही है। गणेश जी हमारे देवता, ये लोग उनको दूध पिलाते हैं और मूर्ति भेजता है चीन। यह कैसा खेल है, कैसा अचरज है? इन सभी चीजों के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी जिससे अपने देश का, यहां के किसान का अहित

न हो, अपने देश से एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इम्पोर्ट कम हो और देश से जो सामान जाए, वह कच्चा नहीं, बना-बनाया सामान यहां से जाए। उसके बाद आदमी को भेजने का यहां से प्रबंध कीजिए। दो-चार पानी के जहाज में आदमी यहां से ले जाकर विदेश में पहुंचा दीजिए, वहां वे मेहनत करके उत्पादन करेगा, उस देश का फायदा करेगा और अपने देश का भी फायदा होगा। आपने माल के लिए जो व्यवस्था की है, वही व्यवस्था आदमियों के लिए कीजिए। डब्ल्यूटीओ से कहिए कि पासपोर्ट प्रथा खत्म करो, जहां जिसको जाना हो जाने दो, यह धरती सबकी माता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहूंगा कि विदेश व्यापार का सुधार कीजिए, इससे देश का लाभ होगा।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदय, आयात को सुगम करने और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, 2009 इस सदन में विचाराधीन है। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 1992 काफी पुराना हो गया था।

इस बीच में कुछ समस्याएं भी आईं और आवश्यकताओं में भी बदलाव आया। इसके साथ ही तेजी से ग्लोबलाइजेशन हुआ, गैट और डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत अन्य देशों से समझौते हुए। उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धताएं बढ़ीं और हमें एक परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली और परिस्थितियों में बदलाव आया। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए कानून में भी बदलाव की अनिवार्यता होती है, जिसके फलस्वरूप यह बिल आज हमारे सामने है।

नवम्बर 2009 में इस बिल को राज्य सभा में पेश किया गया था। वहां से इसे स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर दिया गया। स्टेंडिंग कमेटी ने व्यापक अध्ययन करके अपनी संस्तुतियों के साथ इस बिल को लौटा दिया। उसके बाद राज्य सभा में इस बिल पर गहन विचार विमर्श हुआ और यह पास हुआ। वहां से पास होने के बाद आज यह हमारे सामने चर्चा के लिए आया है। इस एक्ट में संशोधन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रावधान करने की बात है। मंत्री जी ने अपने सूक्षम भाषण में विस्तार से उन सबके बारे में सदन को अवगत कराया है। मैं उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस बिल के माध्यम से आयात-निर्यात को सरल बनाने का प्रावधान तो है ही, साथ ही साथ लाइसेंस की आवश्यकता को भी समाप्त किया गया है। इसके माध्यम से एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को एक कोड नम्बर दिया जाएगा। इस बिल के अंतर्गत प्रतिबंधित वस्तुएं, टेक्नोलॉजी सर्विसेज को छोड़ कर बाकी किसी भी वस्तु को, सर्विसेज को या टेक्नोलॉजी को बाहर भेजने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और न कोई प्रतिबंध है। किसी भी चीज का निर्यात किया जा सकता है और आयात भी किया जा सकता है। सन 1992 के एक्ट में सिर्फ गुड्स के आयात-निर्यात का प्रावधान है। इस बिल के माध्यम से उसे विस्तारित किया गया है। उसमें गुड्स एंड सर्विसेज को भी शामिल किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गुड्स एंड सर्विसेज का शेयर जीडीपी में बहुत महत्वपूर्ण है। लोग भारत सरकार की आयात और निर्यात सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। इस बिल के माध्यम से आयात-निर्यात में जो क्वांटेटिव रिस्ट्रक्शन लगाई गई है, वह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह बहुत आवश्यक भी है। जब बाजार खुला है, फ्री ट्रेड है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बाहर से हर चीज आ सकती है और हर चीज को भेजा जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां भी पैदा होती हैं और हमारे सामने आई भी हैं विशेष रूप से चीन की तरफ से और कुछ अन्य देशों की तरफ से कि उनके द्वारा बनाया गया जो सामान हमारे यहां आता है, उसकी खुदरा कीमत ही हमारे यहां उस सामान की उनकी अपनी उत्पादन कीमत से कम है। इसलिए इस बात पर भी सावधानी बरतने का प्रावधान किया गया है कि किसी वस्तु पर, जिस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, वह उनके टोटल आयात से तीन प्रतिशत से कम न हो। अगर तीन प्रतिशत से कम है तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। कई देशों को मिलाकर उस वस्तु का आयात अगर नौ प्रतिशत से कम है तो भी हम रिस्ट्रक्शन नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं है कि यह बहुत आर्बिट्रेरी है, बहुत सावधानी से इस बिल में प्रावधान किया गया है। यह आवश्यक इसलिए भी है कि हिन्दुस्तान के उद्योगों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए कोई देश उतारू हो जाता है, तो उस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। उसी उद्देश्य को लेकर अपने उद्योगों को बचाने के लिए यह क्वांटेटिव रिस्ट्रक्शन लगाई गई है।

सेज के बारे में हमारे एक मित्र ने बताया कि इससे बहुत परेशानी होगी। इस बिल के अंतर्गत उन्हें लाइसेंस लेना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसे सही ढंग से पढ़ा जाए तो इसमें सब लिखा हुआ है कि सेज से आयात-निर्यात गुड्स एंड सर्विसेज के लिए सेज एक्ट 2005 के अंतर्गत ही होता रहेगा।

कुछ खास वस्तुएं, खास सर्विसेज और टेक्नॉलोजीज, उनके आयात-निर्यात के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है और जो दोहरी यूज की गुड्स एंड टेक्नॉलोजीज हैं, उनके ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन्स लगाने का प्रावधान किया गया है। वैपन ऑफ मास

डिस्ट्रक्शन्स और उससे संबंधित डिलीवरी सिस्टम, जैसे मिसाइल-उनकी तकनीक, उनकी सर्विसेज, उनके गुड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन्स लगाने का प्रावधान है। आपको पता है कि भारत हमेशा शांति के लिए परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का हिमायती रहा है। अगर उसमें फ्री-ट्रेड के माध्यम से खिलवाड़ किया जाए, तो उसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे अनेक समझौते और ट्रीटीज हैं, उनसे भी अगर देश की प्रभुता को खतरा हो या अन्य देशों के साथ समझौतों को नुकसान हो, तो मैं समझता हूं कि वह भी हमारे देश के हित में नहीं है। इस बिल में दिए गये प्रावधानों के अनुसार जो झूठे तथ्य देकर, गलत काम करने वाले लोगों पर, उनके कोड नम्बर को निरस्त करने का, उनको सस्पेंड करने का तत्काल प्रावधान है। जैसे कि बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें पहले से नोटिस देना, समय देना संभव नहीं है। यह इतना संवेदनशील मामला है जिसमें तत्काल कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह भी सही प्रावधान किया गया है।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा है। हमने आयात-निर्यात को स्थिर रखा है। पिछले वर्ष जो ग्लोबल मंदी को कम करने के बावजूद निर्यात में 4.7 प्रतिशत की कमी जरूर आई है लेकिन निर्यात को बढ़ाने के लिए जो स्टेमुलस पैकेज दिए गए थे, उनके बहुत अच्छे परिणाम आये हैं। उसके फलस्वरूप इसी साल के माह अप्रैल में 36 प्रतिशत की वृद्धि निर्यात में हुई है। मई तथा जून के महीने में पिछले वर्ष इस अवधि के मुकाबले 30 तथा 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

प्राइममिनिस्टर इकोनोमिक एडवाइजर कौंसिल के अनुमान के अनुसार वर्ष 2010-2011 में अनुमानित निर्यात वृद्धि 22 प्रतिशत की आशा है और उससे 216 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट होगा। जबकि हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा 200 बिलियन यूएस डॉलर का ही अनुमान लगाया गया था। अगले वर्ष प्राइममिनिस्टर इकोनोमिक एडवाइजर कौंसिल के अनुमान के अनुसार 254 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात होने का अनुमान है। पांच वर्षों में निरंतर निर्यात निर्यात में वृद्धि हुई है। हमारे आदरणीय रघुवंश प्रसाद जी पूछ रहे थे कि दुनिया में हमारा ट्रेड शेयर क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोबल मर्केन्टाइज ट्रेड में हमारा शेयर वर्ष 2003-2004 में 0.83 प्रतिशत था वह बढ़कर 1.45 प्रतिशत हो गया। ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज में हमारा शेयर 2003-2004 में 1.4 प्रतिशत था जो बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया। गुड्स एंड सर्विसेज में वर्ष 2003-2004 में हमारा शेयर 0.92 प्रतिशत था जो बढ़कर 1.64 प्रतिशत हो गया है। आज देश में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है वह वर्ष 2014 में दुगुना हो जाएगा, ऐसे अनुमान की घोषणा माननीय मंत्री जी ने की है। मेरा पूरा विश्वास है कि यूपीए सरकार की अच्छी नीतियों के कारण, वाणिज्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐतिहासिक वृद्धि होगी क्योंकि आयात-निर्यात में जो कठिनाइयां थीं, इस बिल के माध्यम से उनका समाधान हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से, इस ऐतिहासिक बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: धन्यवाद।

माननीय सदस्यगण, हम इस विधेयक हेतु आबंटित समय को पूरा कर चुके हैं। परन्तु, मैं तीन और सदस्यों को तीन-तीन मिनट बोलने का समय दे रहा हूं।

अगले वक्ता श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 4.00 बजे

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा में विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक में 'मात्रात्मक प्रतिबंध' खंड को अंत:स्थापित किया गया है जिससे घरेलू कृषि उद्योगों को काफी सहायता मिलेगी। परन्तु, विधेयक के अनुसार 'मात्रात्मक प्रतिबंध' को केवल तभी लागू किया जा सकता है जबकि कुल आयात उत्पादन के 3% से अधिक होगा। इस संबंध में, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि आयात-निर्यात क्षेत्र में व्यापारियों का एक बड़ा गठजोड़ कार्य कर रहा है। सरकारी अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी, निर्यातक आयातक-अधिक बीजक या कम बीजक तैयार करने के लिए इस गठजोड़ में एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त, गैर कानूनी तरीके से इस देश में बड़ी संख्या में वस्तुओं की तस्करी की जाती है। अत: आमतौर पर तीन प्रतिशत के स्तर का पता लगाना मुश्किल होता है।

मेरा यह प्रस्ताव है कि मात्रात्मक प्रतिबंध के साथ-साथ गुणात्मक प्रतिबंध भी होने चाहिएं। इसका यह अर्थ है कि यदि आयातित वस्तुएं एक निश्चित मानक और गुणवत्ता की नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रद्द किया जा सके। यह देखा गया है कि चीन से इस प्रकार की सैंकड़ों वस्तुएं और उत्पादों का नियमित रूप से आयात किया जा रहा है जो कि घटिया किस्म की हैं। इन

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

पर प्रतिबंध लगना चाहिए और हमारे देश में इनके आने पर रोक लगनी चाहिए। नोटिस जारी करके जब मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया जाता है तो संबंधित देश डब्ल्यूटीओ में मामला दर्ज कर देते हैं। मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं।

सभी मुक्त व्यापार करार जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं या अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं संसद द्वारा उनकी संपुष्टि की जानी चाहिए। प्रत्येक लोकतान्त्रिक देश में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। अमेरिका में भी यही प्रणाली लागू है। अत: भारत को भी इसका पालन करना चाहिए। विदेश व्यापार नीति 2009-2010 में यह कहा गया है कि वार्षिक वृद्धि की दर 15% रहेगी। परन्तु, वस्तुत: हम यह पाते हैं कि विदेशी व्यापार की मात्रा में कमी आ रही है। रत्न और आभूषण व्यापार में भी कमी आई है। वर्तमान में वस्त्रों का निर्यात नहीं किया जाता; मसालों के निर्यात के साथ चाय के निर्यात में बहुत कमी आई है। अत: आपका किस प्रकार निर्यात आय में वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

यह घोषणा की गई है कि निर्यात उत्कृष्टता केन्द्र खोले जाएंगे। परन्तु, सदैव यह देखा गया है कि जिन स्थानों को ऐसे कार्यकलापों के लिए चुना जाता है वहां कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं होती है बल्कि केवल राजनैतिक कारणों से उन पर विचार किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वे इस पहलू को भी ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त दोहरे-उपयोग संदर्भ में जिन नियमों को कार्यान्वित किया गया है उनका भी स्वागत है।

अत:, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करने हेतु माननीय मंत्री जी को पुन: बधाई देता हूं और इस वाद विवाद में भाग लेने के लिए मुझे अनुमति देने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री एम. सेम्मलई (सलेम): सभापति महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सर्वप्रथम, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि वर्तमान स्थिति में संशोधन अपरिहार्य है। लगभग सभी देश इच्छा से अथवा अनिच्छा से उदारीकरण और वैश्वीकरण के नारे के साथ उसी नाव पर सवार हैं। इसलिए, व्यापार कोई अपवाद नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए। मैं प्रस्तावित संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं जो विभिन्न मुद्दों का समधान करता है।

मैं केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस विधेयक की धारा 5(ख) का आशय विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत फर्मों के संबंध में विदेश व्यापार नीति में कतिपय आशोधन और अपवादों का उपबंध करना है। माननीय मंत्री जी से मेरा यह निवेदन है कि सरकार विशेष आर्थिक क्षेत्र में फर्मों को पहले ही काफी रियायतें दे चुकी हैं। यदि प्रस्तावित धारा 5(ख) के जरिए और अधिक रियायतें दी जाएंगी, तो मेरे विचार से इसकी पूरी संभावना है कि सरकार गरीबों की कीमत पर अमीरों को लाभ पहुंचाने के आरोप से नहीं बच सकती।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक की धारा 5(ख) पर पुनर्विचार करें और यह देखें कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के तहत फर्मों को और अधिक अनुचित लाभ और रियायतें न दी जाएं।

अपराह्न 4.05 बजे

[डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*]

माननीय मंत्री जी ने अपने उद्घाटन भाषण में मात्रात्मक प्रतिबंधों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया है।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध, जो घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, उसकी एक सात्यापनयोग्य तंत्र के जरिए आवधिक रूप से समीक्षा की जाए चूंकि माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि हमारी सरकार के इनकार के बावजूद चीन से वस्तुओं का अनियंत्रित आयात हमारे घरेलू उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार को व्यापार समझौतों से प्रभावित नहीं होना चाहिए तथा चीन जैसे और संभवत: कोरिया जैसे देश, जो कि भारत के लिए एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभर रहा है, से वस्तुओं के अनियंत्रित आयात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मुझे आशंका है कि मात्रात्मक प्रतिबंधों की चार वर्षों की सीमित अवधि और चार वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर प्रतिबंधों का स्वत: हट जाना घरेलू उद्योग के विकास के लिए अनुकूल नहीं है।

मैं हमारे माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे किसी देश से आयातित वस्तुओं के संबंध में लागू मात्रात्मक प्रतिबंधों के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करें और यदि इस बात से संतुष्ट हों कि प्रतिबंधों को हटाए जाने से घरेलू उद्योग प्रभावित नहीं होगा, केवल तभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। इस विधेयक के अध्याय तीन में यथाल्लिखत मात्रात्मक प्रतिबंध के लागू होने की चार वर्षों की समय सीमा को पर्याप्त रूप से प्रतिस्थापित किया जाए। इन्हीं टिप्पणियों के साथ, मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा इस विषय पर उचित रूप से विचार किया जाएगा। मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पी.टी. थॉमस (इदुक्की): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री द्वारा की गई पहल उल्लेखनीय है। यह हमारे आर्थिक विकास में भी मददगार साबित होगी।

महोदय, व्यापार को स्वयं में अंतिम सीढ़ी नहीं माना जा सकता। बल्कि दूसरी ओर, व्यापार आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास का एक साधन है। प्रमुख उद्देश्य मात्र विदेशी मुद्रा अर्जित करना नहीं है अपितु देश में अत्यधिक आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना है।

स्वतंत्रता के पश्चात, भारत ने राष्ट्रीय आर्थिक आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का सूत्रपात किया जिसमें 1991 से शुरू की गई आयात प्रतिस्थापन नीतियां शामिल हैं। तथापि, एक शिथिल अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण की ताकतों ने एक अधिक मुक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। साथ ही साथ, 90 के दशक में निर्यात, आयात, एफडीआई और संपूर्ण आर्थिक विकास में क्रमिक बढ़ोतरी हुई।

वस्तुतः, मूल विधेयक तत्कालीन माननीय मंत्री जी सलमान खुर्शीद द्वारा 20 जुलाई, 1992 को इस सम्मानीय सभा में पुरःस्थापित किया गया था। उस समय, विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए, उन्होंने विवेकपूर्वक कहा था कि यह विधेयक आयात को सुलभ बनाकर और भारत से निर्यात में संवर्धन करके विदेश व्यापार के विकास और विनियमन का उपबंध करता है। वर्ष 2009-10 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दुबई ऋण संकट का भारत के निर्यात और आयात पर कुछ प्रभाव पड़ने की आशंका है चूंकि खाड़ी क्षेत्र देश का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। व्यापार में खाड़ी क्षेत्र की उल्लेखनीय हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए भारत के निर्यात और आयात पर कुछ प्रभाव पड़ेगा।

वर्ष 2009 युद्धोत्तर काल में सर्वाधिक भीषण आर्थिक मंदी का गवाह रहा है। विश्व भर में देश प्रभावित हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आंकड़े एक चिंताजनक पूर्वानुमान प्रस्तुत करते हैं कि मात्रा के संदर्भ में वैश्विक व्यापार में 9 प्रतिशत की गिरावट आने की संभावना है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़े 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्शाते हैं। मंदी के रूझान के भारी सामाजिक निहितार्थ हैं। विश्व बैंक के अनुमान दर्शाते हैं कि वर्ष में 53 मिलियन और लोग गरीबी के दायरे में आ जाएंगे और एक बिलियन से अधिक लोग दीर्घकालिक रूप में भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। हालांकि भारत उस हद तक प्रभावित नहीं हुआ है जितना विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं, तथापि हमारे निर्यात के लिए पारंपरिक बाजार की मांग में कमी के कारण गत दस महीनों में हमारे निर्यात में गिरावट आई है। इस आर्थिक परिदृश्य में, इस विधेयक का महत्त्व काफी बढ़ जाता है।

यूपीए सरकार द्वारा वर्ष 2004 में घोषित विदेश व्यापार नीति में दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए थे–पांच वर्षों के भीतर वैश्विक व्यापार में प्रतिशत हिस्सेदारी को दो गुना करना, और प्रभावी माध्यम के रूप में व्यापार का विस्तार करना। विश्व व्यापार संगठन के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2003 में हमारी वैश्विक आर्थिक सेवाओं का निर्यात 1.4 प्रतिशत था वर्ष 2008 में यह बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया। इतना ही नहीं, हम मार्च 2011 तक 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के वार्षिक निर्यात के लक्ष्य के साथ 15 प्रतिशत की वार्षिक निर्यात विकास के नीतिगत लक्ष्य निर्धारित करना चाहेंगे। वर्ष 2014 तक विदेश व्यापार नीति के शेष तीन वर्षों में देश 25 प्रतिशत के लगभग की उच्च निर्यात विकास दर प्राप्त कर पाएंगे।

इस संशोधन विधेयक में इन बातों सहित अन्य बातों का अनुमान लगाया गया है। मूल विधेयक में धारा 2 के अंतर्गत वस्तुएं विनिर्दिष्ट की गयी थी। परन्तु अब सेवाएं भी विदेश व्यापार के दायरे में शामिल की गयी है। इस संशोधन में सेवाओं की परिभाषा स्पष्ट की गयी है। अध्याय 2 के नीचे उप-धारा में मूल अधिनियम की धारा 3 में "निर्यात और आयात नीति" के स्थान पर "विदेश व्यापार नीति" शब्द को प्रतिस्थापित किया गया है। इससे इस विधेयक का दायरा भी बढ़ जाता है।

सरकार प्रतिवर्ष दुनिया भर में छह अथवा अधिक 'मेड इन इंडिया' शो आयोजित करके भारत की साख को बढ़ाती है। निर्यात क्षेत्र अवसंरचना उत्कृष्ट निर्यात के नगर और वहां स्थित इकाई के उन्नयन हेतु अतिरिक्त ध्यान और सहायता तथा पहल की जाएगी।

यह सत्य है कि सरकार देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु अनेक पहल कर रही है। साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अनुमोदित इकाइयों को आवश्यक वस्तुएं आयात किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2007-08 में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का निर्यात 40.4 बिलियन डॉलर था। वर्ष 2008-09 में यह 47.7 बिलियन डॉलर था।

वर्ष 2009-10 के अनुमानों के अनुसार यह 49.7 बिलियन डॉलर था। एक वर्ष पहले लोग हमारी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का विरोध कर रहे थे। अब परिस्थितियां काफी बदल गयी हैं।

कुछेक अन्य बातें हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इनमें से अधिकतर विधेयक के अध्याय तीन क में हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध हर किसी के लिए सुरक्षोपाय है। पहले यह केवल अधिसूचना के लिए था। अब यह विधि का भाग बन गया है। यह अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश के हितों का संरक्षण कर

रहा है। फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कतिपय उत्पादों में कुछ मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं, इससे असंतुष्ट देश विश्व व्यापार संगठन में जाएंगे, उस स्थिति में हमारा दृष्टिकोण क्या होगा? मैं बड़ी विनम्रता से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसका उत्तर दें। वहीं दूसरी ओर हमारी अर्थव्यवस्था पर आयात के कारण पड़ने वाले प्रभाव भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। केरल से सदस्य होने के नाते, कृत्रिम रबड़ के आयात के बारे में भी मेरी कुछ आशंकाएं हैं। क्या यह हमारी प्राकृतिक रबड़ को बुरी तरह से प्रभावित करेगी? इस बारे में मेरी कुछ आशंकाएं हैं यद्यपि सरकार कुछ संरक्षात्मक उपाय करेगी।

श्री आनंद शर्मा: मैं इस संशोधन विधेयक की आवश्यकता को महसूस करने और इसकी सराहना के लिए सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, साथ ही साथ इसके सकारात्मक पहलुओं विशेषकर क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य हमारी विदेश व्यापार नीति और विदेश व्यापार अधिनियम को डब्ल्यूएमडी अधिनियम (विध्वंसकारी शस्त्र और प्रसार) के अनुकूल बनाना है। यह विधेयक संसद द्वारा वर्ष 2005 में इस उद्देश्य के साथ पारित किया गया था कि इसका उपयोग विध्वंसकारी शस्त्रों की प्रौद्योगिकी का दोहरा प्रयोग किया जा सके। सुरक्षा हितों सहित इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत एक परमाणु शक्ति है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों, संधियों और प्रतिबद्धताओं से बंधा हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस संशोधन के माध्यम से हम एक संविधि तैयार करना चाहते हैं, हम व्यापार सुरक्षा उपाय के रूप में मात्रात्मक प्रतिबंध का उपबंध कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है परन्तु भारतीय कानून के अंतर्गत इस प्रकार के प्रावधान नहीं थे, जो ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने को सुकर बनाता है। यह सत्य है कि पाटन के विरुद्ध उपबंध है और व्यापार संव्यवहार में मूल्य विनाश के सुरक्षोपाय हेतु उपबंध है परन्तु साथ ही घरेलू क्षति से संरक्षण के लिए यदि व्यापक आयात अथवा सस्ता आयात हो रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी होती थी। इस संशोधन के साथ हम यह सुनिश्चित करेंगे।

अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। कई आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि क्या इसे रसद, विदेश व्यापार महानिदेशालय से जोड़ा जाना चाहिए, कि क्या वे पर्याप्त हैं अथवा नहीं, व्यापार असंतुलन, क्षेत्रीय और व्यापार समझौते, द्विपक्षीय व्यापार समझौते, मुक्त व्यापार समझौते, आसियान के साथ विगत में हस्ताक्षर किए गए व्यापार और निवेश समझौते, अथवा यूरोपीय संघ के साथ बातचीत की जा रही है, मैं संक्षेप में इनमें से कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिनको यहां उठाया गया है और जिनको लेकर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। परन्तु सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि पहले वक्ता श्री अर्जुन मेघवाल ने कार्यान्वयन की बात की है।

कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व विदेश व्यापार महानिदेशालय का है। परन्तु जब प्रतिबंधों को लागू करने की बात आती है यह सीमा पर सीमाशुल्क द्वारा की जाती है। इस प्रकार हमारे पत्तनों अथवा विमानपत्तनों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा नहीं की जाती है, जो के निरीक्षण करते हैं अथवा इन प्रतिबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं।

हालांकि हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रक्रिया सरल हो, अधिक एकरूपता अथवा तर्कसंगतीकरण हो एवं अधिकतर सेवाएं ई-सेवा मुक्त हों। डीजीएफटी में 85 प्रतिशत आवेदन आज नेट के माध्यम से आए हैं, ये व्यक्ति द्वारा नहीं लाए गए हैं। अधिकतर अनुमोदन उसी तरीके से किए जाते हैं। हम पिछले वर्ष से ही कोशिश करते रहे हैं और हमने बहुत प्रगति कर ली है तथा शीघ्र ही हम यह सूचना देने में सक्षम होंगे कि हमारे अधिकतर गंतव्य अर्थात पत्तन एवं विमानपत्तन इतने ई-सुविधा युक्त हैं कि डीजीएफटी एवं सीमाशुल्क स्टेशनों या पत्तन स्टेशनों के बीच इलेक्ट्रानिक आंकड़ों का आदान-प्रदान हो। इससे लेन-देन लागत कम होगी *...(व्यवधान)* इसी बात की सूचना मैं दे रहा हूं। यही हम करना चाह रहे हैं। हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। सीमा-शुल्क विभाग के सामने प्रणाली को लागू करने संबंधी कुछ मुद्दे थे।

भारत एक बड़ा देश है। आप पत्तनों, विमानपत्तनों तथा भूमि पर स्थित सीमा-शुल्क स्टेशनों को देखिए, जिससे आपको रूबरू होना चाहिए कि भारत की कई देशों के साथ सीमाएं हैं–समुद्र या वायु वाहक मार्गों के माध्यम से भेजी जा रही चीजों के अलावा भूमि स्थित सीमा-शुल्क स्टेशन भी हैं जिन्हें मजबूत किया जाना है और वे भी भूमिका निभाते हैं।

मैं यहां यह सुझाव देने के लिए नहीं हूं कि सब कुछ ठीक है और डीजीएफटी में क्रियान्वयन पहलू के संबंध में हमारे पास पर्याप्त मानवशक्ति एवं शक्ति है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि डीजीएफटी के अलावे हमारे यहां विदेश व्यापार में अतिरिक्त एवं उपमहानिदेश हैं। हमारे पास 35 क्षेत्रीय प्राधिकरण हैं जिनमें 2400 से अधिक कर्मचारी हैं।

इसलिए श्री अर्जुन मेघवाल का यह मानना कि यह बहुत छोटा संगठन है गलत है और मैं विनम्रता से कहता हूं कि यह ऐसा संगठन है जिसमें इतने कार्यालय हैं–यह नहीं कि कोई रिक्ति नहीं है, रिक्ति है। जब व्यापार सेवा की बात आती है जिसका उल्लेख आपने किया है–केवल व्यापार सेवा ही नहीं है बल्कि भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय व्यापार सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि हैं और वे सभी काम में लगी हैं। जब विदेश व्यापार की बात आती है। यह एक ही सेवा नहीं

है बल्कि कई सेवाएं हैं तथा कई विषय हैं–इसी प्रकार हम जो करना चाहते हैं उसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में समर्थ होते हैं।

सुधार की संभावना हमेशा रहती है जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को सूचित किया है, वह सतत कोशिश है, हम उसके प्रति सजग हैं और हम उस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

कृषि संबंधी मुद्दा संशोधन विधेयक और विभिन्न क्षेत्रीय व्यापार समझौतों या एफटीए, जिनका संदर्भ इस मान्य सभा में लिया गया है, के संबंध में उठाया गया है। मैं उस पर प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, हमने स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार कृषि को शामिल किया है तथा परिमाणात्मक प्रतिबंध कृषिगत आयात के लिए भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए यह दायरे में है। मुझे आशा है कि यह बात उनके प्रश्न के उत्तर में संतुष्ट करती है।

मैं विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में तत्काल रद्दीकरण तथा निलंबन के प्रावधान पर की जा रही आपत्ति पर थोड़ा चकित हूं।

मैंने अपने प्रारंभिक बयान में विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का संदर्भ दिया था जिसका अर्थ है वे आयात निर्यात, अंतरण या पुनर्अंतरण, माल वहन जो हमारी सुरक्षा से संबंधित या प्रासंगिक होने तथा परमाणु संपन्न राज्य के रूप में जरूरी होने के आधारों पर प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं। इसलिए इसे उसके साथ मिलाया नहीं जाना चाहिए जो उदारीकरण के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। विशिष्ट वस्तुओं के सिवाय हमारे व्यापार के संबंध में और कोई प्रतिबंधित शासन नहीं लगाया जा रहा है। श्री सिंह ने वहां की सूची के बारे में पूछा था। यह सार्वजनिक दायरे में है। यह एससीओएमईटी सूची है अर्थात विशेष रसायन जीव सामग्री उपस्कर और प्रौद्योगिकी। इसलिए यह केवल स्कोमेट सूची एवं विशिष्ट वस्तुओं के अनुसार रसायनों के संबंध में है जिनकी व्याख्या मैंने की है तथा मुझे आशंका है कि आप क्या लाते हैं, आप किसका उल्लेख कर रहे थे–प्राकृतिक न्याय की नीति या सिद्धांत का। वे सभी अन्य क्षेत्रों में भूमिका निभाते हैं पर जब राष्ट्रीय सुरक्षा, आपके अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों और व्यापक विनाशकारी हथियारों के संबंध में भारतीय संसद द्वारा अधि नियमित कानून के सीधे विरोध में होने की बात आती है तो मुझे लगता है कि हम इस विशेष मुद्दे पर उतना उदार होने की स्थिति में नहीं हैं।

ऐसे विभिन्न प्रतिबंधों, जिनके संबंध में अनुमति जरूरी है और जो विभिन्न अन्य विभागों द्वारा लगाए गए हैं के सुदृढ़ीकरण के संबंध में हम उससे मुकर नहीं रहे हैं। शब्द हैं–'पूर्वग्रह के बिना'। वे वहीं हैं। लेकिन वे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ऐसी सभी अनुमति एकल खिड़की से प्राप्त की जा सकती हैं। यह निश्चित रूप से उल्टी दिशा में नहीं बल्कि बहुत सकारात्मक अग्रगामी कदम हैं ताकि लोग लाभ लें, लेन-देन लागतें कम हों तथा शीघ्र निर्णय किए जाएं। मुझे आशा है कि सभा इसका अनुमोदन करेगी तथा हमने जो किया है उसका स्वागत करेगी।

एफटीए, पीटीए जिसका संदर्भ कई सदस्यों ने लिया है, के संबंध में मैं पहले यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एक देश के रूप में हम इच्छुक हैं। कि वैश्विक व्यापार में भारत का अंश बढ़े। यह सही है कि हमारे आकार, विश्व जनसंख्या में हमारे भाग, कृषि उत्पादन में हमारे भाग, भारतीय उद्योग की क्षमता, हमारा नवोन्मेष भी, विनिर्माण क्षेत्र की शक्तियों को देखते हुए भारत का अंश बहुत कम है। यह निश्चित ही 2 प्रतिशत से कम है तथा इसी कारण यह सुनिश्चित करने की सतत कोशिश है कि विश्व व्यापार में हमारा अंश बढ़े। गत वर्ष खराब वर्ष था जिसका उल्लेख कई सदस्यों ने किया है। यह विश्व व्यापार में न केवल 9 प्रतिशत संकुचन है जिसका अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने लगाया था या 11 प्रतिशत है जो विश्व व्यापार संगठन कह रहा है। यह 14 से 16 प्रतिशत था। इसलिए यह मुश्किल समय था। हम चिंतित थे, यद्यपि अर्थव्यवस्था के रूप में हम प्रतिकूलत: कम प्रभावित थे, कि हमारे कई गहन श्रम वाले क्षेत्रों को नुकसान नहीं हुआ। उन सभी क्षेत्रों ने अब तक रिकवर नहीं किया है। हम नियमित रूप से क्षेत्रीय समीक्षा करते रहे हैं। सरकार ने कई हस्तक्षेप किए–वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री ने तीन प्रोत्साहन पैकेजों के माध्यम से–जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 से अधिक प्रतिशत था, यदि आप उसे देखें जो दिया गया था।

लेकिन गत वर्ष विदेश व्याार नीति के अंतर्गत हम अनुदार थे क्योंकि उस समय हमारा निर्यात ऋणात्मक क्षेत्र में था। गत मई में यह 39.4 प्रतिशत था। औद्योगिक उत्पादन बहुत समय के लिए गहन नुकसान में था। इसलिए गंभीर चिंता थी और नीतिगत हस्तक्षेप किए गए थे। हमने सजगता से वैसे कदम उठाए और उपाय किए जिन्होंने पहले श्रमोन्मुखी क्षेत्र को सहयोग दिया।

ये क्षेत्र थे–हस्तशिल्प, हीरे-जवाहरात तथा आभूषण, चर्म, कारपेट तथा वस्त्र विशेषकर परिधान। कई क्षेत्रों ने रिकवर किया और कुछ क्षेत्र रिकवर नहीं कर पाए हैं।

उन उपायों से यह सुनिश्चित किया गया कि हमने पिछले कलेण्डर वर्ष के रूझान को कायम रखा जो कि गिरावट को रोकने तथा सकारात्मकता को प्राप्त करने का उद्देश्य था, हमने निर्यात

के तथा हमारे औद्योगिक उत्पादन दोनों के संदर्भ दोनों लक्ष्यों को प्राप्त किया। भारत ने दिसम्बर 2009 में पिछले 15 वर्षों का अधिकतम औद्योगिक उत्पादन दर्ज किया। निस्संदेह इसका श्रेय हमारे उद्योगों के लचीलेपन को जाता है। श्रेय उद्यमियों को जाता है साथ ही उन सभी लोगों को जाता है जो इस समग्र राष्ट्रीय प्रयास में जुटे हुए हैं। हम आशा करते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, उससे हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेंगे जो हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं। यह सही है कि विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत, हमने केवल 200 बिलियन डालर का लक्ष्य निर्धारित किया है। परंतु अगर पिछले वर्ष आप मेरे स्थान पर होते तो, आप पाते कि यहां तक कि 200 बिलियन डालर का लक्ष्य भी मुश्किल लग रहा था। मुझे यकीन है कि हम इसे बढ़ाने जा रहे हैं और हम इसमें सुधार करने जा रहे हैं।

हमने जानबूझकर बाजार का विस्तार तथा विविधिकरण किया है। पिछले वर्ष अगस्त में हमने 39 नए बाजार–26 एक योजना के तहत की पहचान की है जहां प्रोत्साहन दिए गए हैं, तत्पश्चात् बाजार पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की योजना के तहत–उनमें से 16 दक्षिण अमेरिका में हैं, उनमें से 13 ओसेनिया तथा एशिया में हैं। तत्पश्चात् दूसरी योजना अर्थात मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट योजना के तहत अन्य 13 बाजार के मामले में प्रोत्साहन दिए गए थे। यह 13 बाजार बहुत बड़े बाजार हैं–उनमें से छह अफ्रीका, दो दक्षिण अमेरिका, दो पेसेफिक; एक केन्द्रीय यूरोप, दो सुदूर पूर्व में हैं। अगर हम मिस्र से मेक्सिको, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड तक सभी बाजारों को देखें, तो सभी को एक छत्र के तहत लाया गया है। हमने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि हमें वैश्विक मौजूदगी चाहिए, हमें एक विदेश व्यापार नीति चाहिए थी, जो कि वैश्विक यर्थाततताओं से संबद्ध है, हम छोटे क्षेत्र को अंगीकार नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी पहुंच बनाकर उन बाजारों में जाने का प्रयास करना होगा जहां मांग अभी भी ज्यादा है और जहां विकास हो रहा है। इसलिए, मैं सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि देश के रूप में हम निर्यात के पारम्परिक ठिकानों पर पुन: मांग पैदा होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे जहां मंदी से उबरने की रफ्तार अभी भी कम थी। यह चिंता का एक विषय बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम पारम्परिक ठिकानों से दूर हट गए हैं। हम वर्ष 2020 तक तिजारती माल तथा सेवाओं दोनों के संदर्भ में भारत के विदेश व्यापार को बढ़ाकर दोगुना करने के दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नए ठिकानों तक संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2008-09 के मुकाबले यह वर्ष 2015 तक यह दोगुना हो जाता।

मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि जिन एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे डब्ल्यूटीओ से मेल नहीं खाते हैं। मैं इन शंकाओं से सहमत नहीं हूं कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं कि इससे हमारे व्यापार को क्षति पहुंची है और साथ ही इससे बड़ा व्यापार असंतुलन पैदा हुआ है अथवा इससे आयात में तेजी आई है। भारत-आसियान एफटीए साथ ही भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार संघ तथा निवेश समझौते में चालू बातचीत के संदर्भ में विशिष्ट संदर्भ दिए गए थे। सर्वप्रथम, आसियान के साथ, इस पर कई वर्ष पूर्व बातचीत की गई थी। श्री संजय निरूपम ने मुझे स्मरण कराया था कि यह छह वर्ष पूर्व की गई थी। यह सत्य है यह सातवां वर्ष चल रहा है। इसी प्रकार, ईयू के साथ पिछले पांच वर्षों से बातचीत चल रही है। बातचीत के दस दौर पूरे हो चुके हैं परंतु आसियान के मामले में, हमें अपने पौध-रोपण क्षेत्र तथा हमारे कृषि क्षेत्र की रक्षा करने के लिए हमारी एक नकारात्मक सूची थी। यह 500 से अधिक उत्पादों की एक लंबी नकारात्मक सूची है। सामुद्रिक क्षेत्र की रक्षा की गई है। परंतु समझ-बूझ के अभाव में एक अभियान आरंभ किया गया था, अथवा कुछ वर्गों द्वारा भ्रम पैदा करने के लिए यह अभियान जानबूझकर चलाया गया था। परंतु सत्य यह है कि व्यापार केवल आपूर्ति और मांग के आधार पर ही चलता है। आप जो पैदा करते हैं अगर दूसरे देशों में उसके लिए बाजार है तो आप निर्यात करते हैं; जबकि आपको जिस चीज की जरूरत है आप उसका आयात करते हैं।

पाम तेल का उदाहरण दिया गया था कि सस्ते दर पर आयात को प्रोत्साहित किया गया है। अब प्रतिबद्ध दर तथा लागू दर को देखिये। रिफाईन्ड तथा कच्चे पाम तेल के लिए प्रतिबद्ध दर 90 व 80 प्रतिशत की है, जबकि लागू दरें 7.5 और मूल्य प्रतिशत है। ऐसा क्यों है? हमारे देश में खाद्य तेलों की भारी कमी है जोकि 8 से 9 मिलियन टन तक है। इसलिए हमें आयात करने की जरूरत है। अब सीमा को बढ़ाने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, 90 प्रतिशत शुल्क लगाना तथा तत्पश्चात् इसे आयात करना और बाद में घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लाने के लिए इसमें और अधिक राजसहायता प्रदान किया जानाौ मैं इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि यह किस प्रकार हमारे ग्राहकों हमारे देश को क्षति पहुंचा रहा है जहां यह सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व है कि खाद्यान्न की कमी न हो। दालों के संबंध में भी यही लागू होता है। हमारे देश में कमी है। इन्हें आयात करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि देश उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा है। यह अलग बात है। जब हमारे आत्मनिर्भरता की बात आती है तो हमारा यह राष्ट्रव्यापी प्रयास रहेगा कि हमारे देश में ऐसी कमियां न हों और हम जो कुछ भी कर सकते हैं, हमें अपना स्वयं का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। परंतु ऐसी कई चीजें हैं जनका उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं।

महोदय, जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किया जा रहा उनके संबंध में, जैसा कि मैंने पूर्व में राज्य सभा में कहा था, वार्ताकार कौन है? वे एक अधिदेश पर कार्य करते हैं। यह अधिदेश एक समिति जसे टीईआरसी द्वारा दिया जाता है जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है जिसमें उन सभी विभागों के सभी प्रमुख मंत्री मौजूद होते हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं तथा अन्य देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य से जुड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। बातचीत अधिदेश की सीमा के भीतर विषय से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। ऐसा नहीं है कि वे केवल देश के हित की अनदेखी कर बातचीत करते हैं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। यह सत्य नहीं है। हमें उनके सक्षमता पर भरोसा करना होगा साथ ही राष्ट्र हित पर उनकी प्रतिबद्धता आपके और मेरे समान ही है। निश्चित ही जब हम कोई ऐसा समझौता करते हैं तो यह सावधानी बरती जाती है कि राष्ट्र हितों की पूरी रक्षा की जाए। हम दबाव के सामने नहीं झुकते, हम पूर्व-शर्तों को स्वीकार नहीं करते हैं। केवल एक बात जो हमारा निर्णय निर्धारित करता है, वह भारत का हित है। हमारा मार्गदर्शक केवल यही है और हम किसी अन्य बातों पर विचार नहीं करते।

महोदय, अन्य देशों द्वारा मुद्दों को उठाया गया है और मामलों के बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में ये हमने वर्षों पूर्व एक सख्त बौद्धिक सम्पदा अधिकार बनाया। घरेलू विधान अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और भारत के संधि दायित्वों के संगत था। जब जेनरिक दवाओं की बात आती है विशेष उल्लेख किया जाता है। कुछ देशों द्वारा नकली दवाओं हेतु एक पहल की गयी थी। यह जेनरिक और नकली को भ्रमित करने के लिए की गयी थी। हम इस संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट हैं। भारतीय जेनरिक दवाओं का उल्लेखनीय योगदान है, विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों को कम करने, साथ ही न केवल भारत बल्कि अफ्रीका, दक्षिण अमरीका और एशिया के अन्य देशों में वहनीय दरों पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। इन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गठजोड़ के गढ़ को तोड़ा है। इसलिए जो टीआरआईपीएस प्लस है उसे स्वीकार किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ जेनरिक खेपों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी थी जो कि तीसरी दुनिया के देशों के लिए थी। हमने यूरोपीय संघ के साथ दृढ़ता से हस्तक्षेप किया था और पिछले वर्ष जो खेप ब्राजील के लिए थी के बारे में दो बार हुआ। यूरोपीय संघ ने अंततः सुधारो हमारे गुण-दोष को महसूस किया। उन्होंने अब विनियमन संख्या 1383 को संशोधन की पेशकश की है। परन्तु अब हम यह महसूस करते हैं कि संशोधन भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा क्योंकि जब्त करने की शक्ति को नहीं हटाया गया है। अतः हमने विचार-विमर्श हेतु डब्ल्यूटीओ का रुख किया है जो कि डब्ल्यूटीओ विवाद समाधान तंत्र का रूख करने से पूर्व पहला कदम है। इन प्रयासों में ब्राजील भारत के साथ है। इस प्रकार हमें न केवल सावधान रहने की आवश्यकता है परन्तु हम जब भी जहां भी आवश्यकता होगी हम कार्रवाई करेंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह यहां उपस्थित नहीं हैं। निस्संदेह उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से अपनी बात रखी है ...*(व्यवधान)* मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि यह सुझाव कि भारत को निर्यात करना चाहिए और आयात नहीं करना चाहिए काफी विचित्र बात है। विश्व जो वैश्विक है जो आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है, में आपका क्या अस्तित्व है। यदि प्रत्येक देश अपनी ओर बाधा अथवा दीवार का निर्माण करने का निर्णय लेता है तो हम किस दुनिया में रहेंगे। यह सम्भव नहीं है। यह कहना भी कि हमारा निर्यात अधिक होना चाहिए और बिना पासपोर्ट के लोगों की आवाजाही होनी चाहिए, मुझे खेद है कि यह मेरे या किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है। इस मामले को वहीं खत्म हो जाना चाहिए।

परन्तु व्यापार असंतुलन को लेकर कुछ चिंताएं हैं और यह असंतुलन मुख्यतः इसलिए है क्योंकि अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी इस देश को आवश्यकता है जिनका हम उत्पादन नहीं करते जैसे कच्चा तेल और गैस। हमारी आवश्यकताओं का 80 प्रतिशत आयात से पूरा होता है। काफी हद तक हम उर्वरकों के आयात पर निर्भर हैं। हम इनके निर्यात को बंद नहीं कर सकते। यदि हम अपना उत्पादन कर रहे होते तो हमें ऐसा करने में प्रसन्नता होती। यह सत्य है कि कुछ क्षेत्रों में हमने अपने को सुदृढ़ किया है। इन क्षेत्रों में हमने नीतिगत हस्तक्षेप और प्रोत्साहन के माध्यम से प्रोत्साहन दिया है। सेवा क्षेत्र में विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की शक्ति को स्वीकारा गया है। इस प्रकार हमने यह सुनिश्चित किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के हितों की पूर्णतः रक्षा की जा सके और हमारे द्वारा किए जाने वाले समझौते अथवा ज्ञापन के माध्यम से कोई हानि न हो।

अंत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था कि क्या हम विलय के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों अथवा आईआरडीए को बैंक खोलने के निहित क्षेत्राधिकार का हनन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह न केवल उन सेवाओं और प्रौद्योगियों को क्षेत्राधिकार के दायरे में लाता है, जिन्हें विदेश व्यापार नीति अधिनियम की प्रोत्साहन योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है ताकि किसी भी उल्लंघन पर रोक और विनियमन किया जा सके।

मैं यह आशा करता हूं कि जो कदम हमने उठाए हैं वे सही हैं और मात्रात्मक प्रतिबंध का उपबंध जिसका मैंने उल्लेख किया है गैट और डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 19 के संगत हैं और कारोबारी लागत को कम करने के लिए उठाए गए कदमों को यह सम्मानीय सभा समर्थन देगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि

"कि विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा प्रसारित रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है

"कि खंड 2 से 21 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय: मंत्री अब विधेयक पारित कर सकते हैं।

श्री आनंद शर्मा: मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर देते समय उल्लेख किया कि मुक्त व्यापार समझौते और आसियान देशों के मामले में एक लम्बी नकारात्मक सूची है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यूरोपीय देशों और इजराइल के मामले में कोई सूची तैयार की है।

श्री आनंद शर्मा: इस समय कोई सूची नहीं है। एक बार जब हम समझौता करेंगे, तो यह सार्वजनिक होगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 4.46 बजे

[अनुवाद]

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

आपकी अनुमति से मैं प्रारंभ में एक संक्षिप्त वक्तव्य दूंगा। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि दंड प्रक्रिया संहिता में दंड प्रक्रिया संहिता में (संशोधन) विधेयक, 2008 (2009 का अधिनियम 5) के माध्यम से संशोधन किया गया था। इससे पहले कि हम अधिनियम के उपबंधों को अधिसूचित कर सकें, अधिवक्ताओं से दंड प्रक्रिया संहिता की दो धाराओं, धारा 41 और धारा 41 (क) जिनमें संशोधन किया जा रहा था, के संबंध में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। यह उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कारणों को रिकार्ड किया जाना होता है।

अधिवक्ताओं के अभ्यावेदनों के दृष्टिगत मैंने प्रमुख बार काउंसिलों से परामर्श किया और तत्पश्चात मैंने विधि आयोग से वरिष्ठ अधिवक्ताओं और प्रमुख बार काउंसिलों को आमंत्रित करके उनसे परामर्श करने और उनकी सिफारिशें हमें भेजने का अनुरोध किया।

मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विधि आयोग ने इस संबंध में परामर्श किया और वह आम सहमति बनाने में सफल रहा। उस सहमति के आधार पर अब हम धारा 41 और 41 (क) में और संशोधन कर रहे हैं। इस मामले को स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति ने एक मत से संशोधनों का समर्थन किया है। अत:, जिन संशोधनों को पुर:स्थापित किया जा रहा है उन पर सभा के सभी वर्गों की सहमति है।

केवल तीन संशोधन किए जा रहे हैं और मैं संक्षिप्त रूप से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये तीन संशोधन क्या हैं? संभवत:, तत्पश्चात हमें बहुत बड़ी चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु हम किसी भी चर्चा का स्वागत करते हैं।

धारा 41, जिसे पूर्व संशोधन अधिनियम के माध्यम से पुर:स्थापित किया गया था, में हम खंड (ख) के अंत में एक परन्तु (क) जोड़ रहे हैं और वह परन्तु (क) निम्नवत है:

"बशर्ते कि कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों जिनमें इस उप-धारा के उपबंधों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को गिरफ्तार न करने के कारण लिखित में रिकार्ड करेगा।"

इसका यह अर्थ है कि यदि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको इसके कारणों को रिकार्ड करना चाहिए। यदि आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इसके कारण रिकार्ड करने चाहिए। अधिवक्ता यह पूछना चाहते थे: आप गिरफ्तार करने के कारण क्यों रिकार्ड करते हैं और गिरफ्तार न करने के कारण रिकार्ड कर रहे हैं? इस अभ्यावेदन का महत्व है। अत: धारा के मुख्य भाग में यह कहा गया है कि यदि आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको उसके कारण रिकार्ड करने चाहिए और यदि आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तब भी आपको इसके कारण रिकार्ड करने चाहिए।

तत्पश्चात् 41 (क) में हम शब्द "करना चाहिए" को बदलकर "करेगा" कर रहे हैं। मैं आपको मूल धारा 41 (क) पढ़कर सुनाऊंगा। मूल धारा 41 (क) निम्नवत है:

"पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों जिनमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकता है।"

अब हम यह कह रहे हैं:

"पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों जिनमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता नहीं है एक नोटिस जारी करेगा।" अत: मेरा मानना है कि यह भी परिणामी है और बहुत संगत संशोधन है।

अंतिम संशोधन जो हम कर रहे हैं वह उप-खंड (4) जोड़े जाने के संबंध में है जिसमें कहा गया है:

"जहां कहीं ऐसा व्यक्ति किसी समय नोटिस की शर्तों जो कि पहले से मौजूद है का पालन करने में विफल रहता है या स्वयं को पहचानने को अनिच्छुक है तो पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन जो कि सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए हों, नोटिस में उल्लेख किए गए अपराध के लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।"

अर्थात, किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किए जाने के पश्चात या तो वह व्यक्ति नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करता है अथवा वह कहता है कि मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं कौन हूं। मैं स्वयं की पहचान नहीं करूंगा। तब, पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकती है। ये वे तीन संशोधन हैं जिनकी विधि आयोग ने सिफारिश की। स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से उसका समर्थन किया है।

"मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।"

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, यह 146वीं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। माननीय वेंकैया नायडु जी की रिपोर्ट है और वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने इसे स्टैंडिंग कमेटी में पास किया है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। यह छोटा अमैंडमैंट हैं जिसके बारे में मंत्री जीने बताया है, लेकिन महत्वपूर्ण है। संस्कृत का एक श्लोक है–

राजद्वारे शमशाने च यश तिष्ठति स: बान्धव:।

दुख में और सुख में जो खड़ा होता है, राजद्वार और शमशान में जो खड़ा होता है, वही आपका दोस्त है, भाई है। यदि हम चैन से सोते है। तो पुलिस हमारे साथ होती है, यदि हम रोड पर मूव करते हैं तो पुलिस हमारे साथ होती है, हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पुलिस हमारे साथ होती है। इसलिए वेद के हिसाब से, संस्कृत के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण अमैंडमैंट है और हम इसका तहे दिल से समर्थन करते हैं।

मुझे पार्लियामेंट में आए हुए 14 महीने हुए हैं, मैं बहुत ही नया हूं। जिनके सामने मैं बिल के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, वे बहुत ही एमिनैंट लॉयर हैं। कल मैंने इनका भाषण सुना। इन्होंने जो कुछ बोला, मैं इनके भाषण का कायल हूं, देश भी कायल है। ये अच्छे, एबल होम मिनिस्टर हैं। लेकिन एक जीवन रहस्य है। जब हम पैदा होते हैं तो रोते है। और जब हम मरते हैं तो दूसरे व्यक्ति रोते हैं। दोनों समय मरना होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि इन दोनों रोने के बीच की कड़ी जो हंसना है, उसमें हम कितनी जिंदगी बांट रहे हैं, कितने लोगों को खुशियां दे रहे हैं और अगर इस पार्लियामेंट में भी आए हैं तो आम जनता के लिए आए हैं और यही हमारे मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मूल उद्देश्य है। लेकिन मैं 14 महीने से बहस सुन रहा हूं और खुद ही परेशान होता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक हमेशा बोला करते थे कि हम शास्त्रार्थ से किसी आदमी को परास्त कर सकते हैं लेकिन उसे अपना नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट में केवल

शास्त्रार्थ चलता है। बाहर लोग क्या कह रहे हैं, लोग हमारे ऊपर कितना हंस रहे हैं, सारी चीजों की मौकरी है। प्राइस राइज पर डिस्कशन हो रही थी। उसमें डीरेलमैंट हो गई, उसने अपनी गति खो दी। कामनवैल्थ गेम्स में करप्शन हो रही थी। हम उस पर हंसी के पात्र बन गए। यदि हम न्यूक्लियर बिल पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो सरकारी पार्टी अपोजिशन को एक गाने के तौर पर लेती है–कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप इसी उद्देश्य से चलते हैं। हमारे वेद, पुराण, लोकोक्तियों, सूक्तियों ने कहा है–

निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय।
बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय।।

हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, हम आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं। हमेशा कहा जाता है–क्षमा सोकती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। आपको फलदार वृक्ष की तरह होना चाहिए, आपको झुकना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पूरी डिस्कशन में पाता हूं कि आपमें इस चीज की कमी है। इसलिए जब आप इन चीजों का जवाब देने के लिए उठेंगे तो मेरी रिक्वैस्ट होगी कि देश के बारे में सोचिए, उस गरीब आदमी के बारे में सोचिए, लोगों को हंसी और खुशी कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में सोचिए।

महोदय, यह अमैंडमैंट सही है, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन इससे पहले आप दस अमैंडमैंट कर चुके हैं और यह ग्यारहवां अमैंडमैंट है। वर्ष 1973 के बाद से सीआरपीसी में दस अमैंडमैंट पहले भी हो चुके हैं और यह ग्यारहवां अमैंडमैंट है। अब 111वीं, 128वीं और 146वीं स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, माननीय सुषमा स्वराज जी, लीडर ऑफ दी अपोजिशन, जब स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थीं, उन्होंने रिकमैंडेशन्स दी हैं, माननीय वैंकेया नायडु जी ने रिकमैंडेशन्स दी हैं। रिकमैंडेश यह कहता है कि आप पूरी सीआरपीसी के लिए कम्प्रीहैन्सिव लॉ बनाइये। वर्ष 1973 के बाद से देश में बहुत चेंजेज आ गये हैं। इस देश को नये कानून की आवश्यकता है।

आपकी होम मिनिस्ट्री के आफिशियल्स का भी विटनेस हो चुका है और आप इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी की पूरी सीआरपीसी चेंज होनी चाहिए। अब सीआरपीसी क्यों चेंज होनी चाहिए? आपने दहेज हत्या का कानून बनाया। उसमें क्या हो रहा है? आप सारे अखबारों को और न्यूज रिपोर्ट्स को देख लीजिए कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं। उस सैक्शन का सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है। हम कभी टाडा ले आते हैं, कभी पोटा ले आते हैं, कभी मकोका ले आते हैं। कोई सरकार गुजकोका ले आती है। आपको जो सूट करता है, आप उसे पास होने देते हैं और जो कानून अच्छा नहीं लगता, आप उसे पास नहीं होने देते। हम कंसीड्रेट कर रहे हैं कि हमारा पोलिटिकल एम्बिशन इसमें पूरा हो रहा है या नहीं? मेरा यह कहना है कि जब इतने लॉ अमैंड कर सकते हैं, शाहबानो का केस होता है, आप अमैंड कर लेते हैं आदि कई ऐसे उदाहरण हैं कि इस पार्लियामेंट ने हमेशा सीआपीसी को चेंज करने की कोशिश की है।

मेरा यह कहना है कि आज इस देश में जब हम डायरेक्ट टैक्स कोड ला रहे हैं, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का मैम्बर हूं, जो कारपोरेट लॉ है, पूरा कम्पनी लॉ हम बदलने की बात कर रहे हैं। हम वेट ला रहे हैं, जीएसटी ला रहे हैं। जब हम सारे कानून को बदलने की बात कर रहे हैं, तो सीआरपीसी क्यों नहीं चेंज होनी चाहिए। मैं इसके उदाहरण दूंगा कि सीआरपीसी कितनी बड़ी बात है।

माननीय सभापति जी, जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया, तो मैं बड़े फख्र के साथ कहता था कि मेरे, मेरे परिवार, मेरे दादा, परदादा, नाना, परनाना, भाई और बहन के ऊपर धारा 107 का भी एक केस नहीं है। आज मेरे ऊपर कम से कम दस केस हैं। ...*(व्यवधान)* पिछले चौदह महीने में मेरे ऊपर दस केस हैं। अब ये केस कैसे शुरू होता है? चुनाव का दिन था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: कौन सी सरकार? क्या वह राज्य सरकार थी? कृपया बताइए।

श्री निशिकांत दुबे: वह आपकी सरकार थी, केन्द्र सरकार। जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय श्री एल.के. शंकर नारायणन के नेतृत्व में आपकी सरकार थी। वह आपके राज्यपाल थे हमारे नहीं। वह आपकी सरकार थी।

[अनुवाद]

आप देखिये कि केस कैसे हुआ? अब 2008 बूथ हैं और उन 2008 बूथों में कैंडीडेट का चुनाव के दिन जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है, यह सब जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं एक भी बूथ पर विजिट नहीं कर पाया। आपके पास यह अधिकार है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी में अमैंडमैंट की क्या आवश्यकता है? अब केस कैसे होता है? मुझे मेरा पोलिंग एजेंट मिलता है और कहता है कि मेरा हाथ तोड़ दिया, आप मेरे साथ चलिए। उस समय मैं और

मेरी वाइफ दोनों गाड़ी में थे। उसके अलावा हमारे साथ और कोई नहीं था। हम वहां जाते हैं, तो चारों तरफ से हमें घेर लिया जाता है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं और जिस सेक्युलर समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसे अपने कांफीडेंस में रखा है। हमारा कोई भी रिलिजन से कोई लेना-देना नहीं है। वह पूरा का पूरा बूथ मुस्लिम होता है। हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ...*(व्यवधान)* आप सुनिये। ...*(व्यवधान)* मुझे और मेरी पत्नी को घेर लिया जाता है और केस यह होता है कि हम बूथ लूटने आये थे और एक आदमी को, मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने रिवाल्वर नहीं देखा है, कि हमने रिवाल्वर सटाया और मैंने और मेरी पत्नी ने गोली दिखाने की कोशिश की। इस तरह से मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर धारा 307 का केस है। सबसे पहला केस यह है। दूसरा केस यह है कि मेरे चुनाव के समय जो मेरे अपोनेंट चुनाव लड़ रहे थे, उस गांव में आज तक किसी पोलिटिकल पार्टी को वोट नहीं मिला, लेकिन गलती से मुझे मिल गया। अब गलती से वोट मिला, तो जिस लड़के ने वोट दिलाया, उसके ऊपर 20 केस लादे गये। जब उस पर बम बनाने, मर्डर करने, रेप करने आदि सारे केस लगे, तो कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया।

अपराह्न 5.00 बजे

संयोग से उस दिन मैं अपनी कांस्टीट्वेंसी में था। मैंने पूछा कि यह क्या है? पुलिस से मैंने पूछा कि यह बताओ कि मेरे चुनाव से पहले इस लड़के के ऊपर क्या कोई केस था? चूंकि मैंने प्रिविलेज मोशन दिया हुआ था, उसकी कॉपी आपके पास है, जो झारखण्ड पुलिस ने आपको रिपोर्ट दी है, वह यह कहती है कि उस लड़के पर जो एलिगेशन था, मेरे चुनाव से पहले उस पर एक भी केस नहीं था, लेकिन चुनाव के बाद उस पर 20 केस लगा दिए गए। पुलिस एक्सेप्ट कर रही है कि पहले उसके ऊपर धारा 107 का भी कोई केस नहीं था। यदि मेरा कार्यकर्ताओं ने रोड जाम कर दिया, तो मेरे ऊपर धारा 353 के तहत केस दर्ज हो गया। मैं कोर्ट गया बेल कराने के लिए, कहा अरेस्ट कीजिए।

अपराह्न 5.01 बजे

[श्री अर्जुन चरण सेठी *पीठासीन हुए*]

मैंने कहा कि मैं एक लॉ एबाइडिंग पर्सन हूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, मेरे दादा-परदादा, नाना-परनाना किसी ने भी कोर्ट नहीं देखी थी, मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूं जिसे कोर्ट आना पड़ा है। जब सरकारी वकील ने कहा कि एमपी साहब ठीक कह रहे हैं, यह एक लॉ एबाइडिंग पर्सन हैं, तो जज साहब ने कहा कि मैं इसको कोट कर दूं कि आप ऐसा कह रहे हैं कि इनको बेल दे दी जाए। उन्होंने कहा कोट कर दीजिए। इस तरह मुझे उस केस में बेल मिली। मैं बता रहा हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता की खामियां कितनी हैं। मेरे चचेरे भाई का मर्डर हो गया, उसके लिए मैंने प्रिविलेज मोशन दिया हुआ है, आपके पास रिपोर्ट आई है। पुलिस का कहना है कि वह शराब पीता था, इसलिए उसका मर्डर हो गया। कल आपने सोहराबुद्दीन के बारे में बहुत अच्छी बात कही। क्रिमिनल कौन है, कौन नहीं है, यह फैसला कोर्ट करेगी। यदि कोई क्रिमिनल भी है, तो उसे भी गोली मार देने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन आपकी पुलिस कह रही है कि वह दारू पीता था, इसलिए उसे मार दिया। आपके पास इसकी रिपोर्ट है, स्पीकर मैडम के पास भी यह रिपोर्ट है और होम मिनिस्ट्री से वह रिपोर्ट आई है। चिदंबरम जी, मैंने आपको भी चिट्ठी लिखी थी कि एक क्रिमिनल जिसके ऊपर 20 मर्डर का केस है, वह मुझे थ्रेट टू लाइफ दे रहा है। पुलिस की ओर से उसकी रिप्लाई यह आती है कि उसने भी आपके खिलाफ थ्रेट टू लाइफ की शिकायत दी है। यह जवाब आपकी होम मिनिस्ट्री की ओर से आता है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता में इसकी आवश्यकता है। जब हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी बदल सकते हैं, अपनी विदेश नीति बदल सकते हैं–गुटनिरपेक्षता की नीति त्यागकर अमेरिका-परस्त हो सकते हैं, यदि आप कश्मीर की ऑटोनोमी की बात कर सकते हैं, डीटीसी बदल सकते हैं, तो आप दंड प्रक्रिया संहिता को पूरा का पूरा रि-राइट क्यों नहीं कर सकते हैं? अभी आप ग्राम न्यायालय बनाने की बात कर रहे हैं। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जो राजा होता है, वह भी एक हेल्पलेस बेबी की तरह पैदा होता है। यह पार्लियामेंट अगर कभी बनी होगी, तो वह भी कभी प्लान हुआ होगा। आज आप इस देश के गृहमंत्री हैं, आपको समय दिया है भगवान ने।

[अनुवाद]

सर एडविन आरनोल्ड ने 'लाइट ऑफ एशिया' में कहा है:

"वी आर द वाइसिस ऑफ द वांडरिंग विंड विच नोन फॉर रेस्ट एंड रेस्ट कैन नेवर फाइंड लो एज द विंड सो इज मोर्टेल लाइफ, मौन ए साइ, ए सॉब, ए स्टोर्म, ए स्ट्राइफ।"

[हिन्दी]

श्रीमद्भागवत गीता कहती है:

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारूतः।।

अर्थात आत्मा अजर-अमर है। मैं सोचता था कि हिन्दू धर्म आत्मा की बात करता है, वह यह बात नहीं करता है। वह कहता है कि हम आप जब पैदा होते हैं, तो इस समाज के लिए,

इस देश के लिए कुछ करते हैं। अकबर के बारे में आप सुन रहे होंगे, बुद्ध के बारे में आप सुन रहे होंगे, महात्मा गांधी के बारे में आप सुन रहे होंगे, हमारे-आपके पास भी मौका है, आपके पास भी आज मौका है, ऐसा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन मिला है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी 111वीं, 128वीं और 186वीं रिपोर्ट कहती है कि नई दंड प्रक्रिया संहिता बनाइए, तो आप कृपा करके उसे मानते हुए नई दंड प्रक्रिया संहिता लाइए, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय बहुगुणा (टिहरी गढ़वाल): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारे जीवंत लोकतंत्र की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे पास विधिक प्रक्रिया द्वारा समर्थित एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था हो जो निष्पक्ष और उचित हो ताकि नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। हमारे पवित्र संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय किसी भी व्यक्ति को जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता अपने आप में एक संहिता है। पिछले कुछ वर्षों में यह हमारा कटु अनुभव रहा है कि अभियोजन एजेन्सी अपेक्षित मानदंडों पर खरी नहीं उतरी।

ऐसे अनेक मामले और उदाहरण हैं जिनमें पुलिस अधिकारियों ने बाह्य प्रतिफलों और दुराशय के आधार पर कार्य किया है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 40 में पुलिस अधिकारियों को, किसी ऐसे व्यक्ति को वारंट या न्यायाधीश के आदेश के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है जिसने कोई संज्ञेय अपराध किया है और जिसमें सात वर्ष तक की सजा हो सकती है। यह एक अनियन्त्रित और बहुत ही मानमानी शक्ति है।

मैं माननीय गृह मंत्री को बधाई देना चाहता हूं जो हमारे देश के जाने-माने विधिज्ञ हैं, कि वर्ष 2008 में इसमें पहला संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से इस शक्ति को नियन्त्रित किया गया था और इसमें यह उपबंध किया गया था कि यदि किसी व्यक्ति को वारंट या न्यायाधीश के आदेश के बिना गिरफ्तार किया जाता है तो आपको इसके कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा और उन्हें संबंधित व्यक्ति को संप्रेषित करना होगा ताकि उसे ज्ञात हो सके कि आप इस प्रकार की विशिष्ट कार्रवाई क्यों कर रहे हैं।

यह संशोधन हो जाने के बाद इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और विभिन्न बार एसोसिएशनों से सुझाव मिले कि कानून को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारियों के लिए अपनी शक्तियों का मनमाना उपयोग न कर सकें। अब प्रस्तुत किए गए वर्तमान संशोधन के अंतर्गत जिसका कि सभी समर्थन करते हैं यह उपबंध किया गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आपको उसे गिरफ्तार करने के कारण बताने होंगे। अब यदि आप उसे गिरफ्तार नहीं भी करते, तब भी आपको उसे गिरफ्तार नहीं करने के कारण बताने होंगे। यह उपबंध अनिवार्य है और यह उसके विवेकाधिकार पर नहीं है। अत:, इस शक्ति का उपयोग करने और अपना विवेक इस्तेमाल करने पर आपको कारण अभिलिखित करने होंगे और सभी आदेशों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह कोई अर्द्धन्यायिक नहीं अपितु एक प्रशासनिक आदेश है जो हमारी स्वतंत्रता का हनन करता है। अत:, हम चाहते हैं कि राज्य पुलिस की शक्तियों के उपयोग पर किसी प्रकार का नियन्त्रण लगाए।

> "अन्य प्रश्न यह है कि मैं पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहता हूं कि ऐसे कुछ उपबंध हैं जो मैं माननीय गृह मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं।"

[हिन्दी]

हमारे सीआरपीसी में और संशोधन की जरूरत है। खास संशोधन की जरूरत है कि जो ट्रायल होते हैं, उनमें कोई सीमा आपने नहीं लिखी है कि केस कितने समय में खत्म होगा। अनंतकाल तक केस चलते हैं, दस, 15 और 20 साल तक केस चलते रहते हैं। इसलिए यह जो इनआर्डिनेट डिले हो रहा है हमारे ज्यूडिशियल सिस्टम में, जिसकी वजह से अंडरट्रायल्स इतने समय तक जेल में रहते हैं कि जो मेक्सिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड है, वह उनकी जेल में ही बीत जाती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सीआरपीसी में संशोधन करके आप प्रावधान करें कि ट्रायल कितने समय में समाप्त होना चाहिए।

एक और खेद की बात है कि जब हम विकसित देशों को देखते हैं, पश्चिम देशों को देखते हैं, तो उनका जो खर्च अपने ज्यूडिशियल सिस्टम पर, वह हमसे कहीं ज्यादा है, जनता के अनुपात में और मुकदमों के अनुपात में। हमारा देश इतना बड़ा है, जहां लोगों को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमने इतने कानून बना रखे

हैं। उनके जो मुकदमे चलते हैं, उनमें बहुत विलम्ब होता है। जीडीपी का आप जो कंट्रीब्यूशन ज्यूडीशियल सिस्टम के लिए कर रहे हैं वह बहुत कम है। मैं होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर से अपील करूंगा कि आप अपनी जीडीपी का अधिक पैसा लीगल सिस्टम पर खर्च करें। ज्यादा मजिस्ट्रेट्स और जजेज की नियुक्ति करें ताकि लोगों को न्याय मिल सकें और जो अदालतों में जा रहे हैं, उन्हें राहत मिल सके।

मेरा गृह मंत्री जी से दूसरा अनुरोध है, कानून मंत्री जी से भी, आप तो विशेषज्ञ हैं। इसमें एक और पहलू है जो बहुत जरूरी है। जो एंटीसिपेटरी जमानत है, कई राज्यों के हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी जमानत का प्रावधान है, कई में नहीं है, जैसे उत्तराखंड है। आप भारत के गृह मंत्री हैं, देश में कानून एक सा होना चाहिए। पूरे देश के हम लोग एक संविधान से गवर्न्ड हैं।

[अनुवाद]

हम सभी राज्यों में समान उपबंध लागू क्यों नहीं कर सकते?

[हिन्दी]

एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान जो है, यह हर नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से, किसी भी राजनैतिक द्वेष या विद्वेष से आप किसी को परेशान न कर सकें। इसलिए आप सीआरपीसी में ऐसा संशोधन करें कि अगर इक्वेटल होता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो सरकार की तरह कम्प्लेनेंट और इन्फारमेंट भी सैशन में जाए। सैशन जज के पास अधिकार होता है कि समरली डिसमिस कर सके।

इस तरह उसे हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा और सेशन कोर्ट के स्टेज पर ही उसे एक्वेटल के खिलाफ राहत मिल सकती है। इन तीनों सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि अब आदेश में कारण देने पड़ेंगे, मेरा यह भी अनुरोध होगा कि जो इंवेस्टीगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिस एजेंसीज हैं,

[अनुवाद]

उन्हें हमारे विधिक सिद्धांतों के साथ-साथ विधिशास्त्र के मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के संबंध में कोई क्रैस कोर्स करना चाहिए क्योंकि कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे जांच अभिकरण, हमारे जांच अधिकारी इस बात से भलीभांति परिचित होंगे कि वे स्वतंत्र रूप से, ईमानदारी तथा विधि के अनुसार अपने विवेक का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे।

मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री दंड प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें कुछ सार संशोधन करेंगे।

[हिन्दी]

हमारे सामने वाले मित्र ने जो अपनी व्यथा कही है, उसके लिए भी हम माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि चाहे किसी भी दल के सांसद महोदय हों, उनका कानून द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों अभी और 10 वक्ताओं को बोलना है लेकिन हमें छह बजे तक संशोधन विधेयक को पारित करना है। अत: आप अपने भाषण को पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस विधेयक के लिए दो घंटे आवंटित करने का निर्णय लिया गया था।

सभापति महोदय: यह सच है निस्संदेह समय की कुछ कमी है अत: इसमें कमी की जा रही है। कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, 2010 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जहां तक हम लोगों ने अभी यह विधेयक देखा, 1973 का अमेंडिड यह विधेयक है, जिसकी उपधारा 41(क) के विषय में संशोधन पर माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कही है। यह बात सत्य है कि आज का पुलिस एक्ट, जो आरपीसी और सीआरपीसी की धारा है, वह केवल कमजोर व्यक्ति के लिए है। जैसे अभी माननीय निशिकांत जी ने कहा, यह बात सत्य है और मैं भी इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि मेरे परिवार में चार पीढ़ियों में कोई मुकदमा नहीं था, चार पीढ़ियों में कोई असहला नहीं और चार पीढ़ियों से प्योर वैजिटेरियन, लेकिन अब की बार क्या हुआ कि एक जाम लगा हुआ था और जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ, दो बच्चे मारे गये। मेरे क्षेत्र प्रतापगढ़ में जाम लगा हुआ था, मैंने जाकर जाम को खुलवाया, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मेरे ऊपर चार-पांच धारा और 7 क्रिमिनल एक्ट की धाराएं लग गईं। मैं इस धारा को स्वीकार करता हूं जमानत नहीं कराऊंगा और न ही स्टे लूंगा और मैं देखना चाहूंगा कि कानून क्या करता है? जैसा अभी माननीय निशिकांत जी ने कहा कि हम उसी

अंग्रेजों के बनाए कानून को आज भी ढो रहे हैं। जो उन्होंने सीआरपीसी और तमाम ऐसी धाराएं बनाई हैं, उन्हीं धाराओं का आज भी हम ढो रहे हैं। तब की परिस्थितियां अलग थीं, तब इतनी जनसंख्या नहीं थी, इतना क्राइम नहीं था, ईमानदार लोग थे लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। जो कानून बना है, मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूं और सीआरपीसी धारा का फिर से मूल्यांकन करते हुए उसमें व्यापक बदलाव की जरूरत है। इस धारा पर तमाम वकीलों ने हड़ताल की, लेकिन मुझे याद है कि वकीलों के विषय में, महात्मा गांधी जी ने "हिंदू स्वराज" नामक अखबार में लिखा कि वकील समाज में विवाद चाहते हैं ताकि उनका व्यवसाय चल सके।

जबकि वह बहुत बड़े वकील थे, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात कही। जैसा कि विधेयक में कहा गया कि इसमें पुलिस अधिकारी को मैजिस्ट्रेट के बिना आदेश एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की विशेष परिस्थितियों में वारंट की अनुमति देता है। मैं कहूंगा कि पुलिस को ज्यादा अधिकार मत दीजिए। आज आम जनमानस में पुलिस के प्रति अविश्वास है। जनता में भय और आतंक फैला हुआ है। कोई भी शरीफ आदमी थाने में जाना पसंद नहीं करता है। किसी कारण अगर उन्हें जाना भी पड़ता है, तो सबसे पहले बाहर खड़ा पहरेदार उसे हड़का देता है। वह दरोगा, एसएचओ तक तो बहुत बाद में पहुंचता है। वह पहले ही बेइज्जत हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पुलिस को इतने अधिकार मत दीजिए कि कानूनों का दुरुपयोग हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने इसे गलत समझ लिया है। विद्यमान दंड प्रक्रिया की धारा 41 (क) और (ख) के अंतर्गत पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। डेढ़ वर्ष पूर्व हमने इसमें संशोधन किया था

कि जिन मामलों में दंड सात वर्ष से कम हो उनमें आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन आपको इसके कारणों को अभिलिखित करना होगा। हमने शक्ति को सीमित किया था। इस सभा ने शक्तियों को सीमित करने का कानून पारित किया था। हम आज इस मुद्दे को नहीं छू रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको इसके कारण बताने होंगे। ठीक इसी प्रकार जब आप किसी को गिरफ्तार नहीं करते तो आपको इसके कारण भी बताने होंगे। हम शक्तियों का विस्तार नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत हम पुलिस अधिकारी की शक्तियों को सीमित कर रहे हैं, जहां दंड सात वर्ष से कम है और जहां दंड सात वर्ष से अधिक है वहां आप गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि ये जघन्य अपराध है। जहां दंड सात वर्ष से कम है लेकिन यदि आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते है। तो इसकी विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए और आपको कारणों को अभिलिखित करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, यह बहुत अच्छी बात है। निशिकांत जी ने कहा है, मैं भी वही कह रहा हूं कि बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। मेरे इलाहाबाद क्षेत्र के हाईकोर्ट में कम से कम लाखों की संख्या में स्टे हैं। वहां कम से कम 126 जज होने चाहिए, केवल 73 जज आज वहां हैं। लाखों की संख्या में मुकदमे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि कैसे आदमी को सहजता से न्याय मिल सके। यही बात विजय बहुगुणा जी कह रहे थे कि कई ऐसे लम्बित मामले हैं, जिनकी एक-एक, दो-दो पीढ़ियां मुकदमों में बीत जाती हैं।

ग्राम न्यायालय के बारे में कहना चाहता हूं। मैं भी पर्सनल पब्लिक ग्रिवेंस लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हूं। मेरे ख्याल से यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। इसे जल्दी से लागू कीजिए। हुक्मदेव जी और हमारे तमाम पुराने साथी यहां बैठे हैं। उन्हें मालूम होगा कि पहले पंचायतों को भी कानूनन अधिकार था कि वे छोटे-मोटे झगड़ों में फैसला दिया करते थे। आज छोटी-छोटी बात को लेकर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है। यही कारण है कि आज फैसला जल्दी नहीं हो पाता है और सही आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। इसी कारण अपराध बढ़ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि माननीय मंत्रीजी जो संशोधन लेकर आए हैं, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और कहता हूं कि आप ऐसा अमेंडमेंट कीजिए कि पूरा सीआरपीसी धारा का एक बार बैठ कर चाहे सदन में चर्चा हो, चाहे एक्सपर्ट समिति का गठन किया जाए, हमारे जितने एक्सपर्ट रिटायर जज हैं, उनकी समिति गठित करके पूरा मूल्यांकन इस धारा का होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी की बात मैं सुन रहा था। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि वे विधिवेताओं और वकीलों से परामर्श करके यह विधेयक लाया है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा होनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः। इस बिल के अंदर कुछ बातें उभरकर आई हैं, वे दहेज प्रकरण से लेकर, बलात्कार से लेकर यौन शोषण इत्यादि तक हैं। ऐसे अनेक उदाहरण समाज में आते रहे हैं कि जो बलात्कार की पीड़ित

महिला होती है, वह शर्मवश अपनी बात कहने में संकोच करती थी क्योंकि प्रक्रिया इतनी दुरूह थी जिसकी वजह से कठिनाइयां आती थीं। इसी तरह से दहेज कानून का भी दुरूपयोग हुआ है और उसमें उस कानून के तहत जिनको दंड मिलना चाहिए था, उनको दंड नहीं मिलता था और जिनको दंड नहीं मिलना चाहिए था, वे उस प्रक्रिया में आ जाते थे। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अभी हमारे माननीय सदस्य जी अपनी बात कह रहे थे। उसी से संबंधित मैं कुछ कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों चुनाव के समय मेरे छोटे भाई की हत्या कर दी गई। डे लाइट मर्डर हुआ। उसे सारे देश ने, सारे समाज ने देखा और वह हत्यारा जिस पर मुकदमा चला, मुकदमे में गवाहियां गुजरीं और जो छोटा भाई जिसमें आई विटनैस था, उसने भी गवाही दी लेकिन किन कारणों से जज प्रभावित हुआ और उसे निर्दोष साबित किया। हाईकोर्ट में मामला गया। आज भी वह मामला लम्बित है। सुनवाई नहीं हो रही है। उस समय सपा की सरकार थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिन धाराओं में आप संशोधन करके समाज को एक व्यवस्था देना चाहते हैं। पुलिस की निरंकुशता जो आज व्यापक रूप से घर कर गई है, जहां उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं, वहीं आज जरूरत है कि न्यायपालिका पर भी अंकुश लगाया जाए। रोज अखबारों, मीडिया और हमारे टी.वी. पर दिखाया जाता है कि रोज ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं जहां इस तरह की घटनाएं होने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता तो वहां एक्ट में संशोधन करने की आवश्यकता है। उधर आपका ध्यान जाना चाहिए। हम जैसे लोग जो समाज सेवी हैं, जब उनके साथ यदि ऐसी घटनाएं होती हैं और न्याय नहीं मिलता तो आम समाज पर क्या बीतेगी? मैं कहना चाहूंगा कि जहां इस तरह के एक्ट में आप संशोधन ला रहे हैं तो इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जो डे लाइट मर्डर हो, जहां गवाहियां हो रही हैं, उसके बाद भी किसी वस्तुधन से प्रभावित होकर यदि फैसला विपरीत जाता है तो वहां के लिए आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? इसके बाद भी हाईकोर्ट में वर्षों मामला लम्बित है, सुनवाई नहीं हो रही है, हियरिंग स्टेज पर केस नहीं आ रहा है, किन कारणों से उसे प्रभावित किया जा रहा है? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि टाइम बाउंड होना चाहिए। कानून में संशोधन की जरूरत वहां है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा और इस पर जवाब भी चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): सभापति महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2010 के समर्थन में मैं अपना निवेदन करने एवं बयान देने जा रहा हूं।

सर्वप्रथम मैं माननीय गृह मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। इन्होंने वर्तमान दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में पूरे भारत में वकीलों एवं बार काउंसिलों द्वारा की गयी मांग के प्रति वास्तव में प्रतिक्रिया की है। बहुत कम समयावधि में, वस्तुत: केवल एक वर्ष में सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। पूर्ववर्ती संशोधन 2009 में किया गया था। यदि मुझे ठीक से स्मरण है तो उस समय वकीलों का काम अखिल भारतीय स्तर पर बंद हो गया था जब पूर्ववर्ती अधि नियम लागू था तथा संशोधन की मांग की गयी थी।

इसका कारण है--मन एवं अधिनियम के बीच जुड़ाव तथा यह सांविधानिक बाध्यता है एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में भी अंतर्निहित है जिसे इस संशोधन द्वारा किया गया है। वास्तव में इस संशोधन द्वारा पुलिस की निरंकुश तथा अनियन्त्रित शक्ति को कुछ हद तक सीमित किया गया है। वास्तव में यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 में सहायक है उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय ग्यारह में दिया गया है।

हमारे देश में पुलिस द्वारा कानून के उल्लंघन के अनगिनत मामले है।। हरेक व्यक्ति का अपना अनुभव है। पुलिस कानून का उल्लंघन कर रही है। यह हमारे देश का सामान्य रिवाज है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कोई सरकार इसे नहीं कर सकती थी। यह अब सामान्य नियम है। एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना सामान्य घटना है। यह सभी को मालूम है। यह किसी से छिपा नहीं है।

मेरे मित्रों ने दंड प्रक्रिया की नयी संहिता बनाने की मांग की है। उससे पहले हमारे देश में नए पुलिस अधिनियम की जरूरत है, पुराने पुलिस अधिनियम की जरूरत नहीं है। यदि मुझे ठीक से स्मरण है तो पुलिस को सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां सौंपी गयी वे 1851 या 1861 के पुराने अधिनियम के अंतर्गत हैं। नए संशोधन लाए जा रहे हैं पर हमने अब तक भी पुलिस अधिनियम के उपबंधों में संशोधन नहीं किया है जिसने उन्हें जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य सौंपे हैं, जो कि बहुत आवश्यक हैं। इसलिए पहले तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि पुलिस की यह अनियन्त्रित शक्ति कुछ हद तक तो स्वयं इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित कर दी गयी है।

अन्य भाग है कि नए संशोधन विधेयक की धारा 3 (क) के अंतर्गत अनिवार्य उपबंध किए गए हैं जो है धारा 41 (क)। पहले यह निर्देशात्मक था इसे अनिवार्य किया गया है। यह जरूरी है। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में पुलिस के पास ऐसी स्वेच्छानिर्णीत शक्ति है जिसे नियंत्रित करने की जरूरत है और अधिक नियंत्रण की जरूरत है। महोदय, आज हमारे देश में हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, जहां कभी भी हमें उन स्थानों के निरपेक्ष, चाहे आप

गरीब हों या अमीर, चाहे आप राजनेता हों या एक आम नागरिक हों या तो पुलिस की दबंगई या निष्क्रियता रोजमर्रे की बात है। हर कोई दरवाजा खटखटा रहा है। दुर्भाग्यवश अब तक भी इसका निर्णय नहीं किया गया है कि कौनसा ऐसा वास्तविक मंच है जहां लोग जाएं। कौन सा मंच है? क्या यह अनुच्छेद 226 के अधीन है? या यह धारा 190 या 200 के अधीन शिकायत है? इस देश के पीड़ित नागरिकों को किस मंच के अंतर्गत राहत मिलेगी?

मैं माननीय गृह मंत्री, जो एक विद्वान अधिवक्ता और अधिवक्ता के रूप में हमारे लिए वास्तव में आदर्श हैं से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर स्वयं विवेकपूर्ण ढंग से सोचें। दंड प्रक्रिया की धारा 190 और धारा 200 संरक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब अपराधी एक के बाद एक अपराध करता जा रहा है और आपको स्थानों पर प्रवेश करने से रोक रहा है या आपके परिवार का उत्पीड़न कर रहा है, आप धारा 190 या धारा 200 के अधीन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह संज्ञेय अपराध है या नहीं इसका निर्णय करना जांच प्राधिकारियों का काम है। लेकिन उन्हें रोकने के लिए शक्ति कहां है? सिविल न्यायालय कोई आदेश देता है तो कौन इसे कार्यरूप देगा?

हमारे रोजमर्रे के जीवन में पुलिस की जबर्दस्त भूमिका है, पर दुर्भाग्यवश इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं राजनीतिक तर्ज पर कुछ भी नहीं कह रहा हूं। इसका पूरी तरह दुरुपयोग किया गया है। इसे कई लोगों के हित में किया गया है। इसलिए आज नयी दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के पहले नए पुलिस अधिनियम की जरूरत है। नया पुलिस अधिनियम अनिवार्यत: जरूरी है। इसे बताया भी गया था। न्यायाधीशों की वास्तव में जरूरत है। इतने आपराधिक न्यायालय वहां हैं। त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गयी है और यह केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है।

केन्द्रीय सरकार त्वरित न्यायालयों के लिए धन खर्च कर रही है। हमें ज्ञात है कि आपराधिक मामलों को निपटाने में बहुत समय लिया जाता है।

मैं इस प्रकार का विधान लाने के लिए माननीय गृह मंत्री को हार्दिक धन्यवाद दे रहा हूं जो पुलिस की शक्ति को वास्तव में नियंत्रित करेगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब ऐसा वास्तविक कानून बनेगा जो देश की पूरी पुलिस प्रणाली को नियंत्रित करेगा और वे किसी भी जगह जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री आर. थामराईसेलवन (धर्मापुरी): सभापति महोदय, मैं दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाना है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ, मैं महसूस करता हूं कि इस सम्मानीय सभा के समक्ष इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना मेरा परम दायित्व है।

महोदय, 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन से पहले मौजूद उपबंधों में बाद में दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा कुछेक श्रेणी के मामलों में विस्तार किया गया और उन्हें उदार बनाया गया। आजकल पुलिस अधिकारी संज्ञानयोग्य मामलों में गिरफ्तार करने के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। अत:, नये उपबंध जांच अधिकारी अथवा थाना प्रभारी को यह अधिकार देते हैं कि वह सच्चाई का पता लगाने में जांच अभिकरण के साथ सहयोग करने के लिए संबंधित व्यक्ति को बुलाने का नोटिस जारी कर सकता है। कतिपय मामलों में, भोलेपन, गलत सलाह अथवा भय के कारण लोग पुलिस की ओर से ऐसे नोटिसों को टाल जाते हैं। अब प्रस्तावित वर्तमान संशोधन दो परिस्थितियों में गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। सर्वप्रथम, ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति किसी भी समय नोटिस के विषय का अनुपालन करने में विफल रहता है और दूसरे, स्वयं की पहचान बताने में अनिच्छा जाहिर करता है, तो पुलिस अधिकारी, इस बाबत सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किए आदेशों के अध्यधीन नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकता है।

"दोनों ही मामलों में, पुलिस अधिकारियों के पास निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अधिक अधिकार निहित हैं। पहले ये अधिकार एक मजिस्ट्रेट को दिए गए थे; अब उन्हें अभियोजन पक्ष को अतरित किया गया है। अत:, एक वकील के रूप में, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों की यह आशंका है कि इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य करने में साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अथवा उसे कारागार भेज दिया जाएगा। हम यह नहीं समझ सकते कि क्या पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर इस कानून के उदारवादी उपबंधों को समझ पाने में परिपक्व हैं। अत:, इस स्तर पर मैं केवल यही निवेदन कर सकता हूं कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसे मामलों में निगरानी करनी चाहिए और इस कानून को आधुनिक समाज की आवश्यकता के अनुसार कार्यान्वित करने का प्रयास करना चाहिए और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।"

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड): सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं विधिक बिरादरी और हमारे समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का सकारात्मक रूप में समाधान करने के लिए माननीय मंत्रीजी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ, मैं अन्य कुछेक माननीय सदस्यों के साथ सहमति व्यक्त करता हूं कि आंशिक रूप से संशोधन के बदले, दंड प्रक्रिया संहिता में व्यापक रूप से सुधार और संशोधन किया जाना चाहिए।

यह विधेयक कहता है कि यदि पुलिस अधिकारियों के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, तो उन्हें गिरफ्तारी न करने के लिए लिखित में कारण दर्ज करने होंगे। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण पहलू की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित अनेक मामलों में कारावास सात वर्ष तक नहीं है।

महोदय, उदाहरणस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354 और 498(क) के अंतर्गत दर्ज मामलों में, आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यहां तक कि यह विधेयक भी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ मामलों में, विशेषकर जिनमें कारावास सात वर्ष से कम है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इस पहलु पर भी विशेष ध्यान दें।

मैं इससे सहमत हूं कि कानून को बदलते समय के साथ अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाना चाहिए। तथापि, न केवल कानून को अपितु, कानून को लागू करने वाली एजेंसियों को भी सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और इनमें सुधार किया जाना चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि हमें पुलिस को अधिक अधिकार देने में सावधानी बरतनी चाहिए। पुलिस को अधिक अधिकार देने और मात्र उनमें संशोधन करने से अपराधों को नहीं रोका जा सकेगा। कानून में बदलावों के साथ-साथ, पुलिस सुधार भी किए जाने चाहिए। यह निगरानी करने के लिए कोई तंत्र मौजूद होना चाहिए कि पुलिस किस तरह से उन अधिकारों का इस्तेमाल कर रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर रही है। इस संबंध में, राज्य और जिले स्तर पर पुलिस प्राधिकारी पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ शिकायतों से निपट सकते हैं।

मैं हमारे केरल के अनुभव से यह उदाहरण पेश करना चाहता हूं। केरल में, हम ऐसे पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना कर चुके हैं जिसमें राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अध्यक्ष होगा और एडीजीपी और गृह सचिव सदस्य होंगे तथा जिला स्तर पर, एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होगा तथा जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक इसके सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त, केरल में प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार एक सुरक्षा आयोग की भी स्थापना की गई है। विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, विधि मंत्री और सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्यों को इस सुरक्षा आयोग में शामिल किया गया है।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं एक और मिनट लूंगा। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक पुलिसिंग भी, काफी हद तक, पुलिस द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग को रोक सकती है। सामुदायिक पुलिसिंग भी यह सुनिश्चित कर सकती है कि कानून अधिक कुशल तरीके से लागू हों और अपराध बेहतर तरीके से रोके जा सकें। केरल में हमने छात्र पुलिसिंग भी कार्यान्वित की है।

समाप्त करने से पहले, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि कानून में बदलाव के समानान्तर ही पुलिस प्रणाली में भी सुधार किया जाना चाहिए और इस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए कि पुलिस को लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाया जा सके और उसे एक आधुनिक, कुशल और सभ्य बल में बदला जा सके। मैं दोहराना चाहता हूं कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाने, न्यायिक प्रणाली को अधिक कुशल बनाने और हमारे देश के लोगों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने में दंड प्रक्रिया संहिता में व्यापक सुधार करना महत्वपूर्ण है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, धन्यवाद। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की शक्ति पर लगाम लगाने के चिरप्रतीक्षित उपबंध एक बार पुन: हमारे समक्ष इस सभा में वाद-विवाद हेतु प्रस्तुत है। इन नए संशोधनों से आपराधिक दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 के कतिपय मौजूदा उपबंध को संशोधित किया जाना है जिसका हमारे देश के कतिपय वर्गों द्वारा जोरदार ढंग से विरोध किया गया था।

धारा 5, 6 और 21 (ख) के अलावा, आपराधिक दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 31 दिसम्बर 2009 से लागू हो गया था। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि इस विधेयक में तीन बड़े संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे पुलिस अधिकारी न केवल गिरफ्तारी किए जाने के अपने कारणों बल्कि धारा 41 के तहत गिरफ्तारी न किए जाने के कारणों को दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।

दूसरे संशोधन में धारा 41(क) में "किया जा सकता है" शब्द को "किया जाएगा" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाना है।

तीसरा संशोधन धारा 41(क) में एक परंतु जोड़ने के लिए है जिससे पुलिस एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है यदि वह नोटिस की शर्तों का अनुपालन न करे अथवा वह पुलिस के उपस्थित होने के नोटिस के जारी किए जाने के दौरान अपनी पहचान कराने में अनिच्छुक हो। मैं इन तीन धाराओं पर अत्यंत सीमित रूप से चर्चा करूंगा।

यह संशोधन पुलिस की गिरफ्तारी करने की मनमानी पर एक अचूक प्रहार प्रतीत होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु हम सब जानते हैं कि पुलिस कैसे काम करती है। यह तथ्य कि कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा, उत्तरदायित्व निर्धारित करता है तथा पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करने का औचित्य सिद्ध करने के लिए जिम्मेदार बनाता है, परंतु इस बात के भी पुख्ता संभावना है कि कागजी कार्रवाई से बचने के लिए कम मामले दर्ज किए जाएंगे। मनमाना कारण दर्ज किया जाना मुश्किल होगा चूंकि इसकी साबित किए जाने की आवश्यकता होगी और इस पर न्यायिक संवीक्षा की जा सकेगी। वास्तव में, गिरफ्तारी किए जाने की शक्ति एक बात है और उस गिरफ्तारी का औचित्य सिद्ध करना पूर्णतया अलग बात है।

अगर यह संशोधन वास्तव में इस कमी को पार पाने में सफल होता है, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, परंतु वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हम अनेक लोगों ने पुलिस स्टेशनों का दौरा किया है और हम जानते हैं कि पुलिस, थानों में किस प्रकार कार्य करती है। यह संशोधन गिरफ्तारी किए जाने या न किए जाने से पूर्व जांच के महत्व पर काफी बल डालता है। इसका आगे यह अर्थ है कि अधिकारी मामले की वास्तविकता के बारे में विश्वस्त हो। मात्र एक शिकायत गिरफ्तारी करने की शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

धारा 41(क) का अत:स्थापन पेश होने के नोटिस से संबंधित है जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप है। इससे अनेक गिरफ्तारियों में कमी लाने में मदद मिलेगी जिससे खचाखच भरी भारतीय जेलों में कैदियों की भीड़भाड़ में कमी होगी। साथ ही गलत मामले में फंसाए जाने की स्थिति में निर्दोष भी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। मुझे आशा है कि इस संशोधन के माध्यम से विधि और न्याय प्रदान करने की प्रणाली अधिक पारदर्शी हो जाएगी। आपराधिक दण्ड संहिता तथा सूचना के अधिकार का अधिनियम दोनों मिलकर भारत में न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक जांचोपाय लागू कर पायेंगे। इस अधिनियम के पीछे यह सोच है, परंतु काफी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिक सूचना के अधि कार के प्रति कितने जागरूक हैं।

सम्भवत: काफी समय बाद लोगों ने पाया कि सरकार तथा यह सभा नीतिगत बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोषियों को पकड़ने की होड़ में निर्दोष की रक्षा की जा सके। जो समाज के एक भाग के दबाव के सामने झुकता प्रतीत हो रहा है वास्तव में सहमति बनाने का एक बेहतर तरीका बन कर सामने आया है। इसकी प्रशंसा किए जाने की आवश्यकता है, परंतु यह देखना बाकी है कि पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तारी करने से रोकते हुए क्या पुलिस अपने आपको दोषियों की गिरफ्तारी तक ही सीमित रखेगी या नहीं। महिला गैर-सरकारी संगठनों ने इस खंड के संबंध में काफी आवाज उठाई है और उन्होंने इस संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, जिनका समाधान भी किए जाने की आवश्यकता है। कल्याण बाबू ने उन शंकाओं का एक पृथक तरीके से उल्लेख किया है, परंतु मेरे विचार से, उन पर पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है।

इस अधिनियम में पुलिस अधिकारियों को लिखित में गिरफ्तारी के कारण का उल्लेख करना होता है जिन मामलों में सात वर्षों तक कारावास के दण्ड का प्रावधान है और पुलिस अधिकारी इस बात से सहमत हैं कि गिरफ्तारी आगे अपराध को रोकने या उचित रूप से जांच के लिए आवश्यक है।

यह विधेयक यह उल्लेख करता है कि अधिनियम के उपबंधों के तहत यदि पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी करने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित में दर्ज करना होता है। क्या इस उपबंध से रूचिका तलवार के मामले के नाजुक मुद्दे को सुलझाता है तथा कानून की इस निसंगति को ठीक करता है? जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा नहीं है।

अधिनियम में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की बजाय, पुलिस अधिकारी व्यक्ति को पेश होने का नोटिस जारी कर सकता है, जिसके माध्यम से यह नोटिस में यथा निर्दिष्ट उसे स्वयं उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। यह विधेयक पुलिस अधिकारी के लिए अनिवार्य बनाता है कि वह उन सभी मामलों में नोटिस जारी करे जहां गिरफ्तारी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि इसका अनुपालन कैसे होगा और इसकी किस स्तर पर निगरानी होगी?

धारा 41 के अंतर्गत, जैसा कि 2008 के संशोधन से पूर्व मूल अधिनियम में उल्लेख है कि पुलिस अधिकारी, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी संज्ञेय अपराध में शामिल पाया जाता है। अब इसमें जमीन-आसमान का परिवर्तन कर दिया गया है और आगे सुधार किया जा रहा है। यहां, मैं सरकार को स्मरण कराना चाहता हूं कि इस देश के जागरूक नागरिकों द्वारा सामान्यत: क्या कहा जाता है। लार्ड मैकाले ने भारतीय दण्ड संहिता की रचना की

थी, जोकि 19वीं शताब्दी के मध्य आयरीश दण्ड संहिता का पुर्नरूपांतरण था। आपराधिक दण्ड संहिता इसका एक अंश है। देश के आपराधिक कानून में सुधार करने तथा उसे तर्कसंगत बनाने की अत्यावश्यकता है। जैसा कि अनेक सदस्यों ने दोहराया है मैं इसे दोहराना चाहता हूं। टुकड़ों में संशोधन करने की बजाय संसद में एक वृहद विधान क्यों नहीं पुरस्थापित किया जाता है? ऐसा प्रतीत होता है कि तदर्थवाद आजकल का नारा है।

मैं मंत्री महोदय से इस विषय पर संसद के भीतर तथा बाहर एक चर्चा आरंभ करने का अनुरोध करता हूं जिससे एक राष्ट्रीय नीति बनाई जा सके। राष्ट्रीय आपराधिक न्याय नीति बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं थोड़े से समय में दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं माननीय चिदम्बरम जी द्वारा सीआरपीसी, 2010 का जो संशोधन लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। यह बड़ा सामयिक और अतिआवश्यक भी है। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि पुलिस को आप शक्तियां देंगे, तो उनका दुरुपयोग न हो। उसे रोकने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा, एक तो पुलिस स्टेशन में जब भी कोई इंक्वायरी या इंटेरोगेशन हो तो उसकी आडियो और वीडियो रिकार्डिंग का प्रबंध करना चाहिए और साथ-साथ जब लॉकअप में एक्यूज डाले जाते हैं तो उनकी भी कांसटेंट वीडियोग्राफी होनी चाहिए तथा जो भी थर्ड डिग्री मेथड हैं, वे कम हो जाएं या खत्म हो जाएं। पुलिस ट्रांसपिरेंसी से काम करे, इसके लिए भी कोई नया सिस्टम इजाद करना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है, हम यह तो उम्मीद कर रहे हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उन्हें सजा मिले। जब से सीआरपीसी, आईपीसी का पुराना नियम एवं कानून चला है, तब से ही थानों की हालत भी पुरानी चली हुई है। अंग्रेजों के वक्त के ही थाने हैं और उनके वक्त का ही पुलिस बल भी है। हम निहत्थे पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से उम्मीद करते हैं कि वे आतंकवादियों और अपराधियों पर काबू पाएं। मैं समझता हूं आज पुलिस के विरोध में हम बातें उठाते हैं, लेकिन पुलिस की पूरे राष्ट्र में जो दयनीय हालत है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है।

महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि शीघ्र न्याय देने के लिए जिस तरह से कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने पर विचार किया गया है, जजो की संख्या बढ़ाने पर विचार किया गया है, उनके वेतन और भत्ते बढ़ाने पर विचार किया गया है, उसी तर्ज के ऊपर पुलिस दल को मजबूत करने के लिए ज्यादा थाने खोले जाएं, पुलिस में ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी भर्ती हों। उन्हें ज्यादा साधन उपलब्ध कराए जाएं, मोबिलिटी भी ज्यादा दी जाए और हथियार भी मॉडर्न और अच्छे दिए जाएं, ताकि वे मुकाबला कर सकें। पुलिस बल की कम संख्या तथा अच्छे और मॉडर्न हथियारों के अभाव में पुलिस वाले निरन्तर निरूत्साहित हो रहे हैं, फिर चाहे जम्मू-कश्मीर हो, पूर्वान्चल हो, वनांचल हो या कोई और प्रदेश हो, हम सब जगह पुलिस को कोस रहे हैं। इससे वे डीमॉरेलाइज हो रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय आडवाणी जी जिस प्रकार से बार-बार मांग करते हैं कि उन्हें ताकत दी जानी चाहिए, तभी वे जान और माल की सुरक्षा कर सकते हैं, उसी प्रकार से आधुनिक साजोसामान उपलब्ध कराया जाए। जो अमेंडमेंट आया है, उसमें मैं समझता हूं कि मान्यवर मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें और निश्चित रूप में एक नया आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. हिन्दुस्तान के परिपेक्ष्य में और हिन्दुस्तानियों के लिए लाया जाए। यह सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): सभापति महोदय, मुझे दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010 पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम, मैं कहूंगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता वह प्रक्रियात्मक विधि है जो न्यायपालिका तथा अन्य न्यायालयों को अपराध और अपराधियों का न्याय करने के लिए प्राधिकृत करती है। यह कानून वर्ष 1973 में बनाया गया था। यदि हम अपराधों की बात करें तो संक्षिप्त रूप से इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है-संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं और जिनमें उस व्यक्ति को, जिसे अपराधिक कृत्य का आरोपित ठहराया गया है, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गैर-संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिनमें अपराधिक कृत्य के आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति लेनी होती है। इस प्रकार, इन दोनों प्रकार के मौलिक अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता से संलग्न सूची-I में ऐसे अपराधों का विवरण है जिनका यहां उल्लेख किया जा चुका है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 की बात करें तो उसमें एक जिक्र है कि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार कर सकता है। वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता है यदि पुलिस अधिकारी को उस पर संदेह हो या उस आशय की कोई पुख्ता सूचना हो अथवा उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई लिखित शिकायत दर्ज हुई हो और इसके अलावा, यदि पुलिस अधिकारी ने उसे अपराध करते देखा हो–इनमें से यदि कोई भी स्थिति बनती है तो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। तथापि, इस संशोधन का सबसे बढ़िया भाग यह है कि संभावनासूचक 'कर सकता है' शब्द की जगह निश्चयसूचक 'करेगा' शब्द लाया गया है। जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तार करेगा उसे लिखित में इसके कारण रिकार्ड करने होंगे और इसके भी कि यदि वह उसे गिरफ्तार नहीं करता है तो बाकायदा उसके भी कारण लिखने होंगे। याने, उसे लिखित में कारण देने होंगे। दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक, 2010 का यह सर्वश्रेष्ठ भाग है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (क) जिसे वर्ष 2008 में अंत:स्थापित किया गया था, पुलिस अधिकारी को आरोपित व्यक्ति को सम्मन करने, नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत करती है और जब किसी व्यक्ति से पुलिस स्टेशन पर हाजिर होने या थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के लिए कहा जाये, और वह व्यक्ति न आए या दिए गए आदेश का पालन न करे तो पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधि कार है। यह भी एक सराहनीय संशोधन किया गया है।

अत:, दण्ड प्रक्रिया संहिता की दोनों धाराओं अर्थात धारा 41 (क) और धारा 41 में किया जा रहा संशोधन सराहनीय है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है जिसका अर्थ केवल जीने के हक से नहीं है बल्कि स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने के हक से है। ऐसे उदाहरण देखने में आए हैं कि निरपराध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया; फिर आरोप-पत्र दाखिल करने में देर होती गई और वह व्यक्ति विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में यातना भोगता रहा। यदि ऐसे किस्से में जेल में बंद रहने की अवधि की गणना की जाए तो वह न्याय निर्धारित दण्ड की अवधि से भी ज्यादा ठहरती है।

इन सब स्थितियों का जायजा लेते हुए, मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस कानून में संशोधन करने की पहल के लिए बध ाई देता हूं। मैं उनसे भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय सक्ष्य अधिनियम और दण्ड दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधन के कदम उठाने का भी अनुरोध करूंगा।

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर): महोदय, इस तरह का विधेयक लाने तथा पुलिस के स्वेच्छाचार पर लगाम लगाने के प्रयास के लिए मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूं। यह स्वागतयोग्य कदम है।

इस विधेयक का उद्देश्य है: दण्ड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 1973 में संशोधन करना। अधिनियम में किसी पुलिस अधिकारी को कतिपय विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के आदेश या वारण्ट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार है। इसी कारण से अधिनियम में पुलिस अधिकारियों के लिए यह नियत किया गया है कि सात वर्ष तक के दण्ड वाले अपराधों के मामले में कारणों को लिखित रूप में प्रस्तुत करें। यह सीमा सात वर्ष तक के दण्ड वाले अपराध के लिए है, याने स्वेच्छाचार पूरी तरह से नहीं हटाया गया है। यदि पुलिस अधि कारी गिरफ्तारी न भी करे तो भी उसे कार्रवाई न करने का कारण लिखित में देना होगा। पुलिस को गिरफ्तार करने या न करने का अधिकार है। बस, एक बात बढ़ गई है कि उसे कारण लिखित में देना होगा। अच्छा है कि कारण लिखित में देना होगा, लेकिन गिरफ्तार करना या न करना तो पुलिस अधिकारी के फैसले पर है। हम उसके फैसले या निर्णय को कैसे नियंत्रित करेंगे। इस कारण, स्वेच्छा से अधिकार के दुरुपयोग की संभावना अभी है।

सभापति महोदय: उसे कारण बताना होगा।

श्री प्रबोध पांडा: हां, ठीक है, लेकिन उसकी समीक्षा और मूल्यांकन तो अदालत बाद में करेगी। दूसरी बात यह कि अधिनियम कहता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बदले पुलिस अधिकारी उसे अपने समक्ष उपस्थित होने का नोटिस जारी कर सकता है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है कि भले ही अपराध पुलिस अधिकारी की नजरों के सामने हुआ हो लेकिन वह तो पहले नोटिस देगा और यदि उस व्यक्ति ने उसका पालन नहीं किया तब उसकी गिरफ्तारी होगी। यदि अपराध पुलिस की उपस्थिति में होता है तब फिर इसकी एक परिभाषा बनाई जानी चाहिए। सभी दशाओं में एक ही बात लागू नहीं की जानी चाहिए। कितने मामलों में पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है! पुलिस द्वारा जबरिया काम करने और अधिकार का दुरुपयोग करने के किस्से हैं। इस तरह की मनमानी होती है। तब भी पुलिस कई मामलों में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है। वह मूकदर्शक बनी बैठी रहती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अपराध होने की दशा में भी पुलिस अपराधी को गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि एक नोटिस जारी करके उसे हाजिर होने को कहेगी और अगर व्यक्ति नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

मेरे विचार से यह एक स्वागतयोग्य कदम है। शेष सभी सदस्य पहले ही कह चुके हैं, मैं भी उनसे सहमत हूं कि इसे टुकड़ों में नहीं किया जाना चाहिए। हमें आपराधिक दण्ड संहिता का पुनरावलोकन करना चाहिए तथा इस सम्मानित सभा के समक्ष एक व्यापक विधान लाना चाहिए।

सभापति महोदय: दो और वक्ता शेष हैं। यदि सभा सहमत हो तो सभा के समय में एक घंटे की वृद्धि की जा सकती है। शून्य काल भी शेष है।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सायं 6.00 बजे

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 2010 को पुर:स्थापित करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। केवल इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ अन्य विधेयक जो पूर्व में इस सभा में पारित हुए हैं के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

हमें याद रखना चाहिए कि एक बार हम ब्रिटिश शासन काल के अधीन रहे हैं। इसलिए आरंभ से ही पुलिस वाले अत्यंत शक्तिशाली रहे हैं। आ.द.स. तथा सि.प्र.स. परतन्त्रता की उस अवधि के ही परिणाम हैं। यह संकल्पना, ब्रिटिश विचारधारा से अत्यंत मेल खाती है। इसलिए, चीजों में अचानक परिवर्तन नहीं आ सकता है, उन्हें बदलने में कुछ समय लगेगा–कोई भी बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 41 (क) से काफी हद तक पुलिस की शक्तियों पर नियंत्रण हुआ है। वे जब ठीक समझें तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा निरूद्द नहीं कर सकते हैं–उन्हें कतिपय प्रक्रिया का पालन करना होता है। इस तरीके से पुलिस की मनमानी पर बड़े पैमाने पर रोकथाम लग पाई है। इस कारण से भी मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

अन्य मुद्दा यह है कि भारतीय दण्ड संहिता तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता का पुनरीक्षण तथा उसे नया रूप दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे हमारे समाज के प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के साथ कदम के साथ कदम नहीं मिला पायेंगे। बंगाली में एक कहावत है–अगर एक बाघ आप पर झपटा मारे, तो यह कम हानिकारक होगा बजाय उसके कि आपको रास्ते में पुलिस वाला रोक ले। वास्तव में लोगों को पुलिस से भय लगता है। वे नहीं जानते कि कब पुलिस उन्हें पकड़ लेगी या वे किस धारा के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पुलिस के रवैये में बदलाव करने की जरूरत है। यह नागरिकों तथा प्रशासन दोनों का ही उत्तरदायित्व है।

अग्रिम जमानत दिए जाने की प्रक्रिया हर जगह एक समान होनी चाहिए। यह अलग-अलग स्थानों पर भिन्न नहीं होनी चाहिए। इस पहलू पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

तथापि, आप सब जानते हैं कि आम आदमी जो न्यायालय में विभिन्न मुकदमे लड़ने जाते हैं उन्हें वकील लूटते हैं साथ ही न्यायिक प्रक्रिया अत्यंत महंगी हो गई है। इसलिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा अधिकाधिक संख्या में वकीलों की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रश्न यह है कि किस प्रकार न्यायिक तंत्र में सुधार किया जा सकता है। हमने देखा कि भोपाल गैस त्रासदी के मामले में क्या हुआ। 26 वर्षों के बाद फैसला हुआ और लोगों को न्याय से वंचित कर दिया गया। अगर ऐसा होता है तो लोगों का इस देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं रहेगा। जहां तक न्यायाधीशों के पद का संबंध है अनेक पद रिक्त पड़े हैं। जिसके परिणामस्वरूप आम नागरिक पीड़ित होता है; उनकी गलती न होते हुए भी उनका उत्पीड़न किया जाता है। इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं, एक बार पुन: ऐसा प्रभावी विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं जो कि उनके द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मुझे इस संशोधन का समर्थन नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। मेरे पहले के सभी वक्ताओं ने इसका समर्थन किया है। तथापि, मैं यह भी चाहता हूं कि दंड प्रक्रिया में व्यापक सुधार किया जाय क्योंकि इस तरह की कई संहिताएं अंग्रेजी शासन के अवशेष हैं जो भारतीयों को सभ्य न मानकर उन्हें जिस तरह से आदिम जाति का मानते थे और वे ऐसा केवल दमनात्मक और शोषणात्मक कारणों से करते थे। इस सदन में आई.पी.एस. ऑफिसर्स एसोसिएशन की पत्र-पत्रिकाएं भी आती हैं। इनमें कई आलेखों में उन्होंने भी दंड प्रक्रिया संहिता के कई उपबंधों की आलोचना की है।

जहां तक मुझे जानकारी है संभवत: दंड प्रक्रिया संहिता में सुधार के लिए पूर्व में कोई आयोग गठित किया गया था। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि वे चाहते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता में व्यापक सुधार के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने हेतु कुछ पहल करें।

*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि इस संबंध में किसी अधिनियम या नियम को बनाने की आवश्यकता नहीं है परंतु एक अच्छी सरकार की मुख्य विशेषता केवल अधिनियम तैयार करना ही नहीं है बल्कि इसका सभी नागरिकों के लिए कार्यान्वयन तथा अनुप्रयोग सुनिश्चित करना भी है। हम जानते हैं कि पुलिस तथा जनता के सांठगांठ के बिना देश में कोई अपराध नहीं हो सकता। हम यह भेदभाव देख सकते हैं कि खूंखार अपराधी तथा लोगों की हत्या करने वाला एन्डरसन जैसा अपराधी गेस्ट हाउस में रखा जाता है और हमारे निर्दोष लोगों के साथ खूंखार अपराधी जैसा व्यवहार किया जाता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह एक अच्छी सरकार का कार्य है कि किसी अच्छे अधिनियम या नियम को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करे।

महिलाओं के संबंध में, विशेषकर अनुसूचित जाति; अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं पुलिस के अत्याचार, उत्पीड़न और दुराचार का शिकार होती हैं। यह लालगढ़ से मणिपुर और मणिपुर से जम्मू कश्मीर तक हर जगह सही है। हम अपने सम्मानित अधिवक्ता; गृह मंत्री जी से इस मामले पर कुछ जानकारी चाहते हैं कि हमारे देश के कुछ उच्च न्यायालय महिला संरक्षण को वापस लेना चाहते हैं कि वे रात में विशेषकर महिला कांस्टेबल के बिना गिरफ्तार नहीं की जाएंगी। मुझे स्मरण है कि मुम्बई उच्च न्यायालय के नागपुर बेंच ने इस संरक्षण को वापस ले लिया। एक महिला संगठन, अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और देश की सभी महिलाओं को संरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया। मुझे नहीं पता कि अभी इस संबंध में क्या स्थिति है। मैं इस पर माननीय गृह मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं।

मैं न केवल इस तरह के सुधार चाहता हूं बल्कि संपूर्ण सुधार चाहता हूं और इसकी मांग करता हूं। माननीय गृह मंत्री का धन्यवाद करते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): अपनी पार्टी की ओर से मैं भी माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। विद्यमान दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित अनेक विषय वस्तु अध्याय V में दी गई है। इसका आरम्भ धारा 41 से होता है और इसमें अनेक धाराएं हैं। धारा 41(1) (क) (ख) का संबंध उस संशोधन से है जिसे हम पहले कर चुके हैं और उन संशोधनों से भी है जिन्हें हम आज करने जा रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के साथ मजिस्ट्रेट के आदेश के साथ गिरफ्तार कर सकता है। इसमें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसका संबंध मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से है। इस मामले में लोगों में यह भावना है कि पुलिस अधिकारियों को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। वास्तव में, वे लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल मनमाने ढंग से करते हैं। धारा 41 का आशय इस निरंकुशता को कम करना है। मौजूदा दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार (क) और (ख) के अधीन आप मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं यदि संबंधित व्यक्ति ने कोई संज्ञेय अपराध किया हो अथवा उसके खिलाफ उचित शिकायत आदि की गयी है जिससे वह संबंधित है। यह संज्ञेय अपराध के बारे में है। उप-धारा (ख) में कहा गया है कि–"किसी व्यक्ति को बिना वारंट अथवा आदेश के गिरफ्तार कर सकते हैं यदि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अपराध करता है।" (ग) से लेकर (ज) तक कोई समस्या नहीं है। ये स्वत: पूर्ण उपबंध हैं जिनमें कुछ प्रतिबंध निहित हैं। (क) और (ख) के नाम पर लोगों को अंधाधुंध तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा था। पूर्ववर्ती विधेयक द्वारा हमने (क) और (ख) को प्रतिस्थापित किया और कहा कि धारा 41 (1) का (क) और (ख) यह होगा।

इसमें कहा गया है कि:–

"आप किसी व्यक्ति को वारंट या किसी आदेश के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं यदि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अपराध करता है।"

तत्पश्चात् आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। निस्संदेह एक पुलिस अधिकारी किसी अपराध को होते हुए नहीं देख सकता; उसे गिरफ्तार करना ही चाहिए; तत्पश्चात् जमानत आदि की प्रक्रिया चलती रहेगी।

(ख) में यह कहा गया है:

"...जिसके विरुद्ध एक उचित शिकायत की गई है... कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, जिसके लिए सात वर्ष से कम के कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे बढ़ाकर सात वर्ष तक किया जा सकता है, अर्थदंड या उसके बिना, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाती हैं।"

अत:, हमने ऐसी शर्तें तैयार की हैं जिनके अंतर्गत किसी संज्ञेय अपराध हेतु सात वर्ष से कम समय के लिए सजा दी जा सकती है, उसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिएं:–

पुलिस अधिकारी के पास यह मानने का कारण होना चाहिए कि व्यक्ति ने अपराध किया है;

पुलिस अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है;

(क) उसे भविष्य में कोई अपराध करने से रोकने के लिए;

(ख) उचित जांच करने के लिए;

(ग) ऐसे व्यक्ति को साक्ष्य आदि मिटाने से रोकने के लिए;

(घ) ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो कि मामले में साक्षी हो सकता है को प्रलोभन देने, धमकी देने या कोई वादा करने से रोकने के लिए; और

(ङ) जब तक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है न्यायालय में उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती।''

यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं तो पुलिस अधिकारी उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। इसके पश्चात हमने इसमें एक और सुरक्षोपाय शामिल किया, 'जिन शर्तों के अधीन आपने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उन कारणों को रिकार्ड करना।'

अब यह कहते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह सही है, आपने कहा है कि ''गिरफ्तार करने के कारणों को रिकार्ड किया जाए।'' परन्तु, उन मामलों के बारे में क्या होगा जिनके बारे में हम यह जानते हैं कि पुलिस अधिकारी कहीं भी उस व्यक्ति या स्वार्थ सिद्धि करने वाले व्यक्ति से सांठगांठ कर सकता है और उसे गिरफ्तार न करे यद्यपि, ये शर्तें पूरी होती हों।

अत:, विधि आयोग ने मेरे कहने पर यह परामर्श मांगा और उन्होंने कहा,

> ''ठीक है, आप किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो कारणों को रिकार्ड कीजिए, यदि इस तथ्य के बावजूद कि ये कारण मौजूद हैं आप उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो कारण रिकार्ड कीजिए।''

यदि कारणों को रिकार्ड किया जाता है तो अभियुक्त न्यायालय में जा सकता है और यह कह सकता है कि ''इन कारणों को देखिए, यह बहुत बेतुका कारण है और मुझे जमानत दीजिए; उन्हें मुझे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था।'' यह गिरफ्तार करने के लिए है। यदि गिरफ्तार न करने के लिए कारण रिकार्ड किए जाते हैं तो शिकायतकर्ता न्यायालय जाकर यह कह सकता है कि ''इन कारणों को देखिए, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था; परन्तु उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है; मामूली कारण रिकार्ड किए गए हैं।'' अत: इसमें मनमानेपन को कम किया गया है या मनमानी करने की गुंजाइश को कम किया गया है। अभियुक्त न्यायालय जा सकता है और अपनी गिरफ्तारी के बारे में शिकायत कर सकता है और शिकायतकर्ता न्यायालय जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार न किए जाने के बारे में शिकायत दर्ज कर सकता है। हम यही कह रहे हैं। यह डी.के. बसु के दिशानिर्देशों को पूरा कर रहा है।

उप-धारा 2, जिसे संसद ने पिछली बार पारित कर दिया था में यह कहा गया है कि ''धारा 42 के उपबंधों के अध्यधीन किसी भी व्यक्ति को वारंट या किसी अपराध के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अत:, अब इसमें स्पष्ट रूप से अंतर है। संज्ञेय अपराध के लिए आपके पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या न करने के कारण होने चाहिएं। गैर-संज्ञेय अपराध के लिए आप किसी को केवल वारंट या आदेश के साथ ही गिरफ्तार कर सकते हैं।

हमारा यह मानना है कि हमें इस संबंध में निष्पक्ष अवसर प्रदान करना चाहिए। मैं जानता हूं कि इस देश में पुलिस के पास बहुत अधिकार हैं। यदि आप 100 लोगों से यह पूछें कि वे पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं तो वे कहेंगे कि हां हम चाहते हैं कि पुलिस हो परन्तु, पुलिस मनमाने तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि वे ऐसा कहेंगे कि हमें पुलिस नहीं चाहिए। वे कहेंगे कि वे चाहते हैं कि पुलिस हो परन्तु पुलिस पर मनमाने तरीके से काम करने पर रोक लगाई जाए। अत:, हम मनमानी करने पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं।

परन्तु यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो पूर्व धारा में यह कहा गया है,

> ''पुलिस अधिकारी सभी मामलों जिनमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना आवश्यक नहीं है, उस व्यक्ति को अमुक स्थान पर अमुक समय अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करता है। जहां कहीं ऐसा नोटिस जारी किया जाता है तो उसका पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य होगा। ऐसे मामले जिसमें व्यक्ति इसका पालन करता है और उसका लगातार पालन करता रहता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा; यदि वह व्यक्ति उसका पालन करने में विफल रहता है तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है।''

अब हम यह कहना चाहते हैं कि ''यदि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं और आप उसे नोटिस जारी करते हैं तो यह अपराध करने वाले व्यक्ति को जांच और पूछताछ से बचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। नोटिस जारी करने के पीछे पूरा तर्क यह है कि वह व्यक्ति जांच में सहयोग करे। परन्तु, होता यह है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, आप उसे

एक नोटिस जारी कर सकते हैं; इस पर यह आशंका है कि व्यक्ति जांच में विलंब पैदा करेगा; वह जांच में सहयोग नहीं देगा।''

अत: हम यह कह रहे हैं कि यदि स्थिति ऐसी हो जाए कि उसे गिरफ्तार किया जा सके तो पुलिस अधिकारी उसे नोटिस दे कि उसे जांच में हिस्सेदारी करनी होगी और फिर जांच पूरी की जा सकती है। अन्यथा, यह आशंका है कि गिरफ्तार न किया गया व्यक्ति उचित कारण होते हुए भी जांच में हिस्सा न लेगा, उसे दो-चार वर्ष तक खींचेगा और केस ठण्डे बस्ते में चला जाएगा। इसीलिए हम संभावनासूचक 'कर सकता है' शब्द हटाकर निश्चयसूचक ''करना होगा' शब्द ला रहे हैं।

अब हम कह सकते हैं कि स्थिति ठीक से संतुलित हो रही है। किसी गैर-संज्ञेय अपराध के लिए आपके पास एक आदेश होगा सात वर्ष से अधिक की सजा के योग्य संज्ञेय अपराध के लिए आप गिरफ्तारी कर सकेंगे। सात वर्ष से कम की सजा के योग्य संज्ञेय अपराध के लिए आपको कारण दर्ज करने होंगे। आप गिरफ्तार भले न करें, लेकिन कारण दर्ज कर लें; लेकिन गिरफ्तार न करने पर आप संबंधित व्यक्ति को नोटिस देंगे कि वह जांच में हिस्सा ले। हमें देखना है कि यह तरकीब कैसे काम करती है। हमें लगभग छह महीने तक इसे ईमानदारी से लागू करना होगा और फिर हम देखें कि इससे क्या होता है।

लेकिन, मान लीजिए यदि पुलिस अधिकारी यह उल्लेख करे कि उसने फलां व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया और नोटिस दे रहा है तो भी वह व्यक्ति अपनी सही पहचान बताने से इंकार कर रहा है तो फिर वह उसे नोटिस किस प्रकार दे? इसी कारण से हम यह कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाए तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। वरना, बिना पहचान किए आप किसी को नोटिस कैसे देंगे? यह सारे संशोधन हम कर रहे हैं और आपके समर्थन का मैं आभारी हूं।

श्री निशिकांत से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मेरे प्रिय कवि तिरूवल्लुवर ने 2000 वर्ष पूर्व कहा था:

''इडिपरई इल्लाथा एमारा मन्नन

केडुप्पर इल्लनंग केडुम।''

जिस राजा के आलोचक न हों उसका साम्राज्य विनष्ट हो ही जाएगा, भले ही उसका कोई शत्रु न हो। इसलिए मैं आलोचकों का स्वागत करता हूं। मुझे शत्रु भले पसंद न हों, पर आलोचकों का सदा स्वागत है। आलोचना के लिए मैं आभारी हूं। कृपया हमारी आलोचना कीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम विनष्ट हो जाएंगे भले ही मैदान में कोई शत्रु न हो। इसीलिए कृपया आलोचना से हटिए मत, उसका स्वागत है। मुझे उससे कोई समस्या नहीं है।

मॉडल पुलिस अधिनियम के बारे में शायद श्री कल्याण बनर्जी ने उल्लेख किया, हमने 2006 में एक मॉडल पुलिस अधिनियम बनाया है। हमने इसे सभी राज्यों को परिचालित किया है। मैं सभी राज्योंय से बार-बार इसे अपनाने या अपने पुलिस अधिनियमों को इसके अनुसार ढालने के लिए कह रहा हूं। मॉडल पुलिस अधिनियम में 16 खण्ड हैं। ग्रंथालय में यह उपलब्ध है। इस पुलिस अधिनियम में नगरीय पुलिस की प्राथमिक रैंकों, सशस्त्र पुलिस यूनिटों, जिला पुलिस के ढांचे, महानगरीय शहरी क्षेत्रों, आपराधिक जांच, प्रशिक्षण शोध तथा अनुसंधान, विनियमन, नियंत्रण तथा अनुशासन, पुलिस की जवाबदेही–इसके लिए एक बोर्ड बनेगा तथा पुलिसकर्मियों के कल्याण तथा समस्या निदान का उल्लेख किया गया है। दुर्भाग्यवश, राज्यों में इस मॉडल पुलिस अधिनियम को अपनाने के प्रति अधिक उत्साह नहीं है। मैं इस अधिनियम के लिए राज्यों को लगातार कहते रहने का हामी हूं।

अंत में, इस आशय की सिफारिशें थीं कि हमारी एक व्यापक दण्ड प्रक्रिया संहिता हो। मैंने 7 जुलाई, 2010 को विधि मंत्री को एक पत्र लिखा था:

> ''गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि दाण्डिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए तथा दाण्डिक न्याय प्रणाली में आमूल परिवर्तन हेतु एक सुसंगठित प्रारूप विधान लाया जाना चाहिए।
>
> इसके पूर्व भी, अपनी 111वीं तथा 128वीं रिपोर्ट में समिति ने सिफारिश की थी कि दाण्डिक विधि को सुधारते हुए युक्तियुक्त बनाने की अत्यावश्यकता है।''

इन सिफारिशों के मद्देनजर मैंने विधि मंत्री से अनुरोध किया था कि वे विधि आयोग से इस विषय का परीक्षण करने तथा एक व्यापक रिपोर्ट देने का आग्रह करें जिसमें दाण्डिक विधि के सभी पहलुओं पर विमर्श किया जाए ताकि भारतीय दंड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम में व्यापक संशोधन किए जा सकें। इस संबंध में विधि आयोग न्यायमूर्ति मालिमठ समिति तथा माधव मेनन समिति और अन्य आयोगों तथा समितियों की सिफारिशों का भी अवलोकन कर सकता है। विधि आयोग को इसके लिए एक वर्ष का लक्ष्य दिया जा सकता है।

13 जुलाई को विधि मंत्री ने मुझे जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है:

"मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार के एक व्यापक विधान की आवश्यकता के आपके विचार से मैं सहमत हूं। मैंने अपने मंत्रालय से तत्काल इन सरोकारों पर विचार करते हुए एक व्यापक विधान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।"

इसलिए मुझे आशा है कि यह कार्य पूरा होगा। एक वर्ष के भीतर, मुझे आशा है कि एक व्यापक रिपोर्ट तैयार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सभापति महोदय, मैं एक प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। जैसा अभी मंत्री जी ने कहा कि जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसे लिखित रूप में दिया जाएगा कि किस कारण वह क्यों पकड़ा गया है। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो न्यायालय में भी जा सकता है। आप न्यायालयों में फिर मुकदमे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे गलत पकड़ा गया है और वह न्यायालय में जाएगा। जबकि न्यायालय में पहले ही इतने मुकदमे हैं और ये जो मुकदमे जाएंगे, क्या उसके लिए आपने कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट या जजों की नियुक्ति की है, जिससे उनकी सुनवाई हो सके?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी है। आप देखिए जब किसी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने और गिरफ्तार नहीं करने के कारण रिकार्ड करने को कहा जाता है इससे उनकी कार्रवाई में पारदर्शिता में वृद्धि होती है। जब मुझे गिरफ्तार किया जाता है मैं सामान्यत: जमानत के लिए आवेदन करूंगा। आज यदि कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के कारण दर्ज करता है, जब मैं मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा और कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है इन्होंने मुझे गिरफ्तार करने के ये कारण बताए हैं और क्या इन कारणों के आधार पर ये मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? इसलिए यह कोई नया मामला नहीं है और जब कोई गिरफ्तार व्यक्ति जमानत मांगेगा कारणों को देखते हुए वह अपने मामले में बेहतर दलील दे सकता है कि पुलिस अधिकारी ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। अभियोजक भी कारण नहीं गढ़ सकता। उसे गिरफ्तारी के दर्ज किए गए कारणों को न्यायोचित ठहराना होगा और अभियोजक को जमानत का विरोध अथवा सहमति देनी होगी। इसके विपरीत जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और उसे केवल जांच में शामिल किया जाता है। उस स्थिति में शिकायतकर्ता न्यायालय जा सकता है और कह सकता है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था; दर्ज किए गए कारणों को देखिए और वे इतने निराशाजनक कारण हैं और उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। मेरे विचार से इससे पारदर्शिता बढ़ती है। इससे न्यायालयों के कार्य भार में वृद्धि नहीं होगी। इससे जब जमानत के लिए आवेदन किया जाता है तो पारदर्शिता बढ़ती है और या तो विरोध होता है अथवा नहीं होता है और जमानत दी जाती है अथवा नहीं दी जाती है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि

"कि दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर का लेह बादल फटने से ध्वस्त हो गया है। कल पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया है। सतलुज आदि प्रमुख नदियां खतरे के निशान की ओर बढ़ रही हैं। बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और प्राकृतिक आपदाएं, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण आज पूरे संसार के लिए गम्भीर व प्रथम

चिंताजनक पहलू हैं। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो गंगा भी लुप्त हो सकती है और सभी प्रमुख नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि बर्फ से बारी, बारी से वृक्ष, वृक्ष से वायु, विद्युत, सूर्य, बादल, वाष्प, यह सारा चक्र है। इसलिए यह चक्र बचाना हमारे लिए जरूरी है।

सभापति जी, आज हमारे जो पर्वतीय राज्य हैं, उनमें 10,000 ग्लेशियर हैं, जो 37,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। आज सारे विश्व को अगर हमें बचाना है, तो इन ग्लेशियर्स को बचाना जरूरी है, क्योंकि इन पर खतरा है। अगर ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जहां पीने के पानी की दिक्कत होगी, वहीं जल प्रलय भी हो सकती है। इसलिए विश्व में पर्यावरण के संरक्षण हेतु मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वांचल के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा जम्मू-कश्मीर सहित सभी हिमाचल राज्य जो प्रकृति की नयनाभिराम आकृति हैं, इन्द्रधनुषी छटाएं हैं, उन्होंने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। आज ये सभी राज्य बेपनाह हैं। उनके त्याग की रश्मियां उपेक्षित हैं व आंतरिक शक्ति दम तोड़ने लगी है। बर्फ के टीले जमा होने के कारण हम पहाड़ी लोग वहां खेती भी नहीं कर सकते, बगीचे भी नहीं लगा सकते हैं। इससे बेरोजगारी और भूख हमारी आत्मिक पुकार बनने लगी है। यद्यपि बिजली और पानी में थोड़ी सी रायल्टी देकर केन्द्र सरकार की ओर से राहत के कुछ कदम उठे हैं। परन्तु यह कदम पर्याप्त नहीं हैं और इनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। इस अवस्था में, मैं भारत सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि भारत सहित, समस्त संसार को बचाने वाले व शुद्ध जलवायु व पर्यावरण देने वाले, हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल और जम्मू-कश्मीर सहित सभी हिमाचली राज्यों को, जहां बर्फ है, जिसे सफेद सोना कहिये या चांदी सा चमचमाता हीरा, इन बर्फ के पहाड़ों को विशेष तौर पर तथा साथ ही वारि, वृक्ष, वायु, विद्युत तथा वनांचल राज्यां को वन व वायु पर विशेष रायल्टी का पैकेज शीघ्र दिया जाए।

सभापति महोदय: श्री अर्जुन राम मेघवाल व श्री गोविंद प्रसाद मिश्र जी को डॉ. सुशान्त जी के उपरोक्त प्रकरण से संबद्ध किया जाता है।

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक विशेष तकलीफ की ओर दिलाना चाहती हूं। इस्पात मंत्रालय के अधीन सेल है और सेल के अधीन भिलाई इस्पात संयंत्र है। भिलाई इस्पात संयंत्र के माध्यम से एक संयुक्त उपक्रम, भिलाई इस्पात संयंत्र ने, भिलाई क्षेत्र में स्थापित किया है और जेपी सीमेंट ग्रुप के साथ में यह उपक्रम स्थापित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान और इस पूरे सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि जो सीमेंट प्लांट वहां पर शुरू किया गया है, उससे वहां के लोगों को बहुत परेशानी है। उस प्लांट को जिस स्थान पर लगाया जाना था, उसे वहां न लगाकर सेल ने उसे किसी दूसरे स्थान पर लगाया है जो रिहायशी क्षेत्र है और इससे वहां के लोगों को परेशानी होती है। वहां पर 21.6.2002 का अनुमति दे दी गई कि वे वहां पर अपना उत्पादन शुरू कर सकें। उत्पादन शुरू करने के बाद 8 जुलाई 2010 को जेपी ग्रुप के लिए स्थानीय शासन द्वारा एक इश्तहार निकाला गया। यह इश्तहार इस बात का द्योतक है कि प्लांट जिस स्थान पर लगना चाहिए था, उस स्थान पर न लगाकर जिस स्थान पर लगाया गया है वह स्थान ग्रीन-बैल्ट है। उसका भूमि परिवर्तन किए बिना उस स्थान पर प्लांट को स्थापित करके अगर वहां पर इश्तहार निकाला जाता है तो यह इस बात का द्योतक है कि वह घोर अनियमितता है और अगर घोर अनियमितता है तो इस बात का प्रतीक है कि वहां पर उस निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए सेल, शासन और प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह निंदनीय है। रिहायशी क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिले, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्रीमती दर्शना जरदोश (सूरत): सभापति जी, मैं सूरत का प्रतिनिधित्व करती हूं और चाहती हूं कि सभी लोग सूरत के मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें, क्योंकि जो टैक्सटाइल और डायमंड से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को उससे प्रेम होगा। सूरत आने के समय आपको पता चल जाता कि कैसे आप वहां आते? यहां लोक सभा में चुनने के बाद, डेढ़ साल से हम अलग-अलग प्रश्नों पर जोर दे रहे हैं, जैसे क्वैश्चयन आवर में, स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वैश्चयन में, 377 में प्रश्न करते रहे हैं। मेरा शून्य काल में डेढ़ साल से यही प्रश्न है और पिछले थर्सडे को भी माननीय मंत्री जी के पास मैंने पूरक प्रश्न के तौर पर यह प्रश्न किया था। सूरत महानगर में अब एक डोमैस्टिक का एयरपोर्ट कार्यरत है। आज दिन में केवल एक ही फ्लाइट जो दिल्ली के लिए है। मैं आपका ध्यान सूरत की ओर खींचना चाहूंगी। सूरत पुराण काल से टैक्सटाइल और हीरों के लिए जाना जाता है। यहां 45 लाख लोग रहते हैं और भारत में तैयार होने वाली पांच साड़ियों में से एक साड़ी यहां तैयार होती है। सिथेंटिक एवं मैन मेड फाइबर के क्षेत्र में भी सूरत बहुत बड़ा हब है। यहां करीब 6550 डायमंड यूनिट्स हैं जो करीब सात लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। यहां दुनिया का सबसे बड़ा ज्वैलरी पार्क तैयार हो रहा है। दुनिया में पॉलिश होकर बिकने वाले दस में से आठ डायमण्ड सूरत में तैयार होते हैं। यहां के उद्यमियों ने हर क्षेत्र में देश-विदेशों में व्यापारिक संबंध जोड़े हुए हैं। यहां भारत के सभी बड़े उद्योग घरानों द्वारा अपने प्लांट लगाए हुए हैं, जैसे कृभको, एनटीपीसी, गैल इण्डिया, रिलायंस आदि। सभी बड़े उद्योग गृहों द्वारा यह डिमाण्ड की जा रही है कि सूरत वास्तव में भारत के औद्योगिक नक्शे पर आर्थिक शक्ति के रूप में अपना स्थान दर्ज करवा रहा है। यह सब होते हुए भी यहां आने वाले देश-विदेश के उद्योगपतियों को अहमदाबाद या मुंबई से फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, जिसके कारण उनके 6-7 घंटे प्रवास में ही जा रहे हैं। एयर इण्डिया सूरत एवं गुजरात के अन्य शहरों एवं विदेश के अन्य भागों से उड़ान शुरू करता है तो पर्याप्त पैसेंजर मिलने की पूर्ण

संभावना है। इस संबध में सूरत एवं गुजरात के कितने ही पैसेंजरों ने मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा से आवाजाही की है एवं सूरत एयरपोर्ट पर एक साल में कितने लोगों ने आवाजाही की है, यह मैं जानने की विनती करती हूं। अगर इस क्षेत्र के अन्य कमर्शियल एयर कम्पनियां भी अपनी सेवाएं शुरू करती हैं, तो वे अच्छी चल सकती हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप इस संबंध में तुरंत कार्यवाही करें, ऐसी मेरी विनती है।

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र कुमार राय (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं चाय बागान श्रमिकों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं और मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उच्चतम न्यायालय ने 6 अगस्त 2010 को चाय अधिनियम 1953 लागू कर छह माह के भीतर देश भर के बीमार चाय बागानों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। इन छह चाय बागानों में 3000 कामगार दयनीय स्थितिमें रह रहे हैं। 100 से अधिक चाय बागान कामगारों की मृत्यु हो चुकी है और उनके देय जैसे ग्रेच्युटी और भविष्य निधि अभी तक प्रदान नहीं किए गए हैं। चाय बागान मालिकों पर कामगारों का 300 करोड़ रु. बकाया है।

न्यायमूर्ति श्री एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को निदेश दिया कि वह समस्या को चाय अधिनियम की 1953 की धारा 16 (ख), (ग) और (ङ) के उपबंधों के अनुसार हल करे। अधिनियम में चाय बागान के कार्यकरण की जांच का प्रावधान है और कामगारों को उनका देय न दिए जाने की स्थिति में इसका अधिग्रहण किया जा सकता है।

इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि छह महीने के भीतर चाय अधिनियम 1953 को लागू किया जाए और चाय बागानों के उन कामगारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान कराया जाए जिन्हें लगभग 10 वर्षों से पारिश्रमिक और ग्रेच्युटी अदा नहीं की गयी है और साथ ही बीमा चाय बागानों के कामगारों को आईसीडीएस योजना और सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाए, ऐसा न करने पर सरकार को बीमार चाय बागानों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, इस विषय को सदन में उठाया जा चुका था, जब मुम्बई के सदस्यों ने इसे उठाया था। मैं इसके दूसरे पक्ष की तरफ सरकार तथा देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मुम्बई के सागर में दो जहाज का टक्कर लगा। उसके कारण पानी में प्रदूषण फैला, उससे मछुआरों के जीवन और जीविका पर आघात पड़ा है, वह अपनी जगह है, लेकिन समुद्र के पानी में तेल फैलने के कारण भाभा एटोमिक बिजली घर ने उस समुद्र से पानी लेना छोड़ दिया है। पानी प्रदूषित होने के कारण खतरा पैदा हुआ है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन दो जहाजों की टक्कर हुई, उनके मालिक और प्रबंधक मुम्बई में थे परन्तु उन्होंने जहाजों को डूबने से बचाने के लिए प्रयत्न नहीं किया। क्या दोनों जहाज के मालिक किसी ऐसे आतंकवादी संगठन या हिंदुस्तान के देशद्रोही संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिसने जानबूझकर टक्कर मारी। हमारे दो बन्दरगाह मुम्बई और जेएनपीटी नामी बंदरगाह के कामों को ठप्प किया और भाभा परमाणु विद्युत तापघर है उसके कामकाज को ठप्प करने की भी कहीं योजना न रही हो और कहीं ऐसा न हो कि जैसे अमेरिका में हवाईजहाज ने पेंटागन में टक्कर मारी थी, उसी तरह कहीं यह योजना न हो। इसलिए भारत सरकार इस मामले की जांच उच्चस्तरीय किसी गुप्तचर संस्था से कराए या पार्लियामेंट की कमेटी से इसकी जांच कराए कि इसमें क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ है? जो जहाज के प्रबन्धक और मालिक हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए कि उन्होंने हिन्दुस्तान के साथ और हमारे दो बन्दरगाह के साथ तथा परमाणु घर को बर्बाद करने का कहीं षडयंत्र किया हो, इसलिए इस पर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सदन का ध्यान मेरे लोक सभा क्षेत्र की घाघरा नदी में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि इस बाढ़ से बाराबंकी जनपद के मुख्य तीन ब्लॉक सूरतगंज, रामनगर और शिवालीबसपुर प्रभावित होते हैं और इसके अलावा सीतापुर, फैजाबाद, बहराइच जनपदों के कुछ क्षेत्र बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। हालत इतनी खराब है कि पूरे क्षेत्र में एक भी पक्का घर नहीं है। कच्चे मकान और झोंपड़ियां हैं जो हर साल बाढ़ में नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ के बाद उन झोंपड़ियों को दुबारा बनाया जाता है। इन क्षेत्र के लड़कों की शादियां नहीं हो रही हैं क्योंकि इन क्षेत्र के बाहर के लोग अपनी बेटियां इस क्षेत्र में देना पसंद नहीं करते। बीमार लोगों के लिए अस्पताल नहीं है, शिक्षा के पूरे साधन नहीं हैं। आवागमन के साधन नहीं हैं। जो सड़कें वहां पर बनी हैं, वे तारकोल से बनती हैं लेकिन हर साल बाढ़ की वजह से पानी जब सड़कों के ऊपर से गुजरता है तो वे सड़कें नष्ट हो जाती हैं। मैंने पहले भी मांग रखी थी कि इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो सड़कें बनें, वे सड़कें सीमेंटेड रोड बननी चाहिए। इसलिए इस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में बाढ़

आ जाने का कारण जरूरी नहीं है कि इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है बल्कि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण वहां पर बने बांध लबालब हो जाते हैं तथा उनका एकत्रित पानी घाघरा में छोड़ दिया जाता है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होती है। भारत सरकार ने यू.पी. सरकार से इस क्षेत्र में पुल और बांध बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है लेकिन एक वर्ष से ज्यादा अवधि होने के बावूद सर्वेक्षण कराकर प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग पटना को नहीं भेजा गया है। इसलिए मेरी मांग है कि जल्दी से जल्दी बांध बनाया जाए। *...(व्यवधान)* क्षेत्र की समस्याएं हैं। मेहरबानी करके उस पर राजनीति मत करिए। आपने बहुत नम्बर बढ़ा लिए हैं, नम्बर बढ़ जाएंगे। *...(व्यवधान)* हर बार जब मैं बोलता हूं तो आप खड़े हो जाते हैं। यह बहुत आपत्तिजनक बात है। जब आप बोलते हैं तो हम कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): सभापति जी, यह सही नहीं कह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पन्ना लाल पुनिया: सभापति महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक बात है। हम कभी भी इन्हें नहीं टोकते हैं। हमें बोलने दीजिए। मेरी बारी है। *...(व्यवधान)* मेरी मांग है कि शीघ्र बांध बनवाया जाए और सर्वेक्षण में इस बात का ख्याल रखा जाए कि कोई भी गांव नदी के पेटे में न रहे। मजबूत ठोकर बनाकर सभी गांवों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। यदि राज्य सरकार इस मामले में ढ़ीलाढ़ाला रवैया करे तो केन्द्र सरकार सीधे अपने स्तर से सर्वेक्षण कराकर आगे की कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

***श्री डी. वेणुगोपाल** (तिरूवन्नामलाई): तिरूवन्नामलाई तमिलनाडु में एक प्राचीन प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और रेलवे ने वर्तमान में तिरूवन्नामलाई के निकट खंड जो कि निल्लुपुरम और काटपाड़ी के बीच है, में आमान परिवर्तन कार्य शुरू किया है। इस कार्य को पूरा होने में बहुत समय लगेगा क्योंकि कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। यह कार्य अत्यधिक विलंबित हो गया है और समय सीमा से कम से कम चार वर्ष पीछे चल रहा है। अनेक समाचार पत्रों ने इसके बारे में खबर प्रकाशित की है और मीडिया द्वारा अक्सर इसका प्रसारण किया जा रहा है। कम से कम तिरूवन्नामलाई के निकट अब कार्य शुरू किया जा रहा है। इसमें तेजी लाए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह पारंपरिक तीर्थस्थल न केवल तमिलनाडु से बल्कि देश के अनेक भागों और विश्व के विभिन्न हिस्सों से भी हजारों लोगों को आकर्षित करता है। हजारों लोगों की न केवल कारतिगई दीपम के लिए बल्कि मासिक पूर्णमासी (पूर्णिमा) गिरीलम के लिए भी भीड़ लग जाती है। इस मासिक गिरीवलम के लिए लाखों लोग तिरूवन्नामलाई में एकत्रित होते हैं और इसलिए सड़क और रेल दोनों ही से संपर्कता में सुधार होना चाहिए। इस प्रकार ट्रेन से संपर्कता में अवरोध बना हुआ है। अत:, विल्लपुरम-काटपाड़ी खंडों के बीच आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने में तेजी लाने की आवश्यकता है, जो कि तिरूवन्नामलाई से बेहतर रेल संपर्कता सुनिश्चित करता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह तीर्थस्थल रमण महर्षि आश्रम, अरूणागिरीनात स्वामी स्थल, शेसाद्री स्वामीजल मठ के लिए प्रसिद्ध है, जहां इन ऋषियों ने 'मुक्ति' प्राप्त की थी। यहां वर्ष भर श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। हरे राम हरे कृष्ण भक्तगण भी बड़ी संख्या में इस नगर में आते रहते हैं। अत:, आपको अमान परिवर्तन कार्य पूरा करके और रेल सेवा बहाल करके तथा तिरूवन्नामलाई रेलवे स्टेशन का भी आधुनिकीकरण करके रेल संपर्कता और सुविधा में सुधार करना चाहिए। तिरूवन्नामलाई रेलवे स्टेशन में रेलवे प्लेटफार्म जिसकी लंबाई लगभग 500 मी. है वहां प्रस्तावित 80 मी. के बदले कम से कम 250 मी. की प्लेटफार्म को ढ़कने वाली छत का निर्माण किया जाना चाहिए। तिरूवन्नामलाई में कम्प्यूटरीकृत अग्रिम आरक्षण केंद्र वर्तमान में पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक के बदले पूर्वाह्न 8 बजे से सायं 8 बजे तक दिन भर कार्यशील होना चाहिए। यह तीर्थयात्रियों के लिए व्यापक रूप से मददगार साबित होगा। इसलिए, मैं रेल मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वे तिरूवन्नामलाई रेलवे स्टेशन में जरूरतमंद सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

[हिन्दी]

श्रीमती जे. शांता (बेल्लारी): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र के रेलयात्रियों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं। बेल्लारी में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है और यह भारत के स्टील सिटी के रूप में उभर रहा है। लेकिन उस हिसाब से वहां रेलवे सुविधाएं नहीं हैं।

गुंटाकल से हॉसपेट जाने के लिए बेल्लारी स्टेशन पर 4 बजे से 11.15 के बीच तथा 2 बजे से 9 बजे के बीच कोई ट्रेन नहीं है। उन दो स्टेशनों के बीच तत्काल पुश एंड पुल ट्रेन सर्विस शुरू किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा वर्तमान में चलने वाली कुछ ट्रेन सेवाओं का भी तत्काल विस्तार किए जाने की आवश्यकता है।

इसमें बीजापुर से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 1329/1330 को बढ़ाकर बेल्लारी अथवा गुंटाकल तक करना।

काचीगुडा से गुंटाकल के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 525/526 को बढ़ाकर हॉसपेट तक करना।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

रायदुर्ग-बेल्लारी के रास्ते चलने वाली हॉसपेट-बेंगलुरू ट्रेन संख्या 583/584 को आरसीकेरे रेलवे स्टेशन तक धारवाड़-मैसूर ट्रेन संख्या 7301/7302 से जोड़ना ताकि सीधे मैसूर जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। वर्तमान बसावा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 7307 के मार्ग में परिवर्तन कर इसे गडाग, बेल्लारी, रायदुर्ग, चाल्लेकेरे, अरसीकेरे होकर चलाया जाना।

मेरा केन्द्र सरकार तथा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि बेल्लारी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन मांगों को शीघ्र पूरा करने की कृपा करें। इससे न केवल लोगों की समस्याओं का समाधान होगा बल्कि क्षेत्र के तेजी से विकास में भी सहयोग मिलेगा।

श्री महेश्वर हजारी (समस्तीपुर): माननीय सभापति महोदय, बिहार राज्य कभी बाढ़ से और कभी सूखे से प्रभावित रहता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करके सूखाग्रस्त क्षेत्र हेतु राहत कोष के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की मांग की है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र पांच हजार करोड़ रुपया दिया जाए। वहां अमीर और गरीब में कोई विभेद नहीं है क्योंकि जितना गरीब तबाह है, उतना ही अमीर तबाह है। प्रत्येक परिवार को अनाज के रूप में राहत दी जानी चाहिए। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि नेपाल से हमेशा नदियों से बाढ़ आया करती है। इसलिए भारत सरकार को नेपाल सरकार से तुरंत बातचीत करनी चाहिए ताकि समझौता करके वहां हाई डैम बनाया जा सके। वहां विद्युत का उत्पादन हो सकेगा। इससे न केवल बिहार को बिजली मिलेगी बल्कि नेपाल सरकार को भी विद्युत बेची जा सकती है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार को तुरंत पांच हजार करोड़ रुपया भेजा जाए। जो किसानों की स्थिति है, जो चापाकल सूख गये हैं, वहां की बोरिंग सूख गई है, जो फसल किसान ने लगाई थी, वह सूख रही है। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता है कि संसद सदस्यों के माध्यम से स्टेट ट्यूबवैल दिया जाए और चापाकल की व्यवस्था की जाए।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट-सिवनी लोक सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं जो मध्य प्रदेश के दोनों सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं। वर्ष 2010-11 के रेल बजट में छिंदवाड़ा-सिवनी-नैनपुर-मंडल फोर्ट जो 182 किलोमीटर लम्बी नैरो गेज रेल लाइन है, को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसकी अनुमानित लागत 556 करोड़ रुपये है लेकिन बजट में केवल पांच करोड़ रुपया दिया गया था। यह पिछड़ा जिला है, मंडला जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, हमारा सिवनी जिला पिछड़ा जिला है। बड़ी रेल लाइन न होने के कारण यह जिला उद्योग से वंचित है। जब पांच करोड़ रुपये के लिए बजट की स्वीकृति मिल गई तो रेल विभाग को छिंदवाड़ा-सिवनी, सिवनी-मंडला को नैरो गेज से ब्रॉड गेज का काम प्रारम्भ करना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के रेल मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नैरो गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए काम तत्काल शुरू करे जिसकी मैं अपेक्षा करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरूवल्लूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे म्यांमार में रहने वाले भारतीयों, विशेषकर तमिल लोगों के दुख-दर्द पर बोलने का मौका दिया।

भारत के इर्द-गिर्द म्यांमार के तामु, मिंथार, शैलोनो और कावंगकानन जैसे सीमावर्ती कस्बों में जनजातियों के एक समूह हैन चाइनीज के गुपचुप आगमन ने दिल्ली में सुरक्षा तंत्र को चीन की मूक विस्तारवादी नीति के प्रति चिंतित कर दिया है।

महोदय, मैं भारत सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूं कि आसूचना आदान यह दर्शाते हैं कि हैन चाइनीज जनजाति के निरन्तर आगमन, जो व्यापक स्तर पर भारत-म्यांमार सीमावर्ती कस्बों में व्यापार शुरू कर रहे हैं, ने सीमावर्ती कस्बों में छोटे-छोटे व्यापार से जुड़े पारंपरिक तमिल व्यापारिक समुदाय के हजारों लोगों को पीछे धकेल दिया है।

म्यांमार और तमिल लोगों के आपसी संबंध बंगाल की खाड़ी में सामुद्रिक कार्यकलापों की शुरूआत के समय जितना पुराना है, जब व्यापारिक दृष्टि से मौसमी हवाएं और धाराएं म्यांमार, जो कि संस्कृत में ''स्वर्णभूमि'' द लैंड ऑफ गोल्ड, के नाम से प्रसिद्ध था, के बीच त्वरित और सीधे संचार के लिए विशेष रूप से अनुकूल थीं।

जनसांख्यिकी को बदलने की चीन की योजना म्यांमार, विशेषकर सीमावर्ती कस्बों में तमिल व्यापारियों की संख्या को तेजी से पीछे छोड़ती जा रही है। इसका विरोधाभास स्पष्ट रूप से मंडाले और तामू में दृष्टिगोचर है। ये सीमावर्ती कस्बे हैं जो भारतीय सीमा की ओर मणिपुर में मोरेह के निकट हैं।

बर्मा की मिलिट्री जनता की सहायता से चीन हेन चाइनीज को म्यांमार में निवेश करने और उत्पाद और पद्धति दोनों में ही संवर्धन करके तमिलों द्वारा अभी तक नियंत्रित व्यापार को

अधिग्रहीत करने में मदद कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप इन कस्बों में, जहां कुछ समय पहले तक तमिल व्यापारिक घरानों का दबदबा था, अब वहां हेंस जनजाति का बोलबाला हो गया है और अब म्यांमार की 12 प्रतिशत जनसंख्या मंडारिन भाषा बोलती है।

इसके गंभीर परिणामों से चिंतित होकर, मैं भारत सरकार को चेताना चाहता हूं कि वह अपनी निद्रा से जगे। दिल्ली को म्यांमार सैन्य शासक जनरल थानश्वे को अपनी चिंताओं से अवगत करना चाहिए और म्यांमार में भारतीयों विशेषकर तमिल लोगों के हितों के रक्षोपाय के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाने चाहिए।

श्री जी.एम. सिद्देश्वर (दावणगेरे): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में अत्यधिक खनन कार्यकलापों के कारण जिले के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आई.बी.एम. और कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में मै. सेसा गोवा माइनिंग कंपनी लि., जो अनेक वर्षों से कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में चित्रदुर्ग और होलाकेरे तालुकाओं में अपने खनन कार्यकलाप चला रही है, की क्षमता को 6 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 10 मिलियन प्रति वर्ष करने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आमंत्रित करने हेतु 19/8/1010 को एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की थी। मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि मै. सेसा गोवा माइनिंग कंपनी लि. कोई स्थानीय खनन कंपनी नहीं है बल्कि केवल निर्यातक कंपनी है। इस कंपनी के खनन का अवलोकन करने पर पता चला है कि हाल ही के वर्षों में इसमें असाधारण रूप से वृद्धि हुई है। उदाहरणस्वरूप इस कंपनी ने 2004-05 में 1.6 मिलियन टन प्रति वर्ष का निर्यात किया था और वर्ष 2009-10 में यह 6 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच गया है और अब वे इसे 10 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस प्रकार, आबंटन में वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी हो रही है। किंतु अवसरंचनात्मक सुविधा वैसी ही बनी हुई है जैसी कि वर्ष 2004-05 में थी। खनन कार्यकलापों में ऐसी असाधारण वृद्धि के कारण, हमने खनन क्षेत्रों में वृक्षों और वनों को गंवाया है। अब पुन: मेसर्स सेसा गोवा खनन कंपनी ने वर्तमान खनन क्षमता को 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। नियमों के अनुसार, क्षमता निर्माण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद आईबीएम और पर्यावरण मंत्रालय के उच्च अधिकारियों द्वारा खनन क्षेत्र का निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए पर अब तक आईबीएम या पर्यावरण मंत्रालय के किसी भी उच्च अधिकारी ने इस क्षेत्र में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए क्षेत्र का दौरा नहीं किया है।

महोदय, इस संबंध में मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि ऐसी कंपनियां, जो खनन निर्यात गतिविधियों में प्रमुख रूप से लगी हैं, ने खनन क्षेत्र में वृक्षों के विकसित होने जैसी पर्यावरण सुविधाएं तथा जनता को मूलभूत अवसरंचना सुविधाएं तथा जनता को मूलभूत अवसरंचना सुविधाएं प्रदान करने में भी विफल रही हैं। वृक्षों, पादपों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों की हानि के कारण इस क्षेत्र में वर्षा भी भयानक रूप से कम हो गयी है तथा लोग प्रति वर्ष सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। इससे लोगों को व्यापक पैमाने पर भारी असुविधा हुई है जिससे लोग इन कंपनियों के विरुद्ध विरोध करने के लिए बाध्य हो गए हैं।

सभापति महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री जी.एम. सिद्देश्वर: महोदय, यदि सेसा गोवा कंपनी लिमिटेड को 10 मिलियन टन प्रति वर्ष का खनन कार्य करने का आदेश दिया जाएगा तो इसे प्रतिदिन 33,000 टन लोहे का उत्पादन करने की जरूरत होती है। दस पहिए वाला एक ट्रक 16 टन ढोने की क्षमता रखता है और प्रतिदिन 33,000 टन लौह अयस्क का परिवहन करने के लिए उसे प्रतिदिन 2000 ट्रक से अधिक की जरूरत होगी।

अत्यधिक खनन गतिविधियां एवं ट्रकों की आवाजाही के कारण इस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हो रही हैं और अधिक संख्या में लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा है तथा कुछ मामलों में दुर्घटना के शिकार लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। यदि कंपनी के वर्तमान प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तब इस क्षेत्र में ट्रकों की आवाजाही बहुत अधिक बढ़ जाएगी तथा दुर्घटना की आशंका भी इससे बढ़ जाएगी जिससे आम आदमी का जीवन ट्रक ड्राइवरों के रहमोकरम पर निर्भर हो जाता है और मैं समझता हूं कि हमें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. सिद्देश्वर: महोदय, एक और महत्वपूर्ण बिन्दु जिस पर विचार किया जाना है कि भीमसमुद्र कर्नाटकमें जाना माना सुपाड़ी का बाजार है और विभिन्न जिलों से भारी संख्या में वाहन, कृषि उत्पादों की बिक्री करने के लिए भीमसमुद्र पहुंचते हैं। इन कृषि व्यवसायों के कारण इस सड़क पर वाहनों की भारी संख्या में आवाजाही होती रहती है। लेकिन इस सड़क पर भारी खनन परिवहन के कारण कृषक अपने उत्पादों को उच्च दामों पर बाजार में लाकर बेचने के बजाय बिचौलियों के माध्यम से बेचने पर बाध्य होते हैं इससे किसानों को भारी हानि होती है।

जब सड़कें लौह अयस्क के भारी बोझ का वहन करने के लिए विशेष रूप से नहीं बनी हैं तो मेसर्स सेसा गोवा कंपनी का क्षमता संवर्द्धन संबंधी प्रस्ताव जिले में इन सड़कों की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

इन सभी बातों के मद्देनजर मैं केन्द्रीय सरकार से गुजारिश करूंगा कि वह आईबीएम एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करे। वास्तविक स्थिति जानने के बाद ही मेसर्स सेसा गोवा कंपनी लिमिटेड या किसी अन्य कंपनी की क्षमता पर गौर किया जाना चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि तब तक तथा अन्य कंपनियों की खनन क्षमता को प्रति वर्ष 1.6 मिलियन टन तक सीमित किया जाए। यह स्तर 2004-05 में था तथा यह इस क्षेत्र के किसानों, स्कूल जाने वाले बच्चों तथा अन्य आम जनता के लाभ के लिए है।

श्री अमरनाथ प्रधान (संबलपुर): सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बुरला, कटक और भुवनेश्वर के शहरी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू से मरनेवालों की संख्या दस हो गयी है। पश्चिमी पूर्वोत्तर उड़ीसा क्षेत्र स्वाइन फ्लू रोग से गंभीर रूप से प्रभावित है। राज्य में दवाओं, मास्कों तथा अन्य निवारक सामग्रियों की भारी कमी है। मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है यदि युद्ध स्तर पर निवारक कदम समय पर नहीं उठाए जाते। प्रभावित रोगियों को दवाएं, मास्क तथा अन्य जरूरी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।

इसलिए मैं विभिन्न अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के रोगियों के इलाज में चिकित्सकों की सहायता के लिए तुरंत ही केन्द्रीय स्वास्थ्य दल उड़ीसा भेजने का अनुरोध केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से करूंगा।

[हिन्दी]

श्री भीष्म शंकर उर्फ **कुशल तिवारी** (संत कबीर नगर): महोदय, मैं आपका ध्यान लोक महत्व के अत्यंत आवश्यक प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मगहर जो संत कबीर की निर्वाण स्थली है, में एक फुट ओवरब्रिज बना है। वह फुट ओवरब्रिज पूरा न होने के कारण मगहर टाउन एरिया दो भागों में बंट गया है। वहां से बच्चों को पढ़ने के लिए आने-जाने में, अन्य लोगों के आने-जाने में अनेक एक्सीडेंट एवं मौतें हो चुकी हैं। जब लोगों ने अपने अधिकार की मांग की, तो उस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। हमने इसको कई बार लिखकर भी माननीय रेल मंत्री को दिया है, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। उस फुट ओवरब्रिज का बनना नितांत आवश्यक है जिससे वहां के बच्चे दुर्घटना से बचें और वहां पर एक अंडरपास बना है, रेलवे लाइन जब बन रही थी, तो रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जब यह बड़ी लाइन बन जाएगी, तब इस अंडरपास को चालू कर देंगे। उस पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। फुट ओवरब्रिज को पूरा किया जाना चाहिए। दूसरे, जो रेलवे का अंडरपास है, जिसका अधिकारियों ने कहा था कि समय से बन जाएगा, बड़ी लाइन पूरी हो जाएगी, तो इसे चालू कर देंगे, लेकिन छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित हुए दस साल से अधिक समय हो गया, लेकिन उसे शुरू नहीं किया गया है। अंडरपास में पानी आ जाता है और पूरा आवागमन बाधित होता है जिससे वह कस्बा दो भागों में बंट जाता है। जल जमाव से अनेक बीमारियां होती हैं, पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। हमारी मांग है वहां पर एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए और फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, आपके माध्यम से देश और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश भर में लगभग सभी प्रदेशों में केन्द्र सरकार की ओर से मध्याह्न भोजन खिलाने की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अच्छी है तथा गरीब, दलित और निम्न वर्ग के बच्चों को इससे काफी फायदा हो रहा है। लेकिन मैंने इस संबंध में मिड डे मिल मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग्स का अटैंड किया, तो चुने हुए प्रतिनिधि ने मेरे सामने यह तथ्य लाया कि इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली खाद्य सामग्री प्रायः समय पर विद्यालयों में नहीं दी जाती है।

सायं 7.00 बजे

जिसके कारण वहां के अध्यापकों को अपनी ओर से पैसा देकर बाजार से सामग्री खरीदनी पड़ती है और तब मिड-डे मिल बच्चों को परोसा जाता है। यह स्थिति किसी एक प्रदेश की नहीं है, बल्कि कमोबेश सारे देश की है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल महंगाई के युग में अपने परिवार का पालन-पोषण करना अध्यापकों को कठिन हो रहा है, उसके ऊपर विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन के लिए बाजार से अन्न खरीदना कितना मुश्किल काम है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सप्लाई करने वाली एजेंसियों को इस प्रकार की हिदायतें दी जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालयों में कम से कम एक महीने की खाद्य सामग्री भंडार में रहे। पहली सामग्री पूर्ण रूप से खत्म होने से एक महीने पहले अगली सामग्री पहुंच जाए ताकि इस प्रकार की कठिनाइयों से बचा जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत निम्न स्तर की खाद्य सामग्री परोसी जाती है और कभी-कभी विषाक्त खाना भी परोसा जाता है, जिसके कारण अनेक बार विद्यार्थियों

की तबियत खराब हो जाती है। उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि बच्चों को खाना परोसे जाने से पहले तैयार भोजन की मेडिकल जांच की जाए और यह देखा जाए कि वह बच्चों के खाने योग्य है या नहीं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, हम जानते ही हैं कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। इसलिए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो भोजन बच्चों को परोसा जाए, वह पौष्टिक व सभी मिनरल, विटामिन एवं खनिजों से परिपूर्ण हो ताकि बच्चे स्वस्थ रहें और देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभा सकें।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 बहुत बड़ा एवं व्यस्त राजमार्ग है। यह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल नामक विभिन्न राज्यों से होकर जाता है। साठवें दशक के उत्तरार्द्ध के दौरान ग्रेंड ट्रंक सड़क के जंक्शन पर हावड़ा जिले में बैली तथा हुगली जिले में मोगरा के बीच विशेष सड़क के खंड का निर्माण किया गया था। सामान्यतया विकास के कारण वाहनों की आवाजाही कई गुणा बढ़ गयी है जिससे भारी भीड़-भाड़ खासकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के प्रवेश और निकास द्वारा पर भारी भीड़-भाड़ रहती है। सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। सड़क के रख-रखाव का काम तो जैसे रोक दिया गया है।

इस भारी भीड़-भाड़ से बचने तथा सुचारू वाहन आवाजाही, सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वे इसे चार लेन से छह लेन बनाने के लिए कुछ कार्रवाई करें तथा सड़क का समुचित रखरखाव सुनिश्चित करें।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): महोदय मैं माननीय सदस्या की बात से स्वयं को भी संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

सभा कल 13 अगस्त 2010 को पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.02 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार, 13 अगस्त 2010/22 श्रावण 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री पूर्णमासी राम	261
2.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	262
3.	श्री गोपीनाथ मुंडे	263
4.	श्री तूफानी सरोज श्री वैजयंत पांडा	264
5.	श्री नरहरि महतो श्री नृपेन्द्र नाथ राय	265
6.	श्री ताराचन्द भगोरा	266
7.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	267
8.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	268
9.	श्री अर्जुन राय श्री जय प्रकाश अग्रवाल	269
10.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री कोडिकुन्नील सुरेश	270
11.	श्री अनंत कुमार हेगड़े श्री हर्ष वर्धन	271
12.	डॉ. रत्ना डे श्री नारनभाई कछाड़िया	272
13.	श्री संजय निरूपम	273
14.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	274
15.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री के.सी. वेणुगोपाल	275
16.	श्री रामसिंह राठवा	276
17.	श्री लालजी टन्डन	277
18.	श्री संजय धोत्रे श्री मदनलाल शर्मा	278
19.	श्री अर्जुन मुंडा	279
20.	श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3041, 3175
2.	आधि शंकर, श्री	3010, 3085, 3130
3.	आदित्यनाथ, योगी	3058, 3082
4.	अडसूल, श्री आनंदराव	3046, 3140, 3157, 3201
5.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	3150, 3206
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3017, 3143, 3176
7.	अलागिरी, श्री एस.	3130
8.	आनंदन, श्री एम.	3010, 3058, 3073, 3181
9.	अंगड़ी, श्री सुरेश	3072, 3166
10.	एंटोनी, श्री एंटो	3141
11.	अनुरागी, श्री घनश्याम	3028, 3182
12.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	3132
13.	बाबर, श्री गजानन ध.	3046, 3140, 3157, 3201
14.	बादल, श्री हरसिमरत कौर	3038
15.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	2989
16.	बलीराम, डॉ.	3099
17.	बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई	3098
18.	भैया, श्री शिवराज	3039
19.	बिजू, श्री पी.के.	3055, 3070
20.	बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह	3024
21.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	3136, 3199
22.	चौधरी, श्री हरीश	3019
23.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	3021, 3052, 3161

1	2	3
24.	चौहान, श्री संजय सिंह	3053, 3148
25.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	3008, 3115
26.	'कमांडो', श्री कमल किशोर	2995
27.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	3056, 3145, 3203
28.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	3062, 3148, 3160
29.	देवरा, श्री मिलिंद	3025, 3125
30.	धनपालन, श्री के.पी.	3105
31.	धोत्रे, श्री संजय	3138
32.	धुर्वे, श्रीमती ज्योति	2999, 3134
33.	दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव	3087
34.	दत्त, श्रीमती प्रिया	3064
35.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	3073, 3167, 3211
36.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3054, 3149, 3205
37.	गांधी, श्री वरुण	3071, 3214
38.	गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल	2998
39.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	3042
40.	गौडा, श्री शिवराम	3143
41.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	3043
42.	हजारी, श्री महेश्वर	3019, 3050
43.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	3097
44.	जाधव, श्री बलीराम	3087
45.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	3130
46.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	3031, 3057
47.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	3051
48.	जावले, श्री हरिभाऊ	3012, 3116, 3208
49.	जयाप्रदा, श्रीमती	3040, 3070, 3206
50.	जोशी, श्री कैलाश	3152
51.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	3080, 3196
52.	जोशी, श्री प्रहलाद	2987
53.	जूदेव, श्री दिलीप सिंह	3003
54.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	3119, 3197
55.	कस्वां, श्री राम सिंह	3000, 3110
56.	कटारिया, श्री लालचन्द	3141
57.	कटील, श्री नलिन कुमार	3043
58.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3133
59.	खतगांवकर, श्री भास्कररराव बापूराव पाटील	3054, 3149, 3205
60.	कोड़ा, श्री मधु	3037, 3172
61.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	3009, 3153, 3207
62.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	3059
63.	कुमार, श्री मिथिलेश	3131
64.	कुमार, श्री विश्व मोहन	3089, 3141, 3173
65.	कुमार, श्री पी.	3015, 3052
66.	लागुरी, श्री यशवंत	3031
67.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3001, 3111
68.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3106, 3185
69.	महाराज, श्री सतपाल	3100
70.	महतो, श्री नरहरि	3213
71.	महताब, श्री भर्तृहरि	3090, 3166
72.	माझी, श्री प्रदीप	2990, 3120, 3149, 3191, 3205
73.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	3139
74.	मलिक, श्री शक्ति मोहन	3051
75.	मंडल, श्री मंगनी लाल	3088
76.	मणि, श्री जोस के.	3004, 3022, 3123, 3187
77.	मीणा, श्री रघुवीर सिंह	3079, 3169

1	2	3
78.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	3045
79.	मेघे, श्री दत्ता	3078
80.	मेघवाल, श्री भरत राम	3076
81.	मैन्या, डॉ. थोकचोम	3033, 3158
82.	मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद	3061, 3207
83.	मित्रा, श्री सोमेन	3200
84.	मोहन, श्री पी.सी.	3127
85.	मुंडा, श्री अर्जुन	3215
86.	मुंडे, श्री गोपीनाथ	3127, 3194
87.	मुत्तेमवार, श्री विलास	3068, 3151, 3165
88.	नामधारी, श्री इन्दर सिंह	3034
89.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	3095
90.	नटराजन, श्री पी.आर.	3023
91.	निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद	3006
92.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3031, 3156
93.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	3005, 3051, 3113
94.	पांडा, श्री वैजयंत	3146, 3204
95.	पांडा, श्री प्रबोध	3032, 3145, 3203
96.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	3031, 3035, 3141
97.	परांजपे, श्री आनंद प्रकाश	3087, 3096, 3180
98.	पाटिल, श्री सी.आर.	3027, 3135, 3198
99.	पटेल, श्री देवराज सिंह	3107
100.	पटेल, श्री देवजी एम.	3067
101.	पटेल, श्री आर.के. सिंह	3067, 3164, 3210
102.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	3200
103.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3018, 3159
104.	पटले,श्रीमती कमला देवी	2997
105.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	3007
106.	प्रधान, श्री नित्यानंद	3204
107.	पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र	3092
108.	राघवन, श्री एम.के.	3081
109.	राजगोपाल, श्री एल.	2996, 3178
110.	राम, श्री पूर्णमासी	3129, 3193
111.	रामकिशुन, श्री	3065
112.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	3004, 3078, 3112, 3175, 3188
113.	राणे, श्री निलेश नारायण	2991, 3122, 3192, 3207
114.	राव, श्री नामा नागेश्वर	3074, 3148
115.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3075
116.	राठवा, श्री रामसिंह	3137, 3200
117.	रावत, श्री अशोक कुमार	3030, 3177
118.	राय, श्री अर्जुन	3126, 3196
119.	राय, श्री रूद्रमाधव	3029, 3146, 3177
120.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	2988, 3031, 3124
121.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3060
122.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3011, 3055, 3162, 3209
123.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	3003, 3016, 3147, 3207
124.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3013, 3117
125.	रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल	3091
126.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	3213
127.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	3051, 3102
128.	रूआला, श्री सी.एल.	3002
129.	सचान, श्री राकेश	3077, 3168
130.	संजय, श्री तकाम	3206

1	2	3
131.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	3040, 3140, 3183
132.	सरोज, श्री तूफानी	3128, 3195
133.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	3066, 3163
134.	शांता, श्रीमती जे.	2993, 3108, 3187
135.	शर्मा, श्री जगदीश	3196
136.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	3007
137.	शेट्टी, श्री राजू	3026, 3174
138.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	3170, 3207
139.	शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश	3083, 3170, 3207
140.	शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव	3089, 3211
141.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	3056
142.	सिंह, डॉ. भोला	3048, 3143, 3202
143.	सिंह, श्री भूपेन्द्र	3015, 3047, 3142, 3212
144.	सिंह, श्री दुष्यंत	3058, 3155
145.	सिंह, श्री गणेश	2987
146.	सिंह, श्री इज्यराज	3094, 3161
147.	सिंह, श्रीमती मीना	3069
148.	सिंह, श्री राधा मोहन	3104
149.	सिंह, श्री राकेश	2986, 3141
150.	सिंह, श्री रवनीत	3036, 3171
151.	सिंह, श्री धनंजय	3052
152.	सिंह, श्री रेवती रमन	3086
153.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन	3080
154.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	3083, 3094, 3196, 3085
155.	सिंह, डॉ. संजय	2994
156.	सिन्हा, श्री यशवंत	3093
157.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	3007
158.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	3051, 3103, 3141, 3184
159.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3044, 3095
160.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	3114, 3154, 3189
161.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	3121
162.	तराई, श्री बिभू प्रसाद	3056
163.	तिवारी, श्री मनीष	3049, 3144
164.	थामराईसेलवन, श्री आर.	3031, 3141
165.	थॉमस, श्री पी.टी.	3063
166.	तिरकी, श्री मनोहर	3101
167.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	3207
168.	वर्धन, श्री हर्ष	3196
169.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3052
170.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	3179
171.	विश्वनाथ, श्री अदगुरु एच.	3014, 3052, 3072, 3118, 3190
172.	विश्वनाथन, श्री पी.	2992, 3088, 3109, 3151, 3186
173.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	3140
174.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	3055, 3151
175.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	2994
176.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	3020, 3046, 3140, 3157
177.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	3141
178.	यादव, श्री ओम प्रकाश	3141
179.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	3084

अनुबन्ध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	266, 271
नागर विमानन	:	263, 267, 270, 273, 277, 279
कार्पोरेट कार्य	:	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
विधि और न्याय	:	268, 275, 276
अल्पसंख्यक मामले	:	272
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	261
रेल	:	262, 264, 265, 274
इस्पात	:	
वस्त्र	:	269, 278, 280

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	2986, 2988, 2999, 3026, 3036, 3038, 3039, 3040, 3042, 3079, 3087, 3094, 3108, 3123, 3160, 3166, 3169, 3174
नागर विमानन	:	2993, 2994, 3004, 3005, 3007, 3011, 3016, 3025, 3043, 3062, 3068, 3084, 3100, 3104, 3115, 3125, 3140, 3143, 3146, 3161, 3170, 3173, 3186, 3189, 3200, 3202, 3213
कार्पोरेट कार्य	:	3008, 3045, 3119, 3191
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	3010, 3058, 3063, 3067, 3071, 3122, 3137, 3201, 3204, 3212
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	2996, 3003, 3050, 3113, 3145, 3162
विधि और न्याय	:	2987, 2989, 3017, 3031, 3033, 3034, 3041, 3144, 3180, 3187, 3206
अल्पसंख्यक मामले	:	3027, 3059
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	33009, 3014, 3015, 3019, 3046, 3047, 3048, 3049, 3051, 3053, 3056, 3061, 3073, 3075, 3078, 3082, 3085, 3086, 3092, 3093, 3095, 3096, 3098, 3118, 3120, 3121, 3124, 3130, 3133, 3136, 3148, 3149, 3153, 3156, 3157, 3159, 3164, 3175, 3179, 3181, 3183, 3190, 3193, 3196, 3209, 3210

रेल	:	2991, 2995, 2997, 2998, 3000, 3001, 3002, 3006, 3012, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3032, 3044, 3052, 3054, 3057, 3060, 3064, 3065, 3066, 3069, 3070, 3072, 3074, 3076, 3081, 3088, 3089, 3090, 3091, 3099, 3101, 3102, 3105, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3114, 3116, 3127, 3129, 3131, 3132, 3134, 3135, 3139, 3141, 3142, 3150, 3151, 3152, 3154, 3155, 3158, 3167, 3171, 3172, 3176, 3182, 3184, 3185, 3188, 3192, 3194, 3195, 3197, 3198, 3199, 3203, 3207, 3208, 3211, 3214, 3215
इस्पात	:	2992, 3013, 3018, 3029, 3030, 3035, 3037, 3097, 3103, 3106, 3117, 3128, 3147, 3165, 3205
वस्त्र	:	2990, 3028, 3055, 3077, 3080, 3083, 3126, 3138, 3168, 3177, 3178

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।